खण्ड-426, अंक-3
बुधवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1920
(22 जुलाई, 1998 ई0)

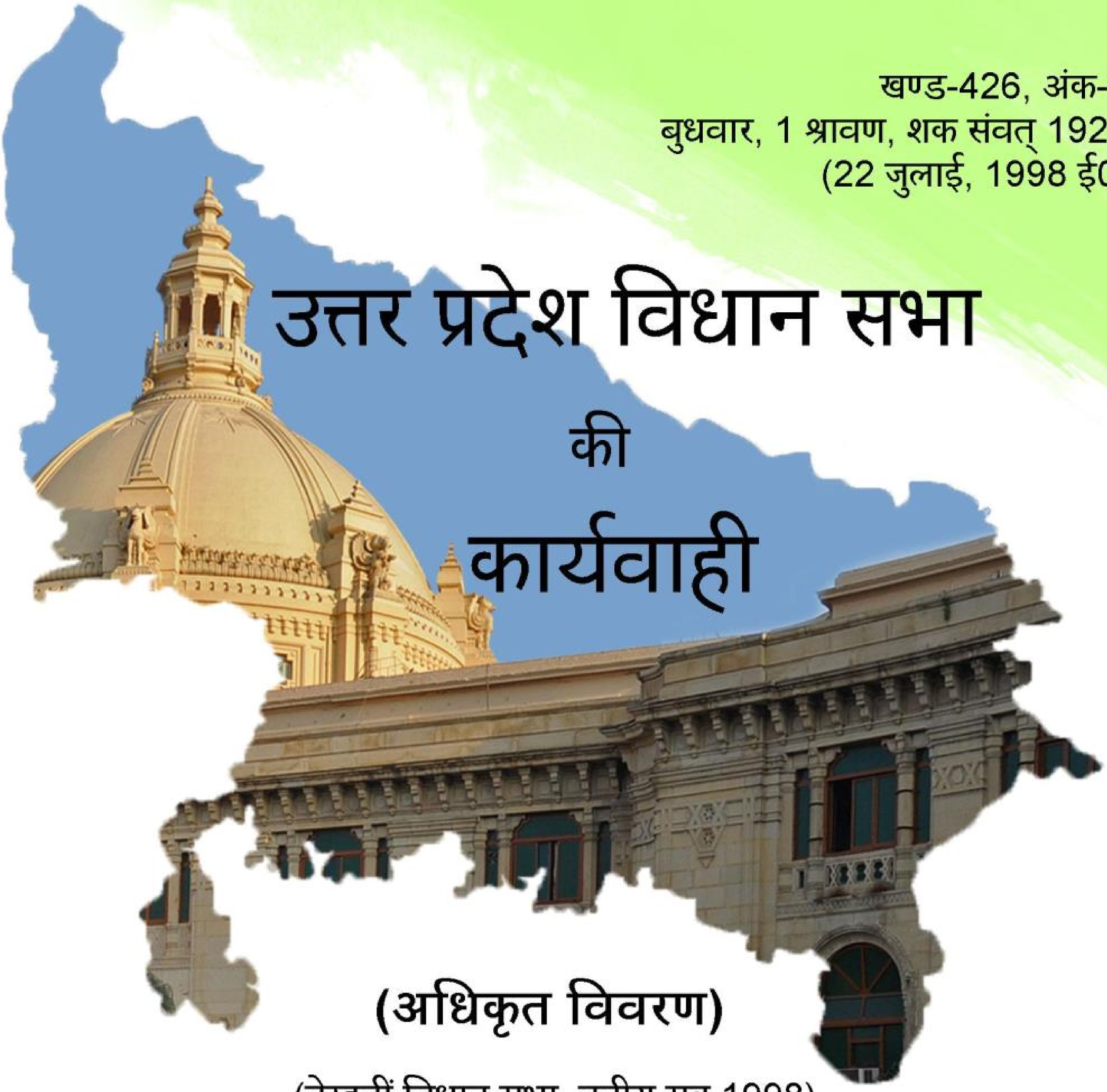

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 426 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1—2
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के विरुद्ध नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास - - - -	3—4
प्रश्नोत्तर	5—90
प्रदेश के पूर्वांचल में आयी बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग – – – – – – –	90—91
उपाध्यक्ष विधान सभा के निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि निरस्त किये जाने का प्रस्ताव - - - (स्वीकृत)	92—96
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएँ - - - -	96
जनपद बस्ती में सोनहा अबपुर तहसील भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	96
जनपद हमीरपुर के राठ से ग्राम धमना 5 कि०मी० सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गई कथित धांधली की जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	96
प्रदेश के भूलेख अधिकारियों की वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	97
जनपद सीतापुर के ग्राम नेवादा को सराय नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	97
जनपद सीतापुर के ग्राम निजामाबाद में अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को राहत देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	97
जनपद गाजीपुर की नगरपालिका गाजीपुर के नाले की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	98
शाहजहाँपुर के कस्बा कांट में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर प्रवेश देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	98
नियम 300 की सूचनाएँ - - - -	98
प्रदेश में अतिवृष्टि के फलस्वरूप बाढ़ नदियों के कटान और बन्धों के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न - - - -	98—99
शासन द्वारा प्रश्नों का स्थगन कराये जाने अथवा उनका उत्तर "सूचना एकत्र की जा रही है" दिये जाने तथा स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य का प्रश्न - - - -	99—100

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नोत्तर में मुद्रण की त्रुटि होने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न - - - -	100—101
विधान सभा के दिनांक 21-10-97 के उपवेशन मे हुई हिंसा पर गठित जाँच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न - - - -	101—102
प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-166 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर समय से प्राप्त न होने तथा प्रश्नोत्तर "सूचना एकत्र की जा रही है" दिये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य का प्रश्न - - - -	102—103
सत्रकाल के समय मुख्यमंत्री द्वारा सदन से बाहर बाढ़ पीड़ितों हेतु घोषणाएँ किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य का प्रश्न - - - -	103—105
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य का प्रश्न - - - -	105—106
काल्पनिक एवं सत्य से परे उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य का प्रश्न - - - -	106—107
दिनांक 20 जुलाई, 1998 की कार्य सूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-2 को अनेकों बार सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय — — — —	107
जनपद गाजियाबाद में वृजघाट के समीप गढ़—हापुड़ रोड पर ट्रक जीप दुर्घटना में हुई महिला की मृत्यु के फलस्वरूप भड़की हिंसा की जाँच रिपोर्ट - - - - (पटल पर रखा गया)	107
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का बारहवाँ प्रतिवेदन - - - - (प्रस्तुत किया गया)	108
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का तेरहवाँ प्रतिवेदन - - - - (प्रस्तुत किया गया)	108
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का चौदहवाँ प्रतिवेदन - - - - (प्रस्तुत किया गया)	108
जनपद जौनपुर के ग्राम धर्मापुर कृषि भूमि में सिंचाई हेतु गोमती नदी में लघु डाल नलकूप लगवाये जाने सम्बन्धी श्री जयनारायण मौर्य आदि की हस्ताक्षरित याचिका - - - - (प्रस्तुत की गयी)	108
जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बेलाव मार्ग पर गोमती नदी मे पीपे का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष राय आदि की हस्ताक्षरित याचिका - - - - (प्रस्तुत की गयी)	108
जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा रिफाइनरी एवं उसकी आनुषांगिक औद्योगिक इकाइयों में वहाँ की बेरोजगार जनता को आमन्त्रित किये जाने सम्बन्धी श्री पंचम सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका - - - - (प्रस्तुत की गयी)	109
जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन क्षेत्र में मुड़िया मेले को सरकारी मेला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कु० सरिता पोइया आदि की हस्ताक्षरित याचिका - - - - (प्रस्तुत की गयी)	109

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में सात कोसी मार्ग पर सुलभ शौचालय आदि बनवाये जाने सम्बन्धी श्री मनोज कुमार खण्डेलवाल आदि की हस्ताक्षरित याचिका - - - - (प्रस्तुत की गयी)	109
जनपद मथुरा में पर्वत के पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटे जाने के सम्बन्ध में श्रीमती चन्द्रावती आदि की हस्ताक्षरित याचिका – – – – (प्रस्तुत की गयी)	109
दिनांक 13 अगस्त, 1997 को तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अनुपूरक उत्तर में संशोधन हेतु दिये गये शोधन वक्तव्य - - - -	110
उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998 - - - - (पुरःस्थापित)	110
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ - - - -	111—144
प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के विषय में दिनांक 26 जून, 1998 को पूछे गये ता० प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद आदि की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन - - - -	144—145
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग - - - - (जारी)	145
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर केवल मतदान अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अनिवार्य भत्ते तथा पेंशन), अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) तथा अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग - - - - (जारी)	145—146
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग - - - - (जारी)	146—169
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 - - - - (पुरःस्थापित)	169
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ - - - -	169—170
जनपद इटावा में लोक निर्माण विभाग द्वारा फर्जी भुगतान कर करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में मा० विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य - - - -	170—171
प्रदेश में पशु व्यवसायियों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने सम्बन्धी मा० सदस्यगण सर्वश्री माणिक चन्द यादव एवं रामतेज यादव एडवोकेट द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य - - - -	171—172
जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत सीलिंग भूमि के पट्टे में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद विधान सभा सदस्य द्वारा दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य - - - -	172—173

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मथुरा के खण्ड बांच में निरन्तर हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गयी सूचना पर ससदीय कार्य मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य - - - -	173
उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की भांति सेवानिवृत्त अधि०/कर्मचारियों के गृहकर एवं सम्पत्ति कर में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा प्रस्तुत विषय पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य – – – –	174—175
नत्थियाँ – – – –	176—185

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 22-7-98

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
के० सी० सिंह, ''बाबा''	उधम सिंह नगर
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
राजधारी, श्री	बलिया
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय ''विन्नू'', श्री	गोण्डा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विनोद मणि, श्री	महराजगंज
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
हरि प्रसाद उर्फ चमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केसरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०—1 पुकारे जाने पर)

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के विरुद्ध नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने नियम-311 में एक सूचना दी है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष—

इस विषय पर अच्छी-खासी चर्चा हो चुकी है।

* श्री अम्बिका चौधरी—

परसों चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री की ओर से जिस तरह के अनर्गल आरोप लगाये गये, वह उचित नहीं है और पीठ की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था का जिक्र भी नहीं है कि उन्हें हटा दिया जायेगा। बहुत ही अमर्यादित तरीके से आरोप लगाये गये। यह सरकार उस अधिकारी की वकील नहीं है। एक आई० ए० एस० अधिकारी की वकील की हैसियत से यह सरकार यहाँ नहीं बैठी है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग सदन की कार्यवाही चलने दीजिये। इस विषय पर लगभग 4 घन्टे तक चर्चा हुई है, अब दुबारा उस विषय की अनुमति नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, आप निर्देशित कर दें कि किसी उच्च अधिकारी से जाँच करवाई जायेगी अथवा सदन के सदस्यों की समिति बना दें, सी०बी०आई० से जाँच करा लें।

श्री अध्यक्ष—

जितने तथ्य आप लोगों के संज्ञान में थे, वह आपने जानकारी में ला दिये, अब सरकार उसकी जाँच कराये अथवा न कराये, यह उनका विषय है।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, उस दिन हमारे दल की ओर से एक सदस्य ने यहाँ तक कहा कि आप जाँच करा लें, यदि आरोप सिद्ध नहीं होते तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा, अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

चर्चा हो चुकी, अब यह विषय दुबारा नहीं लिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

तमाम सदस्यों को उसके बाद से धमकियाँ मिल रही हैं, उनके बारे में तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं। आप सदस्यों का हित संरक्षित करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 311 की सूचना को निरस्त कर दिया है। मैंने उस दिन उल्लेख किया था, लेकिन मेरे उल्लेख करने के बाद भी आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे। जो चर्चा हुई है, उसका मुख्य केन्द्र बिन्दु क्या था, यह आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

आप कोई व्यवस्था दें, शिरोधार्य है, लेकिन इस पक्ष में बैठे हुए लोगों को कहने का अधिकार नहीं है।

(इस पर समाजवादी पार्टी के श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम औतार, श्री उदयराज यादव तथा श्री चन्द्र नाथ सिंह सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन मे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(श्री अफजाल अहमद, श्री वसीम अहमद, श्री उदयराज यादव, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री श्याम किशोर यादव और सी०एन० सिंह आदि तमाम सदस्य सदन के फ्लोर से कहने लगे कि ''सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने जाँच की मांग की है, जाँच करायी जाये''।)

(व्यवधान)

मुझे मजबूर होकर जस्टिस श्रीवास्तव की रिपोर्ट सदन में रखकर कार्यवाही करनी पड़ेगी। जो हो रहा है, यह कोई शोभनीय बात नहीं है। अब मुझे गंभीरता से विचार करना होगा और इस प्रकार के आचरण पर कार्यवाही की जायेगी।

मैं सदन को 12.20 तक स्थगित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 7 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मिनी डिस्टिलिरियों को लगाये जाने हेतु लाइसेंस निर्गत करने की नीति

** 1—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने मिनी डिस्टिलिरियों को लगाये जाने हेतु लाइसेंस निर्गत करने की कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिस्टिलरी के लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में प्राविधान उपलब्ध है।

प्रदेश के विभिन्न निगमों, निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को नये वेतनमान देने की मांग

** 2—श्री मोहन सिंह रावत "गाँववासी"—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तरह उत्तर प्रदेश के अर्द्धशासकीय, अशासकीय एवं विभिन्न निगमों, निकायों आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार सभी नये वेतनमान दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नये वेतनमान कब तक दे दिये जायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण)—

पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के आधार पर युक्तिसंगत संस्तुतियाँ करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा श्री जे० एल० बजाज की अध्यक्षता में गठित वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य कर्मचारियों, शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षण का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है। स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षण का प्रकरण मंत्रि परिषद् को प्रस्तुत किया जा चुका है। मंत्रि परिषद् का निर्णय प्रतीक्षित है। सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-1-96 से बजाज समिति की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं। शिक्षकों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियों पर

नोट :—उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

निर्णय लिया जा चुका है और शासनादेश शीघ्र प्रसारित किया जायेगा। स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियों पर मंत्रि परिषद् का निर्णय प्राप्त होने पर शासनादेश प्रसारित किया जायेगा। सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियाँ प्राप्त हो गयी हैं और उस पर अतिशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर से निपटने के लिए ठोस योजना

* 1—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर से लोगों की मृत्यु हो रही है ? यदि हाँ, तो अब तक ऐसे कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर से निपटने के लिए कोई ठोस योजना बना रही है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)—

वर्ष 1998 में अब तक मस्तिष्क ज्वर से किसी की मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर से निपटने के लिए रणनीति बनायी गयी है।

रणनीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं :—

(1) संवेदनशील जनपदों में 5 से 10 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का टीकाकरण।

(2) रोगवाहक मच्छरों को समाप्त/नियंत्रित करना।

(3) रोगियों को शीघ्रातिशीघ्र उपचार केन्द्र पहुँचाने हेतु निःशुल्क यातायात सुविधा तथा उपचार उपलब्ध कराया जाना।

(4) रोग सर्वेक्षण कार्य।

(5) शोध कार्य।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में अस्पतालों में क्षय रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

* 2—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य में क्षय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है ? क्या इन रोगियों को अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री—

राज्य में क्षय रोग की व्यापकता का पता लगाने हेतु किये गये किसी अधिकृत सर्वेक्षण के अभाव में क्षय रोग की व्यापकता के सम्बन्ध में निश्चित निष्कर्ष देना कठिन है।

जी हाँ।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के क्षय रोगियों को जिला क्षय रुग्णालयों एवं अस्पतालों में निःशुल्क निदान एवं चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। क्षय रोगियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी औषधियों के द्वारा अवधि में रोग मुक्त किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के कतिपय जनपदों में विश्व बैंक की सहायता से परियोजनायें भी प्रस्तावित हैं।

पिछड़ी जातियों को मिलने वाली आरक्षण सुविधा

*3—श्री सीता राम निषाद—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूची से कुछ पिछड़ी जातियों को निकालने तथा पिछड़े वर्गों को मिलने वाली आरक्षण सुविधाओं में कटौती करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्यों?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी')

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निदेशकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही

*1—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में महानिदेशक के 3 पदों के चयन हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 3 अप्रैल, 1998 को हुई थी? यदि हां, तो क्या उसके साथ उक्त विभाग में वर्षों से रिक्त निदेशक तथा उससे निचले स्तर के अनेकों रिक्त पदों के लिये भी चयन की कार्यवाही पूरी कर ली गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों ने निदेशक तथा अन्य पदों पर चयन की कार्यवाही जानबूझकर स्थगित कर दी है? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है। उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हाँ।

निदेशक के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही दिनांक 18.5.98 को पूरी कर ली गयी थी तथा तत्सम्बन्धी आदेश दिनांक 4.6.98 को निर्गत कर दिये गये थे। उससे निचले स्तर के अपर निदेशकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद स्थित राजकीय विकलांग निदेशालय के क्षतिग्रस्त भवन हेतु किराये पर भवन लिये जाने का प्रस्ताव

*2—श्री चन्द्र नाथ सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद स्थित राजकीय विकलांग निदेशालय का जर्जर भवन का कुछ अंश गिर गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब भी उक्त जर्जर भवन के किसी भी समय ध्वस्त होने और उससे सैकड़ों व्यक्तियों के प्राण जाने की आशंका है ? क्या सरकार विकलांग निदेशालय भवन को खाली करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी' —

विकलांग कल्याण विभाग के अधीन संचालित राजकीय विकलांग प्रशिक्षण केन्द्र तथा आश्रित कर्मशाला, 3-बन्दरोड, इलाहाबाद स्थित भवन के संबंध में अधिशासी अभियंता (प्रथम) उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भवन का निगम के सहायक अभियंता तथा अधीक्षिका राजकीय बालिका निकेतन समाज कल्याण एवं अधीक्षिका राजकीय विकलांग कर्मशाला, इलाहाबाद के साथ किये गये संयुक्त निरीक्षण के आधार पर यह पाया गया कि उक्त भवन के पीछे की दीवारों में पीपल के पेड़ की टहनियां उग आयी हैं, छत पर जगह-जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ है । समस्त भवन में पूर्व से मरम्मत का अभाव रहा है । यदि भवन की तत्काल मरम्मत नहीं कराई जाती है तो निकट भविष्य में भवन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है ।

उपरोक्त संस्था के लिये किराये का भवन लिये जाने का प्रस्ताव निदेशक, विकलांग कल्याण विभाग से शासन को प्राप्त हुआ है । उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा यथोचित निर्णय यथाशीघ्र लिया जायेगा ।

*3—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

[दिनांक 15-7-98 को अता० प्र० सं० 11 द्वारा उत्तरित ।]

बस्ती मुख्यालय पर विश्व संगठन ओपेक द्वारा चिकित्सालय की स्थापना

*4—श्री जयदम्बिका पाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विश्व संगठन ओपेक द्वारा बस्ती मुख्यालय पर 500 शैय्या वाले चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? उक्त अस्पताल कब तक पूरा हो जायेगा ? क्या सरकार उक्त अस्पताल को मेडिकल कालेज के स्तर का दर्जा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हाँ ।

उक्त अस्पताल के कार्य पर मई, 1998 तक रुपया 34.45 करोड़ खर्च हो चुका है ।

उक्त अस्पताल को आगामी एक वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत डोनर एजेंसी ओपेक के अनुबंधों के अधीन केवल 500 शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना की जानी है । उसे मेडिकल कालेज का दर्जा प्रदान नही किया जा सकता है ।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजना

*5 श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा चलायी जा रही स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत बैकेयुल योजना में एक लाख रुपये की अधिक ऋण राशि में वर्ष 1998-99 मे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को योजना धनराशि प्राप्त करने हेतु 5 प्रतिशत अंशधन जमा करना होगा ? यदि हां, तो क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला अनुसूचित जाति का बेरोजगार नवयुवक योजना के धनराशि का 5 प्रतिशत अंशधन स्वयं जमा कर पायेगा ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो यह योजना किस उद्देश्य से बनायी गयी ? क्या सरकार इस योजना मे सुधार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विकलांग वित्त निगम के गठन का प्रस्ताव

*6—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकलांग जन ऐक्ट लागू किये जाने के बाद विकलांगों को रोजगार के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध किये जाने हेतु राज्य विकलांग वित्त निगम के गठन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'–

प्रश्नगत राज्य विकलांग वित्त निगम् (राज्य विकलांग वित्त एवं विकास निगम) पृथक से गठित करने का प्रस्ताव शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। परन्तु उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ, उ०प्र० सहकारी ग्रामीण विकास बैंक लि० लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की चैनलाइजिंग एजेन्सी नामित करने के आदेश दिनांक 4 जुलाई, 1998 को जारी किये जा चुके हैं।

जनपद सीतापुर में बाल विकास परियोजना, सिधौली में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के पद पर नियुक्ति

*7—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगी कि आंगनबाडी कार्यकत्रियों के पद पर परित्यक्ता, विधवा, विकलांग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने के आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या बाल विकास परियोजना, सिधौली, जनपद सीतापुर में की गयी कुछ नियुक्तियों में शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)–

जी हाँ।

जी नहीं।

बाल विकास परियोजना, सिधौली में कुल 132 केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें 106 कार्यकर्त्रियों की नियुक्तियां, शासनादेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 के अनुसार की गई जिनमें 05 विधवा एवं 03 परित्यक्ता महिलायें नियुक्त की गयी हैं। आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति की 20, पिछड़ी जाति की 29 एवं विकलांग 02 महिलाओं की नियुक्ति की गयी है।

चयनित कार्यकर्त्रियों के योगदान के समय एक कार्यकर्त्री की जन्मतिथि गलत एवं एक कार्यकर्त्री का निवास-स्थान गलत पाये जाने के कारण उनका चयन निरस्त कर दिया गया है। जनजाति एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित किसी भी महिला का आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार अभी 28 केन्द्र रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति के समय शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आरक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यकर्त्रियों की नियुक्तियां शासनादेश के अनुसार की गयी हैं।

*8— डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री बी० आर० वर्मा—

[दिनांक 24-6-98 को ता०प्र०सं० 11 द्वारा उत्तरित।]

पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मांग

*9—श्री राजेन्द्र—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों की भांति पिछड़े वर्गों के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द 'हरीश जी'—

जी नहीं।

सम्प्रति प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल स्तर तक अन्य पिछड़े वर्गों के उन 11 छात्रों को जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं तथा जिन्होंने विगत परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं, छात्रवृत्ति दी जा रही है। कक्षा 9 से 10 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति धन की उपलब्धता के आधार पर वितरित की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों की भांति अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा पहले से ही छात्रवृत्ति दी जा रही है। शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 1998 द्वारा छात्रवृत्ति की दरों को दोगुना कर दिया गया है। तद्नुसार कक्षा 3 से 5 तक रू० 12 से बढ़ाकर रू० 25 कक्षा 6 से 8 तक रू० 20 से बढ़ाकर रू० 40 तथा कक्षा 9 से 10 तक रू० 30 से बढ़ाकर रू० 60 कर दिया गया है।

जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भांति छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रश्न है, केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की पृथक-पृथक योजनायें राज्य सरकार की सहमति से (50 प्रतिशत केन्द्रांश व 50 प्रतिशत राज्यांश) चलाये जाने हेतु प्रस्तावित की गयी हैं।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति की 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पर आधारित योजना को लागू किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है और तद्नुसार राज्य सरकार की सहमति केन्द्र सरकार को भेज दी

गयी है। यदि भारत सरकार से धन उपलब्ध हो जाता है तो योजना वर्तमान शैक्षिक सत्र में लागू कर दी जायेगी। पूर्वदशम छात्रवृत्ति की योजना शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग द्वारा वित्त पोषित समिति, संस्थागत उद्यमियों को, व्यापार कर पर छूट में समान नीति का निर्धारण

* 10—श्री तेजपाल सिंह—

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा वित्त पोषित समिति, संस्थागत उद्यमियों को व्यापार कर पर छूट देय है ? यदि हां, तो यह सुविधा व्यक्तिगत उद्यमियों को न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि व्यापार कर में छूट पाने वाले उद्यमियों से व्यक्तिगत उद्यमी अपने उत्पाद के बिक्री में प्रतिस्पर्धा में न टिकने के कारण उद्यमियों पर व्यापक कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी वित्त पोषित संस्था/व्यक्तियों को समान रूप से व्यापार कर या ऋण उपादान में समान नीति अपनाने का कोई निर्णय लेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)—

जी हाँ।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या व्या०क०—2—709/11-9(53)/91 दिनांक 27 फरवरी, 1997 द्वारा व्यापार कर में (बिक्री कर) छूट की सुविधा केवल संस्थाओं को ही प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश में व्यक्तिगत उद्यमियों को सम्मिलित नहीं किया गया।

जी नहीं। वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए समान नीति निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर स्थित किसान चीनी मिल महमूदाबाद के किसानों से लिये गये विकास शुल्क के विवरण की जानकारी

* 11—डा० अम्मार रिजवी—

क्या गन्ना विकास मंत्री को यह जानकारी है कि किसान चीनी मिल, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में किसानों से 50 पैसे कुन्तल विकास शुल्क वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो पिछले दो सालों में कितना शुल्क किसानों से वसूल किया गया और उसमें से कितना शुल्क क्षेत्र के विकास पर व्यय किया गया ? क्या इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हाँ।

वर्ष 1996-97 में रु० 16.46 लाख तथा वर्ष 1997-98 में 31 मार्च, 1998 तक रु० 10.15 लाख की कटौती किसानों से की गयी, उसमें से रु० 9.65 लाख क्षेत्र के विकास पर व्यय किया गया।

सम्पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 176 पर।)

जनप्रतिनिधियों के कोटे में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

* 12—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्डिया मार्क—2 पाइप के लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों के उनके 25 पम्प के कोटे में से केवल असंतुष्ट गांवों को ही कोटा देने के लिए बाध्य किया

गया है ? यदि हां, तो क्या पूर्व में नियमों का ठीक से पालन न करते हुए संतृप्त गांवों के कुछ टोलों या पुरवों को जहां पानी का अत्यधिक संकट है, छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जनप्रतिनिधि संतृप्त गांवों के उक्त टोलों या पुरवों में अपने कोटे का हैण्ड पम्प दे सकते हैं, जहां पानी का अत्यधिक संकट है । यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी नहीं ।

कार्यकारी आदेश में जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किये जाने के अवश्य निर्देश हैं कि हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु जनपदों के अनाच्छादित तथा आंशिक अनाच्छादित मजरों को प्राथमिकता देने का माननीय विधायक गण से आग्रह किया जाय ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आई० आर० डी० पी० योजना के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर क्रय हेतु आर्थिक सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

* 13–श्री समर पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० आर० डी० पी० योजना के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु कोई अन्य योजना बनाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । शासनादेश सं०–3342/38-6-97-20 आईआरडी/96, दिनांक 22 सितम्बर, 1997 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आईआरडीपी योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं में ट्रैक्टर हेतु अनुदान अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों के उत्थान के लिये योजनायें क्रियान्वित की जाती हैं । इस लक्ष्य समूह के पास समुचित खेत न होने के कारण ट्रैक्टर के प्रयोग की सामान्यतः आवश्यकता नहीं है । इन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये जाने हेतु आप सृजनकारी आर्थिक परिसम्पत्तियां तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं । अतः ट्रैक्टर क्रय हेतु कोई अन्य योजना बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 177 पर ।)

प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग होम की स्थापना एवं परिचालन के सम्बन्ध में प्रस्तावित अधिनियम की जानकारी

* 14–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों की तरह प्राइवेट नर्सिंग होम की स्थापना एवं उसके परिचालन के लिए कोई अधिनियम सरकार द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या यह सही है कि प्रदेश में अधिकांश नर्सिंग होम

बहुत बुरे व खस्ताहाल में चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार खस्ताहाल नर्सिंग होमों को सुधारने के लिए ऐसे कोई अधिनियम लाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्तमान में प्राइवेट नर्सिंग होम्स को नियंत्रित करने के लिए कोई अधिनियम लागू नहीं हैं, अतः इस सम्बन्ध में टिप्पणी करना अपरिपक्व है।

कोटली बहल (ऋषिकेश) किसान डैम (देहरादून) टेहरी बांध के निर्माण को शीघ्र पूरा कराने की मांग

* 15–श्री मोती लाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोटली बहल (ऋषिकेश) किसान डैम (देहरादून) टेहरी बांध आदि 82 परियोजनायें लम्बे समय से निर्माणाधीन हैं और अधूरी पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या इन अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

1 अप्रैल, 1998 को कुल 21 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। कोटली बहल परियोजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

जी हां।

उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित ढंग से उपयोग करके परियोजना पूरा कराने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को वितरित की जाने वाली दवाओं की चोरी रोकने की मांग

*16–श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को वितरित की जाने वाली दवाईयां चोरी से बाजारों में बेची जा रही हैं तथा गरीब मरीजों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर रोक लगाने हेतु क्या कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दवाओं की चोरी रोकने हेतु विभाग द्वारा सभी दवाओं के वायल "एम्पुल्स" बोतलों तथा डिब्बों आदि पर मुख्य निर्गम भंडार की मुहर लगाई जाती है। इसी प्रकार मुख्य भंडार से नीचे वाले भंडारों यथा–मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख चिकित्सा/चिकित्सा अधीक्षक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/राजकीय चिकित्सालयों की "गवर्नमेन्ट सप्लाई नाट फार सेल", अंकित मुहरें लगाई जाती हैं।

जनपद खीरी में ब्लाइसेम पेजमा द्वारा संचालित संस्था हिन्दू स्मित ग्रामीण उद्योग, गोला को धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में जानकारी

*17–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में जनपद खीरी के विकास खण्डों को कितनी-कितनी धनराशि प्रशासनिक मदों हेतु शासन द्वारा आवंटित

की गयी है ? क्या यह सही है कि वर्तमान परियोजना निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान उक्त आवंटित पूर्ण धनराशि को ट्राइसेम योजना संचालित संस्था "हिन्दू स्मित ग्रामीण उद्योग, गोला" को अनियमित रूप से आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या परियोजना निदेशक के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं विकास खण्डों को प्रशासनिक मदों हेतु धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० द्वारा निर्धारित की जाती है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विकास खण्डों को धनराशि अवमुक्त की जाती है । वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में जनपद खीरी के विकास खण्डों को प्रशासनिक मदों हेतु क्रमशः रु० 11.36 लाख, रु० 9.34 लाख तथा रु० 15.91 लाख की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, खीरी द्वारा अवमुक्त की गयी है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, खीरी द्वारा "हिन्दू स्मित ग्रामीण उद्योग, गोला" को सीधे कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है । अतः अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*18—श्री केशो मेहरा–

[6 ठें शुक्रवार में ता०प्र०सं० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड शिवपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

*19—श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड शिवपुरा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेड का स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये वित्तीय वर्ष 1997-98 में धन आवंटित हो चुका है ? क्या यह सही है कि वहां पर नींव खुदी पड़ी है ? यदि हां, तो वहां पर अब तक कार्य आरम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी की उक्त कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

निर्माण कार्य आरम्भ है ।

निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

मद्य निषेध कार्यों से सम्बन्धित खर्चों पर प्रतिबन्ध न लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

*20—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मद्य निषेध पर सरकार द्वारा 1996-97 व 1997-98 में कितनी धनराशि खर्च की गयी है और उसके परिणाम क्या रहे ? क्या यह सही है कि उसके परिणाम शून्य रहे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस खर्च पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'–

मद्य निषेध विभाग पर सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में रुपया 67,32,000/-(रुपये-सरसठ लाख बत्तीस हजार मात्र) एवं वर्ष 1997-98 में कुल रु० 83,03,000/-(रुपये-तिरासी लाख तीन हजार मात्र) व्यय की गयी धनराशि को खर्च किये जाने के परिणाम मद्य निषेध की दृष्टि से सार्थक रहे हैं ।

यह कहना तथ्य संगत नहीं है कि जो धनराशि खर्च की गयी उसके परिणाम शून्य रहे हैं।

चूंकि मद्य निषेद्य कार्यक्रमों के परिणाम एक निश्चित सीमा तक सार्थक रहे हैं और भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार मद्य निषेद्य कार्यक्रम को चलाया जाना आवश्यक है, इसलिए मद्य निषेद्य कार्यों मे संबंधित खर्चे पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

सिंचाई खण्ड/बाढ़ खण्ड गोण्डा के जलाशय से सिंचाई सुविधा

1—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे की सिंचाई खण्ड/बाढ़ खण्ड गोण्डा के जलाशय मजगवां बांध के फीडर चैनल पर वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या यह सही है कि जलाशय से अभी तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है ? क्या सरकार फीडर चैनल पर व्यय की गयी धनराशि की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्नगत अवधि में कथित जलाशय के फीडर चैनल पर सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है। जलाशय से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में सरयू नहर षष्टम् खण्ड का कार्यरत न होना

2—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर षष्टम् खण्ड बलरामपुर द्वारा 1-1-96 से 31-3-98 तक उपकरण, ट्रकों मशीनों की मरम्मत तथा डीजल उपयोग पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह सही है कि मरम्मत कार्य फर्जी दिखाकर लाखों रुपये आहरित कर लिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सरयू नहर षष्टम् खण्ड—बलरामपुर के नाम से जनपद—बलरामपुर में कोई खण्ड कार्यरत नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

3—श्री उबैदुर्रहमान—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद आगरा के समाज कल्याण विभाग द्वारा भ्रष्ट तरीके से निकाली गई छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में कथित घोटाले के जांच

4—डा० राम बाबू हरित—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के समाज कल्याण विभाग द्वारा भ्रष्ट तरीके से फर्जी स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति के घोटाले की जांच सरकार करायेगी ? वर्ष 1995-96, 1996-97 में किन-किन विद्यालयों के कितने अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गयी ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'--

कराई गयी जांच के परिणामस्वरूप पांच मामलों में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। एक कर्मी को निलम्बित किया गया है। शिकायत पाये जाने पर आगे की जांच कराने तथा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निदेशक, समाज कल्याण तथा जिलाधिकारी, आगरा को निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

वर्ष 1995-96 में 2610 विद्यालयों के 1,18,254 अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को तथा वर्ष 1997-98 में 2972 विद्यालयों के 2,35,048 अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गयी।

प्रदेश स्तर पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग का सृजन एवं रिक्त पदों का विवरण

5—श्री बाबू लाल कुशवाहा—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश स्तर पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग का सृजन कब हुआ था? मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु अब तक लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों हेतु कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? क्या निदेशालय से लेकर परिमण्डलीय कार्यालय स्तर पर वरिष्ठ सहायकों की ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से प्रख्यापित की जा चुकी है? किन-किन परिमण्डल कार्यालयों में ज्येष्ठता का निर्धारण नहीं हुआ है? क्या इस उपेक्षापूर्ण कार्यवाही एवं विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)—

जी हां। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का सृजन 01 जुलाई, 1972 को हुआ था।

मुख्यालय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक लिपिक संवर्ग के कुल 1201 पद स्वीकृत किए गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में ककुआ ड्रेन के अवशेष कार्य को पूरा कराने की मांग

6—श्री विजयपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में ककुआ ड्रेन के हेड पर 8-10 कि०मी० के लगभग खुदाई न कराये जाने के कारण क्या हैं? क्या शेष रह गयी उक्त खुदाई को पूरा कराये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

गत वर्षों में नालों के रख-रखाव की मद के अन्तर्गत अपेक्षित धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत ड्रेन के अवशेष कार्य को नहीं कराया जा सका।

अवशेष कार्य को पूर्ण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री बलराम पुत्र सुखलाल जिनकी मां (मृतक) अब भी घोषित वारिस के भुगतान की धनराशि का विवरण

7—श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं०- 116 के उत्तर के सदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भुगतान किस चेक संख्या/बैंक ड्राफ्ट संख्या द्वारा किस मद से किस-किस नाम किनको कितनी धनराशि दी गयी है? क्या बलराम पुत्र

सुखलाल जिनकी मां (मृतक) अब भी घोषित वारिस हैं, को भी कोई भुगतान किया गया है ? क्या सरकार इस संबंध में दाखिल उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत भुगतान की सूचना निम्न प्रकार है :–

चैक/ड्राफ्ट संख्या	भुगतान का दिनांक	मद	धनराशि	नाम जिसको भुगतान किया गया है
ड्राफ्ट सं०-814128	5.8.97	ग्रेच्युटी	2055.00	श्रीमती शिवकला
ड्राफ्ट सं०-814129	5.8.97	ग्रेच्युटी	2055.00	श्रीमती जयकला
चेक सं०-18/3151	7.8.97	सामूहिक जीवन बीमा	13132.50	श्रीमती शिवकला
चेक सं०-19/3151	7.8.97	सामूहिक जीवन बीमा	13132.50	श्रीमती जयकला

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में ड्रेनेज खण्ड तथा सिंचाई निर्माण खण्ड के अन्तर्गत तटबन्धों से सम्बन्धित किसानों का मुआवजा देने की मांग

8–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में ड्रेनेज खण्ड तथा सिंचाई निर्माण खण्ड, के कितने ऐसे तट बांध हैं, जिस पर किसानों का मुआवजा बाकी है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इन बांधों का मुआवजा दिलाने के लिये इसी वित्तीय वर्ष में कोई प्राविधान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद–सिद्धार्थनगर में ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर में दस अदद तथा सिंचाई निर्माण खंड सिद्धार्थनगर में दो ऐसे तटबंध हैं जिस पर किसानों का मुआवजा बाकी है ।

जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1. बांसी–डुमरियागंज बांध (बायां तट)
2. ककरही–गोनहा बांध
3. कूड़ा–घोघी रिटायर बांध
4. सोनखर–टेढ़िया बांध
5. सेमरा मसई फीडर
6. लखनापार वेदौला माइनर
7. चम्पापुर माइनर

8. मझौली सागर में डूबे नम्बरान

9. अगौगवा नगवां बांध

10. उसका लखनापार बांध

11. बांसी–पनघटिया बांध (दायां तट)

12. डुमरियागंज–बांसी बांध (दायां तट)

प्रकरण में विस्तृत विवरण प्राप्त कर नियमानुसार प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 178 पर।)

जनपद महराजगंज के सिसवां बाजार चीनी मिल में बाउचरों द्वारा धनराशि का भुगतान

9—श्री रामतेज यादव एडवोकेट –

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिसवा बाजार चीनी मिल जिला महराजगंज में बाउचर संख्या सी०/1501, दिनांक 11-3-1984, सी०/1502, दिनांक 3-6-1984 सी०/1503, दिनांक 3-6-84 तथा सी०/55, दिनांक 31-8-84 द्वारा क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किस व्यक्ति को किस मद में किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निगम की सिसवां बाजार इकाई में प्रश्नगत बाउचरों से जिन-जिन व्यक्तियों को जिस-जिस मद में जितनी-जितनी धनराशि का भुगतान किया गया है, का विवरण निम्नवत् हैं :--

बाउचर नं० एवं दिनांक	भुगतान की गई धनराशि	व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान किया गया है	भुगतान का मद
सी०/1501 11-3-84	539.90	श्री डी०पी० आर्या	यात्रा व्यय खाता (25-10-83 से 20-1-84)
	362.00	श्री डी०पी० आर्या	लेखन एवं छपाई खाता
	104.75	श्री डी०पी० आर्या	विज्ञेश प्रमोशन खाता
	118.00	श्री डी०पी० आर्या	मुकदमा-व्यय खाता
	164.50	श्री डी०पी० आर्या	मोटर व्यय खाता
	योग 1289.15		
सी०/1502 3-6-84	563.25	श्री डी०पी० आर्या	यात्रा व्यय खाता (1-2-84 से 26-2-84)
सी०/1503 3-6-84	150.00	श्री डी०पी० आर्या	मकान भाड़ा खाता (मकान भाड़ा माह जनवरी, 1984)
सी०/55 31-8-84	1500.00	श्री घनश्याम दधिचि	वेतन जनरल खाता (मैनेजीरियल) (वेतन माह मार्च, 1984)
	1500.00	श्री डी०पी० आर्या	– तदैव –
	1000.00	श्री मारकण्डेय चन्द	वेतन जनरल खाता (स्टाफ) (वेतन माह मार्च, 1984)
	350.00	श्री जवाहर	मजदूरी खाता (वेतन माह मार्च, 1984)

जनपद महराजगंज के सिसवां बाजार स्थित चीनी मिल के कर्मचारियों के बकाये का भुगतान

10—श्री अफजाल अहमद—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिसवां बाजार चीनी मिल महराजगंज के समस्त कर्मचारियों के माह अप्रैल, 1984 से माह अक्टूबर, 1984 तक के बकाये वेतन का भुगतान राज्य चीनी निगम के द्वारा किस तारीख को किया गया है ? तत्कालीन कार्य प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक को उनके बकाये वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार बकाये वेतन का भुगतान कराते हुए विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सिसवां बाजार चीनी मिल का अधिग्रहण, उ०प्र० राज्य चीनी उपक्रम अर्जन संशोधित अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 28.10.84 को किया गया । माह अप्रैल, 1984 से माह अक्टूबर, 1984 तक का बकाया वेतन अधिग्रहण के पूर्व का है । अधिग्रहण के दिनांक 28.10.84 को जिन कर्मचारियों का नाम फैक्ट्री ऐक्ट, 1948 की धारा-62 के प्राविधान के अनुसार निर्धारित प्रारूप फार्म-12 में अंकित था, केवल उन्हीं कर्मचारियों को निगम की सिसवां बाजार इकाई में कार्यरत मानते हुए उन्हें माह अप्रैल, 1984 से माह अक्टूबर, 1984 के बकाये वेतन का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया है जिसका **विवरण निम्न** प्रकार है :—

बकाया माहवार वेतन	अग्रिम के रूप में भुगतान जिस माह व वर्ष में किया गया, का विवरण
अप्रैल एवं मई, 84	26 मार्च, 87
जून, 84	9 नवम्बर, 87
जुलाई, 84	9 जनवरी, 88
अगस्त, 84	1 जून, 91
सितम्बर, 84	27 अप्रैल, 92
अक्टूबर, 84	15 मार्च, 86

जहां तक कि तत्कालीन कार्य प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक को उनके बकाये वेतन के भुगतान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तथाकथित कार्य प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक मिल के अधिग्रहण की तिथि 28.10.84 को मिल में कार्यरत नहीं थे, और न ही उनका नाम फार्म-12 में अंकित था । अतः तथाकथित कार्य प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक को बकाया वेतन के भुगतान करने तथा इस संबंध में किसी अधिकारी को दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अनुसूचित जाति में सम्मिलित भर जाति को प्रमाण-पत्र देने की मांग

11—श्री राम अचल राजभर—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त जाति की 19 जातियों को शासनादेश संख्या—148(बी) 26-700(5)/1959, दिनांक 26-3-1962 के अनुसार अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है ? क्या जातियों की सूची के क्रम संख्या-5 पर गुज्जर तथा क्रम संख्या-17 पर भर जाति भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो उक्त जातियों के लोगों को प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'–

जी नहीं।

जी नहीं। सन्दर्भित शासनादेश विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों के कल्याण कार्यक्रम विषयक है तथा जातियों की सूची में ऐसी जातियां हैं जो विमुक्त जाति में वर्गीकृत होने से रह गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में स्वीकृत मार्गों को पूरा कराने की मांग

12–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में खेड़ा जवाहर (रिहावली मार्ग) से जलालपुर सुआरा मार्ग ए० बी० के० मार्ग से टीकेतपुरा रावर नगला पाल गढ़ी पुरुषराम निबोहरा पिन्नापुरा मार्ग से गढ़ी जहान कौलारः खुर्द से विधरई तक सम्पर्क मार्ग को लेपन कार्य हेतु वर्ष 1997-98 में स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई बांधों के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि को पट्टों पर दिये जाने पर रोक

13– श्री दद्दू प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई बांधों के अन्दर की कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर दिये जाने पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सुरक्षा की दृष्टि से सिंचाई विभाग के बांधों की भूमि पट्टे पर नहीं दिये जाने तथा आवश्यकतानुसार उक्त भूमि के वनीकरण हेतु शासन के पत्र संख्या-2198सख/97-27-सि–3-3(162)97, दिनांक 24.7.97 द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग को दिये गये हैं।

जनपद आगरा में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चालू योजनाओं को आवंटित धनराशि का विवरण

14 श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा बेरोजगार एवं निर्धन वर्ग के लोगों के लिये जवाहर रोजगार योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजनाएं चालू की गयी हैं ताकि मजदूर वर्ग का जीवन यापन हो सके ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनपद आगरा में उक्त योजना का 40 प्रतिशत धन भूमि संरक्षण विभाग को आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

जवाहर रोजगार योजना में भूमि संरक्षण विभाग को कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गई है। सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कुल धनराशि का 40 प्रतिशत अंश वृक्षारोपण, कृषि, उद्यान, वन चारागाह तथा जल एवं भूमि संरक्षण के लिए मात्राकृत करने के आदेश हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना में अब तक कुल उपलब्ध धनराशि का 16.80 प्रतिशत भूमि संरक्षण विभाग को आवंटित किया गया है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में नाले की सफाई पर व्यय धनराशि का विवरण

15—श्री विजय पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा के विकास खण्ड, फतेहाबाद में गढ़ी दरियाव, सारंगपुर, रसूलपुर, कछियारा, उटंगन नदी तक नाले की सफाई का कार्य वर्ष 1997-98 में कराया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य पर कुल कितना धन खर्च किया गया है? क्या उक्त कार्य सिंचाई विभाग से न कराकर भूमि संरक्षण विभाग से मशीनों द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य की प्राविधिक सम्परीक्षा जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

उक्त कार्य पर मु०— 9.374 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

उक्त कार्य सिंचाई विभाग से न कराकर, भूमि संरक्षण अधिकारी, टूण्डला इकाई आगरा से करवाया गया है, किन्तु कार्य मशीनरी से न करवा कर मजदूरों से ही करवाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना की मांग

16—श्री विजय पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद के ग्राम मझारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना स्वीकृत है? क्या उक्त केन्द्र वर्ष 1997-98 की जिला योजना में स्थापना हेतु प्रस्ताव शामिल था? यदि हां, तो क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर दी गयी है? यदि नहीं, तो कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना जिला योजना का भाग है तथा जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता और जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर करती है।

जनपद सीतापुर में कार्यरत शिविर अवस्थी के उत्तराधिकारी को जी० पी० एफ० का भुगतान

17—श्री रमेश राही—

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में कार्यरत शिविर अवस्थी, लिपिक की मृत्यु हुए एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक इनके जी० पी०

एफ० आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? जिससे इनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

स्व० श्री शिषिर अवस्थी, क० लि० के नामित उत्तराधिकारी को 90% जी० पी० एफ० तथा 59 दिवसों का अर्जित अवकाश एवं सामूहिक बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है । इनकी पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु ग्रेच्युटी का प्रस्ताव भी स्वीकृति हेतु पेंशन निदेशालय उ० प्र०, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है ।

पेंशन निदेशालय, उ० प्र० से पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की स्वीकृति हो जाने के पश्चात् भुगतान तुरन्त करा दिया जायेगा । इसी प्रकार महालेखाकार उ० प्र० इलाहाबाद से शेष 10 प्रतिशत जी० पी० एफ० के भुगतान की अनुमति प्राप्त होते ही भुगतान की त्वरित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर के प्रभारी चिकित्साधिकारी की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरण निरस्त किया जाना

18—श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, जनपद बलिया के प्रभारी चिकित्साधिकारी, जो पिछले आठ वर्षों से सीयर में ही कार्यरत हैं, के विरुद्ध शिकायतों की जांच चल रही है ? उनका स्थानान्तरण जनपद बहराइच कर दिये जाने के उपरान्त पुनः किस आधार पर निरस्त कर दिया गया ? क्या उनके विरुद्ध चल रही जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश संख्या–2फ/स्था०/97/1836, दिनांक 7-6-97 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, बलिया का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच के अधीन किया गया था । चिकित्सा अधिकारी की पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या–5773/चि०-4-97-टी-177/97, दिनांक 4-8-97 द्वारा निरस्त कर दिया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद व विकास खण्ड जालौन के ग्राम रिनिया के पास नाले पर रपटा पुल बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

19—श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के खण्ड विकास जालौन के ग्राम रिनिया के पास नाले पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा रपटा का निर्माण कार्य कराने हेतु कोई टेण्डर आमंत्रित न करके निर्माण सामग्री की आपूर्ति का कार्य दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दिनांक 14-5-98 व उसके पूर्व टेण्डर बेचे नहीं गये, बल्कि निर्माण सामग्री उक्त तिथि के एक [illegible] पूर्व प्रस्तावित कार्य हेतु पहुंचाई गयी थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? क्या आपूर्ति के अलावा शेष कार्य पंजीकृत स्थानीय मजदूरों से कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा की तहसील सदर के विकास खण्ड फरह में वेस्टन डेन के खुदाई के सम्बन्ध में विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

20—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किरारई विकास खण्ड फरह, तह० व जनपद मथुरा में वेस्टन डिफरेशन ड्रेन की खुदाई के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम-3/8971/मथुरा/98, दिनांक 9-4-98 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जनपद मथुरा में प्रश्नगत ड्रेन के पड़ने वाले भाग की सफाई हेतु रु० 6.39 लाख की एक परियोजना तैयार करके मुख्य विकास अधिकारी मथुरा को धनावंटन हेतु भेजी गयी है। ड्रेन की सफाई का कार्य धनावंटन पर निर्भर है।

मुख्य अभियन्ता (गण्डक कार्यालय) गोरखपुर कार्यालय में कम्प्यूटर का प्रयोग तथा सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निर्धारित न किया जाना

21—चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (गण्डक कार्यालय) गोरखपुर में लाखों रुपये के खरीदे गये कम्प्यूटरों का प्रयोग नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा गठित सलाहकार समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से कम्प्यूटर कार्य संचालित कराने हेतु निदेशित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। इंगित कार्यालय में कम्प्यूटरों का प्रयोग हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कम्प्यूटर केन्द्र की सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के ग्रामों में निर्माण कार्यों में गलत ढंग से व्यय की गयी धनराशि तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई प्रश्न जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी में सभी ग्रामों में जे०आर०वाई० के पैसे से द्वारा निर्माण एवं उसमें उद्घाटन के पत्थरों में धन गलत ढंग से खर्च करने की शिकायतें दिनांक 9-7-97 को उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या खर्च की गयी धनराशि मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या ब्लाक प्रमुख द्वारा गलत ढंग से खर्च की गयी धनराशि की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वास्थ्य विभाग में निदेशक के पद पर श्रेष्ठता के आधार पर चयन किया जाना

23—श्री बाल चन्द्र मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में निदेशक के पद पर किये गये चयन में बरती गयी अनियमितताओं के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-5-98 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या उनकी निष्पक्ष जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां ।

अनियमित पात्रता सूची तैयार कर सेवानियमावली में बिना संशोधन किये नोशनल प्रोन्नति की कार्यवाही करना ।

निदेशक के पदों पर चयन ज्येष्ठता सूची के अनुसार पात्रता क्षेत्र में आने वाले अर्ह अधिकारियों के मध्य "श्रेष्ठता" के आधार पर किया गया है । पात्रता सूची कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावली के तहत तैयार की गयी है तथा इस पद पर चयन हेतु सेवानियमावली में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । अतः चयन के सम्बन्ध में जांच कराने अथवा किसी अन्य कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के समाज कल्याण आदि के कार्यालय में वृद्धावस्था/किसान पेंशन से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों का प्रेषित न किया जाना

24—श्री तेजभान सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुल्तानपुर कार्यालय में वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन के प्राप्त प्रार्थना-पत्रों जिन्हें उप जिला अधिकारी, मुसाफिर खाना सुल्तानपुर को पत्रांक 1723-24, दिनांक 10-9-96 को स्वीकृति हेतु भेजा गया था, में कब और किसके द्वारा जांच की गयी तथा इसे कब समाज कल्याण कार्यालय वापस भेजा गया है ? क्या इस प्रकरण में शिथिलता बरती गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें शिथिलता बरतने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीशजी'—

प्राप्त सूचनानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर के पत्र संख्या 1723-24 द्वारा प्रश्नगत तिथि को वृद्धावस्था/किसान पेंशन से सम्बन्धित कोई भी प्रार्थना-पत्र उप जिलाधिकारी मुसाफिर खाना, सुल्तानपुर को प्रेषित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पर मियाद अधिनियम का लागू होना

25—श्री अफजाल अहमद—

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार द्वारा लागू कानून मियाद अधिनियम, उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पर भी लागू होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि लागू होता है, तो क्या उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग कानून, मियाद अधिनियम का पालन कर रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कानून उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में कब से लागू करेगा ?

श्री राजा राम पाण्डेय—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। मियाद अधिनियम 1963 के प्राविधानों का अनुपालन विधिवत किया जा रहा है।

मियाद अधिनियम लागू होने की तिथि से ही खादी बोर्ड पर लागू है।

प्रदेश के कृषकों, बुनकरों एवं आर्टिजन्स के बकाये ऋण को माफ करने के सम्बन्ध में जानकारी

26—श्री अफजाल अहमद—

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 2-10-89 से 31-10-89 के मध्य उ० प्र० सरकार ने कृषकों, बुनकरों एवं आर्टिजन्स के 10 हजार रुपये तक के बकाये ऋण माफी के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो यह सुविधा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के आर्टिजन्स को भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह सुविधा उन्हें कब प्रदान की जायेगी ?

श्री राजा राम पाण्डेय—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खादी आयोग फण्ड में इसका प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में इन्दिरा आवास हेतु लाभान्वित व्यक्तियों को देय धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

27.– श्री बाके लाल सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में इन्दिरा आवास हेतु लाभान्वित व्यक्तियों को केवल 17,500 रुपये ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसमें 2500 रुपया की कटौती क्यों की जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

मैदानी क्षेत्रों में शासन द्वारा प्रति लाभार्थी 20,000/- रुपये की राशि निर्धारित है, जिसमें से रु० 17,500/- प्रति लाभार्थी इन्दिरा आवास हेतु एवं रु० 2500/- की राशि स्थल विकास, मूलभूत ढांचे तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए निर्धारित है। निर्धारित धनराशि में कटौती का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

जनपद आजमगढ़ की चिलबिला माइनर के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

28.– श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–23 जनपद आजमगढ़ की चिलबिला माइनर के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ग्राम बेला के किसानों को भी उनका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम बेला के किसानों का मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चिलबिला माइनर के संरेखन में ग्राम बेला, गंगबल, धंजबल, सैफपुर, झंझपुर एवं चिलबिला पड़ते हैं। ग्राम बेला एवं गंगबल के किसानों को अभी तक भूमि प्रतिकर वितरित नहीं किया गया है, शेष 4 ग्रामों के कृषकों को भूमि प्रतिकर वितरित किया जा चुका है।

जी नहीं।

उक्त ग्राम के कृषकों की भूमि प्रतिकर का भुगतान वर्ष 1998-99 में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज (टीकरगढ़) हेतु स्वीकृत अल्ट्रासाउण्ड मशीन के धन को पी०एल०ए० में डाल देने के सम्बन्ध में जानकारी

29. श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज (टीकरगढ़) के लिए स्वीकृत अल्ट्रासाउण्ड मशीन तथा एक्स-रे मशीन के लिए धन दो वर्षों से पी०एल०ए० खाते में पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? दो वर्षों से धन उपलब्ध होते हुए भी मशीनों को न खरीदने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री—

जनपद आजमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज (टीकरगढ़) के लिये अल्ट्रासाउण्ड मशीन के क्रय हेतु दिनांक 18-4-96 को धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि पी०एल०ए० में जमा है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक्स-रे मशीन हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

अल्ट्रासाउण्ड मशीन क्रय प्रक्रिया में है।

अल्ट्रासाउण्ड, उपकरण का दर अनुबन्ध न होने के कारण इसे मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत क्रय किया जाना प्रस्तावित है। मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। फर्मों से प्राप्त निविदा का परीक्षण एवं निविदा में कोटेड उपकरण के तकनीकी परीक्षण के पश्चात अर्ह फर्मों का वित्तीय भाव पत्र खोल कर क्रय प्रकरण पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्तर पर गठित केन्द्रीय क्रय समिति की संस्तुति प्राप्त की जाती है। तत्पश्चात शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार क्रय प्रक्रिया को कई स्तरों से गुजरने के कारण समय लगना स्वाभाविक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में जिला चिकित्सालय बनाने की मांग

30—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में जिला चिकित्सालय का निर्माण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री—

धनराशि उपलब्ध होने पर जिला चिकित्सालय, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर का निर्माण शीघ्र कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में गुन्ता बांध के टूटने की जांच कराने की मांग

31—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में गुन्ता बांध निर्माण पर अब तक कुल कितना धन व्यय हो चुका है? यह बांध कितनी बार टूट चुका है? क्या इसके टूटने के कारणों की जांच सरकार ने करायी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

निर्माणाधीन गुन्ता बांध (ग्राम रेपुरा) जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर के निर्माण में माह 6/98 तक कुल रु० 1831.83 लाख व्यय हो चुके हैं।

यह बांध एक बार दिनांक 1-9-97 को टूटा है।

बांध टूटने की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच एक समिति के माध्यम से करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में सिल्ट सफाई में धन के कथित दुरुपयोग की जांच

32—श्री दद्दू प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में वर्ष 1997-98 में सिल्ट सफाई हेतु कितना धन व्यय किया गया है ? किस-किस नहर की कहां से कहां तक सिल्ट सफाई की गयी है ? क्या सिल्ट सफाई में धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वर्ष 1997-98 में सिल्ट सफाई हेतु रु० 2.45 लाख व्यय किया गया है।

सफाई का विवरण निम्न प्रकार है

	नाम नहर	कहां से कहां तक (कि० मी० में)	कुल किमी०
1—	शीतलपुर माइनर	2-00 से 7-00	5-00
2—	बरूआ मुख्य नहर	6-40 से 7-40	1-00
		22-00 से 25-30	3-30
3—	पैसुनी मुख्य नहर	0-29 से 1-60	1-40
		2-20 से 2-60	0-40
		3-60 से 4-60	1-00
4—	कुचारम	0-00 से 2-40	2-40
	माइनर	कुल	14-50

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में अर्ह जनस्वास्थ्य रक्षक के कार्यरत होने के सम्बन्ध में जानकारी

33—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में कौन-कौन जन स्वास्थ्य सेवक वर्षों से उक्त पद की अर्हता न रखने पर भी कार्यरत हैं ? और क्यों ?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)—

जनपद अम्बेडकर नगर में कोई जन स्वास्थ्य सेवक कार्यरत नहीं है, अपितु अर्हता रखने वाले जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर/गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड श्री दत्तगंज/उतरौला/गैडास बुजुर्ग में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

34—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर/गोण्डा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96/1996-97/1997-98 में विकास खण्ड श्री दत्तगंज/उतरौला/गैडास बुजुर्ग को

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत चयन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना में किस-किस कार्यदायी विभाग को किस-किस कार्य के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है ? क्या उपलब्ध कराई गई धनराशि से कार्य पूरा हो गया है ? क्या कार्य गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार टी०ए०सी० से जांच करा कर दोषी कार्यदायी विभागों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

विवरण संलग्न है।

वर्ष 1995-96 एवं वर्ष 1996-97 में उपलब्ध कराई गई धनराशि के अन्तर्गत कार्य कराया गया है तथा वर्ष 1997-98 में अवमुक्त धनराशि के विपरीत कार्य प्रगति पर है।

कार्य उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत मानक के अनुसार कराया गया है अतः टी०ए०सी० से जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ—180 —पर।]

प्रदेश में वर्णित वर्गों में मेडिकल कालेजों में आरक्षित पदों को भरने की नीति

35—डा० राम बाबू हरित—

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 1996-97 में सभी मेडिकल कालेजों में सहायक प्रोफेसर/प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष के विभिन्न पदों पर कालेजवार कितने अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के व्यक्ति तैनात किये गये हैं ? आरक्षित पदों को भरने की क्या नीति है ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (प्रो० शिवाकान्त ओझा)—

अनुसूचित जाति/जनजाति के दो सहायक आचार्यों को मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में सह आचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है। शेष राजकीय मेडिकल कालेजों में सहायक आचार्य तथा सहआचार्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित पदों को रिक्त रखा गया है।

आरक्षित पदों को भरने के लिए शासन द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनु० जाति/जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु निर्मित छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर नियुक्ति तथा समायोजन के सम्बन्ध में जानकारी

36—श्री श्रीराम पाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनु० जाति/जनजाति छात्र/छात्राओं के लिए निर्मित छात्रावासों में सहायक अधीक्षक, रसोइया, कहार तथा सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या यह सच है कि यहां वर्षों से छात्रावासों में रिक्त उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति बजट के अभाव में नियत वेतन क्रम 750/- में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध नियत वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को समायोजित करते हुए उन्हें पूर्ण वेतन दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'–

जी नहीं।

ब्लाक द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु कोई छात्रावास निर्मित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के अन्तर्गत नगर पालिका में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

37—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91–मल्लावां नि०क्षे० के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद मल्लावां, जनपद हरदोई जिसकी आबादी लगभग साठ हजार है, 30 (तीस) शैय्याओं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-5-1997 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में उल्लिखित मा० सदस्य का पत्र दिनांक 7-5-1997 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु प्रश्नगत विषय पर प्रश्नकर्ता मा० सदस्य के पत्र दिनांक 22-1-1997, 14-2-1997 तथा 15-3-1997 प्राप्त हुए हैं।

प्रकरण का परीक्षण कराया गया और पाया गया कि नगर पालिका परिषद मल्लावां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है।

38—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दिनांक 10-7-98 को अता० प्र० सं० 15 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना के अन्तर्गत ब्लाकों में हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन में जनप्रतिनिधियों की स्वीकृत के सम्बन्ध में जानकारी

39—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना से उपलब्ध धनराशि से वर्ष 1996-97, 1997-98 में अनुसूचित जाति बस्तियों, सामान्य बस्तियों में जल निगम द्वारा ब्लाकवार अधिष्ठापन का विवरण दिया है? क्या सरकार बतायेगी कि स्थल चयन तथा आवंटन, किस सक्षम अधिकारी के आदेश से हुआ? क्या जिला योजना द्वारा उपलब्ध धनराशि से अनुसूचित बस्तियों में ब्लाक वाले हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में विधायकों की सहमति के अनुसार कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नव सृजित जनपद चम्पावत में समेकित बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना लागू करने की मांग

40—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जिला चम्पावत में समेकित बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना लागू की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्च, 96 में सृजित जनपद चम्पावत के विकास खण्डों चम्पावत, पाटी, लोहाघाट तथा बाराकोट में भारत सरकार ने अपने आदेश संख्या-14-01-95-सी०डी०—1/1996, दिनांक 11-3-96 द्वारा बाल विकास परियोजनाओं के संचालन की स्वीकृति दी थी। किन्तु बाद में भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक 15-5-97 द्वारा उक्त परियोजनाओं के संचालन को स्थगित कर दिया है।

अपर निदेशक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद की प्रतीक्षित जांच आख्या

41—श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1998 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०—3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी से कराई जा रही है ? जांच परिणाम क्या हैं ?

श्री रमापति शास्त्री—

जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के माध्यम से कराई जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

42—श्री तेजभान सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

43—श्री तेजभान सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इंदिरा नगर, लखनऊ का आकस्मिक निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता के विरुद्ध जांच

44—श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०—168 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित जांच पूर्ण करने हेतु क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो जांच पूर्ण कर कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह—

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ के क्रियाकलापों एवं उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में माननीय राज्य मंत्री जी निरीक्षण आख्या के परिप्रेक्ष्य में आंशिक जांच आख्या शासन को प्राप्त हुयी है। पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो में शौचालयों के निर्माण में की गयी अनियमितता के विरुद्ध जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

45—श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०—190 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सन्दर्भित जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त प्रकरण की जांच करने वाले अधिकारी को कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा के सिकन्दराबाद के ग्राम सुनपेड़ा पर पुल निर्माण के दिये गये निर्देश

46—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच, मथुरा क्षेत्र के सिकन्दराबाद में बांजरपुर कोठी से मात्र 3 कि०मी० पूर्व में ग्राम सुनपेड़ा पर विगत कई वर्षों से पुल टूटा हुआ है, जिससे करीब 50 गांवों का रास्ता बंद हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

जी हां।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से धन स्वीकृत कराकर निर्माण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के सरयू नहर खण्ड—3 के अन्तर्गत ड्रेनों की सफाई के सम्बन्ध में जानकारी

47—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर खण्ड नहर—तीन, बलरामपुर को वित्तीय वर्ष 1995-96, 96-97, 97-98 में नाबार्ड द्वारा लगभग दो करोड़ रुपया ड्रेन सफाई हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो कहां-कहां ड्रेनों की सफाई कराई गयी ? कितनी धनराशि उक्त कार्यों पर खर्च की गई ? क्या यह सही है कि ड्रेनों की सफाई न करके अधिकारियों द्वारा फर्जी भुगतान कर धनराशि हड़प ली गई है ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच करा कर दोषी पाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सरयू नहर खण्ड—3, बलरामपुर को वित्तीय वर्ष 1995-96, 96-97, 97-98 में नाबार्ड द्वारा ड्रेनों की सफाई हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में सरयू नहर षष्टम् खण्ड का न होना

48—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर षष्टम् खण्ड, बलरामपुर में 1997-98 में मुख्य नहर शाखा के निर्माण कार्य हेतु कितनी धनराशि के उपकरण एवं मशीनें क्रय की गयी हैं और किस-किस कम्पनी से क्रय की गयी हैं ? क्या कम्पनी से कोटेशन लिए गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित सरयू नहर षष्टम् खण्ड, बलरामपुर नाम का कोई खण्ड नहीं है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में खराब ट्यूबवेलों को ठीक कराने की मांग

49—श्री छोटे लाल गंगवार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—बरेली में कितने ट्यूबवेल खराब पड़े हैं ? क्या ग्राम तैय्यतपुर का 218 नं० ट्यूबवेल काफी समय से खराब है ? सरकार खराब ट्यूबवेलों को कब तक ठीक करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद बरेली में यांत्रिक दोष से 22 तथा विद्युत दोष से 53 राजकीय नलकूप खराब हैं। ग्राम तैय्यतपुर में स्थापित राजकीय नलकूप संख्या 218 बरेली समूह खराब नहीं हैं।

बन्द राजकीय नलकूपों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय के हड़ताली कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दोहरा मापदण्ड अपनाया जाना

50—श्री राम देव आचार्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों की दिनांक 5-12-94 से 24-1-95 तक हुई हड़ताल में लखनऊ स्थित प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के अनुसचिवीय वर्ग के कौन-कौन से कर्मचारी हड़ताल पर नहीं थे ? क्या यह सही है कि उपस्थित रहने की सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा भेजे जाने के बाद भी हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान कतिपय अनुसचिवीय कर्मियों को चिकित्सा अवकाश या उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है ? क्या अवकाश स्वीकृत करने में दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाल विकास विभाग में तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित करने की मांग

51—श्री समरपाल सिंह—

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में नर्स तथा कम्पाउण्डर की तदर्थ नियुक्तियों पर कितने दिनों से प्रतिबन्ध लगा है ? क्या प्रतिबन्ध के दौरान तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उनका विनियमितीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला चिकित्सालयों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

52—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि क्या कुछ ऐसे जिला चिकित्सालय हैं, जिनमें टेलीफोन सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? टेलीफोन की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां । प्रदेश के 20 नवसृजित जनपदों में जहां जिला चिकित्सालय अभी स्थापित नहीं किये गये हैं, में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

जिला चिकित्सालय की स्थापना करते समय टेलीफोन सुविधा की भी स्वीकृति दी जाती है ।

धनराशि उपलब्ध होने पर इन जिलों में जिला चिकित्सालय स्थापित करते समय टेलीफोन की व्यवस्था भी यथा समय की जायेगी ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, वजीरगंज व नवाबगंज में अपात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

53—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, वजीरगंज व नवाबगंज में वर्ष 1995 से मार्च, 1998 तक अम्बेडकर ग्राम के अतिरिक्त कितने ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना में लाभार्थियों का चयन किया गया है ? क्या पात्र व्यक्तियों का चयन न करके अपात्र व्यक्तियों को चयनित करके सीधा लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद गोंडा के विकास खण्ड छपिया, वजीरगंज व नवाबगंज में वर्ष 1995 से मार्च, 1998 तक अम्बेडकर ग्राम के अतिरिक्त 77 ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना में लाभार्थियों का चयन किया गया है । उपरोक्त विकास खण्डों में से विकास खण्ड छपिया के ग्राम औरातोंदा में एक अपात्र व्यक्ति चयनित था, शेष सभी लाभार्थी पात्र हैं । ग्राम औरातोंदा में अपात्र लाभार्थी के चयन में दोषी ग्राम विकास अधिकारी श्री गणेशदत्त सोनी को निलम्बित किया जा चुका है तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण मांग गया है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी । अपात्र लाभार्थी को उपलब्ध करायी गई धनराशि की वसूली की कार्यवाही भी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54—श्री राम विशुन आजाद—

[दिनांक 16-7-98 को अता० प्र० सं० 92 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उसायनी के स्थानान्तरणीय प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

55—श्री राम औतार शाक्य—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसायनी, जनपद—फिरोजाबाद में प्रभारी चिकित्साधिकारी का दो वर्ष पूर्व फिरोजाबाद से स्थानान्तरण जनपद—नैनीताल में जाकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए हुआ था एवं उन्हें कार्यमुक्त भी किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्साधिकारी कार्यमुक्त होकर नैनीताल न जाकर फिरोजाबाद में ही "राज क्लीनिक" के नाम से क्षय रोग विशेषज्ञ के रुप में निजी चिकित्सा कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मामले में अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव के विकास खण्ड बेवर व सुल्तानपुर में कराये गये कार्यों की जांच

56—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद—मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव, जनपद—मैनपुरी के विकास खण्ड बेवर व सुल्तानपुर में वित्तीय वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 में अब तक डी० आर० डी० ए० मैनपुरी व अन्य विकास योजनाओं में कार्यदायी संस्था फैक्स फेड द्वारा क्या-क्या विकास के कार्य एवं किसके प्रस्ताव से कराये गये ? क्या यह सही है कि उक्त संस्था द्वारा विकास कार्यों में भारी हेराफेरी व गड़बड़ी की शिकायत 6-5-98 को डी० आर० डी० ए० मैनपुरी की बैठक में प्रश्नकर्ता व जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई ? यदि हां, तो क्या "जोगा-हुसैनपुर मार्ग" ब्लाक बेवर में मिट्टी के कार्य मानक के अनुसार न करवाये जाने की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, भोगांव, जनपद—मैनपुरी के विकास खण्ड—बेवर एवं सुल्तानगंज में वित्तीय वर्ष 1996-97, 97-98 एवं 98-99 में अब तक डी० आर० डी० ए०, मैनपुरी व अन्य विकास योजनाओं में फैक्स फेड द्वारा कराये गये कार्यों एवं उनके प्रस्तावकों की सूची संलग्न है।

यह सही है कि उक्त संस्था द्वारा विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत दिनांक 6-5-98 को डी० आर० डी० ए० की प्रशासकीय समिति की बैठक में मा० सदस्य द्वारा की गयी थी, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं की गयी थी।

जोगा-हुसैनपुर मार्ग ब्लाक बेवर में मिट्टी का कार्य मानक के अनुसार न करवाये जाने की जांच की गयी। जांच में यह पाया गया कि मिट्टी का कार्य निर्धारित प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया है तथा मार्ग निर्माण में कमियां पाई गयीं, जिनके निराकरण हेतु एवं धनराशि की वापसी हेतु तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता फैक्सफेड फर्रुखाबाद को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 181 पर।)

जनपद भदोही सन्त रविदास नगर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के ग्राम झम्मनपुर, धनापुर उत्तरी तथा ग्राम सभा बैरीपरवा व नथईपुर में उक्त योजना में धनराशि अवमुक्त न किया जाना

57—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद भदोही सन्त रविदास नगर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में ग्राम सभा झम्मनपुर तथा धनापुर उत्तरी तथा ग्राम सभा बैरीपरवा, नथईपुर, जे० आर० वाई० से 1976-77 तथा 1977-78 में कितना धन अवमुक्त किया गया है ? क्या उक्त धन का प्रयोग सही ढंग से ग्राम विकास में खर्च किया गया है ? क्या इसका सत्यापन किसी जिम्मेदार अधिकारी से कराया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा आरम्भ नहीं की गयी थी। अतः विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में ग्राम सभा झम्मनपुर तथा धनापुर उत्तरी तथा ग्राम सभा बैरीपरवा, नथईपुर में उक्त योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

58—श्री जगदम्बिका पाल—

[4थें गुरुवार के अता० प्र० सं०-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा स्थित विकास खण्ड नवाबगंज में अम्बेडकर ग्राम देवी नगर जटमलपुर में पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी

59—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा स्थित विकास खण्ड नवाबगंज में अम्बेडकर ग्राम देवी नगर जटमलपुर में किन-किन व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त व्यक्तियों की माली हैसियत क्या है ? क्या यह सही है कि सही व्यक्तियों को उक्त आवासों का आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भौतिक सत्यापन करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त अम्बेडकर ग्राम में खड़ंजे का कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच (टी०ए०सी०) करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद गोंडा में स्थित ग्राम जलालपुर अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित नहीं है। जनपद गोंडा के विकास खण्ड नवाबगंज के अम्बेडकर ग्राम देवी नगर में 27 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। इन 27 लाभार्थियों की वार्षिक आय का भी आकलन कराया गया है। इन लाभार्थियों तथा इनकी वार्षिक आय का विवरण संलग्न है। पात्र व्यक्तियों को ही आवास उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोंडा के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम देवी नगर में खड़न्जे का कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 183 पर।)

60—श्री राम विशुन आजाद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा/बलरामपुर में वृद्धा विकलांग पेंशन हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

61—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1996-97, 1997-98 में जनपद गोण्डा/बलरामपुर में वृद्धा विकलांग पेंशन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई ? उक्त जनपदों में विकास खण्डवार कितना धन अलग-अलग निर्धारित किया गया और उक्त वित्तीय वर्षों में विकास खण्डवार कितनी धनराशि का लक्ष्य रखा गया है ? क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लक्ष्य के अनुसार वितरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद गोण्डा/बलरामपुर को वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में प्रश्नगत योजनाओं हेतु निम्न विवरण के अनुसार धनराशि उलब्ध हुई है :—

वर्ष	वृद्धावस्था/किसान पेंशन	विकलांग पेंशन
1996-97	328.98 लाख	20.99 लाख
1997-98	328.98 लाख	34.15 लाख

उक्त योजनाओं में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के पेंशन भुगतान के निमित्त, लाभार्थियों के निवास की स्थिति तथा उनके पेंशन से संबंधित बैंकवार/डाकघरवार बचत खाता की स्थिति के अनुसार पेंशन की धनराशि मनीआर्डर बैंक इनवाइस अथवा चेक के माध्यम से भुगतान की जाती है। अतः औपचारिक रूप से विकास खण्डवार धनराशि लक्षित किये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव शाखा डलमऊ 'बी' नहर निर्माण के पश्चात् रबी की फसल की औसत पैदावार का कम होना

62—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव शाखा पर डलमऊ "बी" नहर बनने से पूर्व लगभग 17,000 हेक्टेयर सिंचाई रबी की फसल में होती थी और वर्तमान समय में यह घटकर औसतन 10,000 हेक्टेयर ही हो रही है ? यदि हां, तो इस कमी का क्या कारण है ? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

औसतन 14690 हैक्टेयर सींच होती थी। फसली 1402, 1403, 1404 रबी में औसतन 14526 हैक्टेयर तथा फसली 1405 रबी (वर्ष 1997-98) में सींच 10,107 हैक्टेयर हुई।

शीतकालीन वर्षा के कारण पानी की मांग कम रही।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उन्नाव में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत कराये गये राजबहों पर कराये गये कार्यों का विवरण

63—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की किन-किन नहरों पर नाबार्ड योजना में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कार्य कराया गया है ? कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? क्या इन नहरों से प्रस्तावित सिंचाई की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उन्नाव जनपद में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 95-96 व 96-97 में निम्नलिखित राजबहों पर कार्य कराया गया :—

1—पाटन राजबहा

2—पडरी राजबहा

3—पुरवा राजबहा

4—तौरा राजबहा

5—पुरवा ब्रांच

6—कुरसठ राजबहा प्रणाली

7—रसूलाबाद राजबहा प्रणाली

1—वर्ष 95-96 में रु० 44.28 लाख

2—वर्ष 96-97 में रु० 86.97 लाख

सींच में वृद्धि हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की नहरों से पानी की मांग के सम्बन्ध में जानकारी

64—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की नहरों हेतु हरदोई शाखा के मील 99-0-0 पर रबी फसल हेतु वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक औसतन 31.500 क्यूसेक वीक जल उपलब्ध कराया जाता रहा है जो कि वर्ष 1996-97 में घटाकर 21.500 कर दिया गया व इस वर्ष 1997-98 से 20500 क्यूसेक वीक ही प्रस्तावित है ? यदि हां, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि उन्नाव जनपद की नहरों के जल भाग में कमी कर दी गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

औसतन 22497 क्यूसेक वीक जल उपलब्ध कराया गया था।

जी हां।

वर्ष 1997-98 में पानी की मांग वर्षा होने के कारण कम रही।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शारदा नहर प्रणाली से विभिन्न शाखा नहरों को रोस्टर के अनुसार सिंचाई हेतु पानी देने का प्रस्ताव

65—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर प्रणाली पर इसकी डी०बी० फिडर, बीसलपुर, निगोही, खीरी एवं हरदोई शाखा हेतु वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक औसतन 1,65,000 क्यूसेक वीक्स जल उपलब्ध था ? यदि हां, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि इस वर्ष फसल रबी में पानी की उपलब्धता अप्रत्याशित रूप से घटाकर 1,37,900 क्यूसेक वीक कम हो गई है ? क्या इसके कारणों की जांच शारदा संगठन के बाहर के उच्च अधिकारियों की समिति से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। फसली वर्ष 1405 की रबी (दिनांक: 2-10-97 से 1-4-98 तक) के लिये शारदा नहर प्रणाली से विभिन्न शाखा नहरों को रोस्टर के अनुसार सिंचाई हेतु 1,40,460 क्यूसेक्स वीक जल देना प्रस्तावित था। इसके विरुद्ध शारदा नहर प्रणाली में उक्त अवधि में 1,72,036 क्यूसेक्स वीक जल प्रवाहित हुआ, परन्तु रबी फसल में समय-समय पर अनेक बार कमाण्ड क्षेत्र में वर्षा हो जाने के कारण सिंचाई हेतु जल की मांग कम हुई। अतः 79,837 क्यूसेक्स वीक जल नगला स्केप द्वारा खारिज करना पड़ा तथा सिंचाई हेतु 92,199 क्यूसेक्स वीक जल ही प्रयोग में लाया जा सका।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां की व्यवस्था सुधारने की मांग

66—श्री अफजाल अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां की व्यवस्था सुधार करने हेतु विधायक श्री बांके लाल सोनकर का 6 अप्रैल 1998 का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र शासन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर को आख्या हेतु भेजा गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कोई भी घटिया सामग्री प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध नहीं है। वाहय विद्युतीकरण राज्य विद्युत परिषद् से अभी नहीं हो पाया है। इस संबंध में जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा राज्य विद्युत परिषद् से निरन्तर पत्र व्यवहार/अनुश्रवण किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां में वाहय चालक का पद सृजित न होने के कारण रोगी वाहन का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोंधी एवं पी० पी० सेन्टर शाहगंज में परिवार कल्याण राष्ट्रीय कार्यक्रम के कुशल संचालन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत केन्द्र पर औषधियों की व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति साहू जी महराजनगर में ओहन डायवर्सन नहर (बरकोट फीडर) में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

67—श्री आर०के० सिंह पटेल—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी है कि जनपद छत्रपति साहू जी महराजनगर में ओहन डायवर्सन नहर (बरकोट फीडर) में टेल तक पानी न पहुंचने से विगत कई वर्षों से किसानों की फसलें सूख जाती हैं ? क्या आगामी वर्ष में टेल तक पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

हर वर्ष बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति साहू जी महराज नगर में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

68—श्री आर०के० सिंह पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद छत्रपति साहू जी महराज नगर में अब तक मात्र4 राजकीय नलकूप सिंचाई हेतु लगाये गये हैं ? क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में और राजकीय नलकूप लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक और कितने सिंचाई नलकूप लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद-छत्रपति साहूजी महराज नगर में4 राजकीय नलकूप स्थापित हैं। वर्तमान समय में नये राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत जिला सिंचाई सलाहकार समिति के अनुमोदनोपरान्त धन और भूगर्भ जल की उपलब्धता पर निर्भर है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

69—श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 24-6-98 को अता० प्र० सं०-167 द्वारा उत्तरित]

प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों की सेवायोजित करने की अवधि तथा श्री राम कृपाल सिंह के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

70—श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सी–98/प्रशि० ग्रा०वि०अ० (परीक्षा) 83-84 दिनांक 19 अक्टूबर, 1983 द्वारा प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों में कितने प्रशिक्षार्थियों को कब से सेवायोजित किया गया ? इस सूची के क्रमांक 21 पर अंकित श्री राम कृपाल सिंह को अब तक सेवायोजित न करने के क्या कारण हैं ? क्या इस संबध में श्री राम कृपाल सिंह द्वारा ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ को दिनांक 17-9-91 तथा 8-4-97 तथा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को दिनांक 20-11-96 को दिये गये रजि० प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व सैनिकों की संख्या तथा वर्तमान में आर्थिक पैकेज योजना का विचाराधीन न होना

71—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से पूर्व सैनिकों की संख्या मार्च, 1998 तक कितनी है ? वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से उनको कितनी पेंशन दी जा रही है ? क्या वर्तमान में उनको दी जा रही पेंशन राशि उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई आर्थिक पैकेज योजन बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'–

द्वितीय विश्व युद्ध से सम्बन्धित पूर्व सैनिकों की संख्या मार्च, 1998 तक 28,039 है।

वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से रुपये 250-प्रतिमाह प्रति पात्र की दर से पेंशन दी जा रही है।

द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को भरण-पोषण के उद्देश्य से 01 अगस्त 1990 से 100/- प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही थी। इस धनराशि को जीवन यापन हेतु अपर्याप्त मानते हुये पेंशन की दर बढ़ाकर शासनादेश संख्या-2350/49-93-72-(विविध)/93 दिनांक 30.11.93 द्वारा 250/- प्रति माह की गयी है।

प्रदेश शासन की विषम वित्तीय स्थिति के सामने उपरोक्त प्रदत्त सुविधा के अतिरिक्त कोई "आर्थिक पैकेज योजना" वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में वर्णित अवधि में लिये गये निर्णयों का शासनादेश जारी करने के सम्बन्ध में जानकारी

72—श्री राजेन्द्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में उ० प्र० अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसियेशन मे मध्य दिनांक 17 अगस्त, 1995 को हुई बैठक का कार्यक्रम 446/प्र०स०स०क०/95 दिनांक 17 अगस्त, 1995 प्रमुख सचिव, द्वारा लिये गये किन-किन निर्णयों पर शासनादेश निर्गत हो गये हैं? किन-किन निर्णयों पर शासनादेश निर्गत नहीं किये गये हैं? शेष पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'–

दिनांक 17-8-95 की बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष आख्या संलग्न है।

संलग्न विवरण अवलोकनीय है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 184 पर।)

प्रदेश के सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति प्रा० पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

73—श्री राजेन्द्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में क्या उसके आश्रितों को सेवा में लिये जाने की सुविधा प्रदत्त है? यदि हां, तो क्या विभाग ने इस संबंध में सामान्य निर्देश निर्गत किये हैं? यदि नहीं, तो नियुक्ति किस शासनादेश के अन्तर्गत की जा रही है?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'–

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा शासन स्तर मे कोई सामान्य निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

74— श्री राजेन्द्र

(6ठें मंगलवार में अता० प्र०सं०-138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

75—श्री कृपा शंकर सिंह—

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

जनपद सीतापुर के जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

76—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय की वर्ष 1994 से अब तक किसके-किसके द्वारा कब-कब जांच की गई और उसमें कौन-कौन सी अनियमिततायें पाई गई तथा उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'—

जिलाधिकारी, सीतापुर से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला समाज कल्याण कार्यालय सीतापुर की वर्ष 1994 से अब तक मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर द्वारा मई, 1995 तथा दिसम्बर, 1996 में जाँच की गई, जिसमें विधवा पेंशन वितरण में वित्तीय अनियमिततायें तथा विद्यालयों को आवर्तक अनुदान भुगतान किये जाने में वित्तीय अनियमिततायें पाई गई ? इन अनियमितताओं के लिए क्रमशः श्री राम बिलास सिंह समाज कल्याण सुपरवाइजर तथा श्री अशरफ अली, वरिष्ठ लिपिक को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित की गई। इसके अतिरिक्त अगस्त एवं सितम्बर, 1995 में निदेशालय स्तर से मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा संख्याधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से श्री बुद्धिराम चौधरी, समाज कल्याण सुपरवाइजर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच की गई। इसी जाँच रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन निदेशक द्वारा श्री बुद्धिराम चौधरी से गहन पूँछ-ताँछ की गई। पूँछ-ताँछ के फलस्वरूप शिकायतों की जाँच में कोई बिन्दु श्री चौधरी के खिलाफ तथ्यपरक नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल आजमगढ़ द्वारा एल०पी० दवाओं की आपूर्ति हेतु टेण्डर आमन्त्रित करने की व्यवस्था

77—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल कितने रुपयों की दवाओं की एल०पी० (लोकल परचेज) की गयी ? क्या दवाओं की एल०पी० के लिए दुकानों का टेण्डर लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जिला अस्पताल की दवाओं की एल०पी० के लिए टेण्डर पर दवा प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जिला अस्पताल, आजमगढ़ हेतु वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल रुपये 8,88,367.65 (आठ लाख अठासी हजार तीन सौ सरसठ रुपये पैंसठ पैसे) की दवा की एल०पी० (लोकल परचेज) की गयी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 हेतु दवाओं के एल०पी० (लोकल परचेज) के लिए दिनांक 17.5.97 एवं 26.8,97 को निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा स्थगित कर दिया गया, और पुराने दवा विक्रेता से दवाओं की आपूर्ति ली गयी।

चिकित्सालयों में एल०पी० से दवा आपूर्ति के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में टेण्डर आमंत्रित करने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है। जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में वर्ष 1998-99 के एल०पी० हेतु टेण्डर दिनांक 21.5.98 को आमंत्रित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्टाफ नियुक्त करने की मांग

78—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज तहसील के अन्दर पल्हना बाजार में चार शैय्या का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1986 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर तथा अन्य स्टाफ नियुक्त किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनकी नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हाँ।

प्रश्न में उल्लिखित स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट, ए०एन०एम० तथा स्वच्छक कम चौकीदार तैनात है।

रिक्त पदों पर नियमानुसार शीघ्र नियुक्तियां करने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ की श्रीकान्त माइनर का निर्माण कार्य पूरा होने के सम्बन्ध में जानकारी

79—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की शारदा सहायक खण्ड 23 से निकली श्रीकान्त माइनर का कार्य पूर्ण न होने के कारण हजारों एकड़ जमीन का जल प्लावन होने से कृषि कार्य नहीं हो पाता है ? क्या सरकार उक्त माइनर को पूर्ण कराकर हजारों एकड़ भूमि को जल प्लावन से बचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी, नहीं।

श्रीकान्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा के निर्वाचन क्षेत्र लखना में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने की मांग

80—श्रीमती सुखदेवी वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र लखना, जिला इटावा के बीहड़ में कुओं का पानी लगभग डेढ़ सौ फुट पर (150 फुट) की गहराई पर है और गर्मी के मौसम में कुओं का पानी सूख जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में 500 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। विधान सभा क्षेत्र लखना के बीहड़ क्षेत्र विकास खण्ड चकरनगर में जल स्तर 120 फीट से 140 फीट की गहराई पर है। तथा सामान्यत: ग्रीष्म ऋतु में कम गहरे स्त्रोतों से जल मिलने में कठिनाई होती है।

जी नहीं।

विकास खण्ड चकरनगर में कुल 187 आबाद हैबीटेशन है जिनमें 176 हैबीटेशन को पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है तथा शेष 11 हैबीटेशन को भी पेयजल से आच्छादित कर दिया गया है। इन शेष 11 हैबीटेशनों को पेयजल से संतृप्त करने हेतु मात्र 12 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किया जाना है जिसे वर्ष 1998-99 में ही अधिष्ठापित कर दिये जाने का लक्ष्य है।

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में पूर्व में कार्यरत स्व० श्री राम बालक च० श्रेणी के बकाया देयकों के भुगतान की मांग

81—डा० अशोक बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में पूर्व में कार्यरत स्व० श्री राम बालक, च० श्रे० कर्मचारी जिनकी दिनांक 6-11-97 को मृत्यु हो गयी थी, का दिनांक 1-10-97 से 6-11-97 तक के वेतन का भुगतान उनके आश्रितों को न करने के क्या कारण हैं ? क्या अन्य बकाया देयकों का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है ? इसके लिये कौन-दोषी है ? क्या सरकार दोषी को दण्डित करते हुए बकाया वेतन एवं देयकों का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

दिनांक 1-10-97 से 6-11-97 तक के वेतन का भुगतान स्व० श्री राम बालक की पत्नी श्रीमती कान्ती देवी को दिनांक 15-6-98 को कर दिया गया है।

अवशेष देयकों का भुगतान कर दिया गया है, सामूहिक बीमा धनराशि की स्वीकृति हेतु सामूहिक बीमा निदेशालय, उ०प्र० को लिखा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान बीमा निदेशालय से धनराशि प्राप्त होने पर किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ की तहसील सदर के ग्राम पंचायत कोहिनौर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि की जांच

82—श्री राजेन्द्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत कोहिनौर तह० सदर, जनपद मऊ में ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना की प्राप्त धनराशि की वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शासन के निर्देशानुसार विकास खण्ड अधिकारी परदहा मऊ ने पत्रांक 943/जांच/ज०रा०यो०/97-98 दिनांक 3-1-98 द्वारा जांच का आदेश गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

जांच में वित्तीय अनियमितता की शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के चिकित्सालय में कार्यरत फिजीशियन के स्थानान्तरण की मांग

83—श्री दीपक कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय उन्नाव के फिजीशियन गत 10 वर्षों से लगातार वहां कार्यरत हैं ? क्या यह व्यवस्था सरकार की स्थानान्तरण नीति के विपरीत है ? यदि हां, तो ऐसे फिजीशियन का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्ड पम्प लगाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

84—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा आदेश 3042/वी०आई०पी०/मंत्री ग्रा०वि०/दिनांक 8-7-1997 आयुक्त ग्राम्य विकास को हैण्ड पम्प लगाने हेतु दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र धौलाना के किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान कराने का प्रयास

85—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र के धौलाना गन्ना सहकारी समिति, धौलाना के किसानों का गन्ने मूल्य जो अगौता सुगर फैक्ट्री, अगौता (बुलन्दशहर) को देना है, का भुगतान किस पेराई वर्ष तक का किया जा चुका है ? शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अगौता चीनी मिल अगौता (बुलन्दशहर) द्वारा सहकारी गन्ना समिति धौलाना को पेराई सत्र 1997-98 के 31-01-98 तक के गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

अवशेष भुगतान यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद सीतापुर के जिला चिकित्सालय में मरीज सतीश कुमार अवस्थी की मृत्यु की जांच

86—श्री रमेश राही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के जिला चिकित्सालय में नियुक्त आर्थोपेडिक सर्जन डा० अरुण कुमार मौर्य व एनेस्थीसिया के डा० ए०के० वर्मा द्वारा दिनांक 26-5-98 को मरीज सतीश कुमार अवस्थी निवासी ग्राम व पो० बम्हौरा जनपद सीतापुर के आपरेशन के दौरान दोनों डाक्टरों की मौजूदगी में अधिक बेहोशी की दवा दिये जाने के कारण एवं दोनों डाक्टरों की लापरवाही से आपरेशन कक्ष में ही मरीज की मृत्यु हो गई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली सीतापुर में मु०अ०सं० 534/98 धारा 284/304 ए०आई०पी०सी० व 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज की गयी थी परन्तु अभी तक डाक्टरों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या इस गंभीर घटना के दोषी डाक्टरों को निलम्बित कर जांच के आदेश सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या मृतक सतीश कुमार अवस्थी के परिवार को सरकार आर्थिक सहायता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

मरीज सतीश कुमार अवस्थी की मृत्यु आपरेशन कक्ष में नहीं अपितु इमरजेन्सी वार्ड में सिफ्ट करने के उपरान्त हुई थी। चिकित्सकों के विरुद्ध प्रश्नगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

मामले की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उत्तरदायी चिकित्सक के विरुद्ध संगत नियमों के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में शारदा नहर प्रणाली द्वारा प्रस्तावित सींच तथा प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

87—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव मे शारदा नहर प्रणाली द्वारा प्रस्तावित सींच से लगभग 50 प्रतिशत ही सींच की जा रही है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-8-97 पर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

प्रस्तावित सींच का औसतन 81.75 प्रतिशत सींच की जा रही है।

दिनांक 20-8-97 के पत्र पर विस्तृत जांच की गयी है। शारदा नहर प्रणाली के काफी पुरानी हो जाने के कारण नहरों के सेक्शन कम हो गये हैं जिसके फलस्वरूप नहरों की क्षमता कम हो गयी है। नहरों के क्षमता के पुर्नस्थापना का कार्य नावार्ड आदि से धन प्राप्त कर कराया जा रहा है जो मार्च 2001 तक पूरा हो जायेगा। कार्य पूरा होने पर सिंचाई बढ़ जायेगी।

निचली गंगा नहर प्रणाली की किसनपुर पम्प नहर व जनपद उन्नाव की डलमऊ 'बी' पम्प नहर में क्षमता का अन्तर पाया जाना

88—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निचली गंगा नहर प्रणाली की किसनपुर पम्प नहर व उन्नाव जनपद की डलमऊ "बी" पम्प नहर की क्षमतायें बराबर हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि किसनपुर पम्प नहर द्वारा फसल खरीफ व रबी में अलग-अलग लगभग 12,000-11,000 हैक्टेयर सिंचाई कराई जा रही है लेकिन उन्नाव डलमऊ "बी" पम्प नहर द्वारा मात्र 4,500-45,00 हैक्टेयर ही सिंचाई की जाती है ? क्या इस कमी को पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

क्षमता में अन्तर के कारण अलग-अलग प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम के अधीन कलकत्ता परिक्षेत्र के ढाकुरिया बिक्री केन्द्र में स्वीकृत पदों का विवरण

89—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड के अधीन कलकत्ता परिक्षेत्र के ढाकुरिया बिक्री केन्द्र पर अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है ? क्या मंत्री जी कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम पदनाम बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी

यह भी बतायेंगे कि कैजुअल इम्पलाई भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनके नाम व पदनाम क्या हैं ? क्या यह भी सत्य है कि अधिकतर कैजुअल इम्पलाई वर्ष 1986 से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सितम्बर, 1994 से उनको वेतन न देने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा कब तक वेतन दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम के अधीन कलकत्ता परिक्षेत्र के ढाकुरिया बिक्री केन्द्र पर निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं:–

1—सहायक विपणन-प्रबन्धक – एक पद
2—डिपो मैनेजर ग्रेड-I – एक पद
3—वरिष्ठ विक्रेता – एक पद
4—अटेन्डेंट – दो पद

कलकत्ता परिक्षेत्र के ढाकुरिया बिक्री केन्द्र पर निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं:–

1—श्री एस०एन० शुक्ल, सहायक विपणन प्रबन्धक
2—श्री मदन लाल, डिपो मैनेजर ग्रेड-I
3—श्री जटाशंकर मिश्रा, वरिष्ठ विक्रेता
4—श्री धर्मराज, अटेन्डेंट
5—श्री सुब्रतोगुहा ठकुराता, सेल्स अटेंन्डेंट

जी नहीं। हथकरघा निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी कैजुअल इम्पलाई की नियुक्ति नहीं की गयी है।

उक्त बिक्री केन्द्र के तत्कालीन प्रभारी द्वारा स्थानीय स्तर पर अनाधिकृत रूप से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किये गये। उन्हें इम्प्रेस्ड, कैशबुक से माह अगस्त, 94 तक अवैध ढंग से वेतन भुगतान किया गया है। उक्त कर्मचारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष वेतनमान एवं विनियमितीकरण हेतु एक याचिका दायर की है, जो मा० उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष विचाराधीन है। मा० न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ? तत्कालीन बिक्री केन्द्र प्रभारी को, जो इस सम्पूर्ण प्रकरण में उत्तरदायी हैं, आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में बिधरई ग्राम को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

90—श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में बिधरई ग्राम अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति बाहुल्य जनसंख्या वाला लगभग एक हजार आबादी वाला गांव है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद के बिधरई नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है अपितु विकास खण्ड फतेहाबाद में बिदरई नाम का राजस्व ग्राम है जिसकी कुल आबादी 623 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 122 है। पत्र दिनांक 23 जनवरी, 1998 द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मिट्टी, पुलिया स्तर तक 1.30 कि०मी० लम्बाई के लिए 12.47 लाख का एक आगणन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को भेजा गया था जो मानदण्डों के अनुरूप न होने के कारण स्वीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड धौलास नाले के पानी को साइफन बनाकर गंगा नहर में गिराने की मांग

91.—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया –

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्षा ऋतु में मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र के धौलास विकास खण्ड में मोदी नगर तथा मुराद नगर शहर का पानी से बैराल नाले में उफान आ जाता है ? क्या इस पानी से धौलास विकास खण्ड के लगभग 15 गांव प्रभावित हो जाते हैं तथा तबाही मच जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भयंकर तबाही को रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है ? क्या सरकार बैराल नाले के अधिक पानी को गंगा नहर में साइफन द्वारा गिराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

92—श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के क्षेत्र में राप्ती गौरी नदी दोआब के विशाल क्षेत्र में आवागमन हेतु थाना झंगहा के पास बने पक्के पुल से, सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाने के लिये रिग्स मशीन ले जाकर कार्य को सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी गोरखपुर को माह अप्रैल, 1998 से माह 25 मई, 1988 के बीच कोई पत्र पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद गोरखपुर का सिंचाई मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो कब से काम प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत पत्र शासन में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त न होना

93—श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का विधायक कोष्ठक पत्र सं० एम-3/8128/मैनपुरी/98 दिनांक 17-3-98 का पत्र मुख्य मंत्री को इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगवाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित हैण्डपम्पों को लगवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

(क) प्रश्नकर्ता का विधायक कोष्ठक पत्र संख्या-एम-3/8128/98 दिनांक 17-3-98 का पत्र ग्राम्य विकास मंत्री कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

94—श्री राम औतार शाक्य–

(दिनांक 15-7-98 को अता० प्र० सं० 56 द्वारा उत्तरित) ।

जनपद बलरामपुर के तहसील मुख्यालय उतरौला आदि चिकित्सालयों में पागल कुत्ता काटने की दवा व इन्जेक्शन उपलब्ध कराने की मांग

95—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के तहसील मुख्यालय उतरौला/बलरामपुर में चिकित्सालयों में पागल कुत्ते काटने की दवा एवं इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और पीड़ित व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय गोण्डा जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील मुख्यालयों पर उक्त इन्जेक्शन व दवा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

यह सही है कि जनपद बलरामपुर के तहसील मुख्यालय उतरौला चिकित्सालय में पागल कुत्ता काटने की दवा एवं इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, किन्तु बलरामपुर स्थित मेमोरियल चिकित्सालय में उक्त दवा एवं इंजेक्शन उपलब्ध है।

जी नहीं।

उचित तापमान पर भण्डारण सुविधा उपलब्ध न होने के कारण तहसील मुख्यालयों पर उक्त इंजेक्शन व दवा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय पर स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाक्टर के पद के सृजन के सम्बन्ध में जानकारी

96—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय, उतरौला/तुलसीपुर/पचपेड़वा, रेहरा बाजार, सादुल्लाह नगर/गैसड़ी/श्रीदत्त गंज/गैड़ास बुजुर्ग प्राथमिक स्वा० केन्द्र में महिला चिकित्सकों का पद विगत 15 वर्षों से रिक्त हे ? यदि हां, तो क्या सरकार महिला डाक्टरों की तैनाती पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक का पद सृजित नहीं होता अतः तैनाती का प्रश्न नहीं उठता। तुलसीपुर, पचपेड़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक की तैनाती है। उतरौला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक का पद अभी सृजित नहीं है किन्तु वहां स्थापित महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक तैनात है। इसी प्रकार महिला चिकित्सालय सादुल्ला नगर में भी महिला चिकित्सक की तैनाती की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा/बलरामपुर में उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

97—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा/बलरामपुर में उच्चीकृत सामुदायिक स्वा० केन्द्र भवन के नियोग के लिये वर्ष 1996-97, 1997-98 में स्वीकृत 2 करोड़ रुपये का कार्य भी पैक्स फेड को सौंपा गया है और 40 प्रतिशत धनराशि पैक्स फेड को अवमुक्त कर दी गई है ? शासनादेश सं० 3446/30-4-96-8 जांच/95 दिनांक 30 सितम्बर, 1996 को सचिव, ग्राम्य विकास ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि पैक्स फेड से काम नहीं कराया जायेगा ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उपरोक्त धनराशि पैक्स फेड को अवमुक्त की गई ? क्या सरकार तत्काल पैक्स फेड से [illegible] वापस करके [illegible] अन्य कार्यदायी विभाग से कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत शासनादेश के निदेश स्वास्थ्य विभाग पर लागू नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम चन्दौकी के निवासी श्री बाबूलाल पुत्र श्री राम दुलारे को आवासीय पट्टे का कब्जा दिलाने विषयक शिकायती-पत्र

98.–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर तथा उप जिलाधिकारी, गौरीगंज सुल्तानपुर को सम्बोधित दिनांक 16-6-96 तथा 30-4-97 एवं 28-5-97 श्री बाबूलाल पुत्र राम दुलारे निवासी ग्राम चन्दौकी तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें उसको तथा अन्य लोगों को दिये गये आवास के पट्टे का कब्जा न दिलाये जाने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री बाबूलाल पुत्र श्री राम दुलारे निवासी ग्राम-चन्दौकी, तहसील-गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ? श्री बाबूलाल ग्राम चन्दौकी के निवासी हैं न कि ग्राम चन्दौसी के, जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है।

श्री बाबूलाल पुत्र श्री राम दुलारे निवासी ग्राम चन्दौकी, तहसील गौरीगंज, जिला-सुल्तानपुर को अवासीय पट्टे पर कब्जा दिला दिया गया है जिस पर वे काबिज हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ खण्ड-2 शारदा नहर लखनऊ के अन्तर्गत नटपुर ड्रेन बी०आई०पी० रोड पर कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी

99.– श्री राम नक्षत्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड-2 शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत नटपुर ड्रेन बी०आई०पी० रोड आदि पर किये गये कार्यों में अनियमिततायें बरती जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 19-5-98 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही सम्पन्न की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति शाहू जी महराज नगर में विकास खण्डवार कूप योजना के अन्तर्गत निर्माण कराये गये कूपों का विवरण

100.–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति साहूजी महराज नगर में विकास खण्डवार दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत योजना आरम्भ होने से अब तक कितने कूपों का निर्माण कराया

गया है ? क्या इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच करवायी गयी ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जनपद छत्रपति शाहूजी महराज नगर में योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 343 कूपों का निर्माण कराया गया है।

जी हाँ।

जी हाँ।

इस बारे में 14 कर्मचारियों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी।

जनपद छत्रपति शाहू जी महराज नगर में गुन्ता बाँध के निर्माण एवं व्यय धनराशि तथा बाँध टूटने की उच्च स्तरीय जाँच

101—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला छत्रपति शाहूजी महराज नगर में गुन्ता बांध का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इस परियोजना में अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ? क्या इसे पुनः चालू किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या सितम्बर, 1997 में बांध टूट गया था ? यदि हां, तो टूटने के क्या कारण थे ? क्या इसकी टी०ए०सी० जांच करवायी गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम थे ? कितने लोगों को दण्डित किया गया ? क्या दोषी लोगों से धन वसूला जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

योजना पर 3/98 तक रु० 1835.5 लाख व्यय हो चुका है।

जी हाँ।

जी हाँ।

अभी तक इसके क्षतिग्रस्त होने के निश्चित कारणों के निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका है। बाँध टूटने की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच एक समिति का माध्यम से करायी गयी है। बाँध के क्षतिग्रस्त होने के निश्चित कारणों का पता लगाने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र लखना में नलकूप लगाने की मांग

102—श्रीमती सुखदेवी वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र लखना, जिला इटावा जो पिछड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र की जमीन ऊँची नीची एवं पथरीली होने के कारण नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विधान सभा क्षेत्र लखना, जिला इटावा में अधिक से अधिक नलकूपों को लगवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ।

राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत प्राविधान होने पर जिला सिंचाई सलाहकार समिति के परामर्श एवं जिला नलकूप स्थल चयन समिति के अनुमोदन पर निर्भर है।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड-निचलौल के ग्राम विकास अधिकारी श्री ओंकार सिंह द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में जानकारी

103—श्री अजित कुमार मेहरोत्रा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओंकार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड-निचलौल, जनपद महराजगंज द्वारा की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग, सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति का पत्र दिनांक 13 जनवरी, 1998 मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें दिनांक 22-1-98 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

समाज कल्याण निर्माण निगम, उ०प्र० अनु०जाति, जनजाति एवं विकास निगम उ०प्र० सैनिक कल्याण निगम तथा उ०प्र० तराई अनु० जनजाति विकास निगम के अध्यक्षों के मानदेय भत्ता आदि का भुगतान करने की मांग

104—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० मुख्य मंत्री के आदेश—जी/503सी०एम०/97, दिनांक 5-6-97 के तहत समाज कल्याण निर्माण निगम, उ०प्र० अनु०जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम उ०प्र० सैनिक कल्याण निगम तथा उ०प्र० तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के अध्यक्षों के मानदेय, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता तथा अन्य देयों के भुगतान क्या अभी नहीं किया गया है ? उपरोक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'—

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष का दि० 1-10-97 से 5-11-97 तक के देय मानदेय का भुगतान उक्त निगम की विपन्न आर्थिक स्थिति के कारण सम्भव न हो पाने के सापेक्ष उक्त निगम के संविलियन का निर्णय लिया गया जिसके फलतः मा० उच्च न्यायालय ने कतिपय निर्देश दिये हैं, जिसके सापेक्ष अग्रेतर कार्यवाही न्यायिक निर्देशों की परिधि के अन्तर्गत है। प्राप्त-सूचनानुसार समाज कल्याण निर्माण निगम, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उ० प्र० सैनिक कल्याण निगम के सापेक्ष अध्यक्षों को देय धनराशि का भुगतान अनुमन्यता के आधार पर कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी एवं धारचूला को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने हेतु आयोग गठित करने की मांग

105—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार को जानकारी है कि हिमालय से लगे सभी पर्वतीय राज्यों मिजोरम से लेकर जम्मू-कश्मीर के समस्त सीमान्त तहसीलों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है ? क्या इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के जनपद पिथौरागढ़ के दो तहसील मुनस्यारी एवं धारचूला को छोड़ दिया गया है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त क्षेत्र के गैर जनजातीय नागरिकों की आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां उक्त क्षेत्र के जनजातीय लोगों से ज्यादा कमजोर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसीलों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किये जाने की केन्द्र सरकार से सिफारिश से पूर्व वहां की जनजातीय एवं गैर जनजातीय नागरिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन हेतु आयोग गठित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश स्तर पर ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

106—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[6ठें शुक्रवार में अता० प्र०सं०-81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के विस्थापित परिवारों को भौमिक अधिकार देने की मांग

107—श्री गोपाल कृष्ण

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत तहसील पूरनपुर के नानक सागर के विस्थापित शारदा पार में स्थापित किये गये परिवारों को उक्त भूमि का मौलिक अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त परिवारों को भूमि का भौमिक अधिकार कब तक प्राप्त करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद पीलीभीत तहसील पूरनपुर में नानक सागर नाम की कोई योजना नहीं है। नानक सागर नामक बांध है। जिसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

108—श्री तेजभान सिंह—

[दिनांक 21-7-98 को अता० प्र० सं०-142 द्वारा उत्तरित]

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों का विवरण

109—श्री अजय भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत "रानीखेत चिकित्सालय, रानीखेत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताड़ीखेत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिकियासैंण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्याल्दे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्ट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौखुटिया" में विभिन्न संवर्गों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं ? उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री रमापति शास्त्री—

प्रश्नगत चिकित्सालयों में कुल स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

चिकित्सालय का नाम		स्वीकृत पद	रिक्त पद
रानीखेत	"क"	1	1
	"ख"	12	3
	"ग"	30	8
	"घ"	32	-
ताड़ीखेत	"ख"	2	-
	"ग"	47	7
	"घ"	2	-
भिकियासैंण	"ख"	8	5
	"ग"	48	14
	"घ"	2	-

स्यांन्दे	"ख"	2	1
	"ग"	47	20
	"घ"	2	-
सल्ट	"ख"	2	1
	"ग"	47	20
	"घ"	2	-
चोखुटिया	"ख"	7	2
	"ग"	49	15
	"घ"	2	-

रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्तियां शीघ्र किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

110—श्री अजय भट्ट—

[6वें शुक्र में अता० प्र० सं०-82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

111—श्री मुरलीधर—

[6वें मंगलवार में अता० प्र० सं०-131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुटीर उद्योग निदेशालय में संगणक के पद पर तैनात व्यक्ति को अनुमन्य वेतनमान दिया जाना

112—श्री रामाधार सिंह—

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री को जानकारी है कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में संगणक के पद पर तैनात व्यक्ति संविदा की सेवा शर्तों के आधार पर खादी बोर्ड से लिया गया है ? क्या यह सही है कि वित्त वेतन आयोग से संगणक के पद का वेतनमान उच्चीकृत कराया गया है और वर्तमान पद धारक उसका लाभ 1-1-86 से ले रहा है ? क्या यह भी सही है कि उच्चीकृत वेतनमान निदेशालय में कमीशन से नियुक्त पद धारक को भी दिया जाना है ? क्या मंत्री जी उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी से राजकीय धन की वसूली करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा राम पाण्डेय—

जी नहीं।

जी हां। परन्तु पदधारक नियुक्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 27-7-88 से लाभ ले रहा है।

जी हां।

संगणक के पदधारक की नियुक्ति उ० प्र० कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1993 के प्रख्यापन के पूर्व दिनांक 22-7-88 को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर की गयी है, तथा संगणक को शासन द्वारा अनुमन्य वेतनमान ही दिया गया है जिसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। अतः प्रकरण की जांच कराने एवं राजकीय धन की वसूली कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच

113—श्री अफजाल अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के किसी मा० विधायक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां के भवन निर्माण में हुई अनियमितता की जांच की मांग अपने 6 अप्रैल,

1998 के पत्र द्वारा आपसे की है ? यदि हां, तो उसकी जांच आख्या क्या है ? घटिया निर्माण सामग्री कब हटायी जायेगी तथा उसके स्थान पर दूसरी निर्माण सामग्री का प्रयोग कब होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हाँ।

वर्ष 1990 में लोक निर्माण विभाग के अवर अधिकारियों द्वारा कार्य की जांच की गयी एवं निर्माण में उपयोग किये गये सामग्री का सैम्पल परीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग के लखनऊ में स्थित अन्वेषणालय में भेजकर जांच करायी गयी थी। जांच में कराये गये कार्य एवं सामग्री अवर गुणवत्ता के पाये गये थे व उन कार्यों का मूल्यांकन करके धनराशि सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ने रु० 17,668.55 पैसे को वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा करा दिया गया था साथ ही साथ अवर अभियन्ता श्री एच० ओ० पी० तिवारी के चरित्र पंजिका में निन्दा प्रविष्टि तथा सहायक अभियन्ता श्री बी० के० सक्सेना को सचेत भी किया गया। अधीक्षण अभियन्ता 34वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया है कि उक्त अवर गुणवत्ता एवं कमियों के कारण भवन की सुरक्षा को कोई भी खतरा नहीं है। अतः सामग्री हटाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। चिकित्सा विभाग द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 1992 को भवन हस्तगत कर उसी भवन में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रियाशील कर दिया गया है। अतः पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है।

जनपद जौनपुर के ग्राम मेहरावां में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को प्राप्त न होना

114—श्री अफजाल अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन द्वारा जौनपुर जनपद के ग्राम मेहरावां में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर से 30-4-98 को प्रस्ताव मांगा गया था ? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो अस्पताल का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हाँ।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) की स्थापना जिला योजना का भाग है। इसकी स्थापना हेतु पूर्ण प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता सहित शासन को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए। उक्त व्यवस्थानुसार पूर्ण प्रस्ताव शासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में सरयू निर्माण खण्ड नानपारा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

115—श्री समरपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच की सरयू निर्माण खण्ड नानपारा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 24-4-97 पत्रांक—9, प्रमुख सचिव, सिंचाई की जांच हेतु आदेशित किया गया था ? जांच के परिणाम क्या रहे ? कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जनपद बहराइच में सिंचाई निर्माण खण्ड नानपारा के नाम से कोई खण्ड नहीं है। सरयू बैराज निर्माण खण्ड नानपारा, जो अब सरयू नहर खण्ड नानपारा के नाम से पुनर्नामांकित हुआ है, में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिनांक 24-4-97 प्राप्त हुआ है, जिसमें पत्रांक—9 अंकित नहीं है।

प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया श्री योगेन्द्र नाथ, अधिशासी अभियन्ता श्री सईद अहमद खाँ, सहायक अभियन्ता तथा श्री राम बचन सिंह, अवर अभियन्ता दोषी पाये गये, जो सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बित किये जा चुके हैं। इन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड बेवर के ग्राम जमौरा के प्रधान द्वारा खड़ंजा आदि के निर्माण में धन के दुरुपयोग की जाँच

116—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि गाँधी ग्राम जमौरा विकास खण्ड बेवर जनपद मैनपुरी में वर्तमान प्रधान ने खड़ण्जा आदि के निर्माण में जे० आर० वाई० व अन्य कई मदों के धन में दुरुपयोग कर भारी हेराफेरी की है? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में दक्षिण तरफ कोई खड़ण्जा आदि न लगाकर फर्जी बाउचर बनाकर धन का दुरुपयोग कर लिया है? क्या सरकार उक्त ग्राम में दक्षिण तरफ भी खड़ण्जा आदि लगवाना सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मामले की शिकायत प्राप्त हुई है, जांच करायी जा रही है।

इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेना होगा। प्रस्ताव पारित होने की दशा में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लागू मार्ग निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए पंचायत निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय खोलने हेतु लिये गये भवन के किराये के भुगतान की मांग

117—श्री सुशील शाक्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकान नं०-1/274, जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़ दिनांक 19-10-91 से 18-1-94 तक के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय खोलने हेतु अनुबन्ध पर रुपया 1800 (एक हजार आठ सौ रुपये) प्रतिमाह की दर पर लिया था? यदि हां, तो क्या अनुबन्ध पत्र में इस प्रकार की शर्त रखी गयी थी कि अवधि समाप्त होने पर यदि कार्यालय इस भवन में चलाया जायेगा तो किराया 30 प्रतिशत बढ़ा हुआ देय रुपया 2340 (दो हजार तीन सौ चालीस रुपये) प्रतिमाह होगा? यदि हां, तो उक्त मकान का बढ़ा हुआ किराया दिनांक 18-1-94 से अभी तक मकान मालिक को न देने के क्या कारण हैं?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'—

जी हाँ।

टंकित अनुबन्ध पत्र के आलेख में किनारे हस्तलेख में 30% बढ़ोत्तरी का उल्लेख है, किन्तु इस पर किसी भी पक्ष के हस्ताक्षर हस्तलेख में अतिरिक्त रूप से जोड़े गये अंश की पुष्टि में नहीं हैं। अतः अनुबन्ध पत्र की प्रमाणिकता एवं संदर्भित शर्त की विधिक मान्यता के सम्बन्ध में न्याय विभाग का परामर्श लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

118—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

[दिनांक 24-6-98 को अता० प्र० सं० 75 द्वारा उत्तरित।]

जनपद मैनपुरी में विकास खण्ड वाइज सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

119—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत मैनपुरी जनपद में वित्तीय वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड वाइज कौन-कौन से कार्य किस-किस के प्रस्ताव से स्वीकृत किये गये और कौन-कौन सी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य किया गया ? इन कार्यदाई संस्थाओं को कार्य वितरण का आधार क्या था ? क्या उक्त अवधि का उक्त कार्यदाई संस्थाओं का सम्पूर्ण धन उपलब्ध करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्ग निर्देशानुसार जिले के जिलाधिकारी कार्यान्वयन प्राधिकारी होते हैं। कार्यान्वयन प्राधिकारी के रुप में विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों में कार्य आवंटन भी उनके द्वारा किया जाता है विकास खण्डवार स्वीकृत कार्य एवं कार्यदायी संस्था का विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4
1.	घिरोर	प्राथमिक पाठशाला	बेसिक शिक्षा अधिकारी
		सम्पर्क मार्ग	खण्ड विकास अधिकारी
		मिट्टी कार्य, पुलिया, खडन्जा	तदैव
		सिचाई नाली, भूमि विकास कार्य	एल०जी०सी० भूमि संरक्षण अधिकारी

1	2	3	4
		मार्ग निर्माण	लोक निर्माण विभाग
			ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
			मण्डी परिषद् पैक्सफैड
		नर्सरी	सामाजिक वानिकी विभाग
		पंचायत भवन	डी०पी०आर० ओ०, मैनपुरी
2.	बेवर	प्राथमिक पाठशाला भवन	बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी
		पुलिया, सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
		सम्पर्क मार्ग लेपर स्तर	लोक निर्माण विभाग
		खडन्जा निर्माण	खण्ड विकास अधिकारी, बेवर
		बनीकरण, मृदाकार्य	एस०डी०ओ०, वन विभाग
		पंचायत भवन	डी०पी०आर० ओ०, मैनपुरी
		रजवहा निर्माण, मार्ग मिट्टी कार्य	एल०जी०सी० पैक्सफैड
3.	सुल्तानगंज	प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण	बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी
		खडन्जा, पुलिया, मिट्टी कार्य, गिट्टी आदि	पैक्सफैड, मैनपुरी
		पंचायत भवन	डी०पी०आर०ओ०, मैनपुरी
		मार्ग, मिट्टी कार्य, पुलिया, लेपन कार्य	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
		सामाजिक वानिकी कार्य,	वन विभाग
		सिंचाई, ड्रेन निर्माण	भूमि संरक्षण अधिकारी
		मार्ग लेपर स्तर तक	लोक निर्माण विभाग
		खडन्जा, पुलिया,	खण्ड विकास अधिकारी, सुल्तानगंज
		जल संचय कार्य	लघु सिंचाई विभाग, मैनपुरी
		खडन्जा	प्रिंसिपल, नवोदय स्कूल
4.	मैनपुरी	प्राथमिक पाठशाला भवन	बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी
		पुलिया, खडन्जा; मिट्टी कार्य, मरम्मत, पेंटिग कार्य	पैक्सफैड, मैनपुरी
		लेपन स्तर तक कार्य	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मैनपुरी
		ड्रेन निर्माण	भूमि संरक्षण अधिकारी, मैनपुरी
		लेपन कार्य, मरम्मत	लोक निर्माण विभाग
		नाला निर्माण, मिट्टी कार्य	खण्ड विकास अधिकारी, मैनपुरी
		सामाजिक वानिकी (मृदा कार्य)	सामाजिक वानिकी विभाग
		रिचार्ज वेल	लघु सिंचाई विभाग
		पंचायत भवन	डी०पी०आर०ओ०, मैनपुरी
		मिट्टी कार्य, पुलिया	मण्डी परिषद्
5.	किशनी	प्राथमिक पाठशाला भवन	बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
		भूमि विकास कार्य, नाला निर्माण	भूमि संरक्षण अधिकारी
		लेपन कार्य	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
		मिट्टी कार्य, पुलिया, मरम्मत	पैक्सफेड, लोक विभाग
		पंचायत भवन	डी०पी०आर०ओ०, मैनपुरी
		नर्सरी, मृदा कार्य	सामाजिक वानिकी विभाग
6.	वरनहल	प्राथमिक पाठशाला भवन, निर्माण	बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी
		मिट्टी कार्य पुलिया	पैक्सफैड
		क्षेत्रीय बांध, मिट्टी कार्य	भूमि संरक्षण अधिकारी, मैनपुरी
		लेपन कार्य, मिट्टी कार्य	लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी
		पुलिया, मिट्टी कार्य	खण्ड विकास अधिकारी, वरनहल
		नर्सरी, मृदा कार्य	सामाजिक वानिकी विभाग
		रिचार्ज वेल	लघु सिचाई विभाग
		पंचायत भवन	डी०पी०आर०ओ०, मैनपुरी
		मिट्टी कार्य	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मैनपुरी
		नाला निर्माण	एल०जी०सी०
7.	कुरौली	प्राथमिक पाठशाला भवन	बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी
		गिट्टी, पुलिया, मिट्टी कार्य	पैक्सफैड
		लेपन	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लोक निर्माण विभाग
		ड्रेन निर्माण	भूमि संरक्षण अधिकारी, मैनपुरी
		नर्सरी, मृदा कार्य	वन विभाग
		पंचायत भवन	डी०पी०आर०ओ०, मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
		नाला निर्माण, नहर पटरी निर्माण	एल०जी०सी०
8.	करहल	प्राथमिक पाठशाला भवन	बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी
		मिट्टी कार्य, पुलिया	पैक्सफैड
		मिट्टी कार्य	लोक निर्माण विभाग
		पुलिया निर्माण	खण्ड विकास अधिकारी, करनहल
		नर्सरी, मृदा कार्य	सामाजिक वानिकी विभाग
		पंचायत भवन	डी०पी०आर०ओ०, मैनपुरी
		मिट्टी कार्य	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मैनपुरी
		पुलिया	मण्डी परिषद्
9.	जागीर	प्राथमिक पाठशाला भवन	बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी
		मिट्टी कार्य, पुलिया, गूल, खडन्जा	खण्ड विकास अधिकारी, जागीर
		नाला निर्माण	भूमि संरक्षण अधिकारी, मैनपुरी
		मिट्टी कार्य	मण्डी परिषद्, एल०जी०सी०, मैनपुरी
		मिट्टी, खडन्जा, लेपन कार्य	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मैनपुरी
		पौध रोपण, नर्सरी, मृदा कार्य	सामाजिक वानिकी विभाग
		लेपन कार्य	लोक निर्माण विभाग
		मिट्टी का कार्य, पुलिया, खडन्जा	पैक्सफैड, फर्रुखाबाद
		मिट्टी कार्य, पुलिया	बी०डी०ओ०, जागीर
		पंचायत भवन	डी०पी०आर०ओ०, मैनपुरी
		मिट्टी कार्य, पुलिया	जल निगम
		मिट्टी, गिट्टी, पुलिया	जिला परिषद्, मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

योजना के मैनुअल के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्य चयन करने एवं स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी/कार्यान्वयन प्राधिकारी को है।

जी हां, जिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मस्टर रोल, एवं एम०बी० की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है, उन्हें सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री के पत्रांक-424/98, दि० 18-5-98 पर कृत कार्यवाही

120—श्री समरपाल सिंह—

क्या महिला एवं बाल,विकास मंत्री कृपया बतायेंगी कि संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री जी का पत्रांक—424/98, दिनांक 8-5-98 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार—

जी हां, मा० संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री का पत्रांक—424/98, दिनांक 18.5.98 (न कि 8.5.98 का) प्राप्त हुआ।

मा० मंत्री जी के उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न श्री कमलेश दुबे पत्रकार के पत्र दिनांक 13.5.98 में उल्लिखित एस० डी० एम०, चुनार की जांच आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार शिकायतें निराधार पाई गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी, जमालपुर तथा नरायनपुर का स्थानान्तरण मिर्जापुर से सुल्तानपुर किया गया था जिसे मा० उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया। मिर्जापुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी (प्रभारी) को, स्थानान्तरित लिपिकों को कार्यमुक्त न करने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

121—श्री समरपाल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के पत्र के सम्बन्ध में जांच

122—श्री समरपाल सिंह—

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का पत्रांक—2713/बा०वि०परि०/97-98, दिनांक 7 अगस्त, 1997 जिलाधिकारी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार—

जी हां।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा उप जिलाधिकारी, चुनार मिर्जापुर से जांच करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 3.9.97 में शिकायतें निराधार पायी गयीं। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड देसही एवं आर०ई०एस० के तत्कालीन अभियन्ता श्री राजेन्द्र यादव का धांधली एवं घपले के आरोप में किया गया निलम्बन

127—श्री मुराद लारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड देसही देवरिया, जनपद देवरिया के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कृपा शंकर तिवारी एवं आर० ई० एस० के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र यादव को 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत हुई धांधली एवं घपले के आरोप में निलम्बित किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उन्हीं आरोपो के दोषी ग्राम मदरापाली भरथराय के तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध शासनादेश संख्या—1684/3-1-1997—123/97, के तहत कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय के ग्राम प्रधान इन आरोपों में दोषी नहीं हैं। ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय के ग्राम प्रधान द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत कराये गये कार्यों की जांच मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया के आदेशानुसार सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया द्वारा की गयी। जांच में ग्राम प्रधान दोषी नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

128—श्री उबैदुर्रहमान—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

वर्ष 1997-98 में जनपद फिरोजाबाद में विधान सभा क्षेत्रवार लगाए गए इण्डिया टाइप-II हैण्ड पम्पों की स्थिति की जानकारी

129—श्री शिव सिंह चक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में गत वर्ष 1997-98 में कितने इण्डिया टाईप-II हैण्ड पम्प विभिन्न योजनाओं में लगाये गये हैं ? लगाये गये हैण्ड पम्पों की विधान सभा क्षेत्रवार क्या स्थिति है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1997-98 में कुल 1078 इंडिया टाइप-II हैण्ड पम्प विभिन्न योजनाओं में लगाये गये हैं।

लगाये गये उक्त हैण्ड पम्पों की विधान सभा क्षेत्रवार स्थिति निम्नवत है :

विधान सभा क्षेत्र	1997-98 में लगाये गये हैण्ड पम्पों का कुल योग
1. जसराना	224
2. शिकोहाबाद	110
3. फिरोजाबाद	417
4. घिरोर (आंशिक)	85
5. टूण्डला	242
योग	1078

तत्कालीन क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री जी का पत्रांक-275, दिनांक 7.8.97 का प्राप्त न होना

123—श्री समरपाल सिंह—

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री [illegible] की कृपा करेंगे कि तत्कालीन क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री जी का पत्रांक-275, दिनांक 7-8-97 [illegible] हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ में पम्प कैनाल का निर्माण कार्य

124—श्री रामाधार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा क्षेत्र राठ, जनपद हमीरपुर में दो लिफ्ट योजना की घोषणा तथा स्वीकृति वर्ष 1987 में प्रदान की गयी थी ? क्या यह सही है कि अभी तक उक्त दोनों परियोजनाओं पर कोई कार्य नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

जल की उपलब्धता सुनिश्चित न हो पाने के कारण इन पम्प कैनाल्स का निर्माण सम्भव नहीं हो सका है।

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में क्रय की गयी वस्तुओं का नियमानुसार भुगतान

125—श्री रामाधार सिंह—

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री को ज्ञात है कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में जो अम्बेस्डर कार प्रयोग की जाती थी वह विगत वर्ष 1996-97 से खराब है ? क्या यह सही है कि उक्त कार हेतु टायर, ट्यूब व अन्य कल-पुर्जे खरीदे गये और उक्त गाड़ी को ठीक न कराकर फर्जी भुगतान लिया गया ? क्या मंत्री जी उक्त फर्जी बिल बाउचरों का भौतिक निरीक्षण शासन स्तर से करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या उपरोक्त घोटाले में लिप्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा राम पाण्डेय—

जी हां।

वर्ष 1997-98 में टायर, ट्यूब व बैटरी क्रय की गयी है जिसका नियमानुसार भुगतान किया गया है।

चूंकि वस्तुयें क्रय की गई हैं और भुगतान नियमानुसार किया गया है, अतः बाउचरों के भौतिक सत्यापन कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

126—श्री मुराद लारी—

[7 वें शुक्र में अता० प्र० सं० 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद बांदा के बड़ोखर खुर्द में ग्राम सुरौली सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों को दण्डित किए जाने की मांग

130—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के बड़ोखर खुर्द में ग्राम सुरौली सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड बांदा को वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना से कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी ? प्राप्त धनराशि से कुल कितने मीटर निर्माण कार्य कराया गया ? क्या मार्ग के निर्माण में अनियमिततायें करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या कराये गये निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द—

जी हां। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बांदा के प्रश्नगत निर्माण कार्यों के लिये सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में रु० 2.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी।

निर्माण कार्यों के लिये प्राप्त धनराशि से 90 मीटर बिगवाल एवं मिट्टी भराई कार्य किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराए गए कार्यों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

131—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी अन्तर्गत विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द अन्तर्गत ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग को कुल कितनी धनराशि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी ? प्राप्त धनराशि से कुल कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? क्या धन का व्यय मानक के अनुसार करने के बजाय अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी अन्तर्गत विकास खण्ड बडोखर खुर्द के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल रु० 2,13,000.00 की धनराशि प्रदान की गयी है।

उक्त वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष मु० 1,62,561.00 रुपये व्यय करके कुल 516 मानव दिवस सृजित किये गये।

धनराशि के व्यय में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में शुकुल कुआं से राज शिशु विद्यालय तक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बनाई गई खड़न्जा एवं नाली की तकनीकी जांच कराए जाने की मांग

132—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के वि० खं० बड़ोखर खुर्द अन्तर्गत ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग को सुनिश्चित रोजगार योजना वर्ष 1997-98 में शुकुल कुआं से राज शिशु विद्यालय तक खड़ंजा, नाली निर्माण हेतु रू० 60,000 की धनराशि प्रदान की गयी है ? क्या पूर्व में वित्तीय वर्ष 1996-97 में भी उक्त मार्ग के निर्माण हेतु धन का भुगतान किया जा चुका है ? क्या यह बात सही है कि अनियमित ढंग से सरकारी धन का दुरुपयोग कर निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1996-97 व वर्ष 1997-98 में प्राप्त धन से कराये गये उक्त मार्ग में निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है फिर भी मामले की जांच हेतु मण्डल स्तरीय तकनीकी आडिट कमेटी को प्रकरण संदर्भित कर दिया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की ग्राम सभा गोपार के मजरा नया पुरवा (चमरहिया) के ग्राम प्रधान के विरुद्ध दिए गए शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

133—श्री मोहन सिंह रावत 'गांवदासी'—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गोपार के मजरा नया पुरवा (चमरहिया) विकास खण्ड अहिरोरी जनपद हरदोई के ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य न कराये जाने संबंधी शिकायत तथा सम्पर्क मार्ग खड़न्जा आदि लगाये जाने विषयक ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र को सचिव, ग्राम्य विकास ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं० 339/पी०एस०/एस०पी०आर०/98 दिनांक 17 जनवरी, 1998 तथा राज्य मंत्री ग्राम्य विकास का पत्र सं० 946/रा०मं०ग्रा०वि०/97, 27 मार्च, 1998 जो जिलाधिकारी हरदोई को भेजे गये थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

ग्राम सभा गोपार के मजरा नया पुरवा (चमरहिया) विकास खण्ड अहिरोरी जनपद-हरदोई के ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य न कराये जाने संबंधी शिकायत तथा सम्पर्क मार्ग खड़न्जा आदि लगाये जाने विषयक ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र सचिव ग्राम्य विकास से नहीं अपितु सचिव पंचायतीराज उत्तर प्रदेश के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या—339/पी०एस०/एस०पी०आर०/98 दिनांक 17 जून, 1998 तथा मा० राज्य मंत्री ग्राम्य विकास का पत्र संख्या-946/रा०मं०ग्रा०वि०/1997 दिनांक 27 मार्च, 1998 जनपद को प्राप्त हुए हैं । प्रार्थना पत्रों में वर्णित बिन्दुओं पर स्थलीय जांच करा ली गई है । ग्राम प्रधान को जवाहर रोजगार योजना/अन्य मदों में आवंटित धनराशि के विपरीत प्रधान द्वारा कराये गये कार्य उपयोगी एवं संतोषजनक पाये गये हैं । ग्राम के मजरा नया पुरवा (चमरहिया) में 150 x 2.5 मीटर माप में खड़न्जा कार्य तथा 300 x 2.5 मीटर माप में मिट्टी का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा करा दिया गया है । मुख्य मार्ग से मजरा चमरहिया तक मार्ग का निर्माण भूमि विवादित होने के कारण अभी नहीं कराया जा सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

134—श्री छोटे लाल गंगवार—

[दिनांक 15-7-98 को अता० प्र० सं० 99 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी संघ मिल्स लिमिटेड के कार्यालय में कार्यरत कतिपय लिपिकों के वेतनमान निर्धारण में शासनादेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

135—श्री भारत सिंह रावत—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी संघ मिल्स लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 8-7-96 के द्वारा कतिपय लिपिकों को समयमान वेतनमान रु० 1400-2600 स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त वेतनमान किस तिथि से स्वीकृत किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त लिपिकों को पुनः अगला वेतनमान स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो अगला उच्च वेतनमान किस तिथि से स्वीकृत किया गया ? क्या उक्त समयमान वेतनमान तथा उच्च वेतनमान की स्वीकृति एतद् विषयक जारी शासनादेशों के अनुरूप की गयी है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। जिन कतिपय लिपिकों को दिनांक 10-6-92 को समयमान वेतनमान रु० 1350-2200 प्रदान किया गया था, उन्हें पदोन्नति नीति, 95 में संशोधित समयमान वेतनमान रु० 1400-2600 दिनांक 8-7-96 को स्वीकृत किया गया है।

जी हां। दिनांक 30-12-96 से ज्येष्ठ लिपिक के नवसृजित/रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति एवं उक्त पद का वेतनमान रु० 1600-2600 स्वीकृत किया गया।

जी नहीं। उक्त समयमान वेतनमान तथा उच्च वेतनमान की स्वीकृति संघ की अनुमोदित पदोन्नति नीति 1995 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड में खाली बोरों के क्रय में अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी

136—श्री भारत सिंह रावत—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड द्वारा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में कितने खाली बोरों (गनी बैग्स) की खरीद किन-किन फर्मों से की गयी है ? उक्त वर्षों में कुल कितने बोरे क्रय किये गये ? क्रय किये गये बोरों की गुणवत्ता के क्या मानक थे ? उक्त क्रय किये गये बोरों में क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा वर्ष 96-97 में क्रय किये गये बोरों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र०	आपूर्तिकर्ता का नाम	बोरों की संख्या
1–	मै० हुगली मिल्स कं०लि० कलकत्ता बेल्स	8,36,000
2–	मै० हुगली प्रोजेक्ट लि० कलकत्ता बेल्स	10,10,800
3–	मै० ट्रेड व्यापार कलकत्ता बेल्स	3,72,000
4–	मै० अम्बिका मल्टी फाइवर्स कलकत्ता बेल्स	2,44,800
5–	मै० नाथ बुक जूट कं० लि० कलकत्ता बेल्स	5,51,600
6–	मै० आकलैण्ड इंटरनेशनल लि० कलकत्ता बेल्स	2,87,600
7–	मै० टेपकान इंटरनेशनल लि० कलकत्ता बेल्स	9,35,600
8–	मै० काकीनारा लि० कलकत्ता बेल्स	10,82,400
9–	मै० एम्पायर जूट कं० लि० कलकत्ता बेल्स	1,88,000
10–	मै० जे०के० जूट मिल लि० कानपुर बेल्स	38,86,800
	कुल क्रय बोरों की संख्या	93,95,600

वर्ष 97-98 में क्रय किये गये बोरों का विवरण निम्नवत् है:–

1–	मै० जे०के० जूट मिल कं० कानपुर	73,49,200
2–	मै० अगरपारा जूट मिल कलकत्ता	9,64,400
	कुल क्रय बोरों की संख्या	83,13,600

उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 में कुल 1,77,09,200 खाली बोरे क्रय किये गये हैं।

आई०एस०आई० द्वारा निर्धारित मानक आई०एस० 1943-1964 ए-टिबल गनी बैग्स हेतु दिये गये विवरण एवं मानक के अनुसार बोरे क्रय किये गये हैं।

बोरों के क्रय हेतु निविदायें प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार के माध्यम से सीधे उत्पादनकर्ताओं से आमंत्रित की जाती हैं। बोरों के क्रय हेतु प्रशासक, उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। निर्धारित तिथि पर कमेटी के सदस्यों के सम्मुख निविदायें खोली जाती हैं तथा क्रय समिति द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से निगोसियेशन कर निविदा की शर्तों के अनुरूप न्यूनतम दरों पर बोरों का क्रय किया जाता है। बोरों की आपूर्ति की सही गुणवत्ता के लिए बोरों का निरीक्षण इंसपेक्शन एजेन्सी द्वारा बोरों की आपूर्ति के पूर्व कराया जाता है, तथा खराब बोरों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। साथ ही मिल स्तर पर भी तकनीकी अधिकारियों द्वारा बोरों की गुणवत्ता की जांच की जाती है।

प्रदेश में बेरोजगार आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्टों की सेवा नियमावली में संशोधन हेतु लिखे गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

137–श्री राम नक्षत्र–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगार आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्टों के संबंध में तत्कालीन निदेशक श्री पी०के० झा द्वारा दिनांक 17-1-98 को पत्रांक सं०–974/18ए95-

97 शासन में फार्मेसिस्टों के सेवा नियमावली संशोधन के लिये लिखा गया पत्र उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो० शिवाकान्त ओझा–

जी हां।

कार्मिक विभाग का परामर्श लेकर प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचन क्षमता में सुधार हेतु स्वीकृत की गई ऊपरी गंगानहर परियोजना को पूर्ण कराए जाने की मांग

138—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ०प्र० के 27 जनपदों में सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत हैं ? क्या यह सही है कि सिंचाई का मुख्य स्रोत गंगा नहर जो 134 वर्ष पुरानी है तथा इस व्यवस्था के क्षतिग्रस्त होने और सम्पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न होने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1983 में 1313.30 करोड़ की वृहद् व ऊपरी गंगानहर आधुनिकीकरण परियोजना स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त परियोजना कितने वर्षों और कितने चरणों में पूरी की जानी थी ? क्या विश्व बैंक का सहयोग भी इस परियोजना हेतु लिया गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पश्चिमी प्रक्षेत्र में सिंचित क्षेत्र 83 प्रतिशत है।

यह योजना 2 वर्षों में चार चरणों में पूरी की जानी थी।

जी हां।

ऊपरी गंगानहर आधुनिकीकरण परियोजना के पुनर्गठित मण्डल/खण्ड में समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

139—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊपरी गंगानहर आधुनिकीकरण परियोजना के विघटित मण्डलों एवं खण्डों के समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों के नवसृजित बाढ़ कार्यों के मण्डल और खण्ड कार्यालयों जो जनपद बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हरिद्वार, अलीगढ़ में प्रस्तावित है, में समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

क्योंकि शासन के आदेशानुसार विघटित मण्डल/खण्ड के समस्त कर्मचारियों (महिला कर्मचारियों को छोड़कर) को यथावत पुनर्गठित मण्डल/खण्ड में स्थानान्तरित किये जाने की नीति है।

एस०जी०पी०जी०आई० में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

140—श्री राजधारी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र सं०–जी-16/इकहत्तर–3/98 पी 22/92, दिनांक 18-5-98 द्वारा एस०जी०पी०जी०आई० में

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ दिये जाने संबंधी निर्देश निदेशक एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ को दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या एस०जी०पी०जी०आई० के निदेशक द्वारा पत्र में उल्लिखित निर्देशों की अपेक्षानुसार कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर दिया जायेगा?

प्रो० शिवाकान्त ओझा–

जी हां।

कार्यवाही की जा रही है।

आयोग में कार्यरत अधि०/कर्म० के सेवा नियमावली तैयार करने तथा नियुक्तियां करने हेतु आवश्यक निर्देश

141—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयोग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनवायी गयी? यदि हां, तो क्यों? सेवा नियमावली कब तक तैयार कर ली जायेगी? क्या पिछड़ा वर्ग आयोग में शोध अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी, निजी सचिव एवं अनुभाग अधिकारी, लेखाधिकारी, लेखा लिपिक के शासन द्वारा सृजित पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित सदस्यों को अलग-अलग वेतनमान दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? एक समान वेतनमान न देने के क्या कारण है?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'–

जी हां। आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार कराये जाने हेतु शासन स्तर से आयोग को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

जी हां। शोध अधिकारी, शोध सहायक, अन्वेषण अधिकारी, निजी सचिव एवं अनुभाग अधिकारी, लेखाधिकारी, लेखा लिपिक के पदों पर शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप नियुक्तियां करने हेतु आयोग को आवश्यक मार्गदर्शन/निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

आयोग में 03 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं तथा एक सदस्य माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। चूंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जांच आयोगों/समितियों में नियुक्ति होने पर उनके वेतन नियतन तथा अन्य शर्तों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर, 1987 द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं, अतः सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त से नियंत्रित होने के कारण आयोग के अन्य सदस्यों की तुलना में भिन्न हैं।

स्वास्थ्य भवन लखनऊ में कार्यरत बेल्डरों को पुनरीक्षित वेतन का भुगतान

142—डा० मुस्लिम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग में विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में कार्यरत बेल्डरों का पुराना वेतनमान 825-1200 है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राजकीय मुद्रणालय, उ०प्र० तथा सिंचाई विभाग में समान पद पर कार्यरत 825-1200 के वेतनमान

के स्थान पर क्रमशः 950-1500 तथा 1200-2040 का वेतनमान समता समिति उ०प्र० (1989) की संस्तुतियों के आधार पर दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेल्डरों के वेतनमानों को भी उक्त विभागों के समान 1-1-1986 से संशोधित करके दिलाने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

राजकीय मुद्रणालय उत्तर प्रदेश में बेल्डर के पद पर कार्यरत पदधारकों को वर्ष 1989 से पूर्व स्वीकृत वेतनमान रु० 330-540 को पुनरीक्षित कर वेतनमान रु० 825-1200 तथा सिंचाई विभाग में बेल्डर पद पर कार्यरत पदधारकों को वर्ष 1989 से पूर्व स्वीकृत वेतनमान रु० 430-720 को पुनरीक्षित कर वेतनमान रु० 1200-2040 स्वीकृत किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के पदनाम, अर्हता के अभिनवीकरण तथा वेतनमान का प्रकरण वर्तमान में गठित वेतन समिति के विचारार्थ संदर्भित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उतरौला पम्प नहर के निर्माण कार्य पर सरयू खण्ड–2 बलरामपुर द्वारा धनराशि का व्यय न किया जाना

143–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला पम्प नहर के निर्माण पर 1 जनवरी, 1996 से 31 मई, 1998 के बीच में किस-किस कार्य के लिए कितनी धनराशि सरजू खण्ड–2 बलरामपुर द्वारा व्यय की गयी और किस-किस ठेकेदार को कितनी-कितनी धनराशि भुगतान की गयी है? क्या सरकार कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता व मानक की जांच टी०ए०सी० भेजकर करायेगी व दोषी अभियन्ताओं को दण्डित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अवधि में उतरौला पम्प नहर के निर्माण कार्य पर सरयू नहर खण्ड–2, बलरामपुर द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बहेटा में चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

144–डा० अम्मार रिजवी–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेहटा विधान सभा क्षेत्र, जिला सीतापुर में कुछ साल पहले एक चीनी मिल लगाने की स्वीकृति जारी की गयी थी? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या चीनी मिल का निर्माण हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। बेहटा रेउसा स्थल के लिए 2500 टी०सी०डी० क्षमता की मिल स्थापना हेतु 13-1-94 को आशय-पत्र स्वीकृत हुआ था।

उद्यमी द्वारा 15 एकड़ भूमि क्रय की जा चुकी है तथा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय करने हेतु जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा 154 (2) के अन्तर्गत मण्डलायुक्त लखनऊ से अनुमति अपेक्षित है।

चीनी मिल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ।

उद्यमी का चीनी मिल स्थापना की दिशा में सार्थक प्रयास न करना एवं उसमें पर्याप्त रुचि का अभाव होना।

जनपद जौनपुर के गन्ना विकास विभाग के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के एरियर के भुगतान की मांग

145—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में जौनपुर जनपद से गन्ना विकास विभाग से अवकाश प्राप्त सभी कर्मचारियों के एरियर के सभी भुगतान हो गये हैं? यदि हां, तो क्या अवकाश प्राप्त गन्ना विकास निरीक्षक, जौनपुर श्री उदय नारायन सिंह के 1995 के अवशेष का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी के अवशेष देयों का भुगतान करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के तीन बंधों पर किये गये अनुपयोगी कार्यों की जांच

146 श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ में तीन बन्धों, बनारपुर-असवनिया बन्धा, लक्ष्मीना बन्धा तथा पकड़ी-डुमाव बन्धा पर 27 लाख रुपये की मिट्टी डालकर धन का दुरुपयोग किया गया है जबकि इन क्षेत्रों में कभी बाढ़ नहीं आती? क्या सरकार उक्त तीनों बन्धों पर किये गये अनपयोगी कार्यों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में वृद्धावस्था तथा विकलांग को पेंशन वितरण का कार्य शिविर लगाकर किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

147—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 1997-98 में कितने वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशन स्वीकृत किये गये तथा उस पर कितना अतिरिक्त धन खर्च हुआ? उक्त तीन प्रकार के नवीन पेंशन प्राप्तकर्ताओं की संख्या 1997-98 में जनपद आजमगढ़ के लालगंज ब्लाक, तरवां ब्लाक तथा ठेकमा ब्लाक में कितनी है? क्या सरकार उक्त तीनों ब्लाकों में कैम्प लगाकर पेंशन स्वीकृत करेगी ताकि पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में अनियमितता को रोका जा सके। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 97-98 में जनपद आजमगढ़ में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना में 5318 व्यक्तियों को तथा विकलांग पेंशन योजना में 1870 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करते हुए उन पर क्रमशः 79.77 लाख एवं 22.44 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि व्यय की गयी।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन सम्मिलित रूप मे एक योजना है । अत: तदनुसार उक्त दो योजनाओं में वर्ष 97-98 में प्रश्नगत विकास खण्डों में नवीन पेंशन स्वीकृति प्राप्तकर्ताओं की संख्या निम्नवत है :–

विकास खण्ड का नाम	वृद्धावस्था/किसान पेंशन	विकलांग पेंशन
लालगंज	244	78
तरवां	16	56
ठेकमा	148	48

नवीन भौतिक लक्ष्य तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । शासन द्वारा किसान सेवा केन्द्रों पर कल्याण शिविरों के माध्यम से पेंशन वितरण तथा जिलाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों को अनियमितता रोकने तथा शिकायतों पर त्वरित जांच/कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी गन्ना समिति लि० जौनपुर मेंहरावां को प्रश्नगत अवधि में यूरिया व कीट नाशक दवाओं के छिड़काव हेतु दिया गया अनुदान

148—श्री बांके लाल सोनकर–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में गन्ना सहकारी समिति लि०, जौनपुर मेंहरावां को यूरिया व कीट नाशक दवाओं के छिड़काव हेतु अनुदान 1 मार्च, 1993 से 20 मई, 1998 के मध्य कितना दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि की सदोपयोगिता का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जिला सहकारी गन्ना समिति लि०, जौनपुर, मेंहरावां को प्रश्नगत अवधि में यूरिया व कीट नाशक दवाओं के छिड़काव हेतु रु० 77,000 (रु० सतहत्तर हजार मात्र) का अनुदान दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, जिला सहकारी गन्ना समिति लि०, जौनपुर, मेंहरावां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की सहकारी गन्ना समिति मेंहरावां में भूमिहीन कृषक को सदस्य न बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

149—श्री बांके लाल सोनकर–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में जिला गन्ना सहकारी समिति लि० जौनपुर मेंहरावां में ऐसे लोगों को सदस्य बनाया गया है जो भूमिहीन हैं तथा उन्हें गन्ना आपूर्ति की पर्चियां भी दी गयी हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सहकारी गन्ना समिति मेंहरावां जनपद जौनपुर में किसी भूमिहीन कृषक को समिति का सदस्य नहीं बनाया गया है अत: भूमिहीन कृषकों को गन्ना आपूर्ति की पर्ची दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग में अनुभाग वार की गयी लिपिकों की पद स्थापना

150—श्री अजय भट्ट—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-1128 के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुभागों में बढ़े हुए कार्यभार की समीक्षा करने के उपरान्त आवंटित पदों से अधिक लिपिकों की पदस्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो समीक्षक अधिकारी का नाम, पद व संस्तुति क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। कुछ अनुभागों में आकस्मिक रूप से बढ़े हुए कार्य को देखते हुए कार्यहित में आवंटित पदों से अधिक लिपिकों की पदस्थापना की गयी है।

कुछ अनुभागों में बढ़े हुए कार्य के निष्पादन हेतु अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त लिपिकों की पदस्थापना किये जाने की मांग सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त की गयी है। अतएव कोई व्यापक विशेष समीक्षक अधिकारी नहीं है।

जनपद गोण्डा में जिला विकास अधिकारी द्वारा नियमित नियुक्तियां किया जाना

151—श्री अजय भट्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में 1-1-96 से 31-12-97 तक जिला विकास अधिकारी द्वारा चपरासी, चौकीदार/जीप चालक के पद पर कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये तथा उसमें से कितने की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गयी ? क्या यह सही है कि तदर्थ आधार पर नियुक्ति शासन द्वारा पूर्णतया प्रतिबन्धित है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद गोण्डा में जिला विकास कार्यालय में दिनांक 1-1-96 से 31-12-97 तक 11 चपरासियों की नियमित नियुक्तियां की गई हैं। चौकीदार एवं जीप चालक के पदों पर किसी प्रकार की नियुक्तियां नहीं की गई हैं। नियुक्तियां तदर्थ आधार पर नहीं अपितु नियमित की गई हैं।

तदर्थ नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड को अवर अभियन्ता श्री सुरेश सिंह कुशवाहा द्वारा विभागीय स्टोर में किये गये गबन की जांच

152—श्री बाबू लाल कुशवाहा—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश सिंह कुशवाहा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड बांदा द्वारा विभागीय स्टोर में 4,20,348.00 रुपये का गबन किये जाने, शासकीय सेवा आचरण नियमावली का उल्लंघन किये जाने, उच्च अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव डलवाने, उच्च अधिकारियों तथा सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, सत्यनिष्ठा के विपरीत आचरण करने, शासकीय आदेशों की अवहेलना, दायित्वों के प्रति रुचिहीनता आदि के आरोप में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी और जांच में दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन्हें दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द—

जी हां। जांच की कार्यवाही प्रगति में है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर उसके आलोक में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश सिंह कुशवाहा अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा पूर्व विभाग का चार्ज न दिया जाना

153—श्री बाबू लाल कुशवाहा—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश सिंह कुशवाहा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा की विभाग में नियुक्ति इस शर्त के साथ की गयी थी कि वह अपने पूर्व विभाग विश्व बैंक गोदाम परियोजना के विभागीय स्टोर संबंधी समस्त चार्ज दिये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही इनको ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में योगदान कराया जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त अवर अभियन्ता द्वारा पूर्व विभाग के भण्डार का चार्ज दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इनकी योगदान आख्या कैसे स्वीकार की गयी तथा उक्त भण्डार का सामान कहां गया ? सामान न दिये जाने पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द—

जी हां।

संबंधित अवर अभियंता द्वारा चार्ज दिये जाने की सूचना नहीं दी गयी है।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार योगदान आख्या स्वीकार की गई तथा उक्त भण्डार की सामग्री की जानकारी विभाग को नहीं है।

सामान न दिये जाने पर कार्यवाही किये जाने का दायित्व परिसमापित विभाग का है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय में कार्यरत श्री पी० सी० पाण्डेय फार्मासिस्ट के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच

154—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर पर कितने चीफ फार्मासिस्ट तथा फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान समय में कितने फार्मासिस्ट जिला चिकित्सालय में सम्बद्ध हैं ? क्या इस प्रकरण पर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सिद्धार्थनगर का पत्र सं० सि०चि० /फार्मे/97-98/1216-19 दिनांक 24-12-97 महानिदेशक, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो किसके आदेश से वहां अतिरिक्त फार्मासिस्ट को सम्बद्ध किया गया ? क्या उनमें श्री पी०सी० पाण्डेय, [illegible] भी सम्बद्ध हैं, जिनके विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच प्रशासन द्वारा करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में दो चीफ फार्मेसिस्ट तथा तीन फार्मेसिस्ट के पद स्वीकृत हैं।

वर्तमात समय में कार्यहित में जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में 7 फार्मेसिस्ट सम्बद्ध हैं।

जी हां। छः फार्मेसिस्ट स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय एवं एक फार्मेसिस्ट मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गोरखपुर मण्डल के आदेश से वहां सम्बद्ध किये गये हैं।

जी हां।

श्री पी० सी० पाण्डेय के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सिद्धार्थनगर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के शिकायती पत्र पर डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

155—श्री जय प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सिद्धार्थनगर ने एक शिकायती पत्र संख्या सि०नि०/चि०अ०/97-98/662-66, दिनांक 15-4-98 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भेजा था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या पत्र में दिये गये बिन्दुओं पर जांच कराकर उपरोक्त डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत पत्र पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से आख्या/संस्तुति मांगी गई है।

156—श्री राम सिंह–

[दिनांक 21-2-98 को अता० प्र० सं०–145 द्वारा उत्तरित]

157—श्री राम नक्षत्र–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद सिद्धार्थ नगर के ब्लाक खेसरहा में सम्पर्क मार्ग का खड़न्जा एवं डामर लेपन कराने की मांग

158—श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सिद्धार्थनगर के खेसरहा ब्लाक से नासिरगंज जाने वाले पिच रोड पर ढोलागाड़ा बाग से चिउटहा गांव तक लगभग 1700 मीटर सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा एवं डामर लेपन नहीं है? क्या यह सही है कि उधर से आने वाली जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्पर्क मार्ग का खड़न्जा एवं डामर लेपन कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

जी हां।

जी हां, खड़न्जा से लेपन स्तर तक के कार्य का प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ डी०आर०डी०ए० की शासी निकाय की आगामी बैठक मे रखा जायेगा।

जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक खेसरहा के ग्राम सभा चिउटहा में पात्र व्यक्तियों हेतु इन्दिरा आवास बनाने का विचाराधीन प्रस्ताव

159—श्री श्रीराम पाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खेसरहा के ग्राम सभा चिउटहा की 70 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की है ? क्या यह सही है कि आज तक इस गांव सभा में एक भी अनुसूचित जाति आवास/इंदिरा आवास नहीं बनवाया गया है ? क्या सरकार इस ग्राम पंचायत के ग्राम मेहनुआ एवं चिउटहा में 10-10 अनुसूचित जाति/इंदिरा आवास बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खेसरहा के ग्राम सभा चिउटहा की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की आबादी 70 प्रतिशत नहीं है।

जी नहीं। इस गांव सभा में अब तक दो इन्दिरा आवास एवं आठ निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण कराया गया है।

ग्राम पंचायत से आवास हेतु नाम प्रस्तावित होने पर पात्र व्यक्तियों के लिये आवास निर्माण कराया जा सकता है।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खेसरहा के ग्राम सभा चिउटहा में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने की मांग

160—श्री श्रीराम पाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर विकास खण्ड खेसरहा के ग्राम सभा चिउटहा में 1998-99 में ग्राम मेंहनुआ एवं चिउटहा की पेय जल समस्या समाधान हेतु 10-10 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर विकास खण्ड खेसरहा के ग्राम सभा चिउटहा के ग्राम मेंहनुआ तथा चिउटहा को निर्धारित मानक के अनुसार पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खेसरहा में ग्राम सभा विशुनपुरवा के बौड़िहार तक के सम्पर्क मार्ग का कार्य कराने के सम्बन्ध में जानकारी

161—श्री श्रीराम पाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर विकास खण्ड खेसरहा में ग्राम सभा विशुनपुरवा के बौड़िहार ग्राम से ग्राम सभा चिउटहा तक के सम्पर्क मार्ग को कच्ची सड़क एवं खड़न्जा स्तर तक वर्ष 1998-99 में करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

विशुनपुरवा से बौड़िहार होते हुए फरीदाबाद तक खड़न्जा कार्य करा दिया गया है। फरीदाबाद से बौड़िहार होते हुए चिउटहा तक लगभग 3.00 कि०मी० मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ डी०आर०डी०ए० की शासी निकाय की आगामी बैठक में रखा जायेगा।

162--श्री समर पाल सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सरयू बैराज निर्माण खण्ड नानपारा बहराइच में कार्यरत सहायक अभियन्ता द्वारा पेड़ों के अवैध कटान की विभागीय जांच

163--श्री समर पाल सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सरयू बैराज निर्माण खण्ड, नानपारा, बहराइच में कार्यरत सहायक अभियन्ता द्वारा अवैध रूप से कराये गये कटान की प्राथमिकी अप्रैल, 1998 में दर्ज कराई गयी थी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां।

20 पेड़ यूकेलिप्टस की अवैध कटान की प्राथमिकी सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 9-4-98 को थाना--मोतीपुर में दर्ज कराई गयी थी।

प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है तथा किसी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के लिप्तायमान होने के सम्बन्ध में विभागीय जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में सुनिश्चित रोजगार योजना में आवंटित धनराशि के गबन की जांच

164--श्री श्रीराम पाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में सुनिश्चित रोजगार योजना की धनराशि लोक निर्माण विभाग, उरई, जालौन की इकाई प्रथम व तृतीय की कच्ची सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1997-98 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त इकाइयों द्वारा कच्ची सड़कों का निर्माण नियमानुसार मजदूरों से न कराकर ट्रैक्टरों से कराया गया तथा फर्जी मानव दिवस सृजित करके सरकारी धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराकर धन की वसूली उपरोक्त निर्माण इकाइयों से की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

165—श्री श्रीराम पाल—

[7वें मंगलवार में अता०प्र०सं०-86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम जौहरपुर में रपटा पुल बनाने में की गयी अनियमितताओं की जांच

166—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1997-98 में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, बांदा को सुनिश्चित रोजगार योजना से विकास खण्ड तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम जौहरपुर मार्ग में उसरा नाले पर रपटा निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी थी ? क्या निर्माण कार्य में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग कर अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति से इसकी वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद बांदा में वर्ष 1997-98 में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को सुनिश्चित रोजगार योजना से विकास खण्ड तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम जौहरपुर मार्ग में उसरा नाले पर रपटा निर्माण हेतु कुल रु० 5.98 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी।

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है फिर भी मामले की जांच हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय टेक्निकल आडिट कमेटी को संदर्भित कर दिया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा पचुल्ला सम्पर्क मार्ग में नहर के पास पुलिया निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच

167—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना से लोक निर्माण विभाग (प्र०ख०) बांदा को पचुल्ला सम्पर्क मार्ग में नहर के पास पुलिया निर्माण हेतु रु० 60,000/- की धनराशि प्रदान की गयी थी ? क्या निर्माण कार्य में निम्न स्तर की सामग्री के प्रयोग व अनियमितताओं संबंधी जनता व जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर जांच का कार्य मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को सौंपा गया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शीघ्र जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

जी हां।

मुख्य विकास अधिकारी बांदा के पत्र दिनांक 4-4-98 द्वारा मामले की जांच की गयी जांच में पुलिया का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अतः गहन तकनीकी जांच हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय टेक्निकल आडिट कमेटी को संदर्भित कर दिया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के अन्तर्गत बेन्दा में रपटा निर्माण हेतु की गई धनराशि के दुरुपयोग की जांच

168—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत ग्राम बेन्दा में रपटा निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग (प्रा० खंड) बांदा को सुनिश्चित रोजगार योजना में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी ? क्या रपटा निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त की तकनीकी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद बांदा में वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत ग्राम बेन्दा में रपटा निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग (प्रा० खण्ड) बांदा को सुनिश्चित रोजगार योजना में कुल रु० 2.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी ।

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है फिर भी मामले की जांच हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय टेक्निकल आडिट कमेटी को संदर्भित कर दिया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पैलानी को जवाहर रोजगार योजना में दी गई धनराशि के दुरुपयोग की जांच

169—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत ग्राम पंचायत पैलानी को वर्ष 1996-97 व 1997-98 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गयी थी ? प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या निर्माण कार्य न कराकर फर्जी बिल बाउचर लगाकर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद बांदा के विकास खंड तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पैलानी के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में रु० 56,808.00 एवं 97-98 में रु० 68,615.00 की धनराशि ग्राम पैलानी को उपलब्ध कराई गयी थी । प्राप्त धनराशि में से रु० 1,06,984.00 की धनराशि व्यय की गयी है ।

वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 97-98 में अवमुक्त धनराशि के विपरीत रु० 1,06,984.00 कार्य पूर्ति के अनुसार व्यय कर खड़न्जा 400 मीटर एवं नाली 60 मीटर का कार्य कराया गया है । मामले की जांच हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय टेक्निकल आडिट कमेटी संदर्भित कर दिया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार शीघ्रातिशीघ्र यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों को लाभदायी योजना का लाभ न दिया जाना

170—श्री रामजग—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित स्कूलों पर लागू लाभदायी योजना (पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड) की भांति समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों के लिये उक्त योजना लागू करने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? क्या इस संबंध में शासन में कोई मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त अध्यापकों के लिये उक्त योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी'—

प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में शिक्षा विभाग में लाभत्रयी योजना लागू नहीं है । अतः इस हेतु किसी कार्य योजना का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान योजना में न होने के कारण प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून की श्रीमती कुसुम लता कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ लिपिक कार्यालय अधि० अभि० श्रीनगर निर्माण खण्ड—2 के आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी देने की मांग

171—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कुसुम लता कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, श्रीनगर निर्माण खण्ड—2, देहरादून के आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दिलाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं०—अ—295105, दिनांक 21 मई, 1998 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इंगित पत्र, दिनांक 25-6-98 को उत्तरांचल विकास विभाग से सिंचाई विभाग में प्राप्त हुआ है, जिस पर प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रमुख अभियन्ता को निदेशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली स्थित शुभम् स्नेक्स फैक्ट्री द्वारा निर्मित सोयास्नेक्स खाने से शाहजहांपुर में हुई बच्चों की मृत्यु

172—श्री गोपाल कृष्ण—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली स्थित औद्योगिक क्षेत्र 49 परसाखेड़ा में स्थित शुभम् स्नेक्स के बनाये सोयास्नेक्स खाकर गत वर्ष 3 बच्चों की मृत्यु शाहजहांपुर जनपद में हुई थी ? क्या गत माह इसी फैक्ट्री के बनाये सोयास्नेक्स का स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैम्पिल भी फेल हो चुका है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

3 बच्चों की नहीं, वरन् 2 बच्चों की मृत्यु हुई थी ।

एकत्रित दो नमूने जांच करने पर अधीमानक पाये गये हैं।

वाद सक्षम न्यायालय में दायर किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण का विचाराधीन प्रस्ताव

173—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नेपाल सीमा से लगे विधान सभा क्षेत्र, 9 पिथौरागढ़ में पंचेश्वर नाम से बांध बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके आरम्भिक कार्य पर कितना धन खर्च किया जा चुका है ? उक्त निर्माण कब से आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

भारत एवं नेपाल सरकार के मध्य "महाकाली" नदी के सम्पूर्ण विकास, जिसमें शारदा बैराज, टनकपुर बैराज तथा पंचेश्वर परियोजना सम्मिलित हैं, के नाम से एक समझौता हो चुका है। जिला पिथौरागढ़ में महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना के रुप में यह परियोजना विचाराधीन है। समझौते के अन्तर्गत परियोजना के स्वरुप पर एक संयुक्त रिपोर्ट बनायी जानी है तथा परियोजना का स्वरुप तैयार कराये जाने में उत्तर प्रदेश की सक्रिय भागीदारी है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं बनायी जा रही है। इस परियोजना पर सभी कार्य भारत सरकार द्वारा कराये जा रहे हैं। अतः इसके आरम्भिक कार्यों पर हुये व्यय का विभाग में ब्योरा उपलब्ध नहीं है। निर्माण के सम्बन्ध में भी सूचना भारत सरकार से प्राप्त की जा सकती है।

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में पाठा पेयजल योजना की विस्तृत जांच एवं विस्तार करने की मांग

174—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-9-97 प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में पाठा पेयजल योजना की विस्तृत जांच कब की गई ? जांच के क्या निष्कर्ष निकले ? क्या पाठा पेयजल योजना का पुनर्रुद्धार व विस्तार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

पाठा पेयजल योजना की विस्तृत जांच वर्ष 1979-80 में कराई गयी थी।

जांच समिति ने प्रशासनिक एवं तकनीकी दृष्टि से कई संस्तुतियां की हैं। पाठा पेयजल योजना के पुनर्रुद्धार व विस्तार का कोई प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किसान सेवा केन्द्रों को पुनर्जीवित किया जाना

175—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किसान सेवा केन्द्रों को पुनर्जीवित किया गया है परन्तु कर्मचारियों के उपस्थित न होने के कारण किसान एवं जनता उक्त केन्द्रों से लाभान्वित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन केन्द्रों के सुधार हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

किसान सेवा केन्द्रों को शासनादेश 23-9-1997 द्वारा पुनर्जीवित किया गया है तथा प्रदेश की जनता किसान सेवा केन्द्रों से पूर्ण लाभान्वित हो रही है। यदि किसी किसान सेवा केन्द्र में कर्मचारियों के उपस्थित न होने की सूचना मिलेगी तो इस संबंध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

176—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995-96/1996-97 में विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अंतर्गत जिला पंचायत गोण्डा द्वारा गोण्डा मार्ग से कुरकुट पुरवा तक तथा आसाम रोड से चिच्यूढ़ी संहागिया सम्पर्क मार्ग का कार्य कराया गया है और प्राक्कलन के अनुसार स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करके क्या कार्य पूर्ण करा लिया गया है? इन दोनों मार्गों पर लागत कितनी आई है? क्या कार्य अधूरा है और मानक के अनुसार नहीं कराया गया है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा अपूर्ण कार्य को पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रथम सम्पर्क मार्ग कुरकुट पुरवा पर जिला पंचायत गोण्डा द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 में मिट्टी खड़न्जा तथा पुलिया का निर्माण कार्य कराया गया है। जिसका प्राक्कलन मु० 6.49 लाख रु० जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा द्वारा स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष वर्ष 1996-97 तक केवल रुपये 4.97 लाख प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष 2.00 कि०मी० मिट्टी का कार्य,1340 मी० खड़न्जा तथा 4 अदद ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। शेष मु० 1.52 लाख रु० प्राप्त होने के बाद निर्धारित शिड्यूल दर पर ईंट उपलब्ध न होने के कारण अवशेष कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

द्वितीय सम्पर्क मार्ग चिच्यूढ़ी संहागिया पर जिला पंचायत गोण्डा द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 में मिट्टी का कार्य कराया गया है। उक्त मार्ग पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा द्वारा रु० 2.56 लाख प्राक्कलन के आधार पर स्वीकृत किया गया, जिसके सापेक्ष जिला पंचायत, गोण्डा को मु० 1.25 लाख रु० अवमुक्त किये गये, जिसके सापेक्ष 1410 मी० मिट्टी का कार्य कराते हुए रु० 1,24,938.00 व्यय किया गया है।

द्वितीय किश्त अभी अवमुक्त न होने के कारण पुलिया का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

इन दोनों मार्गों पर स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार निम्न प्रकार लागत आयी है:–

प्रथम सम्पर्क मार्ग	रु० 6.49 लाख
द्वितीय सम्पर्क मार्ग	रु० 2.56 लाख
योग	रु० 9.05 लाख

कुल 9.05 लाख रु० लागत आयी है।

कार्य अधूरा है, इस संबंध में उपर्युक्त अंशों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। किन्तु कराया गया कार्य मानक के अनुसार ही है।

जी हां, इसकी जांच एक माह में करा ली जायेगी तथा अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड बहुआ में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शाह व अयाह को अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण

177—श्री अयोध्या प्रसाद पाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड बहुआ में ग्राम पंचायत शाह व अयाह को वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कुल कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई थी ? उक्त वर्षों में प्राप्त धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की तकनीकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड बहुआ में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शाह व अयाह को वर्ष 96-97 व 97-98 में निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है :—

क्र०सं०	ग्राम पंचायत	वर्ष 96-97	वर्ष 97-98	योग
1—	शाह	2,53,326.00	2,08,038	461364/—
2—	अयाह	1,04,491.00	79,950	184441/—

उक्त धनराशि से ग्राम पंचायत शाह द्वारा वर्ष 96-97 में सम्पर्क निर्माण एवं स्कूल निर्माण से संबंधित नौ कार्य कराये गये जिसमें रु० 2,10,682 की धनराशि तथा वर्ष 1997-98 में 17 कार्य रु० 2,49,323.00 धनराशि तथा ग्राम पंचायत अयाह द्वारा वर्ष 96-97 में 12 कार्य सम्पर्क मार्ग तथा अन्य संबंधित कार्य रु० 75,041.00 की धनराशि एवं वर्ष 97-98 में 7 कार्य कराकर रु० 1,08,000.00 की धनराशि के कार्य कराये गये हैं।

ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन दुरुपयोग किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी एवं सीतापुर में कतिपय बाल विकास परियोजना अधिकारियों के स्थानान्तरण का प्रकरण

178—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी एवं सीतापुर में कतिपय बाल विकास परियोजना अधिकारी 7 वर्षों से अधिक की अवधि से एक ही जनपद/परियोजना में तैनात हैं, जिसके कारण इन परियोजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या ऐसी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को तत्काल स्थानान्तरित करते हुए इनके कृत कार्यों की समीक्षा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार—

जी नहीं, लखनऊ, उन्नाव तथा बाराबंकी में कोई भी बाल विकास परियोजना अधिकारी 7 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही जनपद या परियोजना में तैनात नहीं है, केवल बाल विकास परियोजना

अधिकारी, सिघौली 7 वर्ष से अधिक समय से थी जिन्हें कार्यमुक्त करने हेतु 30 मई, 98 को आदेश दे दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० के समस्त जनपदों के सभी विकास खण्डों में सृजित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत पद धारकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने की मांग

179—श्री पूर्णमासी पंकज—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० के समस्त जनपदों के सभी विकास खण्डों में कनिष्ठ लेखा लिपिक (एन० आर० ई० पी०/ज० रो० यो०) के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या इनको वेतन एवं अन्य भत्तों का आवंटन जनपदों के डी० आर० डी० ए० से ही किया जाता है परन्तु प्रशासनिक नियंत्रण डी० आर० डी० ए० का नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा शासन द्वारा प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या इन कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने तथा डी० आर० डी० ए० के प्रशासनिक नियंत्रण एवं उसमें संविलियन करने का आदेश निर्गत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के संचालन हेतु वर्ष 1985 में शासनादेश दिनांक 18 मई, 1985 द्वारा प्रदेश के 887 विकास खण्डों में कनिष्ठ लेखा लिपिक के 887 अस्थाई पद सृजित किये गये हैं।

जी हां।

राष्ट्रीय रोजगार योजनाओं के संचालन हेतु कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद विकास खण्डों में सृजित किये गये हैं।

विकास खण्ड जिला विकास अधिकारी के नियंत्रणाधीन हैं।

विकास खण्डों में सृजित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत पद धारकों को राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाने का निर्णय वित्त/कार्मिक विभाग के परामर्शानुसार लिया जाएगा।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही

180—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने विषयक प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के परिपत्रांक : जी—745/पू० न० एवं बाढ़ अनु०/विविध—59 दिनांक 12-9-83 के अनुपालन में अब तक विभाग में किन-किन प्रकरणों पर कार्यवाहियां सम्पन्न की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही निम्नलिखित प्रकरणों पर सम्पन्न की गयी हैं :—

अधिकारियों से सम्बन्धित प्रकरण	...	...	30 नं०
कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रकरण	...	...	46 नं०

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक/शारदा) संगठन में सरकारी सम्पत्तियों पर किये गये अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में जानकारी

181—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक/शारदा) संगठन में सरकारी सम्पत्तियों पर किये गये अवैध कब्जों को हटाने हेतु शासनादेश संख्या 3336/सख/97-27-सि०-3, दिनांक 12-12-97 के अनुसरण में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा उसके अद्यावधिक परिणाम क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 12-12-97 के अनुपालन में जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग की सहायता से अनाधिकृत रूप से काबिज भूमि का सर्वे कराने हेतु संयुक्त सर्वे टीम गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।

गोमती नदी (लखनऊ) के हार्डिंग्जब्रिज के ऊपर बायें बंधे के रख-रखाव में धनराशि का व्यय न किया जाना

182—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी (लखनऊ) के हार्डिंग्जब्रिज के ऊपर बायें बंधे के रख-रखाव के कार्यों में वित्तीय वर्ष 1988-89 से 1991-92 के माह अक्टूबर, 1991 तक कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि व्यय की गयी धनराशि, वार्षिक मरम्मत मद के अन्तर्गत आबंटित धनराशि के अनुसार एवं बाढ़ सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार है ? यदि हां, तो वर्षवार वार्षिक मरम्मत मद का आवंटन तथा प्रति किलोमीटर व्यय हेतु मानदण्ड की धनराशि क्या थी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्नगत अवधि में गोमती नदी (लखनऊ) के हार्डिंग्जब्रिज के ऊपर बायें बन्धे के रख-रखाव के कार्य पर कोई धनराशि व्यय नहीं हुई है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

विभागाध्यक्ष कार्यालय सिंचाई विभाग में अवैध रूप से मकान किराया भत्ता आहरित करने वाले लोक सेवकों के सम्बन्ध में जानकारी

183—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री विभागाध्यक्ष, कार्यालय सिंचाई विभाग में अवैध रूप से मकान किराया भत्ता आहरित करने वाले लोक सेवकों के सम्बन्ध में पत्रांक 935/का प्रअनु-1 दिनांक 28-4-1986 द्वारा प्राप्त की गयी सूचना एवं इसी प्रकरण में अद्यावधिक सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? अब तक कुल कितने शासकीय राजस्व की हानि हो चुकी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

184—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों की कुल कितनी भूमि ड्रेनों एवं नहरों के निर्माणार्थ दिनांक 1-1-74 से 31-12-90 के मध्य ली गयी ? विभाग द्वारा कृषकों की भूमि अधिग्रहण के गजट नोटिफिकेशन का नम्बर तथा दिनांक क्या है ? विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा अब तक संबंधित कृषकों को न वितरित करने के क्या कारण हैं ? क्या उपरोक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों को दण्डित कर अवगत कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य अभियन्ता (शारदा) संगठन के अन्तर्गत विभागीय भूमि विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को दिये जाने की जांच

185—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (शारदा) संगठनान्तर्गत कितनी भूमि गोपन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3-1-3-74-सी०ए०-दस-(1), दिनांक 20-11-1985 का उल्लंघन करते हुए विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को दी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मुख्य अभियन्ता (शारदा) संगठन के अन्तर्गत कोई भी विभागीय भूमि गोपन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:3-1-3-74-सी०ए०-दस(1), दिनांक 20-11-1985 का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति/संस्था को नहीं दी गयी है ।

लखनऊ खण्ड शारदा नहर तथा मुख्य अभियन्ता (शारदा) के संगठन में प्रयोगरत जीपों में ईंधन के खपत का औसत

186—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर तथा मुख्य अभियन्ता (शारदा) के संगठन में वर्तमान में प्रयोगरत जीपों में ईंधन खपत पर नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या 1373-टी/तीस-4-18 के०एम०/75, दिनांक 24-4-78 के अनुरूप प्रत्येक वाहन का औसत प्रति लीटर डीजल (अथवा पेट्रोल) वर्ष 1997 में सुनिश्चित किया गया ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन

187—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैक्स संस्था द्वारा जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-4-1997 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित मा० विधायक का पत्र दिनांक 24-4-1997 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में की गयी शिकायत के अनुसार फैक्सफेड संस्था मथुरा द्वारा गोवर्धन क्षेत्र मे किये गये कार्यों की तकनीकी जांच करायी गयी। जांच आख्या में कराये गये कार्य मानक के अनुसार न पाये जाने तथा प्रस्तुत प्राक्कलनों के सापेक्ष रुपया 2,52,077.00 का कार्य कम पाये जाने के कारण अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-4 (फैक्सफेड) आगरा को नोटिस जारी करके वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जालली विकास खण्ड के सृजन का प्रस्ताव स्थगित रखा जाना

188—श्री अजय भट्ट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 में पूर्व मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत "जालली विकास खण्ड" के सृजन किये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो विकास खण्ड का सृजन अब तक न किये जाने का क्या कारण है? विकास खण्ड का सृजन कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हाँ।

प्रदेश के अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों तथा भारत सरकार द्वारा इस हेतु अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिये जाने के कारण इस समय नये विकास खण्डों के सृजन के प्रस्ताव को स्थगित रखा गया है।

राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रशासनिक अधिकारियों का आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

189—श्री मुरलीधर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय मेडिकल कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा संस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारियों का आरक्षण कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रो० शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं।

वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारियों के आरक्षित पदों में से एक पद रिक्त है जिस पर प्रोन्नति हेतु पात्र वरिष्ठ सहायक उपलब्ध होने पर आरक्षण कोटा पूर्ण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र अन्तर्गत बनकटवां के सामने पुल निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

190—श्री अम्बिका चौधरी–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र अन्तर्गत बनकटवां के सामने बसनही नाले पर लगभग 18 लाख रुपये धन से पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है? क्या यह सही है कि उक्त पुल लोक निर्माण विभाग या सेतु निगम से न बनवा कर आर० ई० एस० इकाई में भेजकर बिना निविदा आमंत्रित किये जिला परिषद् से बनवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार टेण्डर से उक्त महत्वपूर्ण पुल बनवाने का निर्देश आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल को देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द–

उक्त निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को आवंटित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा घोषित खाद्य निरीक्षक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया

191—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा घोषित खाद्य निरीक्षक पद हेतु घोषित परिणाम दिनांक 22-8-98 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

खाद्य निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु घोषित चयन परिणाम दिनांक 22-8-98 का न होकर दिनांक 22-8-97 का है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ अभी नहीं की गयी हैं।

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

192—श्री अजय कुमार पोइया–

[6वें बुधवार के लिये स्थगित]

जनपद मऊ के प्रा० स्वा० केन्द्र दोहरीघाट में कार्यरत प्रसाविका के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जाँच

193—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के प्रा० स्वा० केन्द्र दोहरीघाट पर विगत कई वर्षों से कार्यरत प्रसाविका के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से भेजे गये जनप्रतिनिधियों/अन्य स्रोतों से शिकायती-पत्र दिनांक 13 जून, 97, 23 जून व 22 सितम्बर, 97, 30 मार्च, 98 शासन को प्राप्त हुए हैं? क्या ये सभी शिकायती-पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ के यहां जांच हेतु लम्बित है? यदि हां, तो जांच प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब कर आरोपी महिला कर्मचारी को बचाने हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दोहरीघाट पर विगत वर्षों से कार्यरत प्रसाविका के विरुद्ध श्रीमती पद्मावती राय ज्येष्ठ प्रमुख श्री विजय कुमार यादव प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 13-6-97 एवं श्री फागू चौहान सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 23-6-97 प्राप्त हुआ।

उक्त शिकायती पत्रों में से श्रीमती पद्मावती राय के शिकायती-पत्र की जांच आख्या प्राप्त हुई है जिसमें शिकायती-पत्र निराधार पाया गया अन्य शिकायती-पत्रों की जांच आख्या लम्बित है।

यदि जांच प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब सिद्ध पाया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया। 12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

प्रदेश के पूर्वांचल में आयी बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। वहाँ रेड-एलर्ट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है। नियम 311 में हमने सूचना दी है। मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोककर बाढ़ की विभीषिका पर चर्चा करायें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

चार दिन से चर्चा निरन्तर स्थगित हो रही है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के 18 जनपद बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हैं। 11-12 बन्धे टूट गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कल बाढ़ के ऊपर चर्चा लगी थी। किसी कारण से व्यवधान हुआ और चर्चा स्थगित हो गई। मैंने अभी सचिव को निर्देश दे दिया है। कल बाढ़ की चर्चा सूची पर आ जायेगी।

श्री अवधेश प्रसाद–

1 लाख लोग बेघर हो गये हैं। 311 में चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष–

कल की कार्यसूची पर यह विषय आयेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, 311 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के खिलाफ जांच कराने के बारे में सूचना दी है। 20 जुलाई को इसी सदन में भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाये गये थे और चर्चा हुई थी। इस भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ सी० बी० आई० से जांच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

आज आपकी सूचना आई थी। वह आज शलाका में नहीं आ पाई। कल आप फिर सूचना दें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, बाढ़ पर चर्चा कराइये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सदन का कार्य चलने दीजिये।

(श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम नक्षत्र तथा डा० धर्मज्ञ मिश्र आदि कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये)

।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है, चर्चा कराइये।

श्री राम नक्षत्र–

तमाम घर गिरने से बहुत से लोग मर गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

सदन चलने दीजिये।आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(फ्लोर में आये हुए माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर जाकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बाढ़ की चर्चा जारी थी, संसदीय कार्यमंत्री जी ने आपकी कार्यमंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित एजेण्डे को संख्या बल पर प्रस्ताव पारित कराकर उसको स्थगित करा दिया।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्यमंत्री जी के प्रस्ताव के पश्चात् मेरे आदेश से कार्यसूची पर यह चर्चा लायी गयी और कल चर्चा निर्धारित थी। लेकिन व्यवधान के कारण चर्चा स्थगित कर दी गयी। मैंने सचिव को निर्देश दे दिये हैं, और कल वह चर्चा कार्यसूची में आयेगी।

* संसदीय मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

चर्चा स्थगित कराने में इन लोगों ने प्रमुख भूमिका अदा की, यह कहना कि सरकार बाढ़ पर चर्चा नहीं कराना चाहती है, सरासर मिथ्या है। जब विकास प्राधिकरण पर चर्चा हो रही थी और भू-माफियाओं के नाम आने लगे तो ये लोग वेल में आ गये और व्यवधान उत्पन्न किया गया जिससे चर्चा स्थगित हुई।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, पूरा पूर्वांचल तबाह हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोई राहत नहीं पहुँचायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवधेश प्रसाद जी, आप स्थान ग्रहण करें। आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए मैंने कल में ही यह निर्देश कर दिया था कि कल की कार्यसूची में बाढ़ की चर्चा को सम्मिलित कर लिया जाय। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव लाने के बाद मैंने 21-7-98 की तिथि चर्चा के लिए निर्धारित की थी लेकिन कल किसी कारण से सदन में व्यवधान हो गया और वह चर्चा स्थगित कर दी गयी, अगर वह जारी रखी जाती तो आज वह हो जाती। मैंने स्वयं ही आप लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए कल बाढ़ पर चर्चा निर्धारित कर दी है, उस पर आप लोगों के बहुमूल्य सुझाव आयेंगे, सरकार उसको सुनेगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज की कार्यवाही चलने दी जाये।

श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वांचल डूब रहा है। मैं नियम-311 के अन्तर्गत सूचना दे रहा हूँ। नियमों को निलम्बित करके अभी चर्चा करायी जाये।

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष विधान सभा के निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यगण, जैसा आपको विदित है .....

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैंने एक प्रस्ताव आपको भेजा है। उसे मैं रख रहा हूँ। उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु आज दिनांक 22 जुलाई, 1998 को तिथि नियत है तद्नुसार निर्वाचन हेतु नाम भी प्राप्त हो गये हैं, चूँकि उपाध्यक्ष का निर्वाचन विभिन्न दलों की आम सहमति से होता रहा है किन्तु कई नाम आ गये हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 22 जुलाई, 1998 को होने वाला चुनाव निरस्त किया जाये।

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर सदन का विचार जानने के पहले मेरे विचार जान लें।

*** कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–**

अध्यक्ष जी, आज मुझे संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे बड़ा क्षोभ हुआ है। इस सदन की मान्य परम्परा रही है कि सर्वसम्मति से विपक्ष एक होकर और सम्भवतः यह पहली बार हुआ है कि सर्वसम्मति से विपक्ष एक होकर एक नाम को विपक्ष ने दिया है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने अभी प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने यह नहीं कहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से चाहूँगा कि मान्य परम्परा है कि विपक्ष जिस नाम को तय करता है, उस नाम को सत्ता पक्ष मान लेता है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उस प्रस्ताव का उल्लंघन करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक 24 तारीख तक उपवेशन उठे, उपाध्यक्ष का चुनाव करवा लें। जो विपक्ष ने प्रस्ताव रखा है उसको मानने की घोषणा की जाए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं पहले भी इस सदन में निवेदन कर चुका हूँ कि सर्वसम्मति से, आम सहमति से उपाध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न होना चाहिए। मैं आशा यह करता था कि जब विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्य किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, उस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष को विश्वास में लेते। अगर हमें विश्वास में लेने का प्रयास किया होता तो इस प्रस्ताव को लाने की नौबत नहीं आती। अपने आप एक प्रस्ताव कर दिया, नाम निर्देशन कर दिया। क्या नेता प्रतिपक्ष ने या किसी सम्मानित नेता ने कभी यह प्रयास किया कि इस पक्ष में बैठने वाले सदस्यों को भी विश्वास में ले लिया जाय। यदि सदन दोनों पक्षों से मिलकर बना है। सर्वसम्मति से मतलब होता है, पूरे सदन को विश्वास में लेना लेकिन इस बात का प्रयास नहीं किया गया। मैंने पहले भी आग्रह किया था कि हमसे भी विचार कर लें। विचार करने के उपरान्त किसी नाम को तय कर लें। अगर यह कार्य आपने किया होता तो इस प्रस्ताव को हम न लाते। सत्तापक्ष में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकार है। हमें सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार का आपने फ्लोर मैनेजमेंट किया, मैं उस फ्लोर मैनेजमेंट में विश्वास नही करता। मैं सारे सदन को विश्वास में लेने का काम करता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पूर्व प्रयास करके एक काउन्सिलिंग बना ली जाय, जैसे ही यह हो जायेगा हम आपको सूचित करेंगे।

(श्रीमती सीमा द्विवेदी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रमोद कुमार को बोलने के लिए कहा है। सीमा जी आप बैठ जायें।

* श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत दुख और कष्ट इस बात का हो रहा है कि इस सदन की गरिमा रही है। यहाँ जो कुछ कहा जाता है, उसको पूरा किया जाता है। विशेष रूप से आपकी उपस्थिति मे। अगर सदन में कोई बात कही जाती है तो वह कार्यवाही का अंश बन जाती है। उसका पालन करना हर सरकार का धर्म है। लोकतंत्र में इतना तो विश्वास किया जाता है कि अगर सरकार कुछ कहेगी तो उसको पूरा करेगी। मुझे एक-एक शब्द याद है, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि जिस दिन सम्पूर्ण विपक्ष एक नाम पर आ जायेगा उस दिन उपाध्यक्ष का चुनाव हो जायेगा। हम उसे उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मैं चुनौती देता हूँ। आप कार्यवाही देख लें। उसे सदन के पटल पर रख दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बैठा नहीं था क्योंकि आपने मुझे अनुमति दी थी। बीच मे माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बोलने लगे। आप बहुत सी चीजें कार्यवाही से निकाल देते हैं, पता नहीं इसे रखते हैं या नहीं रखते हैं। आप उस दिन की कार्यवाही देख लें और उसे पढ़ लें। उसमें उन्होंने कहा था कि सम्पूर्ण विपक्ष एक हो गया हो तो हम उपाध्यक्ष का चुनाव करवा लेते हैं। शायद पहले सत्ता पक्ष को यह उम्मीद नहीं थी कि सम्पूर्ण विपक्ष एक हो जायेगा। सम्पूर्ण विपक्ष ने अबकी बार एकता प्रदर्शित करके यह साबित कर दिया कि विपक्ष को बाँटने की मंशा पूरी नहीं होगी। सरकार ने अपनी कथनी और करनी को दिखा दिया। सरकार का यह आचरण निन्दनीय है, लोकतंत्र की मान्य परम्पराओं के विरुद्ध है और लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। मान्यवर, यह सदन आयेगा और जायेगा परन्तु लोकतंत्र रहेगा। आज हो सकता है संख्या बल के आधार पर आप उपाध्यक्ष के पद के चुनाव को स्थगित करवा लें परन्तु आने वाला इतिहास बतायेगा कि कल्याण सिंह की सरकार लोकतंत्र की मुजरिम है। इसलिये मान्यवर, आज उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। आज सम्पूर्ण विपक्ष ने जो एकता दिखायी, इसके लिए मैं सम्पूर्ण विपक्ष को बधाई देता हूँ और साथ ही यह बात जोर देकर कहता हूँ कि सरकार अपना प्रस्ताव वापस ले ले।

श्री अध्यक्ष–

आप तो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। एक-दो बार तो उपाध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ और विधान सभा का कार्यकाल ही समाप्त हो गया।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

मान्यवर, मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक महिला के नाम का प्रस्ताव किया है। आज राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है। इसलिये मैं सभी लोगों से तथा विपक्ष के भाइयों से भी अनुरोध करूँगी कि वह एक महिला मंजू को अपना सहयोग दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, सबसे पहले मैं सम्पूर्ण विपक्ष को बधाई देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी पार्टी से श्री रेवती रमण सिंह जी ने अपनी बात कह दी है।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, महिला और पुरुष की बात की जा रही है। विपक्ष की तरफ से श्री गौरीशंकर जी का नाम सर्वसम्मति से आया है। इसलिये आपसे विशेष आग्रह है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस पर इसी समय चुनाव होना चाहिए और संसदीय लोकतंत्र का हनन नहीं होना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बाबू राम जी यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। कुंवर रेवती रमण जी ने सब बात कह दी है। आप कृपया बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सत्ता पक्ष की ओर से यह एक आम राय बनी थी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री के कथनानुसार कि यदि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर किसी एक नाम पर एक मत होती हैं तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के इस प्रतिवेदन को देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियों ने इस महत्वपूर्ण विधान सभा उपाध्यक्ष के पद हेतु जो पिछले कई सालों से खाली पड़ा था और मान्यवर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस पद के खाली पड़ा होने के कारण विधायी कार्य प्रभावित हो रहे थे। तमाम ऐसी समितियाँ हैं जिसमें उपाध्यक्ष प्रमुख होता है। सभी कार्य प्रभावित हो रहे थे। उसको मद्देनजर रखते हुए सभी विपक्षी पार्टियों ने सत्ता पक्ष के प्रस्ताव को देखते हुए अपनी एक राय जाहिर करने का काम किया और मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी माननीय सदस्या सीमा द्विवेदी ने कहा महिला के बारे में। मान्यवर, हम लोग इसका भी स्वागत करते अगर वह प्रतिपक्ष की ओर से नाम गया होता क्योंकि आज तक इस विधान सभा के इतिहास में लोकतंत्र की परम्पराओं के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष को जाता रहा है। हमने इसलिये महिलाओं से भी जो ज्यादा उपेक्षित .....

(व्यवधान)

---

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, दलित जो सबसे उपेक्षित हैं और जो आज सरकार की चाहत है कि जो सबसे दबे कुचले, पीड़ित इस समाज के लोग हैं, उनका बराबरी दी जानी चाहिए। उसी परिपेक्ष्य में मैं और मेरी पार्टी एक अनुसूचित जाति के साथी श्री गौरी शंकर जो विद्वान भी हैं और आज से नहीं कई बार से इस सदन के सदस्य रहे हैं। प्रस्तावित किया है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार जो दलितों के हित की बात करती है, वह झूठ है। यह दलितों, पीड़ितों का विरोध करती है।

(घोर व्यवधान)

सरकार की दलित विरोधी नीति आज उजागर हो गयी है। यह उपाध्यक्ष पद का विरोध नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र की हत्या है। यह दलित विरोधी आचरण है और मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष ने किसी सवर्ण का नाम प्रस्तावित किया होता तो यह उसे स्वीकार करते। मैं इनकी इस कृत्य की निन्दा करता हूँ और इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद तिवारी जी ने कार्यवाही का उल्लेख किया था। मैं उस कार्यवाही को आपके सामने पढ़ देता हूँ। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने उस दिन अपने विचार व्यक्त किये थे उपाध्यक्ष के सन्दर्भ में, वह यह हैं।

"मान्यवर, जहाँ तक उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न है, सत्ता पक्ष उसमें आड़े आने वाला नहीं है। . . . . . .विरोध पक्ष समन्वय करके किसी एक नाम पर सहमत हो जाये सत्तापक्ष उस पर विचार करेगा क्योंकि परम्परा यही रही कि उपाध्यक्ष का पद विरोध पक्ष को जाना चाहिए, सत्तापक्ष के परामर्श से। अब तक विपक्ष से कोई नाम नहीं सुझाया गया है। आप आपस में विचार-विमर्श कर लें और नाम बता दें, प्रयास यह होगा कि सर्वसम्मति से उसका निर्वाचन हो जाय।" संसदीय कार्यमंत्री जी ने यह कहा है, विचार कर लेंगे, जो व्यवहारिक कठिनाई होगी वह बता देंगे।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि 22 जुलाई, 1998 को होने वाले विधान सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्राप्त सभी नाम/निर्देशन-पत्र निरस्त किये जाएं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मत विभाजन करवा दीजिये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपके निर्णय देने के पहले मैं डिवीजन की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

जब आम सहमति की बात हो गयी है एक प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है तो इस डिवीजन का जो परिणाम होगा आप उस परिणाम की ओर भी ध्यान रखें।

(व्यवधान)

नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकृत हुई। जिनके नाम इस प्रकार हैं श्री राम ललित चौधरी, श्री रामाधार सिंह, डा० वकार अहमद शाह, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री श्यामलाल रावत, श्री राजेन्द्र, श्री राम अवतार मिश्रा। प्रतीक्षा सूची और अन्य माननीय सदस्यों की जो सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं–श्री दद्दू प्रसाद, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री मुरलीधर, श्री हरदेव सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री लालजी वर्मा, श्री श्रीरामपाल, श्री हीरालाल गौतम, श्रीमती उर्मिला यादव, श्री उदयराज यादव, श्री अजय कुमार पोइया, श्री धर्मराज निषाद, श्री तेजभान सिंह, श्री रामजग, श्री रामचन्द्र यादव, श्री रामपाल सिंह, श्री सतीश जतारिया, श्री महेन्द्र कुमार, श्री राम कृपाल, श्री आर० के० चौधरी, डा० कौशल किशोर, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री नबाव सिंह नागर।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद बस्ती में सोनहा अनपुर तहसील भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, जनपद बस्ती में सोनहा अनपुर तहसील का गठन लगभग आठ वर्ष हो गया है लेकिन अभी तक तहसील का भवन नहीं बन पाया है। इस सम्बन्ध में मैंने अनेकों बार लिखा-पढ़ी किया लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तहसील भवन न होने से तहसील पेड़ों के नीचे चल रही है। आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। इस तहसील के बाद तमाम ऐसी तहसीलें हैं जिनके भवन का निर्माण बहुत पहले हो चुका है। यह इस तहसील के लोगों के साथ एक अन्याय है। मैं नियम–301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान इस उद्देश्य से आकर्षित करना चाहता हूँ कि तहसील का निर्माण सरकार प्राथमिकता के आधार पर करायेगी जो इस वर्ष के अन्त में पूरा हो जायेगा।]

जनपद हमीरपुर के राठ से ग्राम धमना 5 कि०मी० सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गयी संभावित धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामाधार सिंह–

[महोदय, राठ विधान सभा क्षेत्र के कस्बा राठ, जिला हमीरपुर अन्तर्गत राठ से ग्राम धमना 5 किमी० सम्पर्क मार्ग का मई, 98 में निर्माण हुआ जिसमें गिट्टी सोलिंग मानक के अनुरूप नहीं हुआ, ओवर साइज तथा कम है, मोरंग ठीक नहीं है। धूना अधिक है तथा मानक से कम डाली गयी है साथ-साथ घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है एवं मार्ग में कम गिट्टी मोरंग डालने से मानक कार्य के अनुरूप सम्पर्क मार्ग नहीं बना है। सड़क की गहराई और मोटाई कम है, डामर कम मात्रा में डाला गया है। इस प्रकार सम्पर्क मार्ग में धन का गबन किया गया है और दुरुपयोग हुआ है। जिससे राजकीय धन की चोरी हुई है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान दिलाते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूँ।]

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के भूलेख अधिकारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० वकार अहमद शाह–

[महोदय, राजस्व विभाग के अन्तर्गत प्रदेश भर के एक ही सन्दर्भ के अधिकारी नायब तहसीलदार व भूलेख अधिकारी का वेतन पांचवे वेतन आयोग द्वारा क्रमशः 5500-9000 तथा 4500-7000 निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व प्रथम वेतन आयोग से लेकर चतुर्थ वेतन आयोग तक उक्त दोनों पदों का इसके पूर्व में वेतन 1400-2300 था सितम्बर, 1997 में केवल नायब तहसीलदारों का वेतन उच्चीकृत करके 1640-2900 कर दिया गया। यह भूलेख अधिकारियों के साथ अन्याय है। प्रत्येक जनपद में भूलेख अधिकारी का केवल एक पद होता है। जब कि नायब तहसीलदार के लगभग 15-16 पद होते हैं। पूरे प्रदेश में इतने कम पद होने के बावजूद भी इन्हें समान वेतन नहीं दिया गया है। अतः पूरे प्रदेश से जुड़े भूलेख अधिकारियों की वेतन विसंगति को तत्काल दूर करने हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के ग्राम नेवादा को सराय नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राधेश्याम जायसवाल–

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र सीतापुर एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत सराय नदी बहती है। ब्लाक खैराबाद के ग्राम नेवादा का इस नदी द्वारा भीषण रूप से कटान किया जा रहा है। यह ग्राम मछुआरों का गांव है। इस नदी ने अपना रुख बदल दिया है और बुरी तरह से मकानों को काट रही है। कई लोगों के मकान कट गये हैं और वह बेघर हो गये हैं। यदि इस कटान को रोका न गया तो समूचा गांव नदी में विलीन हो जायेगा। पूरे गांव के लोग बुरी तरह से भयभीत हैं और गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के ग्राम निजामबाद में अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को राहत देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम लाल रावत–

[महोदय, सीतापुर जनपद की तहसील सिधौली के अन्तर्गत ग्राम निजामबाद में दिनांक 25-3-98 को दिन में भीषण अग्निकाण्ड होने से लगभग 22 परिवारों के मकान, मकानों में रखे कपड़े, अनाज आदि सभी कुछ जलकर नष्ट हो चुके हैं। ग्राम निजामबाद में प्रायः सीमान्त कृषक और कृषक मजदूर रहते हैं। सभी परिवार गरीब हैं, उनके मकान कच्चे थे। 500-500 रुपया की फौरी राहत जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त हुई थी। अब भारी बरसात हो रही है, अग्निकाण्ड से प्रभावित और ध्वस्त कच्चे मकान बरसात में ढह-ढह कर गिर रहे हैं। पीड़ित परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति है। मकान भी ढह-ढह कर गिरने से पीड़ित परिवारों के मासूम बच्चों, महिलाओं और वृद्धों के समक्ष रहने और खाने की भी गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। बच्चे और वृद्ध बीमार हो रहे हैं, भूख, बीमारी और बरसात की ठंड से मृत्यु होने तक की सम्भावनायें हैं। यह लोक हित का अविलम्बनीय महत्व का प्रकरण है। सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और मांग करता हूँ कि ग्राम निजामबाद के पीड़ित परिवारों के ध्वस्त हो रहे और ढह रहे मकानों को सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनवाया जाय। 25-25 हजार रुपया की आर्थिक सहायता भी दी जाय तथा मिनी डेरी योजना के अन्तर्गत एक-एक भैंस दी जाय ताकि पीड़ित परिवारों के बच्चे, महिलायें और वृद्ध गम्भीर संकट से राहत पा सकें।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद गाजीपुर की नगरपालिका में गाजीपुर के नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र–

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत नगरपालिका गाजीपुर के नालों की सफाई न होने की वजह से जगह-जगह पानी रोड के ऊपर बह रहा है। एम० एच० स्कूल से तुलसीया का पुल का रास्ता अवरुद्ध है तो दूसरी तरफ टैक्सी स्टैण्ड से मालगोदाम रोड वाया लंका तक सड़कों पर पानी व कूड़ों का अम्बार लगा है जिसकी वजह से बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो गया है। पूरे नगर में गन्दगी व्याप्त है। वाटर सप्लाई में ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिलाया जा रहा है। जिसकी वजह से इस बरसात के मौसम में पानी भी दूषित हो गया है। जिसकी वजह से अनेक तरह की बीमारी फैलने की आशंका है। मान्यवर, पूरे नगर में शोर आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

शाहजहाँपुर के कस्बा कांट में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर प्रवेश देने के सम्बन्ध में नियम301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम अवतार मिश्रा–

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र-65 ददरौल, जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत कस्बा कांट में एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित है। उक्त विद्यालय को इण्टर स्तर तक साहित्यिक एवं वैज्ञानिक वर्ग खोलने के शासनादेश फरवरी-मार्च, 1998 में हो चुके हैं। उक्त विद्यालय के हाई स्कूल परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं, इण्टर कक्षाओं को खोलने एवं रख-रखाव हेतु शासन से 76 हजार रुपया भी जिले में उपलब्ध करा दिये गये हैं, खेद का विषय है कि अभी स्वीकृत कक्षाओं के हेतु अध्यापकों के पद सृजित नहीं किये गये हैं जिस कारण हाईस्कूल के उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के प्रवेश नहीं किये गये हैं। उपरोक्त कारण से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, नवनिर्मित भवन उपलब्ध है। अतः लोक महत्व के इस प्रकरण को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्बनीय जनहित उपरोक्त विद्यालय को इण्टर कक्षाओं हेतु अध्यापकों के पद सृजित कर इण्टर शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु अध्यापकों के पद सृजित कर इण्टर स्तर की शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु बच्चों को शीघ्र प्रवेश इस सत्र में लेने की शासन से मांग करता हूँ।]

नियम–300 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की है। मैंने अनुरोध कर लिया है, कल लगा रहा हूँ।

प्रदेश में अतिवृष्टि के फलस्वरूप बाढ़, नदियों के कटान और बन्धों के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय जो सदन के संज्ञान में है .....

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह कल के लिए तय हो चुका है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कल के लिए कहा है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

.....माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूँ.....

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि अभी आपने कृपापूर्वक इस विषय पर चर्चा स्वीकार की। कल भी इसे कार्य सूची में रख दिया है और इसमें सारे सदस्यों को हिस्सा लेना है। अब इसमें एक सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये तो जब कल इसमें चर्चा होनी है तो आज इसे न लिया जाय।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, अति वृष्टि और बाढ़ के सवाल पर 14 और 15 तारीख को दी गयी सूचनाओं पर एक घंटे की चर्चा स्वीकृत की गयी थी। 16 तारीख को चर्चा आरम्भ हुई और फिर वह स्थगित हो गयी। 17 तारीख को पुनः कार्य सूची में सम्मिलित होकर यह स्थगित हो गयी। उसके बाद पुनः 21 तारीख के लिए यह चर्चा लगायी गयी थी लेकिन फिर व्यवधान के कारण यह स्थगित हो गयी है। इतनी बार यह चर्चा स्थगित हुई इसका कारण व्यवधान है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इतने तात्कालिक प्रश्न पर सदन के अन्दर चर्चा बार-बार स्थगित कराया गया। यह स्थगन स्थापित परम्परा तथा कार्य संचालन नियमावली के नियमों के विपरीत है कि कार्य सूची में सम्मिलित किसी मद को बगैर सदन की सहमति से बार-बार स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज पूर्वांचल बाढ़ से डूबा है। देवरिया जनपद में चार किलोमीटर लम्बा बंधा परसों टूट गया, उसके कारण दर्जनों गांव जलमग्न हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह तात्कालिक प्रकरण है, इस पर चर्चा करा लें और शासन को निर्देश दें कि कल तक जो राहत कार्य उन्होंने किये हैं उसकी आख्या यहाँ पर सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष–

सदन में व्यवधान के कारण कार्य सूची की कोई भी मद स्थगित की जा सकती है। इसमें सदन की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्नगत मामला नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी की है।

शासन द्वारा प्रश्नों का स्थगन कराये जाने अथवा उनका उत्तर "सूचना एकत्र की जा रही है" दिये जाने तथा स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य का प्रश्न

* डा० लक्ष्मीकांत वाजपेयी–

मान्यवर, आपने मुझे औचित्य के प्रश्न पर सुनने की कृपा करी इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली में प्रश्न पूछने का अधिकार माननीय

* अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य को होता है। नियमावली के नियम-26 से 50 तथा निदेश के अध्याय 5 में क्रमांक 20 से 47 में यह अधिकार माननीय सदस्य को प्राप्त है। लेकिन प्रश्नों के स्थगन और सूचना एकत्र की जा रही है में न तो व्याख्यात्मक टिप्पणी माननीय सदस्य को प्राप्त हो पाती है और न अन्तिम प्रश्न लगाने का प्राविधान है। फिर भी सूचना एकत्र की जा रही है और उसे स्थगित करके सातवें और बारहवें शुक्रवार के लिए स्थानान्तरित कर दिया जाता है जो कि आना नहीं है। मान्यवर, दि० 21-7-98 के 179 अतारांकित प्रश्न का मैं संदर्भ देना चाहता हूँ। उसमें प्रश्न था कि बी०टी०सी० अध्यापकों की कमी के कारण उनकी पूर्ति बी०एड० अध्यापकों से करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है? तो क्या सरकार उनको प्रशिक्षित करके नौकरी में उन्हें लेना चाहती है। यह मैं प्रश्न रखना चाहता हूँ। यह प्रश्न 23-5-98 को पूछा गया था। दि० 7-7-98 को अनन्तिम उत्तर आया था और 21-7-98 को पुनः उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकार ने बी०एड० प्रशिक्षित अध्यापकों को 6 माह में लेने का निर्णय कर दिया है और उसके बाद भी यह उत्तर निकाला गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसका उत्तर सरकार नहीं देना चाहती है। औचित्य के प्रश्न के रूप में इसे उठा रहा हूँ। मान्यवर, 29(2) का पालन नहीं किया गया है। एक और प्रश्न नत्थी (ग) का तारांकित प्रश्न संख्या-2, 21-7-98 का है। यह शासन को 15-6-98 को चला गया है, 7-7-98 को अनन्तिम उत्तर आया। यह कल की कार्य सूची में स्थानान्तरित हो गया है और शासन की तरफ से कोई व्याख्यात्मक टिप्पणी नहीं आयी है। तो मान्यवर, इस तरह से 29(2) का पालन नहीं हो पा रहा है।...

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, प्रश्न में केवल इतना भाग था कि वित्त विहीन मान्यता प्राप्त कालेजों में कितने अध्यापक हैं। मान्यवर, इसका फैक्स चला गया होता तो डी०आई०ओ०एस० सूचना भेज सकते थे, कोई फैक्स इसके साथ संलग्न नहीं किया। मान्यवर, जो निदेश में व्यवस्था है उसका उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, जो माननीय अध्यक्ष के निर्णयों का संलकन है। 1969-78 उसे खण्ड 317 पृष्ठ 22-23 में व्यवस्था है कि प्रश्नों का उत्तर पर्याप्त समय में आए इस तरीके से 1979-84 का जो संकलन है उसे खण्ड 362 अंक दो पृष्ठ 247 में भी यही व्यवस्था है कि प्रश्नों का उत्तर समय में आए। इस तरीके से 1985-89 खण्ड 370 में है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। ये प्रश्न का उत्तर नहीं होता। प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर आना चाहिए। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि प्रश्नों के सम्बन्ध में नियमावली या निदेश में जो व्यवस्था है उसकी व्याख्या हो जाय ताकि शासन को भी दिक्कत न हो और माननीय सदस्यों को अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जायें।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निर्देश में प्रश्नों से संबंधित जो प्राविधान हैं, यथासंभव उनके अनुसार ही प्रश्नों का स्थगन स्वीकार किया जाता है। जहां तक प्रश्नों का उत्तर सरकार द्वारा "सूचना एकत्र की जा रही है" दिये जाने तथा प्रश्नों को स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न है, मैं इस मामले का परीक्षण कराकर प्रयास करूँगा कि शासन से किस तरह के उत्तर की सूचना एकत्रित की जा रही है प्रायः न आयें। वास्तव में एकत्रित की जा रही है और आवश्यकता है तभी आयें।

प्रश्नोत्तर में मुद्रण की त्रुटि होने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री श्रीरामपाल जी की है।

माननीय पाल जी मैं इसका विभाग से परीक्षण करा रहा हूं।

श्री श्रीरामपाल–

मान्यवर, आज का जो अतारांकित प्रश्न संख्या-30 है वह प्रश्न और उसका उत्तर कृपया देख लें।

मान्यवर, इसमें प्रदेश में विभिन्न जनपदों में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित छात्रावासों से संबंधित प्रश्न हैं। उस प्रश्न और उत्तर में समाज कल्याण विभाग के स्थान पर विभिन्न जनपदों में ब्लाक द्वारा मुद्रित है तो इसका सही उत्तर हमें मान्यवर, चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लेता हूं कि मुद्रण की गलती है या कोई और गलती है, आपसे परामर्श भी फिर कर लेता हूं।

विधान सभा के दिनांक 21-10-97 के उपवेशन में हुई हिंसा पर गठित जाँच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेदों के अपेक्षानुसार सदन का गठन होता है और उसकी कार्यवाही संचालित होती है। मान्यवर, इस सदन की सम्प्रभुता, गरिमा, सार्वभौमिकता अक्षुण्य है। मान्यवर, जब इसकी गरिमा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो इस सदन में सहमति भी दिखती है। मान्यवर, इस सदन में एक सदस्य नरसिंह पाण्डे जी के मामले में–सजा हुई थी, दल के सारे बंधनों को तोड़कर हम सब एक हो गये थे। हमारा जैसा व्यक्ति जो न्यायपालिका से जुड़ा रहता है, न्यायपालिका के प्रति आदर रखते हुए ये कहना चाहता हूं,गरिमा की स्थिति में इसकी तुलना किसी अन्य संस्था से नहीं की जा सकती, यह सर्वोच्च है। मान्यवर, आप की पीठ से सदन संचालित होता है, हम सब के जो अधिकार हैं, जो नियम और संविधान में प्राविधानित है, हम उसका पालन करते हैं। कभी-2 ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उचित तो यही रहता है कि न हों, लेकिन हो जाया करती हैं। मान्यवर, जब कभी अवमानना की बात आती हैं तो उसमें कार्यवाही होती है,जब विशेषाधिकार हनन की बात आती है तो हम विशेषाधिकार के माध्यम से प्रस्ताव लाते हैं। अप्रिय स्थिति होने पर आप नेताओं के बीच बैठक बुला लेते हैं। मान्यवर, आपने उस पीठ पर बैठ कर मेरा जो प्रश्न उपस्थित है, उस पर निर्णय लिया होता तो कुछ न कहते। आपने एक निर्णय लिया कि 21 अक्टूबर 1997 को जो सदन में घटनाएं घटित हुई, उसकी जांच आप एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से करायेंगे। मान्यवर, मैं यह विचार आपके लिए रख रहा हूं और अनुरोध कर रहा हूं कि क्या ये उचित था। मान्यवर, इसकी सार्वभौमिकता और सर्वोच्चता उस दिन प्रभावित हो गयी।

श्री अध्यक्ष–

आप औचित्य की बात पर कह रहे हैं या जो न्यायाधीश महोदय की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गयी है उसकी बात कर रहे हैं, जो निर्णय होना था वह तो हो गया। विशेष परिस्थिति में वह निर्णय लिया गया था। पिछली बार जब ये मसला आया था, मैंने यह अपेक्षा की थी कि हमारे माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए व्यवहार करेंगे, कर भी रहे हैं। अपवाद स्वरूप कभी कोई बात हो जाती है उसको छोड़कर के। हमारी यह हार्दिक इच्छा होगी कि वह रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में रहे जानबूझकर मैंने उसको यहां नहीं रखा, ताकि सदन की गरिमा बनी रहे। मैंने खोलकर उसे पढ़ा भी नहीं। आवश्यकता कभी होगी तो उसे पटल पर रखेंगे। उसमें जो सुझाव दिये गये हैं,नहीं तो उसमें कार्यवाही करनी होगी। जिस सद्भावना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। उस व्यवहार को प्रस्तुत करते हुए वह रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में पड़ी रहे तो अच्छा है। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पटल पर रख दूंगा। लेकिन उसमें फिर कुछ माननीय सदस्य मांग करेंगे कार्यवाही की, कुछ के लिए वह अप्रिय हो सकती है और कुछ के लिए प्रिय हो सकती है। आप जानते ही हैं, आप मुस्करा रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, संभवतः उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष--

मैने नहीं देखा है, मेरी प्रगाढ़ इच्छा है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चले। जिस दिन मैं उसे सदन के पटल पर रखूँगा तो कोई न कोई जरूर माँग करेगा कि इस पर कार्रवाई की जाय।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, संभवतः कुछ लोगें मंत्री भी बन गये हैं। मान्यवर, भविष्य में इस सदन की गरिमा की रक्षा के लिए इस सदन की समिति बनाई जाये। इसे बाहरी हाथों में न सौंपा जाये।

श्री अध्यक्ष--

श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी को सुनने के बाद मैं पाता हूँ कि यह 300 में नहीं आता है। अतः इसे अग्राह्य कर रहा हूँ।

प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर समय से प्राप्त न होने तथा प्रश्नोत्तर सूचना एकत्र की जा रही है दिये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न

श्री दद्दू प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस औचित्य के प्रश्न पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, हम लोग प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के उत्तर आते हैं। प्रश्नों के उत्तर पर हमें आपत्ति होती है तो निदेश संख्या 165 के अन्तर्गत हम लिखकर दे सकते हैं। मान्यवर, दिनांक 1-7-98 को मैने निदेश संख्या 165 के तहत एक सूचना दी थी उसके तहत अभी तक कोई जानकारी नहीं आ पाई है। 165 के अन्दर यह व्यवस्था है कि उक्त जानकारी दो सप्ताह के अन्दर दी जायेगी, परन्तु विशेष परिस्थिति में, यथास्थिति, मंत्री या सदस्य द्वारा उसके लिये और समय दिये जाने हेतु, जो 15 दिन से अधिक का नहीं होगा, अध्यक्ष से निवेदन किया जा सकेगा। मान्यवर, इसमें हम लोगों के जिस तरह से उत्तर आ रहे हैं। जब हम निदेश संख्या-165 के तहत लिखकर दे रहे हैं तो भी हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि निदेश संख्या 165 अपर्याप्त है इसमें संशोधन करके इसको सख्त बनाने की जरूरत है। विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे बुधवार के अतरांकित प्रश्न संख्या-167 का उत्तर भी यही आया कि सूचना एकत्र की जा रही है, 15 जुलाई को भी यह उत्तर आया था अब जो दिन निश्चित किया जा रहा है, उसके हिसाब से 29 जुलाई का दिन होता है, उस दिन सदन होगा नहीं, सदन का सत्रावसान इसी 24 जुलाई को हो जायेगा। हम भयभीत हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार आयेंगे। इस तरह के मामलों पर आपकी पीठ से निर्देश भी होता है, पता नहीं सरकार किस तरह की है। इसको कुछ असर ही नहीं होता।

हमारे बुलन्देलखण्ड में एक कहावत कही जाती है "गरिया बैल" की, इसका मतलब यह होता है कि कोई-कोई बैल ऐसा होता है कि इसे जितना भी लात मारो, उस पर असर ही नहीं होता, उसी प्रकार आपकी पीठ से निर्देश के बावजूद भी इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, आप इस बार कड़े निर्देश शासन को दें और यदि नियमों में कोई कमी है तो आप उसमें कड़ापन लायें। इस तरह सूचना एकत्र की जा रही है, उत्तर आने से अधिकारियों में गलत मैसेज जाता है। जो अधिकारियों द्वारा उत्तर बनाकर दिया जाता है, उसी को यह मा० मंत्रीगण पढ़ देते हैं, मंत्री लोग उसकी जाँच भी नहीं करवाते कि जो सूचना आई है, वह सही है या गलत है। इस किस्म का प्रबन्ध करें जिससे सदन में सही समय पर और सही जवाब आये। यह समस्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है, अभी कल श्याम देव राय चौधरी, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, ने इसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मैं औचित्य के इस प्रश्न पर जोर देता हूँ, यह नियम 300 में आती है और इसको आप अस्वीकार न करें, और शासन को कड़े निर्देश दें। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

खेलकूद, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य सत्ता पक्ष को गरिया बैल की तरह बता रहे थे, लेकिन जब सम्मानित सदस्य बोल रहे थे तो [x x x] की तरह लग रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

इसको निकाल दिया जाये।

मैं निर्णय दे रहा हूँ। माननीय सदस्य की सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-113 के उत्तर के सम्बन्ध में है। इस बारे में प्रक्रिया संबंधी निदेश का पैरा 165 नहीं अपितु 166 आकृष्ट होता है। प्रश्नगत मामले में दिनांक 15 जुलाई, 1998 को माननीय मुख्यमंत्री को इस सचिवालय द्वारा पत्र भेजा गया है और अभी इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये दो सप्ताह की अवधि समाप्त नहीं हुई है। जहाँ तक विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-167 का उत्तर "सूचना एकत्र की जा रही है" दिये जाने का प्रश्न है, उक्त प्रश्न प्रक्रिया नियमावली के नियम 38(2) के साथ पठित प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 29(2) के अन्तर्गत स्थगित माना जायेगा। अतः इसमें औचित्य का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है, इसलिये अस्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री अम्बरीष कुमार की है।

सत्रकाल के समय मुख्य मंत्री द्वारा सदन से बाहर बाढ़ पीड़ितों हेतु घोषणाएं किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न

* श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह सदन सर्वोच्च है और जब सदन सत्र में है और उपवेशन भी प्रतिदिन हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में, जबकि बाढ़ के विषय पर चर्चा भी लगी है, 3-4 दिन से स्थगित हो रही है, यह परम्परा का उल्लंघन कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिये जो सुविधायें, या नीति संबंधी बयान सदन के बाहर दिया है, मैं उसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यह सदन की मान्य परम्पराओं के विरुद्ध है। यह विषय इस सदन में चर्चा के लिये निर्धारित भी है, तो उचित होता कि सदन की परम्परा और सार्वभौमिकता तथा सदन की सर्वोच्चता बनाये रखने के लिये सदन के बाहर वक्तव्य न देकर यहीं दिया जाता। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब चाहें तब सदन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये अवसर था कि पहले सदन में घोषणा करते और जब घोषणा जनता में चली जाती तब वह कहते तो सदन की गरिमा बनी रहती और सदन की सर्वोच्चता बनी रहती। इस सम्बन्ध में एक निर्णय है, 5 फरवरी, 1980 का है, सदन के चलते समय मंत्रिपरिषद के नीति संबंधी निर्णयों के सदन में आने से पूर्व प्रकाशन, परम्परा के विरुद्ध और अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष ने अपने निर्णय में कहा, "यह बात सही है कि सदन के चलते समय मंत्रि परिषद नीति संबंधी निर्णयों का सदन में आने से पूर्व प्रकाशन परम्परा विरुद्ध और अनुचित है। लेकिन यह मामला कोई ऐसा नहीं है जो कि मंत्रि परिषद के नीति संबंधी निर्णय के बारे में हो। इस सम्बन्ध में 30 जनवरी, 1980 को एक वक्तव्य दिया जाय और अच्छा होता यदि इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री एवं लघु उद्योग राज्य

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री श्री मोहन सिंह के बयान सदन मे वक्तव्य दिये बिना पूर्व समाचार पत्रों में न छपते।" तो मान्यवर, यह उचित है कि पहले बयान सदन में दिया जाये और तब बाहर दिया जाये।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, समस्या यह है कि बाढ़ की विभीषिका इतने लम्बे समय से चल रही है और इस पर सम्मानित सदन के सदस्य इस बाढ़ की विभीषिका के बारे में चिंतित हैं, अगर सरकार काम करे तो नियमों के प्रतिकूल हो जायेगा और सदन में कार्यवाही करने नहीं देगें। कल बाढ़ की चर्चा लगी थी और व्यवधान किया, सदन का समय बरबाद किया। मान्यवर, यह कोई नीतिगत प्रश्न नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बाबूराम यादव–

यह कोई जवाब है?

श्री हुकुम सिंह–

मैं जवाब आपसे नहीं सीखूंगा। जो समाचार पत्रों में बयान छपा है, उनमें केवल उन बातों का उल्लेख है कि जो सरकार बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये कर रही है, उसका उल्लेख समाचार पत्रों में है, वह भी हमारे चौथे स्तम्भ हैं। सारे प्रदेश के अधिकारियों को सरकार ने जो निर्देश दिये हैं, उसकी जानकारी समाचार पत्रों में छपी है, अलग से कोई बात नहीं है।

* कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि" जी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ऐसे ही बयान दे दिया कि नीतिगत प्रश्न नहीं है, इसलिये मुख्य मंत्री ने घोषणा कर दी। अगर सदन उपवेशन में न होता, तो मुख्य मंत्री जी घोषणा कर देते, कोई बात नहीं थी और यहां पर औचित्य का प्रश्न न बनता। आपने अखबारों को चौथा स्तम्भ कह दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी जिलाधिकारियों को निर्देश दे देते और घोषणा यहां पर कर देते, तो उचित था। यह परम्परा रही है, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि यह परम्परा नहीं रही है और यह कोई नीतिगत प्रश्न नहीं है। सदन चल रहा था। सदन में किसी कारण अव्यवस्था हो गयी थी, तो आज कर देते। कभी भी मुख्य मंत्री सदन में घोषणा कर सकते हैं। सदन में चर्चा हो या न हो मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष कभी भी सदन में आकर कह सकते हैं। ऐसी बात आप न कहें जो सदन की मान्य परंपराओं के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कोई भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है और न ही सदन के प्रति अवमान की बात है। मैंने कहा कोई नयी घोषणा होती तो निश्चित रूप से यहाँ होती, आपने कहाँ ऐसी-वैसी बात कह देते हैं तो जैसी बात आप उठाएंगे वैसी बात कही जायेगी।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही कि कल सदन अव्यवस्थित था और समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं चलने दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

17 तारीख को क्या था? उस दिन तो समाजवादी पार्टी ने व्यवधान तो नहीं किया था, आप सदन के कार्यक्रम को चोट पहुँचाकर बात छुपाना चाहतें है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अम्बरीष कुमार और मा० रेवती रमण सिंह जी तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बाढ़ पर जो कार्य स्थगन आया था मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि मुख्य मंत्री जी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर गये है। कल आकर सदन में बाढ़ राहत कार्यों पर उत्तर देगें। जिस दिन कार्य स्थगन आया था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने ग्राह्यता के उत्तर में कहा था आज मुख्य मंत्री जी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर गये थे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं खुद मान रहा हूँ, मुख्य मंत्री जी गये भी थे।

(व्यवधान)

उत्तर देने का अवसर दे तभी तो उत्तर देगें।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना मा० दिलीप कुमार जी की है, यह नियम-300 में नहीं आती लेकिन जो उन्होनें लिखा है इस ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, मा० संसदीय कार्य मंत्री जी,मा० दिलीप कुमार जी ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है इस ओर विशेष ध्यान दें।

मा० डा० सरजीत सिंह डंग जी ने जो सूचना दी है यह नियम-300 के आवरण के नजदीक भी कहीं नहीं आती, अगली सूचना मा० राम औतार शाक्य जी की है और उसके बाद मा० सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी की है। यह भी 300 में नहीं आती है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें, मै तर्क के माध्यम से साबित करूँगा कि यह 300 के अन्तर्गत आती है। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे है वह बहुत विद्वान है, 22 जुलाई, 97 को नियम-51 के अन्तर्गत मा० संसदीय कार्य मंत्री जी तब विधायक के रूप में थे तो उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाएं थे और आज 22 जुलाई, 98 को इसी उपाध्यक्ष को क्लीन चिट दे दे रहें है कि इससे ज्यादा ईमानदार अधिकारी कोई नहीं है, और उस दिन आरोप लगाया था तो इस प्रकार सदन को गुमराह कर रहें है। जब 4 घन्टे की चर्चा हो गयी तो आपकी पीठ से चर्चा के बाद कोई निर्देश होता है वह भी नहीं हुआ उस अधिकारी के खिलाफ समूचे विपक्ष ने आरोप लगाए और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं और उसके बाद 4 घन्टे की चर्चा हुई और आपकी पीठ से कोई निर्देश नहीं दिया गया, इस पर मैं औचित्य के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राम औतार शाक्य जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह सूचना नियम 300 में नहीं आती।

श्री बाबूराम यादव–

माननीय शाक्य जी ने जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है उसकी ग्राह्यता निश्चित रूप से है। माननीय हुकुम सिंह जी इस उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। एक वर्ष पहले उन्होंने जिस अधिकारी के खिलाफ कहा था और एक सूचना नियम 51 में मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओं अभियान के सम्बन्ध में दी थी।

श्री अध्यक्ष–

सदस्य के नाते उन्होंने वह सूचना दी थी और इस समय जो उन्होंने जो बयान दिया वह मंत्री के रूप में दिया है।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आदमी तो वही है चाहे मंत्री हो चाहे सदस्य हो। जब वह सदस्य थे तब भी हुकुम सिंह थे और जब मंत्री हैं तब भी हुकुम सिंह हैं विचारों में परिवर्तन कैसे हो गया? सदन के सदस्य पहले हैं मंत्री बाद में। 22 जुलाई, 97 को उन्होंने कहा था कि यह अधिकारी बहुत खराब है, बुलडोजर लगाकर तमाम लोगों के मकान गिरा दिये। उसके पश्चात एक वर्ष में उनके विचारों में परिवर्तन आ गया। उस दिन इस विषय पर चर्चा बढ़ाई जाती रही और 4 घंटे तक चर्चा चली। कभी अधिष्ठाता सरकार को बचाते रहे, कभी मंत्री को बचाते रहे फिर सदन उठ गया इस पर कोई व्यवस्था नहीं दी गई। अधिष्ठाता ने कहा अगली मद लेते हैं। मंत्री जी का बयान आया कि अधिकारी अच्छा है जबकि एक साल पहले कहा था कि अधिकारी खराब है। मान्यवर, उस दिन न जाने कितने तथ्य छिपाये गये। अगर हम लोग, जो तथ्य छिपाये गये हैं, उनके बारे में विशेषाधिकार की सूचना दें तो मंत्री पद से बरखास्त होना पडेगा ही और सदन की सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी। यह सरकार स्तर से गिरती जा रही है हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 62 (1) में इस बात का प्राविधान है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा यदि पहले समाप्त न हो जाये, आरम्भ से दो घंटे पूरे होने पर आप से आप समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात कोई प्रश्न नहीं रखा जायेगा। उस दिन समय बढ़ते-बढ़ते 4 घंटे हो गये और अवधि समाप्त हो गई। तो चर्चा स्वयं समाप्त हो गई इस पर पीठ से व्यवस्था देने का प्रश्न नहीं है।

माननीय श्री राम औतार शाक्य एवं श्री बाबू राम जी को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

काल्पनिक एवं सत्य से परे उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी की है।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, इस प्रश्न को यहां उठाने का औचित्य इसलिए है कि सम्पूर्ण उत्तर काल्पनिक रुप से दिया गया है। सारे साक्ष्य मैं स्वयं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इसे देख लें और विभाग की कार्यवाही को देख लें।

माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है। उन्होंने सदन में उत्तर दे दिया कि कोई जांच नहीं हो रही है। मेरे पास गोपनीय रिपोर्ट है उसे मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

यदि माननीय मंत्री जी का उत्तर सही नहीं है और आप सत्यता को चुनौती देते हैं तो प्रमाण संलग्न करके निदेश 165-166 में दे दें।

यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

दिनांक 20 जुलाई,1998 की कार्य सूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-2 को अनेकों बार सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने एक निर्णय सुरक्षित रखा था उसे अब मैं दे रहा हूँ।

दिनांक 20 जुलाई, 1998 की कार्य-सूची की नत्थी "ग" के तारांकित प्रश्न संख्या-2, जिसे खाद्य तथा रसद विभाग से सम्बन्धित होने के आधार पर 12वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के रूप में स्थानान्तरित किया गया था, के विषय में प्रश्नकर्ता सदस्य मा० डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने इस आशय की व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि उक्त प्रश्न पूर्व में भी अनेक बार सूचीबद्ध हो चुका है मगर वह बार-बार स्थगित हो रहा है।

सामान्यतया प्रश्नों का स्थगन एक बार किया जाता है और आपवादिक स्थिति में यदि पुनः स्थगित करवाना हो तो उसके कारणों सहित व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जानी चाहिए।

मैंने इस बारे में अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी।

मैंने संबंधित पत्रावली मंगाकर देखी, उक्त प्रश्न में किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विषय सन्निहित होने के कारण उक्त प्रश्न दिनांक 26.6.98 को न्याय विभाग को भेजा गया था। न्याय विभाग से दिनांक 2.7.98 को उक्त प्रश्न खाद्य तथा रसद विभाग से संबन्धित होने एवं तदनुसार उसे खाद्य तथा रसद विभाग को स्थानान्तरित करने की सूचना विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुई। खाद्य तथा रसद विभाग के प्रश्नों के लिए शुक्रवार आवंटित है। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के तारांकित प्रश्न ग्यारहवें शुक्रवार तक के लिए लगातार पहले से ही सूचीबद्ध हैं। अतः उक्त प्रश्न दिनांक 3.7.98 को बारहवें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया।

इस प्रकार यह प्रश्न स्थगित नहीं हुआ है अपितु इसे न्याय विभाग से खाद्य तथा रसद विभाग, जिसके उत्तर के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित है, स्थानान्तरित किया गया है और माननीय सदस्य के द्वारा पहले से दिये गये प्रश्नों के ग्यारहवें शुक्रवार तक सूचीबद्ध होने के कारण इसे बारहवें शुक्रवार को तारांकित प्रश्न संख्या-2 के रूप में निर्धारित किया गया है और इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है।

जनपद गाजियाबाद में बृजघाट के समीप गढ़–हापुड़ रोड पर ट्रक-जीप दुर्घटना में हुई महिला की मृत्यु के फलस्वरूप भड़की हिंसा की जांच रिपोर्ट

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अध्यक्ष, आपकी अनुमति से दिनांक 23 मई, 1990 को जिला गाजियाबाद में बृजघाट के समीप गढ़-हापुड़ रोड पर ट्रक-जीप दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु के फलस्वरूप हुई हिंसा की घटना और उससे सम्बन्धित तथ्यों की जांच हेतु नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट संकल्प सहित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का बारहवां प्रतिवेदन†

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1977-98), का बारहवां प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1981-82) के द्वितीय तथा चतुर्थ प्रतिवेदनों में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का तेरहवां प्रतिवेदन†

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98), का तेरहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (1986-87) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों तथा आडिट रिपोर्ट 1987-88 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का चौदहवां प्रतिवेदन†

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98), समिति का चौदहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1980-81) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद जौनपुर के ग्राम धर्मापुर कृषि भूमि की सिंचाई हेतु गोमती नदी, लघु डाल नलकूप लगवाये जाने सम्बन्धी श्री जयनारायण मौर्य आदि की हस्ताक्षरित याचिका††

श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम धर्मापुर में कृषि भूमि के सिंचाई हेतु गोमती नदी में लघु डाल नलकूप लगवाए जाने के सम्बंध में श्री जय नारायण मौर्य तथा श्री जय प्रकाश राय निवासीगण-जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बेलाब मार्ग पर गोमती नदी में पैण्डल ब्रिज (पीपे का पुल) बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष राय आदि की हस्ताक्षरित याचिका§§

श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बेलाब मार्ग पर गोमती नदी में पैण्टूल ब्रिज (पीपा पुल) बनवाए जाने के संबंध में श्री सुभाष राय तथा श्री हृदय नाथ पाठक निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा रिफाइनरी एवं उसकी आनुषंगिक औद्योगिक इकाइयों में वहां की बेरोजगार जनता को आमंत्रित किये जाने सम्बन्धी श्री पंचम सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका††

श्री अजय कुमार पोइया—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा रिफाइनरी एवं उसकी आनुषंगिक औद्योगिक इकाइयों में वहां की बेरोजगार जनता को आमंत्रित किए जाने के संबंध में श्री ठाकुर पंचम सिंह तथा श्री अमर नाथ गौतम निवासीगण—जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन क्षेत्र में मुड़िया मेले को सरकारी मेला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कु० सरिता पोइया आदि की हस्ताक्षरित याचिका††

श्री अजय कुमार पोइया—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन क्षेत्र में मुड़िया मेले को सरकारी मेला घोषित कराए जाने के विषय में कु० सरिता पोइया तथा श्री दिलीप कुमार यादव, निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में सात कोसी मार्ग पर सुलभ शौचालय आदि बनवाये जाने सम्बन्धी श्री मनोज कुमार खण्डेवाल आदि की हस्ताक्षरित याचिका††

श्री अजय कुमार पोइया—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में स्थित गोवर्धन परिक्रमा के सात कोसी मार्ग पर सुलभ शौचालय एवं आरामदायक सीमेंट की बेंचे बनवाए जाने के विषय में श्री मनोज कुमार खण्डेवाल तथा श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासीगण जनपद-मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा में पर्वत के पेड़ों की अनावश्यक रूप से काटे जाने के सम्बन्ध में श्रीमती चन्द्रावती आदि की हस्ताक्षरित याचिका††

श्री अजय कुमार पोइया—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन क्षेत्र में गोवर्धन पर्वत के पेड़ों की अनावश्यक कटान तत्काल न रोककर उसके पौराणिक सौन्दर्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के विषय में श्रीमती चन्द्रवती पोइया तथा श्रीमती इन्द्रा शर्मा, निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या-13 व मद संख्या-14 में कुछ नहीं है।

---

†† छापी नहीं गयी।

दिनांक, 13 अगस्त, 1997 को तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अनुपूरक उत्तर में संशोधन हेतु दिये गये शोधन वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 13-8-97 को श्री सुरेश कुमार खन्ना सदस्य विधान सभा ने तारांकित प्रश्न-3 में पूछा था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सत्र में मरीजों की दवाई के लिए राजकीय चिकित्सालयों में कुल कितने रुपयों का प्राविधान किया गया है ? क्या मांग को देखते हुए उक्त किया गया प्राविधान पर्याप्त है ? यदि नहीं तो क्या सरकार इस मद में धन बढ़ाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997-98 में मरीजों की दवाई के लिए राजकीय चिकित्सालयों हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आय-व्ययक में कुल रुपया 41,14,55,000/- का प्राविधान किया गया है।

जी नहीं।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार औषधियों के मद में वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त प्रस्तर के सम्बन्ध में पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :–

अनुपूरक प्रश्नोत्तर का अंश–

"इस समय प्रत्येक मरीज को 10 रुपए प्रतिदिन वाह्य रजिस्ट्रेशन पर देने का प्रविधान किया है, आगे और प्राविधान करेंगे"

राष्ट्रपति शासन के दौरान शुल्क में वृद्धि कर दी गई थी उसे समाप्त करने पर हम विचार कर रहे हैं।"

संशोधन–

"इस समय वाह्य रजिस्ट्रेशन के रोगियों के लिए दवाई का कोई मानक नहीं है, भविष्य में इसे 10 रु० करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को युक्तिसंगत करने का प्रस्ताव है।"

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998†

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 27-7-98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22-7-1998 को नियम-56 के अंतर्गत 40 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिसमें शलाका के आधार पर पांच सूचनाओं को सुना जाता है परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में चूंकि सदन परसों तक ही है, इसलिये मैं प्रयास करूंगा कि शेष पांच सूचनाओं पर भी माननीय सदस्यों के विचार सुन लूं। अनुरोध यही रहेगा कि माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। पांच सूचनायें जो शलाका में आयी परन्तु जो शलाका में आयी तो नहीं परन्तु माननीय सदस्यों के विशेष अनुरोध पर 2-2 मिनट में सुन लूंगा। जो सूचनायें आयी हैं, उन्हें पढ़ देता हूं। पहली सूचना कुंवर श्री रेवती रमण सिंह जी की है, दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी तथा श्री राम सिंह सैनी जी की है, तीसरी सूचना, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी तथा श्री राम सिंह सैनी जी की है, तीसरी सूचना, श्री राम नरेश यादव जी की है, चौथी सूचना श्री भोला शंकल मौर्य जी की है, पांचवीं सूचना श्री मुन्ना चौहान तथा श्री अम्बरीष कुमार जी की है, छठी सूचना श्री बाबू खां जी की है, सातवीं सूचना सर्वश्री समर पाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह तथा श्री परवेज हलीम जी की है, इसी पर श्री कौकब हमीद, श्री विजयपाल सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह तथा श्री बाबू लाल जी की भी है, आठवीं सूचना श्री राम औताल शाकय जी की है, नवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुरेन्द्र अवस्थी, श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव तथा श्री कौकब हमीद जी की है, दसवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से संबधित मैने विषय उठाया है। आपने भी इसकी गम्भीरता को स्वीकारा था। यदि आपको इसे सुनने में कोई कठिनाई हो तो, कल आप इसे ले लें।

श्री अध्यक्ष–

विषय महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, परन्तु बहुत सी चीजें शलाका के ऊपर निर्भर करती हैं। आज आपकी सूचना है, इसलिये इस पर आज ही विचार रख लें।

(श्री लाल जी वर्मा तथा श्री राम जग जी के खड़े होने पर)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

श्री लालजी वर्मा जी आप कल दे दीजिये तो मैं कोई प्रयास करुंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, जो सूचना मैंने दी है वह लोक महत्व की है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक भी है। माननीय कृषि मंत्री जी भले आदमी हैं लेकिन ये ऐसे विभाग में फंस गये कि उनके आदेशो का क्रियान्वयन . . . .

(श्री रघुवर दयाल वर्मा जी के बैठे-बैठे कुछ कहने पर-व्यवधान)

मान्यवर, पूरे प्रदेश में कृषि मण्डी उत्पादन समिति में सरकार ने एक आदेश कर दिया। मान्यवर, 2 हजार कर्मचारियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कर्मचारी 82 से 83 से 84 से लेकर 96, 97 तक के हैं इनकी नियुक्ति मस्टर रोल में दैनिक वेतन पर हुई थी। लिखित रूप से नियुक्ति पत्र मिले थे और इस सरकार ने उसको एक कलम से निरस्त कर दिया। आज दो हजार कर्मचारी, जो 14 साल की 15 साल की, 10 साल की सेवा कर चुके हैं और ओवर ऐज हो गये हैं। आयु सीमा को पार कर चुके हैं जिन्हें कहीं

नौकरी नहीं मिल सकती है सरकार ने उनको नोटिस भी नहीं दिया । इतना ही नहीं मान्यवर, यह कहते हैं मण्डी की आमदनी के बारे में । मेरा दावा है कि आज 84 से लेकर, 600 गुना आमदनी बढ़ी है । मान्यवर, बिना लिखित आदेश के मौखिक आदेश करके इन कर्मचारियों को घर बैठा दिया । इसी तरक एक आदेश कर दिया "वन टाइम अ टैक्स दिया जाय" ।

मान्यवर, यह ये दिखाने के लिये किया गया कि इससे किसानों का हित होगा, लेकिन यह किया गया है व्यापारियों के लिये । किसानों से डबल टैक्स लिया जा रहा है और व्यापारियों का भला यह सरकार कर रही है । दो हजार कर्मचारी जब अपना मांग पत्र लेकर जाते हैं मंत्री जी के अधिकारी उन पर लाठी चार्ज करवाते हैं । मेरी स्पष्ट राय है कि जिन्होंने इतने दिन से इनके यहां सेवा की है उनको सड़क पर खड़ा कर दिया और नई नियुक्तियां करने जा रहे हैं । बाहर से व्यक्तियों को लेंगे । मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में अपने एक जजमेंट में स्पष्ट कहा था कि इनको उद्योग की श्रेणी में रखा जायेगा । जो उद्योग की श्रेणी में आते हैं, 240 दिन काम करने के बाद उनका नियमितीकरण करना चाहिए । एकमौखिक आदेश से उनको निकाला नहीं जा सकता । लेकिन मान्यवर, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं । यह सरकार उन कर्मचारियों, जिनकी सेवा 14 साल के अन्दर की है को एक कलम से, एक जबानी आदेश से इनके एक निदेशक ने निकाल दिया । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जो कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, कई-कई महीनों से तन्ख्वाह नहीं मिलती है । आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि उनको नियमित करके फिर से सेवा में रखा जाय ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदर, यह कार्य अगर किसी और व्यक्ति ने किया होता तो इतनी चिन्ता न होती । माननीय कृषि मंत्री जो इतने सम्वेदनशील और विवेकपूर्ण भी माने जाते हैं उनके मंत्री रहते मण्डी परिषद् में इतना निर्मम आदेश हो जाय कि एक आदेश से 2 हजार कर्मचारियों की जीविका को कुठाराघात हो जाय । मा० दिवाकर विक्रम सिंह जी के मंत्री रहते यह शोभा नहीं देता । इन कर्मचारियों को पिछले 15 वर्षों से नियुक्ति मिली हुई थी । समय-समय पर शासन से आदेश और निर्देश दिये गये कि पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर जिनका 3 वर्ष का कार्य काल पूरा हो गया हो उनकी सेवा नियमित कर दी जाय । 10, 12, 13, 15 साल की सेवा पूरी करने के बाद इनको पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर कुपात्र माना गया । इनकी सेवायें लेते रहे और एक निदेशक के मौखिक आदेश से लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाय, यह किसी भी सम्वेदनशील सरकार के लिये शर्मनाक बात है ।

मान्यवर, मण्डी परिषद् का गठन किसानों को सुविधाएं देने के लिये किया गया था । जब-जब यह सरकार आई है मण्डी के कार्य बन्द हो गये । पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करती थी लेकिन पिछले एक वर्ष से यह कार्य नहीं हो रहा है । जहां पर पेयजल की समस्या होती थी किसानों के लिये हैण्ड पम्प लगाये जाते थे लेकिन मान्यवर, यह सब कार्य बन्द हो गये हैं केवल लोगों की रोजी-रोटी छीने जाने का कार्य हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज तक इस तरह की कार्यवाही नहीं हुई । इस तरह के बर्बर आदेश किसी न नहीं किये । अगर किसी निदेशक ने पागलपन में ऐसे आदेश दिये हैं तो आप सदन को आश्वस्त करें और जो दो हजार कर्मचारी निकाले गये हैं उनका परीक्षण कराके उन्हें सेवा में लें । सरकार की मंशा को बतायें ।

मण्डी परिषद् से सड़कों के निर्माण का जो कार्य होता था वह आज ठप्प पड़ा है । जगह-जगह रोड व पत्थर टूटे पड़े हैं । इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो कार्य स्वीकृत किये गये थे, आप सदन को आश्वस्त करें कि वह कार्य शीघ्र पूरा किया जायेगा । बरसात बन्द होने के बाद इन कार्यों को पूरा कराने के आदेश देने की कृपा करें । मान्यवर, यह बहुत तात्कालिक है, अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है, सुनिश्चित विषय है इसलिए सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मेजा कताई मिल और मगहर कताई मिल चालू हो गई है और इससे कई हजार लोगों को रोजगार मिल गया है। मान्यवर, इसमें भी आप कृपापूर्वक निर्देश दे दें ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, माननीय कुँवर रेवती रमण सिंह जी और माननीय अशोक बाजपेयी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मान्यवर, या तो अन्जाने में या जानबूझकर इन्होंने कहा है, लेकिन शासन ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं कि दो हजार लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया जाए। न ऐसे कोई निर्देश हैं कि 1982-83-84 से जो कार्यरत हैं उनको निकाल दिया जाए। मौखिक या लिखित जो नियमित नियुक्तियाँ हुई हैं वह कार्यरत हैं। ऐसा कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है। कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जाब पर रखा जाता है तो कान्ट्रैक्ट समाप्त होने पर स्वतः उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति वर्कचार्ज पर रखा गया है तो अगर वर्क समाप्त हो गया तो चार्ज की आवश्यकता नहीं रहती है। मंडी परिषद् में होता यह रहा है कि बिना किसी नियुक्ति के बगैर नियमित नियुक्ति के रख लिया जाता है और उनको तनख्वाह देते रहते हैं। कान्ट्रैक्ट वर्क में भारत के महालेखाकार की भी टिप्पणी है। दो परसेन्ट वर्कचार्ज देने का नियम है। दो परसेन्ट से अधिक 15-15 और 16-16 परसेन्ट काम के लिए दिया जा रहा था। अगर निर्णय ले लिया गया कि वित्तीय अनुशासन स्थापित किया जाए, तो इसमें गलती नहीं हुई है। वित्तीय अनुशासन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है इसमें कहीं कुछ गलत नहीं किया गया है। जो माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो भर्ती किए उन सबको हटाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है शासन ने निर्णय लिया है। जून 1991 में संभवतः 29 जून से निर्णय हुआ, अब के बाद एडहाक नियुक्तियां न की जाएं। जून 1991 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं उनको नियमित करने के पक्षधर नहीं हैं। अगर कोई स्थान रिक्त होता है तो औरों को भी चान्स मिलना चाहिए भाग लेने का। लेकिन शासन ने निर्णय ले लिया है कि जून 1991 के बाद एडहाक नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। अगर एडहाक नियुक्तियां कर ली गई तो उसको कैसे नियमित मान लें ? मैं तो यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने एग्रीकल्चर के बजट में कहा था कि जितने निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गए हैं उनको पूर्ण करने की प्राथमिकता हमने तय कर ली है। पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं।

माननीय सदस्य कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि जिस मंडी समिति का जितना धन आएगा उतना, फीसदी तय किया है, उतना उस मंडी समिति में व्यय किया जाएगा।

(2 बजकर 20 मिनट)

श्रीमन्, हाईकोर्ट का निर्णय है। एक मण्डी समिति का धन दूसरी मण्डी समिति में कहां से ले जाऊं, किस आधार पर ले जाऊं। फिर भी यह प्रयास किया जा रहा है कि जो 20, 25 प्रतिशत छूट दे रखी है जो मण्डी समितियों में धन नहीं आ रहा है वहां कार्य को पूरा कराया जाय। जो पुराने कार्य हैं, जितने कार्य चल रहे हैं तथा जो कार्य अधूरे पड़े हैं उनको पूरा कराया जाय। तो मान्यवर, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है कि सारे कार्य बन्द कर दिये गये हैं और शासन की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि सब लोगों को नौकरी से निकाला जाय। एक बात माननीय सदस्य ने कही। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जून, 91 या जो भी कट आफ डेट शासन ने तय कर रखी हो, जो भी एडहाक नियुक्तियां हैं और जो निरन्तर कार्यरत हैं उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी और उनके विनियमीतीकरण की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी हैं। मंडी परिषद में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा। शासनादेश के अनुरूप जो नियुक्तियां हैं उनके विनियमीतीकरण के आदेश दे दिये जायेंगे। लेकिन जो अंधाधुंध नियुक्तियां कर दी गयी हैं, उन्हें नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता। जब पद ही नहीं हैं तो उन्हें कहां से नियुक्त कर देंगे ?

कुंवर रेमती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है लगता है कि कहीं माननीय मंत्री जी भ्रम की स्थिति में हैं। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि नियमित नियुक्तियां नहीं थीं। तो मैं यह कहूंगा कि नियमित नियुक्तियां सबकी हैं और सबको लिखित आदेश मिले हैं उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि लिखित आदेश नहीं दिये गये हैं, मौखिक आदेश पर काम हो रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह मैंने नहीं कहा है कि लिखित आदेश नहीं मिले हैं। अगर स्थान रिक्त नहीं हैं और अधिकारी मनमाने ढंग से लिखकर दे दें तो यह अधिकार किसी को नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, आज उनको काम करते हुए 14-14 साल हो गये हैं और माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि नियमित नियुक्तियां नहीं हैं। और वह निकाल दिये जायेंगे। आज वह सड़क पर आ गये हैं। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि आपने आदेश नहीं दिया है उसके बावजूद भी निकाल दिया गया। आप उस विभाग के मंत्री हैं और आपके आदेश के बिना अधिकारी अपने मनमाने ढंग से उन कर्मचारियों को जो 14 सालों से वहां पर काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया। आप कहते हैं कि नियमित नहीं थे। उन कर्मचारियों का क्या दोष है। जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसको उद्योग की श्रेणी में रखें आप उस फैसले को नहीं मान रहे हैं। एक दूसरी बात का हवाला दिया गया कि कार्य कराने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया तो क्या आप उस हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गये। अगर नहीं गये तो क्यों नहीं गये। मान्यवर, आज पूर्वांचल और बुन्देलखंड में जितनी मंडी समितियां हैं वह घाटे में हैं तो वहां पर काम नहीं हो पायेगा। आपको उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए और आदेश के खिलाफ अपील करनी चाहिए। आप कभी उच्च न्यायालय का हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। आप ऐसा कठोर निर्णय न करें इस पर पुर्नविचार करें और जिन्होंने 240 दिन का योगदान दिया है उनको नियमित सेवा में लेने की घोषण करें। आपकी आय 600 गुण बढ़ी है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, हमारी बड़ोत मण्डी में 4-5 सड़के ऐसी हैं उसके ऊपर गिट्टियां बिछा दी गयीं बाकी काम नहीं हो रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि जो कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा कराने का प्राथमिकता के आधार पर, निर्णय लिया गया है।

जहां तक 14 साल से कार्यरत कर्मचारियों की बात है, मान्यवर 1991 को जो आधार बनाया गया है, उसके आधार पर विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। मान्यवर, जो संविदा पर कर्मचारी रखे गये हैं हम उनको कैसे विनियमित कर दें। किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से 79 दिन की नियुक्ति दे दी गयी और वह कहे कि इसे पूरा करा लिया जाय हमारा अधिकार है और उसे रिन्यू नहीं किया गया, तो उसमें तो नियम नहीं है। अब स्थान रिक्त होंगे तो वांट निकलेगी तो जो काम किये हैं उन पर निश्चित रुप से विचार भी उसमें कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

शासन के द्वारा समय-समय पर आदेश दिये गये हैं सेवा के विनियमितीकरण के लिए, उसमें कुछ निर्धारित वर्ष की सेवा को आधार मान लिया गया कि इतने साल तक सेवा कर ली गयी हो। मण्डी परिषद्

में सेवा नियमावली है नहीं। और इस नियमावली के अभाव में अनेक लोगों की नियुक्ति होती चली गयी। अगर नियमावली होती और नियमावली का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति होती तो अनियमित है। जब नियमावली ही नहीं है तो किस नियुक्ति को अनियमित कहेंगे और किस को नियमित कहेंगे। जो कर्मचारी 14 वर्ष से 10 वर्ष से या 3 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो विशेष रूप से उनके लिए, यह तो लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना है, मानवता के आधार पर विचार करना चाहिए। 89 दिन की प्रक्रिया कुछ विभागों में प्रारम्भ की गयी और इसमें अवरोध उत्पन्न करने के लिए 10-20 दिन बिठा दिया जाता है, फिर नियुक्त कर लिया जाता है। तो जो नियुक्तियां उसमें मण्डी परिषद् के हित में समन्वय करके सहानुभूतिपूर्वक मानवता के आधार पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो समय-समय पर निर्देश दिये हैं, मण्डी परिषद् के अतिरिक्त दूसरे भी विभागों में जो स्थिति है-इसे समेकित रूप से देखकर कुछ प्रयास करें। आजकल नौकरी मिलना आसान नहीं है। इसका प्रयास करें और कोई समाधान निकल सके जो अच्छा लगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, सेवा नियमावली बनी हुई है उस पर कार्यवाही की जा रही है लेकिन थोड़ा समय जरुर लग रहा है जो मनमाने ढंग से जहां पर वर्कचार्ज, एडहाक, डेलीवेजेज हैं इस पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह, अशोक बाजपेयी जी और कृषि मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को नियम-56 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-56 के अनतर्गत लोक महत्व और अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाने के लिए समय दिया मैं आभारी हूं। मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के कस्बा गुलावटी में अभी 9 जुलाई को जब विधान सभा का सत्र चल रहा था तो जफर कुरैशी जिसकी उम्र 22 वर्ष थी और वह आम का कारोबार करता था तीन दिन के बाद उसकी शादी पक्की होने वाली थी, उसको एस०ओ० धौलाना जनपद गाजियाबाद से बुलवाया कि आम का सौदा करना है। जफर कुरैशी आम का छोटा-मोटा व्यापारी था, दो-चार झल्ली का काम करता था। उसको ले जाकर छजुपर डहाना थाना धौलाना जनपद गाजियाबाद में ले जाकर उसकी पिटाई की गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसको गोली मार दी। उसके सारे शरीर पर चोटें आई हैं। मेरा सौभाग्य है कि माननीय नेता सदन में बैठे हैं, यह मामला माननीय नेता सदन के बगल के जिले का है। मान्यवर, पहले भी रघुपुरा कस्बे में ईद नहीं मनाई गई थी क्योंकि यासीन कुरैशी को पुलिस ने मार दिया था इसी तरह से एक कस्बा और है। मंसूरी जहां पुलिस ने मारा था और मुआवजा दिया गया। मान्यवर, जफर कुरैशी का दिन के ढाई बजे इनकाउन्टर हुआ। मान्यवर, 50 लोगों के सामने उसको बुलाकर ले जाया गया वहां वह बड़ा गरीब आम का व्यापारी था, विधवा का बेटा था। मान्यवर, उसकी शादी भी पक्की हो गयी थी, 12 जुलाई को शादी पक्की होने वाली थी वह तैयारी में लगा था, पुलिस ने बुलाकर ढाई बजे मार दिया छजुपुर डहाना इंटर कालेज में और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुलावटी में शोकसभा में मैं गया था, एक भी आदमी यह नहीं कह रहा था कि जफर कुरैशी का कोई आपराधिक इतिहास है या उसमें संलग्न रहा है, कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। मान्यवर, केवल 4 वर्ष पूर्व एक मुकदमा हुआ था जो लम्बित है जो उसके चाचा ने लिखाया था हिस्सा बंटवारे में घरेलू चोरी का और वह भी लम्बित है, साबित नहीं हुआ। वह किसी आपराधिक मामले में इनवाल्व नहीं है, ढाई बजे इनकाउन्टर दिखा दिया, सम्भवतः वह पुलिस की पिटाई से मर गया बाद में उसके सीने में गोली मार दिया। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। मान्यवर, माननीय नेता सदन और संसदीय कार्यमंत्री जी मौजूद हैं वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मंगवा लें। अगर सारे शरीर में पोस्टमार्टम में चोटें न आई हों तो मैं नोटिस

वापिस ले लूंगा। मान्यवर, मेरी मांग है कि पुलिसजनों को सजा दी जाय और मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाय। और अभी वहां शोकसभा हुई थी, उसमें हम लोग गये थे, वहां मैंने हजारों लोगों से बात की थी, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। ऐसा लगता है, माननीय नेता सदन जब–जब सख्त आदेश करते हैं, तो मुसलमान लोग ही सस्ते हाथ लग जाते हैं और पुलिस उनको मार देती है। मैं चाहूंगा कि अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सारे काम रोककर चर्चा कराई जाय और सरकार इस पर न्यायिक जांच का आश्वासन दे तथा दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे तथा मृतक के आश्रित को मुआवजा दें।

*श्री राम सिंह–

मान्यवर, जो तथ्य माननीय भाटी जी द्वारा आपके समक्ष रखे गये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मृतक जफर कुरैशी गुलावटी का रहने वाला था और धौलाना जनपद गाजियाबाद में है, वहां की पुलिस द्वारा उसको 12 बजे ले जाया जाता है और ढाई बजे मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ पुलिस की बर्बरता नृशंसता के बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। अभी जून में आपके संज्ञान में होगा कि हाईकोर्ट ने 39 पी०ए०सी० जवानों को 7 साल की सजा इसलिये सुनाई कि वह लोग डकैती में इन्वाल्व थे, इस प्रकार जब रक्षक ही भक्षक बन जायें तो फिर कैसे काम चलेगा। वर्तमान शासन का इन पुलिस वालों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। यह लोक महत्व का सवाल है इस पर सारे नियमों को रोककर चर्चा कराई जाय और मृतक आश्रित को 5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिये। साथ ही साथ मेरा यह भी अनुरोध है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस लिये इस घटना की जांच सी०आई०डी० से होनी चाहिये।

*पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 9 तारीख की घटना का उल्लेख किया गया है, मैंने सूचना मिलते ही सारी जानकारी प्राप्त की। प्राप्त जानकारी के अनुसार जफर कुरैशी की मृत्यु हुई, इसके बारे में जानकारी यह प्राप्त हुई कि वहां आसपास के आम के बागों में कई बार लूट हो चुकी थी, पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हुई और यह मारा गया। यह 9 तारीख की घटना है, अगर पहले सूचना दी होती तो विस्तार से सारी जानकारी प्राप्त कर ली गई होती। सारे प्रकरण की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिये गये हैं, यदि कोई दोषी पाया गया तो कार्यवाही की जायेगी। दो बातों पर बल दिया जा रहा है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि यदि आपराधिक इतिहास हो भी तो उसकी हत्या कर दी जाय, ऐसा कहीं नहीं है। यदि किसी का ऐसा इतिहास है तो कानूनी कार्यवाही तक सीमित रखा जाय, अब जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई दोषी होगा, तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और गाजियाबाद से उनका लिंक भी बना हुआ है, बराबर आते जाते हैं, उन्होंने बहुत सफाई से अपनी बात कह दी लेकिन मैं अपनी बात पर बल दे रहा हूं। अगर जफर कुरैशी का यह इनकाउन्टर है तो फिर यह सच है कि कहीं ऐसा न हो कि मंत्रीमण्डल में एक मुस्लिम मंत्री भी है। अगर बिना लालबत्ती के मंत्री चला जाय तो पुलिस उसको नाम पूछ कर कि मुसलमान है भी मार दे। मैं चुनौती और दावे के साथ कह रहा हूं कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केवल एक मामला, जो उसके चाचा ने पारिवारिक बंटवारे को लेकर लिखाया था, वह भी लम्बित है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 323 की रिपोर्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि सारे शरीर पर चोटें हैं। मा० संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि मजिस्ट्रेट से जांच कराई जायेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि हर इनकाउन्टर की मजिस्ट्रेट से जांच होती है उसमें क्या नई बात है।

* वक्ता ने भाषण को पुर्नवीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मा० श्री भाटी और मा० श्री संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और निरस्त करता हूं। अगली सूचना मा० श्री राम नरेश यादव की है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगवा लें, अगर उसके शरीर पर डण्डों की चोटें हैं तो वह इन्काउण्टर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की सूचना के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उसके सारे शरीर पर डण्डों के निशान हैं। पिटाई के निशान हैं और इन्काउण्टर दिखा दिया गया।.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवधेश प्रसाद जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अभी गृह विभाग का अनुदान हैं उस पर आप कह सकते हैं। मैंने श्री राम नरेश यादव जी को बुला लिया है। कृपया बैठ जायें। जो आप कह रहे हैं लिखा नहीं जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं तथा मेरा दल इसके विरोध में सदन से बहिष्कार करता है।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सदन त्यागकर चले गये)

श्री राम नरेश यादव–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर चर्चा कराने का काम किया जाये, उसके बारे में मैं सारी वस्तुस्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं और उसकी ग्राह्यता पर अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, 15 अगस्त, 1997 से आने वाले 15 अगस्त, 1998 तक स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया जा रहा है इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है और उसकी नोडल एजेन्सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बनाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कुछ मार्गदर्शी बिन्दु समस्त राज्य सरकारों को भेजे हैं और उनको यह निर्देश दिये हैं कि उन्हीं के आधार पर स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया जायेगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश में उस समय राष्ट्रपति शासन था और राष्ट्रपति शासनकाल में एक समिति का गठन किया गया था और जब सरकार बनी तो उस समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी बने और उस समिति का पुनर्गठन किया गया। उस समिति की कई बैठकें हुई और निर्णय लिए गये और उसकी एक पुस्तिका छपी है, इसमें बहुत से निर्णय हैं जो लिए गये हैं।.....इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए और 115 प्रस्ताव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में पास किए गए, उन सारे प्रस्ताव को पास कर उसके आधार पर निर्णय किया गया कि यहां उत्तर प्रदेश में कौन विभाग होगा जो इसका समन्वय कराएगा तो उस काम के लिए जो हमारा सांस्कृतिक विभाग है उसको समन्वय का काम दिया गया और उसके निर्देश पर हर मण्डल स्तर पर और जनपद स्तर पर, ब्लाक स्तर पर समितियां बनाने की बात थी और यह निर्णय हुआ था कि इन सारी बातों का पालन किया जाएगा। मैं उन सब निर्णयों की चर्चा नहीं करना चाहता उसमें काफी समय लगेगा।

आज हम इस सर्वोच्च मंदिर पर बैठे हैं और इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तैलचित्र लगा है, तो उनकी स्मृतियों को संजोने का निर्णय लिया गया कि हर मण्डल में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, और दूसरे महापुरुष हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, उनकी स्मृति में स्वर्ण जयन्ती स्मारक स्थापित किए जाएंगे और हर ब्लाक और हर जिला स्तर पर और मण्डल स्तर पर उनके चित्र लगाये जायेंगे जिससे जनता उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को जान सकेगी और इन सभी का इतिहास तैयार किया जायेगा। यह सारा काम सांस्कृतिक विभाग को सौंपा गया था उसके आधार पर बैठकें होनी थीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 14-7-97 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई और उस निर्णय का पालन नहीं हुआ और मण्डल स्तर पर जो कार्य होने थे वह भी नहीं हुए, मैं नहीं जानता इस सरकार के सत्ता में आने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में क्या मानसिकता है जिससे उस आदेश का पालन नहीं किया गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्ण जयन्ती का वह समय 15 अगस्त, 98 को समाप्त होने जा रहा है, और बहुत से काम अधूरे हैं और इस बजट में नये निर्माण कार्य होने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि निश्चित रूप से जो सड़क, पुल और पंचायत भवन तथा स्कूल आदि बनने जा रहे हैं वह उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखे जाएं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र मण्डल स्तर पर लगाए जाएं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र भी तैयार होना चाहिए, अगर यह सचमुच में उनका आदर करते हैं तो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जानकारी समस्त प्रदेश की जनता को देने के लिए यह आवश्यक है और जो बजट आपने इस संबंध में रखा है उसके आधार पर क्या-क्या काम किए हैं। उसकी रूपरेखा श्वेत पत्र में आनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की महान कृपा से ही हम यहां बैठे हैं और उनकी कुरबानी से देश और प्रदेश गौरवान्वित है। इस आधार पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाएं और जो सुझाव दिएं हैं उसके आधार पर इस सदन की एक कार्यसमिति गठित की जाए जो उनका कार्यान्वियन करें। यह इसलिए अति लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर मा० राम नरेश यादव जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है संभवतः सभी सदस्य कम से कम इस सीमा तक तो चिन्तित हैं हीं, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कृपा से हम यहां बैठे हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए। विशेष रूप से इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में इसके लिए कार्यक्रम बनाये गये हैं और यह प्रयास किया गया कि उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति को हम गांव तक ले जाकर पहुंचाएं और जो त्याग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का रहा उसके प्रति लोगों में चेतना पैदा की जाएं और उसकी जानकारी जनपद स्तर और गांव स्तर पर दी जाएं और उसके अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएं जितनी अपेक्षा करते थे शायद उतनी न हो लेकिन जहां तक इस प्रकार का प्रश्न है आप साक्षी होंगे शायद ही पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जितनी पेंशन इस प्रदेश में देने की व्यवस्था की गयी और मा० मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने की है उतने दूसरे राज्यों में नहीं की है।

श्री राम नरेश यादव–

सरकार ने समझ लिया है कि पेंशन में वृद्धि कर दी है तो सारा काम खत्म हो गया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्वीकार करके चला हूं कि जितनी अपेक्षायें थीं उतना काम नहीं हुआ लेकिन जो थोड़ा बहुत किया है वह मैं बता रहा हूं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में यातनायें सही, जेल गये उनके लिए जो किया गया मैं मानता हूं कि वह आटे में नमक के बराबर है। हमें इतना गौरव प्राप्त है कि सारे देश में सबसे अधिक सहायता उपलब्ध कराई। उनकी दूसरी मांग थी कि बुजुर्ग हो गये हैं सहवर्ती की व्यवस्था की जाय। तीसरी मांग कि जो परिवहन निगम की बसें हैं उत्तर प्रदेश की सीमा तक वह ले जाती हैं आगे की भी सुविधा दी जाय तो इस सरकार ने उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया है। संसाधनों को दृष्टिगत

रखते हुए उनके प्रति समर्पण का भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। जो उनके प्रति वायदा किया था उनको पूरा करने का प्रयास किया है आगे जो हमसे अपेक्षायें की जा रही हैं उनसे हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं यादव जी से आग्रह करूंगा कि वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं सर्वोच्च आसन पर आसीन रह चुके हैं, यह कार्य स्थगन का विषय नहीं है कोई निश्चित सूचना भी नहीं है। यह मैं जरूर कहता हूं कि महत्व का विषय है और हम इस महत्व के प्रति जागरुक हैं।

श्री राम नरेश यादव–

मैंने यह कहा कि 15-7-97 को जो निर्णय लिए गये थे उसके आधार पर कुछ नहीं किया गया कोई बैठक नहीं हुई कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए मैंने सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग की थी। सरकार एक श्वेतपत्र प्रकाशित करे। केन्द्रीय सरकार के जो मार्गदर्शी बिन्दु थे जिनके आधार पर ग्राम सभा स्तर पर जाने की बात थी, उस दिशा में कुछ नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष–

अभी 20 दिन बाकी हैं। थोड़ा गति ला दीजिए।

श्री हुकुम सिंह–

सरकार इस बात के लिए चिन्तित है कि जो समय बचा है उसमें और गति लायी जाय। जो किया गया है उसकी जानकारी गांव तक जाय और जागृति पैदा की जाय और लोगों को एहसास कराया जाय समारोह कराये जायें तो इसमें जो कुछ संभव था किया गया है और आगे जो कुछ संभव होगा किया जायेगा।

श्री राम नरेश यादव–

स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का एतिहासिक महत्व है। जनपद वार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास तैयार करने का निर्णय लिया गया था उसके बारे में कुछ नहीं आ रहा है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कई जनपदों में इतिहास तैयार हो चुका है। मैं उसकी कापी आपको भेज दूंगा। कई जनपदों में कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने सरकार से सहायता प्राप्त करके इतिहास तैयार किया है। मैं प्रतिलिपि भेज दूंगा आपकी जानकारी के लिए।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जो निर्णय लिये गये थे, उसके अनुसार काम नहीं हुआ है। मंत्री जी वाक्पटु हैं सरकार चलाते-चलाते अनुभव काफी हो गया है इसलिए बहकाने का काम कर रहे हैं। जो केन्द्र सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त थे उसके आधार पर कुछ नहीं किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने स्वर्ण जयन्ती वर्ष के बारे में क्रूर मजाक किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो सम्मान देना चाहिए था वह नहीं दिया है जिसको ध्यान में रखकर हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य सब वाकआउट करते हैं।

(श्री राम नरेश यादव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये)

श्री अध्यक्ष–

श्री राम नरेश यादव और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

* श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।.....बदायूं जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जो कार्य किये गये हैं वह अत्यन्त निम्न स्तर के हैं कि वह भारत सरकार की योजना के साथ मखौल उड़ाया गया है। जो सुनिश्चित रोजगार योजना है उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि 60 और 40 प्रतिशत का रेसियो रखा जाय। बदायूं जनपद में 18 ब्लाक हैं इन सभी ब्लाकों में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मानक का कोई ध्यान नहीं रखा गया है साथ ही साथ 31 मार्च को जो धन एडवांस में ड्रा कर लिया गया है उसका न कोई उपयोग किया गया और न कार्य कराया गया। जो कार्य कराये गये हैं उनमें स्कूलों की चाहरदीवारी बनवाई गयी है और वह किसी भी कीमत पर 60 और 40 प्रतिशत के रेशियों में नहीं आ सकती। जो भी कार्य कराये गये हैं वह ठेकेदारों के द्वारा कराये गये हैं जबकि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों से कार्य कराना सख्त मना है।

यह कार्य स्थानीय श्रमिकों से कराया जाना चाहिए था ताकि उन्हें रोजगार मिलता। मान्यवर, जो तत्कालीन अधिकारी थे चाहे जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या परियोजना निदेशक सभी ने मिलकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है। इस हेराफेरी में अवर अभियन्ता और खण्ड विकास अधिकारी की साजिश रही है। प्राइमरी पाठशाला अकौली, विकास खण्ड अम्बियापुर तथा प्राइमरी पाठशाला खेड़ा पूर्वी, प्राइमरी पाठशाला बेहटा जर्वी, प्राइमरी पाठशाला गढ़ी के लिए धन का आहरण कर लिया गया लेकिन अभी तक वहां कोई काम नहीं हुआ है। वहां पर सारा धन बी०डी०ओ० और जे०ई० ने मिलकर हड़प लिया है। प्राइमरी पाठशाला सितररौल बैरमई बुजुर्ग तथा हैदलपुर की चाहरदीवारी इतनी घटिया स्तर की बनायी गयी है जो कभी भी गिर सकती है। इसलिए मान्यवर, यह सुनिश्चित और तात्कालिक सूचना है, अविलम्बनीय और लोकमहत्व का है। मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये साथ ही साथ यह भी चाहूंगा कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग से करायी जाये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, चाहरदीवारी और स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण सामान्य रूप से शिक्षा के बजट से होता है या जिला पंचायत के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे होता है। मैंने बदायूं से जो सूचना प्राप्त की है और प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य ब्लाक के विकास अधिकारी द्वारा कराया गया है। कोई काम कराने के लिए कोई न कोई जिम्मेदार आदमी को दायित्व देना पड़ता है। मौर्या जी जब आप एरीगेशन मंत्री थे तब ठेकेदारी व्यवस्था रही होगी। खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से यह कार्य कराया जा रहा है। मैंने उनको निर्देशित किया है कि मजदूर रखकर उनसे कार्य कराया जाये और उन्हें पैसा दिया जाये।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं स्पष्ट उदाहरण दे दूं मंत्री जी ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा से कार्य नहीं कराया गया है। राजवीर सिंह यादव, देवी सिंह, मुकेश मौर्या व अन्य ठेकेदारों से काम कराया गया है और भारत सरकार का जो मानक है 60 और 40 प्रतिशत के रेशियो का स्पष्टतया उल्लंघन किया गया है।.....

श्री अधिष्ठाता–

मौर्या जी आपकी बात आ गयी है अब आप बैठें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसकी जांच कराने में सरकार को क्या आपत्ति है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्ननिर्माण नहीं किया।

अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का यह कहना है कि इस मामले की जांच करा ली जाए। आपने स्पष्टीकरण दिया कि जांच करा ली गई है या आपने केवल सूचना मंगाई है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने सूचना के आधार पर कहा है। यह जांचोपरान्त सूचना आती है। खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से काम कराए गए हैं। ठेकेदारों के माध्यम से काम नहीं कराए गए हैं। इसके बावजूद अगर श्री भोला शंकर मौर्य जी के पास कोई विशेष जानकारी हो उसको दे दें। उसकी निश्चित रूप से जांच करा ली जाएगी।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर श्री भोला शंकर मौर्य एवं संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं।

पांचवी सूचना श्री मुन्ना चौहान की है।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद पिथौरागढ़ के अन्दर एक भीषण दैवी आपदा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, 19-20 तारीख की रात को, वैसे तो पिथौरागढ़ जनपद का यह दुर्भाग्य रहा है कि इसी महीने के अन्दर इसी 15 दिन के अन्दर पिथौरागढ़ तमाम दैवी आपदाओं से घिरा रहा। 19-20 की रात को न केवल पहाड़ों के अन्दर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर शायद इतनी बड़ी घटना पहली बार हुई होगी। पिथौरागढ़ के मुख्य बाजार गांधी चौक, शास्त्री नगर और सुभाष चौक में सैकड़ों दुकानें आग से जलकर नष्ट हो गईं। 12 बहुमंजिली इमारतें जलकर नष्ट हो गईं। शासन और प्रशासन का आलम यह रहा कि रात को लगी इस आग की सुध लेने प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। प्रशासन की तरफ से समय रहते कोई उपाय नहीं किया गया। स्थानीय जनमानस को इतना गम्भीर दोष था कि जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारी जब इस घटना की जांच पड़ताल करने पहुंचे तो उनके वाहनों पर पथराव किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी कि इस घटना को लेकर मैं खड़ा हुआ हूं। पिथौरागढ़ जनपद का यह दुर्भाग्य है कि वह चूंकि वहां से हजारों लोग लखनऊ में आकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं लिहाजा उनकी परवाह नहीं की जा रही है। यह आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है यह मानवता का मुद्दा है। 79 दुकानें जल गईं। 12 बहुमंजिली इमारतें जल गईं आज तक राहत का काम नहीं किया गया है।

पिथौरागढ़ जनपद के अन्दर इसके पहले 7-4-98 को एक बड़ी घटना हो चुकी है। यहां की कोई घटना होती है तो घंटों सदन बाधित रहता है, सरकार की तरफ से कार्यवाही करने का आश्वासन दिया जाता है लेकिन पिथौरागढ़ जनपद की घटना पर ऐसी बात नहीं होगी। पिथौरागढ़ जिले के अन्दर एक जनजाति गांव, के पास 6 लोगों की जानें चली गई, वहां बादल फट गए जिस तरह से रेगिस्तान के ऊंट को वहां का जहाज कहा जाता है उसी तरह से पहाड़ का खच्चर वहां के जन जीवन से जुड़ा होता है। वह वहां का मालवाहक होता है। इस बादल फटने से 25 खच्चर बह गए 6 लोगों की जानें चली गईं। सैकड़ों लोगों की जमीन नष्ट हो गई। आज की तारीख तक वहां कोई राहत नहीं दी गई। इसी जिले में डी०डी० हाट के पास 26-6-98 को जमतड़ गांव की जमीन धस गयी गांव वाले तम्बुओं में रह रहे हैं। इसी बात को लेकर हमने सम्मानित सदन के अन्दर व्यथा प्रकट की थी। उत्तरांचल विकास मंत्री जी से भी हमने अपनी व्यथा प्रकट की थी।.....हो सकता है पिथौरागढ़ की मानिटरिंग करने में उत्तर प्रदेश सरकार को मुश्किल पड़ती हो। वहां की स्थिति को समझें जहां पर एक झटके में और एक रात में 100 से अधिक परिवार

सड़कों पर आ गये हों, उनके बदन में कपड़े नहीं हैं और जिनके तमाम घर जलकर नष्ट हो गये हैं। हम सरकार के किसी रहमोकरम पर जीना नहीं चाहते हैं, दया की भीख नहीं मांग रहे हैं अपितु लोकतंत्र के अन्दर कल्याणकारी सरकार से जनता का जो अधिकार है उस अधिकार की मांग हम करते हैं और उस क्षेत्र के अधिकारों की मांग करते हुए कहना चाहता हूं कि उनको माकूल सहायता दी जाय और उनको कम्पनसेट किया जाए। सरकार तुरन्त इसकी घोषणा सदन में करें इस बात के लिए मान्यवर आप सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।

* श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय चौहान जी ने जिस व्यथा का जिक्र किया उसके बारे में बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं यह आपदा प्राकृतिक है जिसका उल्लेख भाई मुन्ना जी ने किया परन्तु खेद और कष्ट की बात यह है कि राहत कब मिलेगी, मजिस्ट्रेटी जांच होगी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास भी किया जायेगा। परन्तु प्रसाशनिक व्यवस्था के अन्तर्गत और लोक कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है अगर प्रसाशन वहां जाकर पीड़ित लोगों को संवेदना देता, सहानुभूति प्रदान करता, ढाढस बधाता और साहस दिखता कि आप अकेले नहीं हैं बल्कि प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यह प्रशासन का दायित्व है कि इस विपत्ति के अवसर पर हम सब लोग मिलकर सहेंगे, अब आप अपने भविष्य के बारे में चिन्तित न हों क्योंकि भविष्य के प्रति जिम्मेदारी सरकार की है और जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर प्रशासन का यह दृष्टिकोण रहता तो उस विपत्ति में जो लोग सड़कों पर आयें और जब प्रशासन के लोग वहां पर गये और जनता उनकी शक्ल से इतनी नफरत करने लगी तथा उनके वाहनों पर पथराव किया, कोई ऐसा कारण नहीं था कि वह उनके वाहनों पर पथराव करती। बिल्कुल नहीं करती। इसलिए में आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जब मंत्री जी राहत की बात करें तो कम से कम ऐसे अधिकारी जिन्होंने इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा में पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखायी और उनकी उपेक्षा की, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिए साथ ही शासन को उस पर कार्यवाही भी करनी चाहिए। मान्यवर, यह एक लोक महत्व का प्रश्न है। दूरस्थ स्थान के व्यक्तियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है क्योंकि उन्हें यहां आने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शेष कार्यवाही को रोक कर आप इस पर चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस भीषण अग्निकाण्ड की तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित कराया और बड़ी चिन्ता दर्शायी। पिथौरागढ़ जनपद के जिलाधिकारी के विवेक पर दैवी आपदा का सामना करने के लिए सरकार ने लगभग साढ़े सत्ताइस लाख रुपए उपलब्ध कराये हैं इस निर्देश के साथ कि जो अग्निकाण्ड है या उसके अलावा जो भी दैवी आपदा आये उसके लिए धनराशि की व्यवस्था करना उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। यही नहीं, उसको यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर इससे भी अधिक धनराशि की जरूरत पड़े तो पी०आर०–27 से सीधे पैसे आहरित करके व्यय किया जा सकता है। पिथौरागढ़ जैसी जगह पर ऐसी घटना हो जाय, यह चिन्ता का विषय है। क्योंकि बराबर बारिस हो रही है और पिथौरागढ़ में भी बारिस हो रही है। मैं इस सूचना को गम्भीरता से ले रहा हूं और इसके बारे में अधिक सूचना एकत्र कर रहा हूं। जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हो जायेगी मैं माननीय सदस्य को स्वयं अवगत करा दूंगा।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दे रहा हूं यह कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। मान्यवर, अभी तक जिलाधिकारियों को जो निर्देश दैवी आपदा के बारे में दिये गये हैं उसका यदि अवलोकन करें तो उसमें तमाम ऐसी विसंगतियां हैं जो वहां की परिस्थितियों के हिसाब से भिन्न हैं। पहाड़ में दैवी आपदा से प्रभावित लोगों को जब राहत दिये जाने की बात आती है तो वह उसमें फिट नहीं बैठती हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। इसे एक बार रिव्यू कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्निरीक्षण नहीं किया।

लें। जैसे यहां पर बाढ़ आती है तो जलमग्न हो जाता है लेकिन वहां पर बाढ़ आती है तो मकान बह जाता है, दुकान बह जाती है, खेत बह जाता है। भिन्न परिस्थितियां हैं। परमानेन्ट सम्पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। राहत दिये जाने के लिए एक मापदण्ड एक नीति निर्धारित करें। मान्यवर, इसीलिए मेरा आग्रह था कि इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर चर्चा करवा लेते ताकि इसमें कुछ सुझाव आ जाते।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, भिन्न स्थिति है वहां की, इससे तो हम सहमत हैं इसीलिए उत्तराखण्ड का गठन हो रहा है। मान्यवर, बिना पूर्व सूचना के मैं कुछ कहूं वह भी ठीक नहीं होगा। सूचना प्राप्त हो जायेगी मैं देख लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना चौहान, अम्बरीष कुमार और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं। पांच सूचनाएं जिन्हें नियम–56 में सुनना था, उन पर माननीय सदस्यों को सुना जा चुका है। अब इसके पश्चात् आगे की सूचनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य जिनकी सूचना है अपनी बात ग्राह्यता पर दो-दो मिनट में कह लें तो समय भी ज्यादा नहीं लगेगा और उनकी बात भी आ जायेगी तथा शासन की ओर से भी बात आ जायेगी। छठवीं सूचना श्री बाबू खां की है।

श्री बाबू खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे विषय की गम्भीरता पर बोलने का मौका दिया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सम्मानित सदन में माननीय नेता सदन उपस्थित हैं और पुलिस का बजट भी पेश होने जा रहा है। उसी से संबंधित मेरी सूचना है। मान्यवर, 9 तारीख को जनपद हरदोई के शाहाबाद कस्बे में एक बुनकर फईद अहमद को पकड़कर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों ने मारा पीटा और उसको चौराहे पर लाकर के उसके सिर के ऊपर नाई से चौराहा बनवाया और जुलूस निकालकर इतनी बेइज्जती की गई है, अपमानित किया गया है कि वहां पर साम्प्रदायिकता की चिन्गारी भड़क उठी है। लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और पुलिस ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की। थाने के ऊपर हजारों लोगों ने जब धरना दिया तब मान्यवर, 10 तारीख को मु०स०–224/98, 452, 323, 504, 506, 508 आई०पी०सी० की धारा के अन्दर मुकदमा लिखा गया। लेकिन वहां की स्थिति कन्ट्रोल में इसलिए नहीं है कि वहां के अपराधी थाने के आस पास घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहां पर इस घटना को लेकर लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। किसी भी समय वहां पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। मान्यवर, इसीलिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मुसलमान सम्प्रदाय के ऊपर आये दिन घटनाएं हो रही हैं उनका शोषण हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनका इन्काउण्टर किया जा रहा है। मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख किया गया है। यह दो व्यक्तियों का झगड़ा है। एक राम दास हैं और दूसरे फईम हैं।.....रामदास का कहना है कि जिससे वह वस्त्र बनवाता था फईम से, उसने हेराफेरी कर ली और फईम का यह कथन है कि रामदास ने पिटाई की, उस पर मुकदमा दायर कर लिया गया। जिस व्यक्ति ने कहा कि मारपीट हुई उसमें मुकदमा तुरन्त कायम कर दिया गया। अपराधी की गिरफ्तारी किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। फईम है पंथ विशेष से, तो इसकी वजह से यह कहा जाए कि ज्यादती हो रही है यह सही नहीं। यह सदन सबकी चिन्ता करता है। सरकार सबकी चिन्ता करती है कि किस प्रकार समाज की एकता को, अखण्डता को बनाकर चले। दोषी दोषी है, अपराधी अपराधी है, इसमें पंथ विशेष की बात नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अवधेष प्रसाद–

एफ०आई०आर० क्या है बता दें।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

एफ०आई०आर० के बारे में इन्होंने कहा मैं बताना चाहता हूं भारतीय दण्डविधान की धारा 224, 452, 423, 504, 506 लगाई गई है जहां तक बाल काटने की बात है उसमें सूचना प्राप्त की है, मारपीट हुई है इसके अनुसार ही मुकदमा कायम किया गया है। बाल काटकर घुमाने की पुष्टि नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा।

श्री अवधेष प्रसाद–

मैंने सवाल किया था माननीय मंत्री जी ने जो बात कही वह आदरणीय सदन की प्रापर्टी हो गई इन्होंने एफ०आई०आर० की दफा बताई ; मेरी निश्चित जानकारी है कि उसको घुमाया गया जो अल्पसंख्यक था उसके चौराहा बनाकर सार्वजनिक रूप से घुमाया गया है, यह संदेश अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य ने एफ०आई०आर० का उल्लेख किया मैंने उसकी पुष्टि की थी। एफ०आई०आर० हुई। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया उसके आधार पर एफ०आई०आर० दर्ज हुई आपने उल्लेख किया वह अलग बात है जांच में आ गया वह अलग बात है आप दुनिया भर का इतिहास लिखें वह अलग बात है एफ०आई०आर० में लिखे जाने वाले जो तथ्य थे उसकी जांच सी०ओ० एस०डी०एम० ने की, जांच के बाद यह पाया.....

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जब मार-पीट हुई तो अरेस्ट हुई होगी। बाल काटकर चौराहा बनाया गया तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह अल्पसंख्यक की बात है। यह बहुत ही गंभीर घटना है। एक आदमी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, बाजार में घुमाया गया, उसके साथ मार-पीट हुई। उसकी पहले से रिपोर्ट नहीं हुई। जब कई हजारों लोगों ने जब थाने को घेरा तो उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। यह आपकी संवेदनशीलता है। एक मुसलमान के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी। आज अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो सवाल पूछा गया था मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। यह एफ०आई०आर० जो दर्ज हुई है यह मार-पीट के आधार पर हुई है और यह बनाम रामदास दर्ज हुई है। उसकी तलाश चल रही है यह आपके लिए एक पंथ का मामला होगा लेकिन यह हमारे लिए देश के नागरिक का मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नगत सूचना पर श्री बाबू खां और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर [x x x x x]

मान्यवर,

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब इसमें किसी सदस्य को अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर [x x x]

मान्यवर,

श्री अधिष्ठाता–

जो कुछ भी माननीय सदस्य कहेंगे वह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर [x x x]

मान्यवर,

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस सदन में आकर हम जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है और सदस्य अपनी बात रखना चाहता है। आप कहते हैं कि अंकित नहीं होगा।.....

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात न सुने लेकिन हम अपनी बात सदन में कहने आये हैं,

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, जिस वक्त बाल काटे गये उस वक्त पुलिस क्या कर ही थी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर आप संरक्षण नहीं देंगे तो हम लोगों की आवाज कौन सुनेगा। आप सरकार को निर्देश दें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग बैठें तभी तो आपकी बात सुन पाऊंगा। नियम 56 पर ग्राह्यता पर सुनने के लिए मैंने अवसर दिया बाबू खां जी को उन्होंने अपनी बात रखी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कह दिया कि एफ०आई०आर० इन-इन धाराओं में हुई थी किन्तु जांच में वास्तविकता यह छनकर आई है जिसके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए एफ०आई०आर० के अनुरूप कार्यवाही के लिए शासन चेष्टा कर रहा है। इसके बावजूद कुछ माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण चाहा उसका भी अवसर मैंने दिया। अमूमन यही होता है कि माननीय सदस्य अपनी बात ग्राह्यता पर प्रकट करते हैं। माननीय मंत्री उसका उत्तर देते हैं और उसके पश्चात् पीठ से निर्णय हो जाता है। मैंने पूरा का पूरा अवसर माननीय सदस्यों को दिया। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने पूरा उत्तर देने की चेष्टा की। उसके बाद अगली सूचना के लिए माननीय समरपाल सिंह जी को मैंने बुला भी लिया। मैं इसको निरस्त कर चुका हूं।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, हमारी जिज्ञासा पहले सुन लें। आपने कहा कि अब कोई बात लिखी नहीं जाएगी।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इसलिए कहा कि मैंने अगली सूचना ले ली थी और वे खड़े भी हो गये थे। और मैं समझता हूं कि मेरा निर्णय उचित था।

श्री अम्बिका चौधरी–

शासन घोषणा करें कि 48 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर लेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं सूचना दे रहा हूं। यह हमारा दायित्व है और हम पूरी जिम्मेदारी से उस दायित्व को निभाने का प्रयास करते हैं कि जब कोई माननीय सदस्य सूचना देते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। जब आपने चिन्ता व्यक्त की तो मैंने जाकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप टेलीफोन से बैठकर यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि क्या घटना है। घटना की जानकारी प्राप्त हुई है कि इस सारे प्रकरण की जांच कर ली गयी है और मुझे यह कहते हुए खेद है कि जांच के बाद सारी की सारी घटना फर्जी पाई गयी है और मुकदमा को समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(विपक्ष के श्री वसीम अहमद, श्री बाबू खां, श्री उदयराम यादव, इकबाल महमूद, डा० धर्मज्ञ मिश्र सहित माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 3.45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजे तक बढ़ा दिया है। 4 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी नियम 56 में मा० सदस्य बाबू खां ने नोटिस दिया था और ऐसी घटना का जिक्र भी किया और उस पर आपकी व्यवस्था आयी, उनके साथ जितनी ज्यादतियां हुई हैं, सरकारी दल के समर्थकों के सह पर ज्यादतियां हुई हैं। मा० सदस्य बाबू खां ने अपनी व्यथा रखी थी, उस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

मा० संसदीय कार्यमंत्री जी मेरा आग्रह है कि इस सारे प्रकरण की जांच एक बड़े स्तर के अधिकारी से, डी०आई०जी० से करा लें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसे आदेश होंगे, कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के संबंध में है। इस सूचना में 8 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, तीन लोग बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

पांच-पांच मिनट का समय देंगे।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। लोक महत्व का प्रश्न इसलिए है कि लगभग 4 करोड़ लोगों के साथ नाइन्साफी हो रही है 4 करोड़ लोगों से संबंधित है, इसलिए लोक महत्व का है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास कार्य ठप्प हैं। वहां पर सड़के देख लें, उनकी हालत जर्जर हो गयी है। बिजली को देख लें, बिजली के तार पुराने हो गये हैं और आये दिन वह टूटकर गिर जाते हैं जिससे लोगों की मौतें हो जाती हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 95 प्रतिशत बिजलीघर खराब है, जिससे जनता तक बिजली नहीं जा रही है तो मान्यवर, विकास के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों में रोष व्याप्त है। यह जो विकास कार्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार है उसके कारण सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल निधि की स्थापना की है, बुन्देलखण्ड के विकास के लिए 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। लेकिन मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। सभी का विकास होना चाहिए। उत्तराखण्ड के विकास के लिए 557 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने कौन सा अपराध किया है जो कि इसके विकास के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके विकास के लिए एक पैसा बजट में नहीं दिया गया है। किसी विकास निधि का गठन नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर सड़कों की आवश्यकता नहीं है, क्या वहां पर बिजली की आवश्यकता नहीं है और क्या वहां पर पानी की आवश्यकता नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह भाग सम्पन्न है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग सम्पन्न अपनी मेहनत के कारण है। प्रश्नोत्तर काल में कहा गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की मण्डियां घाटे पर चल रही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मण्डियां मुनाफे पर चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मण्डियां इसलिए मुनाफे पर चल रही हैं क्योंकि वहां का किसान मेहनत करता है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करता है इसलिए वह मुनाफे पर चल रही है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पैसे को प्रदेश के दूसरे हिस्से में लगाया जा रहा है। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट की बेंच बनायी जाय जिस प्रकार से लखनऊ और इलाहाबाद में है।

अगर पश्चिमी उ०प्र० में चाहे आगरा में, चाहे मेरठ में, चाहे मुजफ्फरनगर में हाई कोर्ट की एक बेंच हो जायेगी तो क्या गलत होगा। आज उत्तराखण्ड का आदमी इलाहाबाद जाता है तो उसे 3 दिन लग जाते हैं। हम लोगों ने मेरठ के अन्दर एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की वह भी नहीं मानी गयी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री समर पाल सिंह–

बड़ौत, मेरठ और मुजफ्फरनगर में गन्ना सबसे ज्यादा होता है और शुगर केन रिसर्च इन्स्टीट्यूट कानपुर में है। जबकि कानपुर में पूजा के लिए भी गन्ना चाहिए तो बाजार से खरीदना पड़ता है। मेरठ में एक पी०सी०एफ० सेंटर था उसे भी हटा लिया गया तो पश्चिमी उ०प्र० के लोगों के साथ यह नाइंसाफी क्यों हो रही है। तो क्या वहां के विकास के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वहां विकास के कार्य 20, 20 साल से अधूरे पड़े हुए हैं सारे काम ठप हैं, पुल स्वीकृत हैं लेकिन वह पूरे नहीं हुए हैं। यह वहां के लोगों के साथ नाइंसाफी है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। उ०प्र० का पश्चिमी हिस्सा वह इलाका है जहां के लोग मेहनत करते हैं और पूरे प्रदेश का पेट भरते हैं, प्रदेश के विकास के लिए रैवेन्यू दे रहा है और वह अपने विकास के लिए तरस रहा है, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्निरीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया बैठें।

श्री समर पाल सिंह–

वहां पर बिजली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। वहां पर लोगों का आन्दोलन चल रहा है। लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो यह निश्चित है कि अगर आप सुविधा नहीं देंगे,उनका हिस्सा नहीं देंगे तो फिर वह इसी तरह आन्दोलन करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। वहां पी०सी०एफ० का सेन्टर क्यों बन्द किया गया, अगर इस तरह से ही आप करते रहेंगे तो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए राज्य देना पड़ेगा और वहां खूनखराबा होगा,जिस तरह से उत्तराखण्ड में खूनखराबा हुआ और अलग राज्य की घोषणा आपने की।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री समर पाल सिंह–

मैं,मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि यह अति लोकमहत्व का विषय है चार करोड़ लोगों के हित का विषय है इसलिए अविलम्बनीय है, इस पर चर्चा स्वीकार करें।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अति लोकमहत्व के प्रश्न पर अपने विचार रख रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ जो सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। मान्यवर,हमारे यहां बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, आये दिन बिजली के तार टूटने से फसलों में आग लग जाती है,किसान को बहुत बड़ा नुकसान इससे उठाना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ और सहारनपुर मण्डल पच्चीस प्रतिशत रेवेन्यू प्रदेश को देता है। विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार ने यह घोषणा कर रखी है जो प्रदेश सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देगा उसी प्रकार उसको केन्द्रीय बजट से विकास के लिए पैसा दिया जायेगा। इसी नियम के तहत् पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। 60 प्रतिशत रेवेन्यू हम देते हैं लेकिन विकास के नाम पर हमें एक रुपया भी नहीं मिल रहा है। वहां भी लोगों को स्कूल की जरूरत है, पशु चिकित्सालय की जरूरत है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जरूरत है लेकिन इस सब की वहां अनदेखी की जा रही है।

मान्यवर, अभी एक चिट्ठी श्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने दी है,उसमें लिखा है कि वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्य मंत्री जी द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये उपलब्ध कराने हेतु विधायक निधि की घोषणा की गयी है। अतः इस प्रकार सभी क्षेत्रों का विकास होगा। मान्यवर, यह घोषणा केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो हुई नहीं है,यह तो पूरे प्रदेश के लिए हुई है तो फिर अन्य क्षेत्रों के लिए विकासनिधि को खत्म कर देना चाहिए नहीं तो फिर हमें भी विकासनिधि देनी चाहिए। मैं इस लोकमहत्व के विषय पर चर्चा चाहता हूं।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, जब कोई सरकार बनती है तो वह पूरे प्रदेश की सरकार होती है और प्रदेश के रहने वाले सरकार से यह तवक्को रखते हैं,अपेक्षा रखते हैं कि उनके साथ बराबरी का सुलूक किया जाय और यह फंडामेंटल राइट भी है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाय। आप 425 करोड़ रुपये उत्तरांचल को दे रहे हैं, 220 करोड़ रुप्ये पूर्वांचल को दे रहे हैं और 42 करोड़ रुपये बुंदेलखण्ड को दे रहे हैं,दूसरी तरफ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक नया पैसा अलग से विकासनिधि के रूप में देने की बात नहीं की गयी है। आप सभी अंचलों का विकास करें हमें आपत्ति नहीं है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा है कि उसके लिए एक नये पैसे का अलग से प्राविजन नहीं कर रहे हैं। वहां के लिए सरकार कहती है कि वहां के लोग मेहनती हैं, वहां के लोगों का विकास हो गया है तो क्या इसलिए उनको परेशान किया जायगा और उनको गरीब बनाया जायगा। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में देख लें। पश्चिम में मेरठ में एक मेडिकल कालेज है,आगरा में है और अलीगढ़ में सेंटर है। दूसरी तरफ लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस में मेडिकल कालेज हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग कालेज के बारे में देख लें। हमारे यहां अलीगढ़ में सेंटरल यूनीवर्सिटी है। दूसरी तरफ कानपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, बनारस, लखनऊ में इंजीनियरिंग कालेज हैं। इसी तरह से आप यूनीवर्सिटीज के मामले में देख लें। हमारे यहां आगरा, मेरठ और अलीगढ़ में सेंटरल है। दूसरी तरफ लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी पंत नगर में हैं। तो फिर आप बतायें कि हम कौन से तरीके से इतने सम्पन्न हो गये हैं कि हमारे यहां शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए, यूनीवर्सिटी के लिए पैसा नहीं दिया जाता है।

.....मान्यवर, हाईकोर्ट के लिए पूरा वेस्टर्न यू०पी० चिल्लाता रहा कि हमें एक बेंच दे दें। आपके यहां इलाहाबाद में और लखनऊ में बेंच हैं, अगर पावर प्लाण्ट की बात देखें थर्मल, ओबरा, आनपारा और पनकी, वेस्टर्न यू०पी० और हमारे यहां केवल एक प्लाण्ट है वह भी बन्द होने के कगार पर है। यहां सवाल यह नहीं है कि हमारे यहां पावर प्लाण्ट क्यों नहीं हैं बल्कि सवाल यह है कि अगर होता तो उससे हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिलता। गन्ना हम 55 प्रतिशत पैदा करते हैं। शंकर निधि योजना में जो पैसा गन्ने का कटता था उससे सड़कें बना दी जाती थी। अब सारा पैसा हेडक्वार्टर (लखनऊ) में आ जाता है और मुख्यमंत्री जी के आदेश से आवंटित होता है, वह पैसा भी पूरब में जा रहा है, पश्चिम में पैसा नहीं लगाया जा रहा है जबकि उनकी कमाई का पैसा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हमें सड़कों की जरूरत नहीं है। हमारे यहां सिर्फ एक हाई-वे है, आगरा-दिल्ली का। जो दिल्ली और हरिद्वार का हश्र है, वह आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर सारी रोड ठीक हैं। आप हमारे यहां जो रोड देते हैं उनको ठीक करने के लिए पैसा नहीं देते हैं। अस्पतालों को पैसा नहीं दिया जा रहा है।.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हमीद जी, अब आप समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

.....मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बैंकिंग के बारे में बताना चाहता हूं। वेस्टर्न यू०पी० में फी लाख के अन्दर 5.1 प्र०श० है। जो हम डिपाजिट करते हैं वह 41.8 फीसदी इतना जमा कर रहे हैं फिर भी बैंकिंग फैसीलिटी नहीं मिल रही है। मैं मांग करता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि अगर यह सरकार हमें संभाल नहीं पा रही है तो यह प्रदेश का विभाजन कर दे और हमें वेस्टर्न यू०पी० अलग स्टेट के रूप में दे दें।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर श्री बनारसी दास चान्दना को बोलने का अवसर दिये जाने का आग्रह करने पर शोर/व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री समरपाल सिंह जी कृपया अपने सदस्यों को समझायें।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, श्री चान्दना जी पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए हैं,उन्हें एक मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं गलत परम्परा नहीं डालूंगा। अब कोई समय नहीं दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति चिन्तित होना स्वाभाविक है और हर माननीय सदस्य चिन्ता करते हैं कि मेरे क्षेत्र का विकास कैसे हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न के माध्यम से भी सवाल उठाया गया था और आज कार्यस्थगन के रूप में माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये और कुछ बातें ऐसी कही हैं कि हम सम्पन्न हैं इसलिए हमारी उपेक्षा हो रही है, उपेक्षा नहीं हो रही है। यह तो अपने-आप को सम्पन्न मानते हैं।.....श्रेय सम्पन्नता का अपनी मेहनत को देते हैं। तो मेहनत के साथ-साथ और भी कारण हैं। यह पूर्वांचल विकास निधि.....

श्री समर पाल सिंह–

गोमती नगर में करोड़पति लोग रहते हैं आप वहां क्यों सड़कें बनवा रहे हैं, सीवर लाइन डलवा रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपकी सम्पन्नता की प्रशंसा कर रहा हूं। मैं नहीं मानता कि आप इतने अधिक सम्पन्न हैं। जिसका कि ज्यादा उल्लेख किया जाए। किसान हैं, मेहनतकश किसान हैं और यह किसान अपनी मेहनत के बल पर अपने पैरों पर खड़े होकर काम करते हैं। आपने कहा कि पश्चिम के किसान अन्न पैदा करके पूरे प्रदेश को देते हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो पता चलेगा। लखीमपुर छोटा सा जिला है, पीलीभीत छोटा सा जनपद है यह आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर जिलों से ज्यादा धान पैदा करते हैं।

श्री समरपाल सिंह–

मैं केवल जो पूर्वांचल विकास निधि मिल रही है उसी तरह की निधि की मांग कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं। उनके उत्तर से किसी को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ आशंकाएं हों तो मैं उसकी अनुमति दे दूंगा। आपको शालीनता का व्यवहार करना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह–

मैं तो स्वयं पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूं। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम छोर पर हरियाणा से मात्र दो कि०मी० की दूरी का रहने वाला हूं। उससे ज्यादा कोई पश्चिमी नहीं है। लेकिन हमारी चिन्ता पूरे प्रदेश के बारे में है। कैसे हम उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकें। अगर उत्तर प्रदेश को हम पूर्व, पश्चिम, मध्य में बांटने का काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश का यह स्वरूप नहीं रहेगा। आप देखें उत्तर प्रदेश सारे भारत की राजनीति पर हावी रहा है। आप पूर्वी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहकर क्या संदेश देना चाहते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

यह हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च आसन का पद है, वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात हमसे ज्यादा विकसित हैं क्या हम उनसे यह अपेक्षा करेंगे कि इस आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव किया जाए।.....

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

.....पूर्वांचल कोष क्यों स्थापित किया गया। केवल आर्थिक आधार पर किया गया। केवल यह देखते हुए कि यहां पर कृषि उत्पादन कितना होता है और मेरठ में कितना होता है तथा मुजफ्फरनगर में प्रति एकड़ कितना उत्पादन होता है और सिंचाई की कितनी सुविधा पश्चिम में है और कितनी पूर्व में उपलब्ध है।.....

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी महाराष्ट्र और गुजरात की बात कही। अभी मुख्यमंत्री जी भारत सरकार के पास विकास के लिए पैसा मांगने गये थे और बाढ़ के लिये पैसा मांगने गये थे। वह भी तो विकास के नाम पर ही पैसा मांगने गये थे, वही हम भी मांग रहे हैं। हमने कोई तुलना तो की नहीं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सरकारी कोष से परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा पैसा जा रहा है। किसानों को जो बिजली दी जाती है, उसके ऊपर सरकार को इतना बड़ा अनुदान देना पड़ता है।

(श्री समरपाल सिंह जी के साथ कई विपक्ष के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये। श्री बनारसी दास चान्दना सदन के फ्लोर पर लेट गये–व्यवधान)

(तत्पश्चात् सदन के फ्लोर पर आये हुए माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री हुकुम सिंह–

श्री समरपाल जी, मेरे कहने का आशय यह था कि निजी नलकूपों की संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वह मुज्जफरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, बुलन्दशहर हो, गाजियाबाद हो, इतनी है कि उतनी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है।.....

(व्यवधान)

.....मान्यवर, मैं नहीं कहूंगा तो भी मेरे दायित्व का निर्वहन नहीं होने का। मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। इस सदन में पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात न करें। कोई क्षेत्र विकसित नहीं है, पिछड़ा है तो उसके विकास की बात होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि यह सन्देश कहां से आ रहा है। मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। समरपाल जी, अगर मैं कह दूं तो आपको बुरा लगेगा। एक नया राजनैतिक दल है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की मांग कर रहा है और बार-बार इस तरह की मांग उठाकर इस प्रदेश को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होने देंगे।

(श्री समरपाल सिंह, श्री बृजेन्द्र आर्य, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना और कई अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी को ग्राह्यता पर जो कुछ कहना है कृपया जल्दी समाप्त करें।

(माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री हुकुम सिंह–

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कोई उपेक्षा नहीं की जायेगी। जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण विकास का ध्यान रखा जायेगा।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, वहां के लोगो के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बार-बार आप लोग कुएं में कूदने की कोशिश न करें।

श्री हुकुम सिंह–

अभी चिन्ता यह व्यक्त की गई कि किसी कार्यक्रम की घोषणा करें। मैंने कुछ देर पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, थोड़ा बैठकर उन योजनाओं पर विस्तार से ध्यान देना पड़ेगा।

श्री समरपाल सिंह–

जिस तरह से पूर्वांचल, उत्तराखण्ड और बुन्देलखंड के विकास निधि की बात थी पश्चिमी उ०प्र० विकास निधि बनायेंगे कि नहीं।

(व्यवधान)

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं इसी सूचना को कल भी लिया गया था। कल दस-बीस माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे लेकिन किसी कारणवश सदन स्थगित हो गया।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कई ऐसी सूचनायें रहती हैं जिसमें माननीय अध्यक्ष जी ने और लोगों को भी बोलने का चांस दिया है तो इस सूचना पर हम भी बोलना चाहते हैं। हमें भी बोलने का समय दे दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सदन में पांच सूचनायें शलाका के आधार पर सुनी जाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने आज यह तय किया कि क्योंकि अब दो दिन शेष बचे हैं तो जितने माननीय सदस्यों की सूचना स्वीकृति में आई हैं, उन सबको दो-दो मिनट सुन लिया जाए। 13-14 सूचना हैं, अब जिस तरह से इस सूचना में समय लगा है उस हिसाब से 7 घंटा नियम-56 में लगेगा और जिन माननीय सदस्यों का नाम नहीं है वह भी बोलेंगे तो 21 घंटा लगेगा। 21 घंटे यहां बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, ऐसा होता रहा है, आप अवसर देते रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समय रहता है तो सबको समय दिया जाता है। एक दो वाक्य में संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात समाप्त करें।

श्री समरपाल सिंह–

यह घोषणा करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री परवेज हलीम, श्री कौकब हमीद, श्री विजयपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बाबूलाल एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बार-बार वेल में आ जाते हैं। वेल माने होता है कुंआ, तो आप कुएं में बार-बार क्यों कूद रहे हैं। कृपया स्थान पर जाएं।

(श्री गजेन्द्र सिंह मुन्ना रिपोर्टर्स टेबिल पर चढ़ गए)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी आप कृपया टेबिल से नीचे उतर जाएं वरना मुझे अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

नियम-56 पर किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, नियमों के अनुसार चलें। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोक कृपया अपने-अपने स्थानों पर जायें। मैं गलत परम्पराओं का पालन नहीं करूंगा। आपको नियम-56 में सुन लिया गया है। आपने अपनी बात कह दी है। यह सूचना निरस्त हो गयी है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया है। माननीय मुन्ना जी आप अपने स्थान पर जायें।

मैं सदन को 4.50 बजे तक स्थगित करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 50 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 4 बजकर 50 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 5 बजे तक बढ़ा दिया है। 5 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन के पुनः प्रारम्भ होने पर)

(सदन के फ्लोर पर आये हुए माननीय सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाइये, सदन पहले व्यवस्थित हो जाये, तो देखता हूं कि आपकी क्या शिकायत है ?

अम्बिका जी, अपने सदस्यों से कहिये कि वह अपने-अपने स्थान पर जायें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कोई प्रसन्नता में तो यहां आता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अभी बजट में सामान्य प्रशासन पर चर्चा होनी है, गृह विभाग का बजट आने वाला है, माननीय सदस्य इस पर बहुत चर्चा कर लेंगे।

श्री कैकब हमीद–

मान्यवर, घोषणा करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

जो अवसर पहले मिला है, उसका उपयोग कर लीजिए।

आप लोगों के अनुरोध पर इतनी सूचनायें स्वीकृत होती हैं, जब नियमों का कड़ाई से पालन होगा, तब शिकायत होगी कि मेरी बात नहीं सुनी गई।

(श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित कराइये।

श्री अध्यक्ष–

आपके ही दल के लोग हैं।

जिन सूचनाओं को मैं आज निरस्त कर दूंगा, उनको कल नहीं सुनूंगा।

मैं 5.15 बजे तक सदन को स्थगित करता हूं। अगर तब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता है, तो मैं कार्यसूची की अगली मद ले लूंगा।

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी। 5 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन के पुनः प्रारम्भ होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर जायें।

(वेल में आये हुए सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस गये)

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, पूर्वांचल के लिये पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखंड के लिए बुन्देलखंड विकास निधि और इसी तरह उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड विकास निधि बनायी गयी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, उसके विकास के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार नहीं की, कोई धन का अलग से प्राविधान नहीं रखा है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी बात आ गयी।

श्री राम सिंह–

आजादी के इन 50 सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास के नाम पर बहुत उपेक्षा हुई है, इसका विकास दूसरे क्षेत्रों की तरह नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूँ कि जिस तरह से दूसरे क्षेत्रों के लिये विकास निधियाँ बनायी गयी है, उसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पुल, सड़कों आदि की योजनायें बनें, जिससे उस क्षेत्र का विकास सम्भव हो। मैं आपसे यह आशा करता हूँ, सुझाव भी देता हूँ कि आज यहां नेता सदन उपस्थित हैं, वह कम से कम कुछ आश्वासन दें ताकि हमारे उस क्षेत्र का भी विकास सम्भव हो सके।

श्री बनारसी दास चान्दना–

आज यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल उठा है, जब से इस देश का बंटवारा हुआ, पंजाब इसके पहले हमारे पास था, बंटवारे के बाद उसके तीन हिस्से हो गये, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, आज वह तीनों राज्य तरक्की कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, इसलिये जब तक उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से नहीं बनाये जायेगें, तब तक विकास सम्भव नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री भी पश्चिम के हैं, मुख्यमंत्री भी पश्चिम के हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आपकी बात आ गयी, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

(श्री अम्बरीष कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको नियम56 के अन्तर्गत एक सूचना पर बुलवा चुका हूँ, अब आप स्थान ग्रहण करें।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी के खड़े होने पर)

आप भी बोल चुके हैं, मैंने इसीलिये अम्बरीष जी को अनुमति नहीं दी। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, उसमें आपको दो मिनट से ज्यादा कहने का अवसर मिलेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, उन्होंने वहां के विकास के बारे में चिन्ता प्रकट की है, स्वाभाविक भी है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो वहां की चिन्ता करेंगे। आप एक बैठक बुला लीजिये, ताकि माननीय विधायकों की जो विकास की समस्याऐं हैं, उनसे आप अवगत हो जायें और उनका समाधान निकल आये ताकि यह भी कहने को हो कि सरकार उनका भी ध्यान दे रही है, आप जल्दी ही एक बैठक बुला लीजिये।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं तो बहुत कम समय लेता हूँ। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी पहले से यह कहते रहे हैं, रोज बराबर कहते रहे हैं, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र इतना आतंकवादियों से घिरा है और अगर परतें खोल दें तो माननीय मुख्य मंत्री की हालत खराब हो जायेगी। चेवर थाने के पास डकैती और कत्ल हुआ। यह घटना मान्यवर, क्यों घटी। यह इसलिये घटी क्योंकि वहाँ पर जो आतंकवादी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एस०एस०पी० कहता है कि मुख्य मंत्री जी का डण्डा है इसलिए मैं गिरफ्तार नहीं करूँगा और इसलिए मेरी मजबूरी है। यह मान्यवर अवलम्बनीय लोक महत्व का है। 20-21 जुलाई की रात्रि की घटना है, इस घटना से समूचे क्षेत्र के लोगों का दिल दहल गया है और कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ का पहले का एस०एस०पी०, बृजलाल ने बदमाशों को गिरफ्तार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने की कोशिश की तो उसका ट्रान्सफर कर दिया गया और दूसरे एस०एस०पी० जब आते हैं तो उनसे फोन से कहा जाता है कि उनको गिरफ्तार न करें। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण है, इसलिये इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर 396 का मुकदमा कायम किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में दो पुलिस निरीक्षक और पर्याप्त पुलिस दल ले जाया गया है, गिरफ्तारी करने के लिए। कार्यवाही प्रगति पर है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राम औतार शाक्य और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद की है। इस पर कोई दो माननीय सदस्य कह दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस सरकार की वचनबद्धता है कि वह प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देगी और सरकार पारदर्शी होगी, तो इस सरकार में बैठे हुए लोग जनता के प्रति जबावदेह हैं। अगर इसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है तो सरकार उसके प्रति जबावदेह है। जनता सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करती है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो नौकरशाही है या उसके जो अधिकारी हैं वह मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर कहते रहे हैं कि वह पारदर्शिता रखना चाहते हैं। अगर वह पारदर्शिता रखना चाहते हैं तो कार्यपालिका का दायित्व है कि उत्तर प्रदेश की जनता के हितों वाले कार्यों को करें और अपने अधिकारों का प्रयोग प्रदेश की जनता के लिए होना चाहिए, गांव में रहने वालों के लिए होना चाहिए, गरीब लोगों के लिए होना चाहिए और जो योजनाएं बनायी जायें, उनका लाभ सीधे जनता को पहुँचे। मान्यवर, इन सब चीजों को करने का दायित्व कार्यपालिका पर होता है। लेकिन अगर सरकार इस तरह से कार्य करेगी कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग अपने हितों के लिए करने लगें तो क्या होगा, तो यह सरकार पारदर्शी नहीं होगी।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

आज मान्यवर, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के फार्म हाउसेज बन रहे हैं, चाहें आप गुड़म्बा रोड चले जाइये, चाहें संडीला रोड चले जाइये, चाहे देवा रोड चले जाइये, चाहे चिनहट रोड चले जाइये, सब जगह बड़े-बड़े फार्म हाउसेज अधिकारियों के बन रहे हैं। इसी तरह बहराइच का मामला आया, वहाँ भी चाहें मुख्य अभियन्ता हो या और कोई हो, वहाँ भी फार्म हाउस बन रहे हैं, इसी तरह देहरादून, नैनीताल, खीरी आदि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बड़े-बड़े फार्म हाउस बन रहें हैं और उन फार्म हाउसेज में कायदे कानून को तोड़कर ट्रान्सफार्मर दिये जा रहे हैं,उनके लिए स्पेशल चकबन्दी की जा रही है, गरीबों की जमीन को उनमें मिलाया जा रहा है, जो कीमती जमीन है उसको कम कीमत पर लगाया जा रहा है, फार्म हाउसेज की जमीन की ज्यादा कीमत दिखायी जा रही है और गरीबों की जमीन की कम कीमत दिखायी जा रही है और उस जमीन को फार्म हाउस में मिलाया जा रहा है। ग्राम समाज की जो जमीन है उसमें फार्म हाउस बनाये जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है क्योंकि वे सब बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वह फार्म हाउस बनाकर व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार से नम्बर दो के पैसे को नम्बर एक में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं तो उस स्वच्छ प्रशासन

में जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनकी जांच कौन करेगा, बहराइच में जनता ने इसकी जाँच की मांग की थी और जनता की मांग पर जिलाधिकारी ने इसका प्रयास किया, लेकिन उस जिलाधिकारी का तीन महीने के अन्दर स्थानान्तरण कर दिया, जो उच्च पदस्थ अधिकारी है वह समझते हैं वह कानून से ऊपर हैं इस तरह के फार्म हाउस की जाँच की मुख्य मंत्री जी ने आर्डर भी किये थे लेकिन वह जाँच कहाँ पड़ी है, पता नहीं ? तो कम से कम जो जिम्मेदार पदों पर हैं; चाहे वह विधायिका के लोग हों या कार्यपालिका के लोग हों या न्यायपालिका के लोग हों, उनका सार्वजनिक जीवन स्वच्छ रहना चाहिए। केवल कल्पना में मुख्य मंत्री जी कह गये हैं कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे,इस तरह सम्भव नहीं है। इसलिए यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है,इस पर आप चर्चा स्वीकार करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय यह प्रकरण अत्यन्त लोक महत्व का और सामयिक है, इस प्रकरण पर मैं कुछ कहूँ इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्य मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे-सीधे ग्राह्यता पर कहें, नहीं तो कुछ समय बाद लाल-बत्ती जल जायेगी।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मा० मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उ० प्र० में स्वच्छ प्रशासन के लिए जो भी भ्रष्ट अधिकारी हों,वे बख्शे नहीं जायेंगे। मुख्य मंत्री जी के उस वक्तव्य से एक आशा की किरण उ० प्र० में जागी थी कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में ईमानदारी आयेगी। पारदर्शिता आयेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कानून विरुद्ध काम करने वाले अधिकारियों के मन में इससे कोई अन्तर नहीं आया और विधि विरुद्ध किये जा रहे कार्यों में बढ़ोत्तरी ही हुई।

श्रीमान मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मा० पाल जी ने कही हैं। यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। आज कार्यपालिका में ऊँचे पदों पर बैठे हुए लोगों में जरूरत से ज्यादा सम्पत्ति अर्जित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसका दुष्परिणाम आने वाले दिनों में प्रदेश को भोगना पड़ेगा। लखनऊ नगर से 20 किमी० दूर बक्शी के तालाब में चकबन्दी की कार्यवाही चल रही है। श्रीमन् वहां फार्म हाउस बड़े अधिकारियों के हैं। अगल बगल के जो गरीब लोग हैं, चकबन्दी की प्रक्रिया में उनकी उपजाऊ जमीन की कम मालियत लगायी जा रही है और फार्म हाउस के ऊसर जमीन की मालियत बढ़ाकर चकबन्दी की जा रही है। जिनके फार्म हाउस में दो-चार पेड़ खड़े हैं उनको बागवानी या बाग अंकित किया जा रहा है। जो गरीब की बहुमूल्य जमीन है, वह फार्म हाउस को देने की साजिश की जा रही है। चकबन्दी प्रक्रिया में जो गांव की अतिरिक्त जमीन छूटती है उसको भी एक साजिश के तहत बड़े नौकरशाहों के फार्म हाउसों को भी देने की कोशिश हो रही है। किसानों की अतिरिक्त जमीन को फार्म हाउस के करीब लाया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि सम्मानित सदन में कई बार संकल्प के जरिये यह चिंता जताई गयी है और पक्ष और विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि कार्यपालिका में जो ऊँचे पदों पर अधिकारी विराजमान हैं, जिनके द्वारा सीमा से ज्यादा सम्पत्ति अर्जित की गयी है उसकी इस सम्मानित सदन की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति से जांच करायी जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर तत्काल चर्चा करायें और सरकार को निर्देश दें कि सदन की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति से प्रदेश के इस तरह के अवैध कार्यों में लिप्त अधिकारियों की जाँच करायें तथा जाँच रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कार्यस्थगन के माध्यम से एक सूचना दी गयी है जिसमें कोई विशिष्ट जानकारी अंकित नहीं है। सुबाष जी ने जरूर विशेष स्थान की चर्चा की कि चकबन्दी की जमीन औने-पौने तरीके से

इकट्ठी की जा रही है। इसकी जानकारी प्राप्त की जायेगी और यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय सुबास चन्द्र श्रीवास्तव एवं संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से इस प्रदेश के विकास और उन्नति से जुड़े हुए प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए और आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, चाहें पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पहाड़ हो सबके विकास की एक समग्र कल्पना हम नहीं कर सकते जब तक कि आबादी के 50 फीसदी की उसमें बराबर की भागीदारी न हो, मेरा आशय बहुत स्पष्ट है। इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का दूसरा कोई प्रश्न नहीं हो सकता। मेरा इस प्रश्न को उठाकर किसी की आलोचना करने का इरादा नहीं है। मैं शासन का ध्यान इंगित कराना चाहता हूँ, इस ओर प्रभावी कदम उठाया जाये। 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की आबादी 13 करोड़ 91 लाख है, इसमें 7 करोड़ 40 लाख पुरुष एवं 6 करोड़ 50 लाख महिलायें हैं। इसमें से नगरीय क्षेत्र में 2 करोड़ 76 लाख पुरुष हैं और 1 करोड़ 48 लाख महिलायें हैं। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 11 करोड़ 15 लाख है। इसमें से 5 करोड़ 91 लाख पुरुष और 5 करोड़ 23 लाख महिलायें हैं। 50 साल की आजादी के बाद हम बराबर की भागीदारी महिलाओं के लिए सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं। 50 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित हैं और 50 प्रतिशत जो शिक्षित हैं उनमें से कामकाजी महिलायें 12 प्रतिशत हैं। इस 12 प्रतिशत में से 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में हैं। इस प्रकार की कामकाजी महिलाओं का राष्ट्रीय औसत 13.5 है और उत्तर प्रदेश में वह 7 प्रतिशत से भी कम है।.....

इसी तरह से सार्वजनिक उपक्रम में देखें तो महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर 18 प्रतिशत है और प्रदेश में 8 प्रतिशत है। इसी प्रकार निजी उद्योगों में राष्ट्रीय स्तर पर 11.7 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 5 प्रतिशत है।

अगर महिलाओं की यह भागीदारी है तो मैं नहीं समझता कि समग्र विकास की कल्पना और विकास की बात कैसे कर सकते हैं। जब तक हम 50 प्रतिशत आबादी को बराबर का अधिकार नहीं देंगे तब तक यह सम्भव नहीं होगा। 50 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं के लिए अलग से कर नहीं सकते क्योंकि साहनी बनाम यूनियन आफ इण्डिया के निर्णय का उल्लंघन होगा, इस तरह से यह एक बंदिश है, संविधान में परिवर्तन कर नहीं सकते इसलिए यदि सरकारी सेवाओं, उपक्रमों में 33 प्रतिशत का आरक्षण दे दिया जाये तब जाकर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय औसत के बराबर होगी। अगर 33 प्रतिशत की भागीदारी आप महिलाओं को दे देंगे तो यह न तो साहनी बनाम यूनियन आफ इण्डिया के निर्णय के विपरीत होगा और न ही संविधान का उल्लंघन होगा। मैं इस जनहित के मुद्दे पर जो कि अविलम्बनीय और लोक महत्व का भी है और प्रदेश की गरिमा के अनुरूप है। जहाँ महिलाओं के विकास की बात करें और अवसर देने में कतरायें, इससे महिलाओं का विकास नहीं हो सकता। मैं आप के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करें और महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक उपक्रमों में देने के लिए प्रस्ताव लायें। मैं आप को विश्वास दिलाता हूँ कि इससे भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, देखना यह पड़ेगा कि क्या महिला होने के आधार पर किसी भी सेवा में आरक्षण संविधान के अनुरूप सम्भव है या नहीं? अभी एक विधेयक संसद में प्रस्तुत होने वाला था जिसमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिलाओं के आरक्षण की बात कही गयी थी और उस विधेयक को रखने में बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई। महिला इस समाज का अभिन्न अंग है और उसे समाज में पूरा सम्मान प्राप्त है और यह राजनीतिक बात नहीं है, हल्के-फुल्के तरीके से किसी बात को राजनीतिक कह देना यह आप की आदत हो सकती है। इस पार्टी की सरकार जो केन्द्र में बैठी हुई है वह कितना चिन्तित है और इस पार्टी की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया था लेकिन जो यहाँ महिलाओं की बात करते हैं उन्होंने उसके रखने में बाधा उत्पन्न की।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

हमारी मांग है कि जिस महिला विधेयक को लाया जा रहा है उसमें दलित, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

केन्द्र का विषय संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित था, यह विषय सरकारी नौकरियों से सम्बन्धित है।

श्री हुकुम सिंह–

.....मान्यवर, यह विषय इतना विस्तृत है, विस्तार से इस पर विचार किया जाये तभी कुछ कहा जा सकता है। इसके साथ यह विषय नीतिगत भी है और कार्यस्थगन के रूप में नहीं उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी इस पर कोई प्रस्ताव या संकल्प ले आयें तभी केन्द्र सरकार को भेजा जा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार–

आप अगर अनुमति दें तो मैं लिखकर दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। माननीय तिवारी जी या कोई भी माननीय सदस्य चाहें तो इस विषय पर संसंगत नियमों के अन्तर्गत संकल्प या प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

ठीक है, मैं इसे संगत नियमों के अन्तर्गत दूँगा। मा० संसदीय कार्यमंत्री जी चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी अपना बजट भाषण न प्रस्तुत कर सकें इसलिए उत्तेजना पैदा करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी बातें कह देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें शलाका में नहीं आयी हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं इस समय बजट भाषण में 20 मिनट हैं इसलिए माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें। ठीक 6 बजे अगली मद ले लेंगे। उसके पहले ही अगली मद लेने की कोशिश करेंगे।

* श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, आजकल हमारे यहाँ जो बुनकर समुदाय है उसके ऊपर बड़ा संकट आया है और वह आर्थिक संकट में आ गये हैं। बुनकर समुदाय में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। [illegible]

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन की गलत नीतियों के कारण वह आर्थिक संकट में आ गये हैं। अभी तीन महीने पहले सूत की कीमत प्रति गड्डा 435-440 रुपये थी। अब वह 466 रुपये से 470 रुपये तक हो गयी है। इससे जो माल तैयार हो रहा है उसकी कीमत कम हो गयी है। बुनकर जो चीज बना रहा है उसका बाजार गिरा हुआ है। नतीजा यह है कि बुनकर लोग अपना पुराना पेशा छोड़कर मजदूर हुए जा रहे हैं। मुख्य कारण इसका यह है कि सूत का दाम रोजाना बढ़ता जा रहा है। मेरी शासन से मांग है कि जिस तरह से बीज, खाद पर सब्सिडी दी जा रही है, उसी प्रकार सूत पर सब्सिडी दी जाय। यह जो सूत की सप्लाई है बिचौलिया व्यापारी के जरिये सूत उपलब्ध होता है इसका नतीजा यह है कि वह व्यापारी मंहगे दाम पर सूत दे रहे हैं। सरकार जिस प्रकार से सरकारी सामान की दुकानें खोले हुए हैं व इसके लिए कार्ड बने हैं इसी प्रकार सूत भी राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराये जाये व इसके लिए बुनकरों के कार्ड बनाये जायें। बुनकरी का धन्धा जो मुसलमानों के हाथ में है, यह अल्पसंख्यक समुदाय बनारस की साड़ी बनाने का काम भी करता है लेकिन इसमें जो बिचौलिए हैं वह खरीद लेते है जिससे बुनकरों को बहुत कम पैसा मिलता है। सारा मुनाफा व्यापारी के हाथ में चला जाता है। उन बुनकरों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाये ताकि वह खुद इस काबिल हो सकें कि वह खुद बनायें और बेचें। इस प्रकरण को आप चर्चा हेतु स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

श्री फरीद महफूज किदवई की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे अस्वीकार करते हैं।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता की भावना से जुड़ा हुआ मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने समय-समय पर मार्गदर्शन देकर समाज को मजबूत किया है। जनपद गोण्डा में कर्नेलगंज से 13 कि०मी० की दूरी पर सूकर क्षेत्र में राजापुर गांव में तुलसीदास जी जैसे महान विद्वान की जन्मस्थली है, वहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरित्र जैसे महाकाव्य की रचना की और जिसके माध्यम से पूरे विश्व में राम की महिमा को जन-जन तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन यह सरकार जो राम के नाम पर यहाँ बैठी है, इसने तुलसीदास जी जैसे महान व्यक्ति की जन्मस्थली पर कोई विकास का कार्य नहीं किया। सूकरक्षेत्र में राजापुर गांव घाघरा और सरयू जी के संगम पर है और पसका गांव में बाबा नरहरि दास जी का आश्रम है परन्तु राम का नाम बेचकर जो यह सरकार सत्ता में बैठी है, इसने गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली पर कोई काम नहीं किया और न ही उसे पर्यटक स्थल घोषित किया। वहाँ पर वाराह भगवान का मंदिर है, जिसका जिक्र स्कन्ध पुराण में आता है। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष राक्षस का बध करके पृथ्वी की रक्षा की थी परन्तु कुछ समय पहले वाराह भगवान की मूर्ति चोरी हो गयी थी और आज भी वह मूर्ति जिला प्रशासन की कैद में है। राम के नाम का जो यह सरकार ढोंग करती है, आज तक वाराह भगवान की मूर्ति को वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है। वहाँ पौष के माह की पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है, लोग कल्पवास रखते हैं, परन्तु वहाँ पर कोई व्यवस्था शासन और प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। इसी तरह से मान्यवर, एक स्थल और है जहाँ पर वाराह देवी का मंदिर है लेकिन इस सरकार ने वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिये मैं सरकार से माँग करता हूँ कि वहाँ पर वाराह मंदिर में वाराह भगवान की मूर्ति स्थापित की जाय ताकि करोड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकें। सूकरक्षेत्र में राजापुर गांव जो तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, उसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाय। वहाँ पर सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है तथा अन्य जनहित की सुविधायें नहीं हैं। 30 जुलाई, 1998 से वहाँ पर तुलसी मेला लगने की व्यवस्था सनातन धर्म परिषद् द्वारा किया जा रहा है। 4 दिसम्बर, 1995 को तत्कालीन गोंडा जिलाधिकारी श्री सदाकान्त जी ने तुलसी जन्मभूमि राजापुर (सूकरक्षेत्र) का निरीक्षण

करके उसके विकास के लिये एक कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी थी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये मेरी मांग है कि तुलसीदास जैसे महापुरुष की जन्मस्थली राजापुर (सूकरखेत) का उत्थान किया जाय और सरकार द्वारा जो भी सुविधा/योजना हो उसको वहाँ पर मुहैया करवाया जाय। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिये मैं मांग करता हूँ कि इस पर चर्चा भी करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम विशुन आजाद जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ परन्तु नियम-56 के अन्तर्गत इसे अस्वीकार किया जाता है।

यदि कोई सूचना आज बच जायेगी तो उसे कल सुन लूँगा।

श्री कैलाश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सूचना इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। हमारे जनपद गाजीपुर में विगत 20-25 दिन से एक सिलसिला सा चला आ रहा है कि गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो विगत 25 साल से गांव में रह रहे थे, जिनके अपने रिहायशी मकान भी हैं, उनको गाजीपुर का जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, एस०डी०एम० पुलिस बल का सहारा लेकर गिराने का काम कर रहा है। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अगस्ता सलामतपुर में 15-7-98 को 12 मकान गिराये गये। जो कि राजदेव यादव, रामाधार यादव, रामू दूशाद, वंशी राजभर, रमाशंकर लोहार, मुसाफिर चौरसिया, अनवर खाँ, शिवपूजन कुशवाहा, राजनाथ कुशवाहा, धीरज कुशवाहा, दूधनाथ कुशवाहा, सतीराम कुशवाहा, अफजाल अंसारी और सखू बिन्द के हैं। इसी तरह से 30-6-98 और 1-7-98 को महाराजगंज में 10 लोगों के मकान गिराये गये। न इनको कोई नोटिस दिया गया। आज वह बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे हैं। इनको यह भी नहीं बताया गया कि आपके मकान क्यों गिराये जा रहे हैं।

मान्यवर, दो दिन में यह 10 लोगों के मकान गिराये गये हैं उनके नाम हैं सूरजभान यादव, श्रीमती दुर्गा देवी, रामचरन यादव, लक्ष्मण यादव, रामजन्म यादव, लक्ष्मी यादव, बुद्धू यादव, हरिभजन यादव, श्री किसुन यादव, राम कुपाल सिंह। मान्यवर, इन दस लोगों के मकान गिराये गये हैं और शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया और न ही बताया गया कि क्यों गिराये जा रहे हैं। यूँ ही इनके मकान ध्वस्त कर दिये गये। इतना ही नहीं बंशी विद्द ने अपनी काश्तकारी में 3 कमरे का मकान बनाया है उसको भी गिरा दिया। मैं आपसे और कुछ नहीं कहता बस इतना कहता हूँ कि आप एक कमेटी बना दें, यह नहीं कहता कि विरोध पक्ष के लोग हों उसमें चाहें तो आप सत्ता पक्ष के लोग ही रख लें जो जाँच करें। अगर यह गलत साबित होगा तो आप जो कहें मैं मान लूँगा। बरसात के मौसम में सारे लोग खुले आसमान के नीचे हैं। वहाँ पर त्राहि-त्राहि मची हुई है।

श्री अध्यक्ष–

श्री कैलाश नाथ जी की सूचना में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है उनकी ओर से मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और यह नियम-56 में नहीं आती इसलिये अस्वीकार करता हूँ। अगली सूचना मोहम्मद मुसलिम की है।

* डा० मोहम्मद मुसलिम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने दो मिनट का अवसर मुझको दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, अपने व्यक्तिगत मामले को सदन में रखना चाहता हूँ। 7 मार्च, 1998 को सिलोही, रायबरेली में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तिलकोत्सव में गया था। रात में जब वहाँ पहुँचा तो मेरे ऊपर वहाँ के कुछ लोगों ने, अराजकतत्वों ने मेरे ऊपर जान लेवा हमला किया, कातिलाना हमला किया। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ऐतफाक से आज नेता सदन मौजूद है और संसदीय कार्यमंत्री भी मौजूद है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर यह हमला हुआ रात में 9 बजे और मैं थाना मोहनगंज रायबरेली रिपोर्ट कराने गया धारा 307 में लिखा गया लेकिन अफसोस इस बात का है कि 307 का मुकदमा तबदील करके 323, 504, 506 में कर दिया गया और 307 में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरा सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप है कि सरकार के दबाव में यह मुकदमा तबदील हुआ और मेरे ऊपर जान लेवा हमला हुआ। मेरे ऊपर जो गोली चलाई गयी थी वह वहाँ के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर यह गोली चलायी थी।

.....वह दिन मोहर्रम की नवीं की रात का था। नवीं की रात और दसवीं के दिन माहौल इस तरह से खराब कर दिया गया कि हिन्दू मुस्लिम फसाद हो जाय लेकिन समझदारी से हालात को ठीक किया गया, हादसा नहीं हुआ। हालात इस तरह पैदा कर दिये गये हैं कि मेरा निकलना, बैठना दुर्लभ हो गया है। मान्यवर, मेरी आपसे दरख्वास्त है मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, नेता सदन से कहना चाहता हूँ, संसदीय कार्यमंत्री से कहना चाहता हूँ मेरी मेहरबानी करके सुरक्षा की व्यवस्था करा दें। मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं कि बहुत जल्द तुम्हारा कत्ल कर दिया जायेगा इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत सुरक्षा की बात कही है इसको दिखवा लीजियेगा मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(व्यवधान)

डा० वकार अहमद शाह–

सुरक्षा के लिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। मैंने कह दिया है माननीय सदस्य की सुरक्षा के बारे में।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय सदस्य के ऊपर गोली चली है, चोट आई है, आपका संरक्षण चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश दे दिया है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सिर हिलाकर स्वीकार भी कर लिया है।

(व्यवधान)

बात आ गयी है मैंने निर्देश दे दिया है इसमें संसदीय कार्यमंत्री जी क्या कहेंगे मैंने स्वयं निर्देश दे दिया उन्होंने स्वीकार कर लिया अगर स्वीकार नहीं करते इनकी बात का खण्डन किया होता, प्रतिवाद किया होता। आपकी बात सुनकर, संज्ञान में लेते हुए कह दिया सुरक्षा की व्यवस्था करा दें। डा० मुस्लिम जी आप अलग से लिखकर दे दीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री रामजग–

मान्यवर, हमारे यहाँ महाराजगंज में स्थिति बहुत गम्भीर है पूरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, बन्धे टूट गये हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

7 मई की घटना है अविलम्बनीय नहीं है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कह दिया है।

यदि खड़े होकर हाँ कहना है तो भी यही होगा। वह हाँ कहने के अलावा और क्या कहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत स्तर पर बात कर लूँ। क्या निर्देश दे दूँ कि पी०ए०सी० की प्लाटून लगा दी जाय या फिर एक आई० जी० को इनकी सुरक्षा में लगा दिया जाय। अब आप लोग बैठ जायें और कृपया सदन को चलने दें।

* श्री रामजग–

मान्यवर, जिला महाराजगंज में 11 जुलाई से बाढ़ का भीषण प्रकोप है। स्थिति दिन प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। बन्दइया बाँध टूट चुका है, बड़ी संख्या में अनेकों ग्रामों में पानी भर गया है। राप्ती नदी का बाँध करमेनी वेलसर टूटने जा रहा है। मान्यवर, बाढ़ के भीषण प्रकोप और उससे हो रही जन, धन, मकान, फसलों की हानि को देखकर भी उन अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। आज वहाँ पर कोई अधिकारी दौरा नहीं करना चाहता है। श्री विजयराज सिंह ड्रेनेज खण्ड प्रथम के अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर जो कि पिछले 20 वर्ष से वहाँ पर कार्यरत हैं, से परेन्दा क्षेत्र के विधायक श्री विनोद मणि जी ने पूछा कि इन 10 दिनों में आपका कहीं अता पता नहीं है, आप अपने कर्तव्य के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं? तो उस अधिशासी अभियन्ता ने अपमानजनक शब्दों में विधायक से कहा मैं तुम्हें उत्तर देने को मजबूर नही हूँ। मुझसे केवल सिंचाई मंत्री पूछ सकते हैं। विधायक जी ने कहा कि तुमसे क्षेत्र की जनता पूछेगी। उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और थाने में जाकर के विधायक श्री विनोद मणि जी के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कर दी। मान्यवर, जो क्षेत्र के विधायक होते हैं वह क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो उनके साथ व्यवहार किया गया वह शोभनीय नहीं था इसलिए मैं मांग करता हूँ कि उस अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाय। जो विनोद मणि जी के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज हुई है उसकी जाँच कराकर तत्काल मुकदमे को वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस ओर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यह विनोद मणि जी का मामला है इसको दिखवा लें। मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, परन्तु यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री दीपक कुमार–

मान्यवर, कानपुर एक औद्योगिक नगरी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन इस कानपुर में एक-एक करके उद्योग बन्द हो चुके हैं। वर्तमान समय में कानपुर में चमड़े के कारखाने विख्यात हैं। मान्यवर, 25-6-98 व 30-6-98 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते ये जो चमड़े के कारखाने हैं इनमें 62 टेनरीज बन्द कर दी गयी इससे हजारों मजदूरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है। इन्होंने संगठित होकर 3-7-98 को पूरे जाजमऊ में हड़ताल की। आज भी मजदूर आंदोलनरत हैं। मान्यवर, यह कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते हुआ। मान्यवर, इन कारखानों से उत्तर प्रदेश को टैक्स ही नहीं मिलता बल्कि एक हजार करोड़ रु० का निर्यात पिछले वर्ष में किया गया था वैसा ही लक्ष्य इस वर्ष भी रखा गया है। मान्यवर, इस मंहगाई के जमाने में कारखाने बन्द होने से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, इस सरकार का सबको रोजगार देने का नारा खोखला साबित हो रहा है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय प्रश्न है कृपया इसकी चर्चा करा लें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

दीपक कुमार जी की सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ लेकिन नियम-56 के अन्तर्गत इसे अस्वीकार कर रहा हूँ। श्री पाल जी आप भी दो मिनट बोल लें वैसे आपकी सूचना शासन के पास नहीं होगी।

• श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वह एक ओर मानव के लिए वरदान साबित हुआ है लेकिन दूसरे रूप में वह अभिशाप भी बन रहा है। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में अंग प्रत्यारोपण की पद्धति स्वीकृत हुई हैं। जिसमें अबोध बच्चों का अपहरण करके आँतें और गुर्दे निकालकर उसका अवैध व्यापार हो रहा है। इसमें पूरा अन्तर्राष्ट्रीय जाल फैला हुआ है। मान्यवर, 18-7-98 को जनपद जालौन के मानवर क्षेत्र में तिलक राज शर्मा निवासी चमनगंज के 9 वर्षीय पुत्र अमित कुमार व उनकी पुत्री का अपहरण किया गया और उनको एक जंगल में ले जाकर उस नौ वर्षीय लड़के के सामने उसकी छोटी बहन की हत्या की गयी व हत्या के बाद उसके गुर्दे व आँते निकाल ली गयी। पड़ोस के देहरौली के गाँववासियों ने बताया कि उसके सरगना को पकड़ा गया। मान्यवर, अब ये बात प्रकाश में आ गयी है तो इसे बन्द करने के लिए शासन प्रभावी कार्यवाही करे। मान्यवर, घटना से क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गयी है अभिभावक बच्चों को अकेले स्कूल नहीं भेज रहे हैं, या तो संग जा रहे हैं। मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर कृपया चर्चा स्वीकार करें। मान्यवर, इस तरह के गिरोह सक्रिय हो रहे हैं उनको प्रतिबंधित कराया जाय। भारत सरकार को भी ऐसे गिरोहों के सम्बन्ध में अवगत किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

बच्चों के अपहरण के पीछे यह जो रहस्य है, ये गंभीर घटना है। अब उसके सरगना का नाम भी आ गया है, उसे देखकर कठोर और प्रभावी कार्यवाही करा ली जाय। शासन को इस निर्देश के साथ मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के विषय में दि० 26 जून, 1998 को पूछे गये ता० प्र० संख्या–1 के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद आदि की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–19 जो श्री अवधेश प्रसाद, श्री मुन्ना चौहान, श्री अम्बरीष कुमार आदि की है पर आधे घन्टे की चर्चा लगी हुई है। मैं अनुरोध करूँगा कि इसको परसों निर्धारित कर लिया जाय वैसे सामान्य प्रशासन के बजट पर आप इसका उल्लेख कर सकते हैं।

(श्री अम्बरीष कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह श्री मुन्ना चौहान और श्री अम्बरीष कुमार आदि माननीय सदस्यों की सूचना पर चर्चा है। मेरा ख्याल है कि इसे 24 को कर लें, क्योंकि आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन का बजट लगा हुआ है।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, चर्चा करा ली जाय।

• वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, 24 तारीख को कर लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी सहमत हैं, मैं इसे 24 तारीख के लिए स्थगित कर रहा हूँ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनु० संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,19,65,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

वित्तीय वर्ष1998-99 के आय-व्ययक पर केवल मतदान अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) अनुदान संख्या–64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) अनु० सं०–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) अनु० सं०–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) तथा अनु० संख्या–42 न्याय विभाग

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,20,09,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,02,52,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,72,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,85,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,94,14,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन् इस माननीय सदन के समक्ष मैंने इन अनुदानों को प्रस्तुत कर दिया है। मैं यह महसूस करता हूँ कि गृह विभाग और सामान्य प्रशासन सीधे-सीधे कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। मैं अपनी बात को दो खण्डों में विभाजित करके रखना चाहूँगा। आज पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए, उसको और दक्ष बनाने के लिए, व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, पद्धति, सिस्टम में सुधार लाने के लिए मेरी सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने का विचार कर रही है, आज का भाषण केवल इस पक्ष तक सीमित रहे, यही मेरा प्रयास होगा और चूँकि चर्चा इस सदन में लगातार दो दिन होगी, मैं सभी माननीय सदस्यों को सुनना चाहूँगा, उनके सुयोग्य और सुलझे हुए सुझावों से लाभान्वित होना चाहूँगा, उनके सुझावों से मेरा मार्गदर्शन होगा। साथ ही जहाँ कहीं आवश्यक होग या जो प्रश्न होंगे, उनका भी मैं समुचित उत्तर देने का प्रयास करूँगा, लेकिन इस पक्ष को कल के लिए छोड़ दे रहा हूँ। व्यवस्था, सिस्टम, पद्धति में क्या कुछ सोचा है, किया है, इसके बारे में इस माननीय सदन के सामने विचार रखना चाहता हूँ।

श्रीमन् आप इस बात से अनुमान लगा सकते है कि यह सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कितना सचेष्ट है, कितना प्रतिबद्ध है और इसी नाते से हमने बजट में बढ़ोत्तरी की है। जहाँ एक ओर वर्ष 1997-98 में गृह विभाग के बजट का सारा परिव्यय 1400.30 करोड़ रुपये था, वहाँ हमने 1998-99 में इसे बढ़ाकर 1638.50 करोड़ रुपये कर दिया है अर्थात् पिछली बार जो बजट रखा गया था, उससे 140.20 करोड़ रुपया अधिक परिव्यय निर्धारित किया हुआ है। श्रीमन् जो हमारे पुराने पुलिस चौकी, पुलिस थाने, पुलिस लाइन में आवासीय भवन हैं, उस दृष्टि से कुछ प्राविधान किये हैं। जहाँ एक ओर हम पुलिस प्रशासन से अपेक्षा रखते हैं, सुरक्षाकर्मी से अपेक्षा करते हैं कि वह जान हथेली पर लेकर कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए आगे बढ़ें, वहीं शासन का दायित्व बन जाता है कि उनकी कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए, उनके मन को निश्चिन्त करने के लिए, उनके मन से दुविधाओं को मिटाने के लिए, उनको भी कुछ राहत, सुविधायें दी जानी चाहियें और इसी नाते से 97-98 में पुलिस चौकी, थाना, पुलिस लाइन में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जहाँ 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था, इसको बढ़ाकर 107.17 करोड़ रुपये किया गया है। यह पिछली सरकार की तुलना में 115 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। इसी तरह से नये थाने, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन और इन्हीं से जुड़ी हुई जो अन्य चीजें हैं, उनके लिए 97-98 में 10.86 करोड़ रुपये का प्राविधान था, इसको बढ़ाकर 39.74 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अगर इसको प्रतिशत में देखा जायेगा तो 380 प्रतिशत के लगभग पहुँचता है। इसी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए जो संयंत्र क्रय किये गये हैं, 1997-98 में केवल 15.88 करोड़ रुपये का प्राविधान था और 1998-99 के बजट में 22.72 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत वृद्धि है। अग्निशमन की व्यवस्था के लिए 38.55 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसके लिए पुलिस बल के प्रशिक्षण की आवश्यकता है परिस्थितियाँ बदल रही हैं, स्थितियाँ बदल रही हैं, अपराधों की किस्म बदल रही है, इसलिए नये सिरे से अगर हम पुलिस को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो कठिनाई आयेगी, इसीलिए इसके लिए 20.48 करोड़ रुपये प्राविधान कर दिया गया है। इसी तरह से मैं कुछ आपकी अनुमति से विशेष जो उपलब्धियाँ हुई हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूँ। इस शताब्दी का अन्तिम हरिद्वार का कुम्भ मेला हुआ यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, अम्बरीश जी गवाही देंगे। मुझे खुशी होगी कि आपके जो सुझाव होंगे वह आयेंगे। लगता था कि आई०एस०आई० तोड़-फोड़ करेगी, लगता था कि अपराधी तोड़-फोड़ करेंगे, लगता था बड़ी भारी हिंसा हो जायेगी, मुझे खुशी हो रही है बिल्कुल शान्ति के साथ हरिद्वार का लाखों का मेला, हजारों का नहीं, बहुत शान्ति के साथ सम्पन्न हुआ।

श्रीमन् दूसरी हमारी उपलब्धि है, मैं चर्चा कर चुका हूँ और कहना चाहता हूँ कि लखनऊ के अन्दर वर्षों से शिया और सुन्नियों के बीच विवाद चल रहा था, अनेकों सरकारें आयीं और गयीं, अनेकों मुख्य मंत्री आये और गये, हत्याएं हुई, घटनायें हुई और आत्मदाह हुए, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हुआ, लेकिन हमारी पहली सरकार है जिसने शिया और सुन्नियों के जुलूस को शान्ति के साथ निकलवाया और बहुत शान के साथ निकलवा दिया। जो दिल दूर हुए हैं, वह साथ आने चाहिए। वो दिल क्यों दूर रहें? हिन्दू और मुसलिम क्यों दूर रहें, यह दिल साथ आयें। धर्म अलग हो सकते हैं, मजहब अलग हो सकते हैं, वर्ग अलग हो सकते हैं, सम्प्रदाय अलग हो सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर हम भारत के नागरिक हैं और हम चाहते हैं कि सब मिलकर रहें। इस धरती पर रहें तो लड़कर क्यों रहें, प्यार से क्यों न रहे, लेकिन कुछ लोग इस साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन से कहना चाहूँगा कि हम किसी तत्व और किसी भी ताकत को कामयाब नहीं होने देंगे। सामाजिक समरसता को बनाये रखेंगे। आज लगभग 10 महीने पूरे हो रहे हैं मुझे सन्तोष और खुशी है कुछ लोगों ने कोशिश की कि कम से कम साम्प्रदायिक दंगे हो जाये लेकिन 10 महीने के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने पाये। मुरादाबाद की चर्चा की गयी, कल मैं उसका उत्तर दूँगा। कैसे हुआ था, और कौन लोग उसमें थे, आज केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसे भी हमने, श्रीमन् भड़कने नहीं दिया, बहुत कम समय में नियंत्रण पा लिया है। यह हमारे प्रशासन की कारगुजारी थी। स्थानीय जनता का हमें सहयोग मिला और जो शान्ति भंग की कोशिश की गयी थी उसे विफल कर दिया। . . . . . .

(इस समय 6 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

श्रीमन् हम सब जानते हैं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक तथ्य रखना चाहता हूँ। यह वह प्रदेश है, मेरी सरकार के आने से पहले उ० प्र० के अन्दर सामाजिक तनाव, सामाजिक बिखराव, सामाजिक वैमनस्य, सामाजिक ईर्ष्या, सामाजिक विद्वेष गांव-गांव तक फैला हुआ था और लगता था गांव टूटकर रह जायेंगे, समाज कट कर रह जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें (श्री राम वीर उपाध्याय के खड़े होने पर) जब नेता सदन बोल रहे हों, तो आपको इस तरह खड़े नहीं होना चाहिये। जब चर्चा होगी, तो आप अपनी बात कह ले।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इसी उ० प्र० के अन्दर क्या यह सच नहीं है कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग हुआ। बेगुनाह लोगों को जेलों में बन्द किया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, सदन की कुछ स्वस्थ परम्परायें हैं, उनका पालन करें, जब माननीय नेता सदन, सदन को सम्बोधित कर रहे हों तो आप कम से कम धैर्य से सुनें, फिर जब चर्चा होगी आप अपनी बात रखें, आप अपने दृष्टिकोण को रखें। निश्चितरूप से प्रत्येक माननीय सदस्य के मन में जो शंका है उसे वह बाद में स्पष्टीकरण के समय खड़े होकर पूछ सकते हैं, इस तरह आप बीच में टीका-टिप्पणी न करें, (श्री लाल जी वर्मा और श्री राम जग के खड़े होने पर) कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। नेता सदन बोल रहे हैं, उसे सुनें। मैं प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि सदन की गरिमा को बनाये रखें। मा० नेता सदन को सम्मानपूर्वक सुनें।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् मैं स्वयं भी उस समय प्रदेश के दौरे पर निकला था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें।

श्री कल्याण सिंह–

गाँव-गाँव से शिकायतें आ रही थी, कि झूठे और फर्जी केसेज बनाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए इज्जत वाले और बेगुनाह लोगों को जेल के सीकचों के अन्दर ठूँसा गया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठिए। कल स्पष्टीकरण ले लीजिएगा। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् मैंने इस उत्तर प्रदेश के अन्दर उन कारणों से विषाक्त वायुमण्डल पाया, 21 सितम्बर, 1997 को मैंने मुख्य मंत्री के पद की शपथ ली। इतने बड़े प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में मुझे शपथ ग्रहण का सौभाग्य मिला और शपथ लेने के दूसरे दिन 22 सितम्बर, 1997 को कोई महत्वपूर्ण काम किया तो हमने एक शासनादेश जारी किया और उस शासनादेश में दो बातों पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों, निर्बल वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को कड़ाई से रोका

जायेगा और उसमें दूसरी बात कही यह कि अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण का किसी कीमत पर दुरूपयोग होने नहीं दिया जायेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

(शोर)

एक मा० सदस्य–

यह [x x x] है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया असंसदीय शब्द का प्रयोग न करें यह आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् आपको बड़ी पीड़ा है, संसदीय गरिमा के प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग होता है और आपको इस बात की बड़ी वेदना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो इस सदन के स्तर से निचले स्तर के हैं। लेकिन श्रीमन् यह बेचारे हैं इनके पास शब्दकोष नहीं है। श्रीमन् यह गुस्सा के नहीं, कम से कम मेरी तो दया के पात्र हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दे और इनको याद आता रहे कि यह सदन के सदस्य हैं और यह भी याद आता रहे कि सदन की अपनी एक गरिमा है। अगर गरिमा के नीचे गिरकर कोई शब्द प्रयोग हो रहा है तो मेरी प्रार्थना है कि इनको माफ करते चलिए इनके पास शब्द कोष नहीं है। इनके पास भाषा नहीं है। यह बेचारे हैं और बेचारे दया के पात्र हुआ करते हैं।

श्रीमन् 22 सितम्बर, 1997 को जो जी०ओ० जारी किया और जिसमें दो बातों का उल्लेख किया है तो वह जी०ओ० क्या जारी किया,एक बम फट गया। समर्थन वापसी की बात कही गयी। हमने कह दिया कि हम अनुसूचित जाति, बीकर सेक्शन के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, साथ-साथ कानून का दुरूपयोग भी नहीं होने देंगे सरकार रहती है तो रहे जानी है तो जाय।.....

.....जिनको समर्थन देना है वह दें, जिनको समर्थन वापस लेना है वह लें, इस ब्लैकमेल के सामने हम प्रदेश की जनता के अन्दर वैमनस्य पैदा नहीं होने देंगे। मुझे खुशी है कि सरकार गिराने की बड़ी कोशिश की गयी लेकिन सरकार आज भी चल रही है और आज मैं कह सकता हूँ कि 22 सितम्बर, 1997 को जो शासनादेश जारी किया गया था इसका जादू जैसा प्रभाव हुआ है और गाँव के अन्दर तनाव नहीं है और यह भी कह सकता हूँ कि दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को कड़ाई से रोका जायेगा। आज मैं यह कह सकता हूँ कि दलितों के ऊपर अत्याचार का ग्राफ पहले की सरकारों की तुलना में काफी नीचे आया है। इसके आँकड़े दे करके मैं कल बोलने वाला हूँ।

श्री राम औतार शाक्य–

नरेश अग्रवाल की छाती चौड़ी हो रही है।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय राम औतार शाक्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। यह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं। माननीय नरेश अग्रवाल जी की छाती चौड़ी हुई है तो अच्छी बात है पर आपका दिल क्यों सिकुड़ता जा रहा है। श्रीमन्, यह इस शासन की कानून व्यवस्था की धमक है,जब 1991 में लोकसभा का चुनाव हुये थे तो 118 लोगों की जानें गयी थी, 1991 में कौन मुख्य मंत्री था, अम्बिका जी क्या यह बताने की

[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जरूरत है ? आप तो बहुत विद्वान माननीय सदस्य हैं, 1996 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो राष्ट्रपति शासन था लेकिन प्रौक्सी गवर्नमेंट कौन चला रहा था, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। 1996 में 14 जानें गयी थी। 1998 के चुनाव में.....

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मुख्य मंत्री जी सही कह रहे हैं कि 16 तारीख का एक चुनाव मुख्य मंत्री जी ने कराया था और 22 तारीख का चुनाव इस अकिंचन सेवक ने कराया था।

श्री कल्याण सिंह–

अगर 22 तारीख का चुनाव यह कहते हैं कि इन्होंने कराया था, वह चुनाव हम करा रहे होते तो ईमानदारी का चुनाव होता और सम्भल का परिणाम कुछ और होता।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी और इनके फरिश्ते सभी शीर्षासन लगा रहे थे उसके बाद भी सम्भल का चुनाव हमारे पक्ष में गया।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर 16 तारीख का चुनाव भी मैंने कराया होता तो बागपत की सीट का नतीजा कुछ और होता।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ–

"इससे ज़्यादा आइना इन्हें मत दिखाईये,
बदशक्ल हैं जनाब यह डर जायेंगे।।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

माननीय नेता सदन ने जानबूझकर सम्भल का जिक्र करके हमारे नेता को लांछित किया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाएं। इस पर आज चर्चा चल रही है कल भी चर्चा जारी रहेगी। जो आपको स्पष्टीकरण चाहिए उनको नोट कर लें। जब आपको अवसर मिले तब अपनी बात रख लें।

श्री बाबू राम यादव–

मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं बोल सका तो मुख्य मंत्री जी भी नहीं बोल सकेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया बैठ जाएं। यह सदन की सामान्य परम्परा है कि जब नेता सदन बोल रहे हों तो टोका-टाकी नहीं करते हैं। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो जब आपको अपनी बात कहने का अवसर मिले उस वक्त कहें। मैं सभी माननीय सदस्यों से मार्मिक शब्दों में आग्रह कर रहा हूँ।

श्री अवधेश प्रसाद--

माननीय बाबू राम जी की बात को भी आप सुनें।

श्री बाबू राम यादव--

आपको मुझे सुनना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप स्थान ग्रहण करें। वह संसदीय प्रणाली की भाषा नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपने पक्ष के माननीय सदस्यों को नियंत्रित करें। प्रतिपक्ष के नेता से भी अनुरोध है कि वह अपने दल के माननीय सदस्यों को नियंत्रित करें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। परम्परा के निर्वाह की सारी जिम्मेदारी केवल हमारी ही नहीं है। बाबू राम यादव जी को आप सुन लें।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अम्बिका चौधरी--

यदि हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो किसी की बात नहीं सुनी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता--

यहाँ पर कई माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री बाबू राम यादव जी वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होंगे और वह कई बार इस सम्मानित सदन के सदस्य रह चुके हैं।.....

..... और कई उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और सदन की परिपाटी से, संसदीय प्रणाली से अधिकांशतर इधर के और उधर के बैठे हुए सदस्य भली भांति परिचित हैं। जब नेता सदन सम्बोधित करते हैं तो किसी प्रकार का व्यवधान उचित नहीं समझा जाता है।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन तो सुन लें। मुझे अपनी बात तो पूरी करने दें। परम्परा यही रही है कि जब इस प्रकार के बजट के प्रस्ताव पर चाहे समर्थन का प्रस्ताव हो या कटौती का प्रस्ताव रखा जा रहा हो, बीच में टोका टाकी न करके जिन बिन्दुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है या स्पष्टीकरण चाहते हों उनको नोट कर लेते हैं और जब चर्चा करने का अवसर मिलता है तब आप उन बिन्दुओं पर अपनी प्रतिक्रिया या जिन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहते हों पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रणाली का पालन करना अगर हम किसी दिन विस्मित कर जायेंगें तो संसदीय प्रणाली खतरे में पड़ जायेगी। नेता सदन बोल रहे थे। माननीय बाबू राम जी, आप बड़े विद्वान, योग्य व्यक्ति हैं और हर प्रकार के जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं। आपमें से जितने माननीय सदस्यों के पास शंका हो, प्रतिक्रिया हो, नोट कर लें जब आपको चर्चा का अवसर मिलेगा तो आप खुलकरके अपनी बात कहियेगा।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूँ सत्ता पक्ष के सदस्यों से कि कृपा करके बिलकुल शान्त रहें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, अगर मैं संसदीय प्रणाली से जरा भी हटकर बात कहूँ तो मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यहाँ पर माननीय नेता सदन आज आये हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। आज से नहीं बहुत दिनों से करते आये हैं। यह सही है कि जो यह माननीय सदस्य सामने बैठे हैं यह उधम कर रहे हैं। यहीं मैंने इनको नेता सदन को गाली देते अपने कानों से सुना है लेकिन मैंने उनके सम्मान में कभी नहीं कहा है।

(व्यवधान)

सुन लीजिये। यह सदन आपका नहीं है। यह सदन मेरा भी है।

श्री अधिष्ठाता–

यह सामान्य संसदीय प्रणाली से हटकर बात कह रहे हैं। अगर कोई बहुत आवश्यक बात कहनी है, स्पष्टीकरण लेना है तो कह दीजिये।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारी बात सुन लीजिये। हमें तकलीफ है। सुश्री मायावती के खिलाफ टिप्पणी की इन्होंने, जो कि नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो इस सदन की सदस्य नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कहीं कोई टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं की है।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी थी। और मुलायम सिंह जी के खिलाफ भी अप्रत्यक्ष टिप्पणी की गई। माननीय नेता सदन और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पदों में बहुत बड़ा फर्क है।

माननीय मुलायम सिंह की ऊँचाई को माननीय नेता सदन अपने जीवन में छू नहीं सकते हैं। संभल के चुनाव की बात कही गई। माननीय मुलायम सिंह यादव जी दो बार मुख्य मंत्री रहे, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे।

(व्यवधान)

युवा कल्याण मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)–

यह अपने नेता की स्तुति कर रहे हैं, महिमा का गान कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

केवल दो वाक्यों में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

आपने इन्हें स्पष्टीकरण के लिए खड़ा किया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें। बाबू राम जी मेरी सदाशयता का दुरुपयोग न करें।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कद में और माननीय नेता सदन के कद में बड़ा फर्क है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इसलिए समय नहीं दिया कि आप भाषण दें। भाषण के लिए आपको समय नहीं दिया है। मैंने कोई स्पष्टीकरण या शंका के लिए अनुमति दी थी। दो वाक्य में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, संभल के चुनाव का जिक्र हुआ .....

(व्यवधान)

अगर मान्यवर, इनके लोग बोलेंगे तो हमारे लोग भी बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

आपके श्रीमुख से यह बात अच्छी नहीं लगती है।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय मुलायम सिंह जी भी दो बार मुख्य मंत्री रहे माननीय कल्याण सिंह जी भी दो बार मुख्य मंत्री रहे। मुलायम सिंह जी भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आज तक मुलायम सिंह जी पर एक आदमी ने छींटा नहीं मारा, माननीय नेता सदन का हाल यह है कि इन पर लगे आरोपों को मुझे सुनते-सुनते शर्म आती है। पहली बार मुख्य मंत्री रहे थे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें। उप नेता समाजवादी पार्टी अपने सदस्य को नियंत्रित करें। आप दो वाक्य में अपनी बात समाप्त करें। माननीय सदस्य का भाषण अनावश्यक उत्तेजना पैदा कर रहा है।

श्री बाबू राम यादव–

..... सुन लीजिये। जो चुनाव की बात कही गयी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है और माननीय कल्याण सिंह जी में हिम्मत है तो मैं माननीय मुलायम सिंह जी का इस्तीफा दिलाता हूँ वह माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत जायें.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठ जायें।

श्री बाबू राम यादव–

और यह भी है कि चुनाव उन्हीं की सरकार की देखरेख में होगा। अगर वह जीत जाते हैं तो हम सदन को छोड़कर चले जायेंगे।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, माननीय सदस्य चुनौती की भाषा बोल सकते हैं परन्तु मैं किसी को कभी चुनौती देता नहीं हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कहीं से चुनौती आती है तो उसे सीना तानकर स्वीकार करता हूँ। श्रीमन्, मैंने सदन के अन्दर किसी भी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया है। यहाँ पर पूर्व मुख्य मंत्री माननीया मायावती जी का जिक्र किया गया कि आपने उनकी आलोचना की। मान्यवर, मैंने कोई आलोचना किसी व्यक्ति की नहीं की है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आदरणीया मायावती जी के प्राण लेने के लिए कौन उतारू था और उनके प्राण बचाने के लिए कौन आया था।

(शेम-शेम की आवाजें)

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार की विधि व्यवस्था कितनी चुस्त-दुरुस्त है। श्रीमन्, 1991 में जब चुनाव हुये थे तो 118 लोगों की जानें गयीं थीं और 1996 में जब चुनाव हुये थे तो 14 लोगों की जानें गयी थीं। 1998 में जो लोक सभा का चुनाव इस सरकार के समय में हुआ तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि एक भी हिंसा की घटना और एक भी व्यक्ति की जान जाने की घटना नहीं हुई है तो यह अन्तर है।.....

और उसका परिणाम क्या है पूरे देश भर में यह पहला राज्य है कि लोक सभा के 1998 के चुनाव में मतदान का प्रतिशत 7 बढ़ गया।

(विपक्ष की ओर से फर्जी वोटिंग की आवाजें)

आप मान रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है तो उस क्षेत्र में भी हुई होगी जिसका अभी जिक्र चल रहा था। मान्यवर, पहली बार इस प्रदेश में वन माफियाओं से एक हजार एकड़ भूमि मुक्त कराई है ये शासन की धमक है। मान्यवर, 790 अपराधी या तो स्वयं या हमारे प्रयासों से ––उनकीजमानतें निरस्त हुई हैं। और वे जेल के सीखचों में बन्द हुये हैं। श्रीमन्, एफ०आई०आर० हर एक की लिखी जायगी, अगर कहीं से शिकायत आती है तो हम कड़ी कार्यवाही करते हैं। मान्यवर, ऐसी भी सरकारें थीं, जिन्होंने केसेस को छुपाया कम कराया केसेस का रजिस्ट्रेशन।

मान्यवर, हमने हरेक एफ०आई०आर० लिखने का आदेश दे रखा है लेकिन उसके बावजूद अपराधों के ग्राफ में कमी आई है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, जिन अपराधियों पर कुछ इनाम घोषित थे ऐसे 1055 अपराधी चिन्हित किये गये। उनमें से 521 के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा चुकी है और 436 के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो चुकी है। ये सरकार अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है और टूटती रहेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, हमारी रणनीति क्या है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मात्र कानून व्यवस्था को आंकड़ों के हिसाब से नहीं तौलते, मैं तौलता हूं कि जनमानस में अनुभूति क्या है और उसी आधार पर कानून व्यवस्था का मैं आंकलन करता हूं। मेरे पास राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय जगत के आंकड़े मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अपराध के आंकड़े आज प्रदर्शित हैं। हम जो कार्यप्रणाली बना रहे हैं उसमें सबसे पहला काम यह है कि थाने की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने का। चूंकि हम यह मानते हैं कि थाना सबसे महत्वपूर्ण इकाई है अगर थाना चुस्त-दुरुस्त नहीं रहेगा तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी इसी हिसाब से उसके सारे सिस्टम को ठीक करने का काम किया है। इसीलिए आज हमारी आलोचना हो रही हे, लेकिन हमें आलोचना की कोई चिन्ता नहीं है। थानों पर तैनाती का आधार कौम नहीं कर्म बनाया गया है सामाजिक सन्तुलन बना रहना चाहिए था, लेकिन उसके नाम पर हम नाकारा किस्म के लोगों को थानाध्यक्ष बना दें मैं इस सिद्धांत का कायल नहीं हूँ। हमारा पैमाना है कौम नहीं काम।

किस कौम का है, यह मेरा आधार नही है, काम कैसा करता है, यह एक आधार है। इसकी आलोचना हो सकती है, मैं सहने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे और मेरी सरकार को एक-एक नागरिक की जान प्यारी है। उसके लिए कोई आलोचना करेगा, तो मैं सहूंगा, लेकिन आम आदमी की जान-माल की सुरक्षा बनी रहे, यह मुझे और मेरी सरकार को करना है। काफी दिनों से यहाँ पर पुलिस बल की कमी है। प्रदेश बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी। लगभग 10,000 कांस्टेबिल की भर्ती और लगभग 3,000 से भी ज्यादा सब-इंस्पेक्टर की भर्ती का काम हमने शुरू कर दिया है, और जहां जहां भी पुलिस बल की कमी पड़ रही है उसको पूरा करेंगे।

इसी प्रकार से मैने पहले कहा था कि थानों पर तैनात जो भी पुलिस कर्मी हैं, उनकी सुरक्षा का इन्तजाम किया जायेगा। श्रीमन्, कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिये हमने उन लोगों को चिन्हित किया जो पुलिस में हैं। जिनके बदमाशों से, गुण्डों से, माफियाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सांठ-गांठ रही है, ऐसे लोगों की संख्या थी 234 जिसमें से 125 लोगों को हमने बर्खास्त किया है और 109 लोगों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, और बाकी के खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है। इनमें से बहुतों को दूर-दूर स्थानान्तरित किया है और कोशिश यह की गई है कि महत्वपूर्ण पदों पर थानों में ऐसे लोग न जाने पायें। जहाँ हमने दोषी पुलिस जनों के खिलाफ कार्यवाही की है वहीं पर हमने 24,872 ऐसे पुलिस कर्मी निकाले हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। हमने उनकी पीठ थपथपाई है और पारितोषिक दिया है। 6 सब-इंस्पेक्टर और 6 कांस्टेबिल बे आउट आफ टर्न उनको प्रमोशन दिया है। यह एक प्रतीक है, संकेत है। इस सरकार के अन्दर निकृष्ट काम करने वाले, गलत काम करने वाले अपराधियों के साथ सांठ-गांठ करने वाले लोगों को दण्डित किया जायेगा और जो काम करने वाले, ज्यादा वीरता से काम करने वाले पुरस्कृत किये जायेंगे। यह हमारा संकेत है।

आधुनिकीकरण के मामले पर इसके लिए संचार सुविधा, छोटे, बड़े वाहन आधुनिकतम शस्त्र, कम्प्यूटर और विवेचना के वैज्ञानिक रूप को विकसित करने का फैसला किया गया है। इस दिशा में साढ़े चार वर्ष में जो कुछ मैं कह रहा हूँ, 1 अप्रैल 93 से लेकर 20 सितम्बर 1997 तक केवल 22.30 करोड़ रुपये खर्च किये गये, उसके बाद हमारे 6 महीने के कार्यकाल में, जबसे मैने मुख्य मंत्री की शपथ ली, 21 सितम्बर 1997 से लेकर 31 मार्च 1998 तक 16.23 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और 1998-99 के बजट में हमने 22.27 करोड़ का प्राविधान किया है। इस प्रकार से इस सरकार ने कुल मिलाकर 38.95 करोड़ रुपये को खर्च करने का फैसला थानों और पुलिस की प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए किया है। इसके पहले इस मद पर किसी भी सरकार ने धन नही दिया, इतने पैसे का प्राविधान नही किया है। कुल मिलाकर साढ़े चार वर्ष की वृद्धि और डेढ़ साल की वृद्धि, 6 माह बीत गये 1998-99 का बजट पेश है, यह डेढ़ साल की अवधि हो जाती है। इसमे सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए 150 प्रतिशत व्यय की हमने वृद्धि की है, यह ऐतिहासिक है। आज तक इस ओर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मैं जनता से सहयोग प्राप्त करने जा रहा हूँ।

अब इसी में अवस्थापना विकास प्रदेश में 400 से अधिक थाने बिना भवन के 11-4-93 से 20-7-97 तक मेरे कार्यकाल के पहले इस काम के लिए 1.08 करोड़, यह साढ़े चार साल का हिसाब किताब है, हमने क्या किया है? गत वर्ष 83 थानों के लिए 9.65 करोड़ का प्राविधान किया।

.....और इस वर्ष 98-99 के बजट में इस मद में 15 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर इन साढ़े 4 वर्षों की तुलना कर लें तो इन साढ़े 4 वर्षों में केवल 1.08 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ वहीं इन 6 महीनों में 9.65 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और जो आगामी वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसमें 15 करोड़ रुपया का प्राविधान किया है।

श्रीमन् इसी प्रकार से सिविल पुलिस-कर्मियों के लिये आवासीय भवनों के लिये 1-4-93 से 20-9-97 तक, मेरे मुख्य मंत्री पद की शपथ लेने से पहले साढ़े 4 वर्षों में 16.55 करोड़ रुपया खर्च किया गया और हमने अपने 6 महीने के कार्यकाल में 13.07 करोड़ खर्च किया। मैं दो हिस्सों में इसलिये बांट रहा हूँ क्योंकि

एक वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गया और दूसरा जो मैं बजट रख रहा हूं। यह 13.07 करोड़ अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये खर्च किया गया है और इस वर्ष 1998-99 के बजट में इस मद में 30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, यह किसी भी सरकार के जमाने में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी वृद्धि हो रही है। कारण हम चुस्त दुरुस्त सारे सिस्टम को, पुलिस को और अधिक एक्टीवाइज करना चाहते हैं। जिससे हम काम लेना चाहते हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं, उसकी ओर शासन ध्यान दे रहा है। उनकी दैनिक आवश्यकताओं की चिन्ता से मुक्त करने का काम शासन का है। इस प्रकार से श्रीमन् पुलिस लाइन, थाना भवन, आवास हेतु 1-4-93 से 20-9-97 तक साढ़े 4 वर्षों में 17.63 करोड़ खर्च किया गया और हमने 21-9-97 से 31-3-98 के 6 महीनों में 22.72 करोड़ खर्च किये हैं। इस वर्ष 1998-99 के इस बजट में थाने भवन आवास, पुलिस लाइन के आधुनिकीकरण के लिये, पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये 94 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।

श्रीमन् इस साढ़े 4 वर्षों के व्यय से हमारा व्यय 650 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले किसी सरकार ने इतना नहीं किया। एक ओर साढ़े 4 वर्षों के प्राविधान हमारे सामने हैं और दूसरी ओर 6 महीने का वह कार्यकाल और उसके पश्चात् 98-99 का बजट जो हम पेश कर रहे हैं, इन सारे आंकड़ों को देख लें तो 650 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह हमारी रणनीति का अंग है। इस प्रकार से श्रीमन् हमने थानो में जिलों में बड़े कुख्यात माफियाओं, गुन्डों, बदमाशों की सूची बनवाई है, इस सूची में अभी तक 15,400 अपराधी चिन्हित हुये हैं। इसमें से 12,000 अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर चुके हैं और जेल भी भेजे जा चुके हैं। इसी प्रकार से 1055 नामी अपराधी हैं।

(श्री राम औतार शाक्य द्वारा बैठे-बैठे कुछ टोकने पर)

यदि आप कहेगें तो मैं आपके पास नोट भिजवा दूंगा।

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

श्री राम औतार शाक्य–

आपकी पोल मुझे मालूम है, इसीलिये कह रहा हूं।

श्री कल्याण सिंह–

मैं अध्यापक रहा हूं। शाक्य जी की समझ में अगर कुछ न आ रहा हो, तो मैं ट्यूशन फीस नहीं लूंगा, फ्री में पढ़ा दूंगा।

तो मान्यवर, 1055 इनामी अपराधियों में आधे पकड़े गये हैं और 436 के विरुद्ध कार्यवाही की है। मान्यवर, विभिन्न जनपदों में 1437 माफियाओं को सूची बद्ध किया गया है और 1000 के फिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। ऐसे ही 25 हजार और उससे ऊपर जो इनाम घोषित है, हमने फैसला लिया है कि ऐसे अपराधियों के फोटो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जायें, जिससे आम जनता पहँचान सके कि उनके बीच कोई अपराधी तो नहीं गुजर रहा है। श्रीमन् इस बात का भी एक असर दिखायी देता है कि अपराधियों के फिलाफ तो कार्यवाही होगी ही इसके साथ ही साथ अपराधियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। हमने इस बात का निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में अभियोजन की कार्यवाही सुदृढ़ हो, इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में हमने पुलिस के कन्ट्रोलरूम स्थापित किये हैं शत प्रतिशत एफ०आई०आर० दर्ज करने के आदेश दिये हैं, किसान सेवा केन्द्र, नगरीय सेवा केन्द्र, थाना दिवस, तहसील दिवस, जहाँ पर अधिकारी जाते हैं और जनता जाती है। वहाँ पर आम आदमी अपनी तकलीफ बता सकता है, गांव में क्या हो रहा है, कौन बदमाश किस गांव में छिपा है, बता सकता है। इस मामले में आम जनता और सभी नागरिकों को अपना सहभागी बनाया है।

राजधानी के बारे में कुछ व्यवस्थाएं की है। उसकी बहुत चर्चा होती है 6 नये थाने, पुलिस चौकियाँ, आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। पुलिस कन्ट्रोल रूम के लिए 55 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है, 15 जीप, 50 मोटर साइकिलें स्वीकार की जा चुकी हैं। 90 वायरलेस सेट दे दिये गये हैं। 800 अतिरिक्त सिपाही राजधानी के लिए दिये गये हैं। 137 उपनिरीक्षक अतिरिक्त दिये गये हैं, और 42 ड्राइवरों की पोस्ट स्वीकार कर दी गयी हैं। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था के ठीक होने से बहुत चिन्तित हैं और राजधानी को लक्ष्य बना रखा है। अगर कारगर कार्यवाही नहीं होती हैं तो किये धरे पर पानी फिर जाता है इसलिए अतिरिक्त व्यवस्था की है ताकि इस प्रकार की कोई गंभीर हिंसा न होने पाये।

श्री राम औतार शाक्य–

भाषण बहुत अच्छा नहीं है, टूट गया है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, श्री गौरीशंकर जी को जरूर ठीक नहीं लगा होगा। मीठा मीठा गप होने वाला नहीं है, तीखा तीखा चरफरा। इसलिए ठीक नहीं लग रहा होगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, श्री गौरी शंकर जी के साथ गड़बड़ी तो श्री हुकुम सिंह जी ने की है, आपने श्री गौरी शंकर जी का नाम गलती से श्री राम औतार शाक्य जी के स्थान पर ले लिया है।

श्री कल्याण सिंह–

मैं अपनी गलती को संशोधित कर लेता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य–

श्री गौरी शंकर जी के प्रति बड़ा अहित हुआ है, हम तो राम के औतार हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

आपने थोड़े भ्रम से हमारा नाम ले लिया, और आपने कहा कि हमें खराब लग रहा होगा तो आप स्वयं अनुभव करिए मेरे स्थान पर श्री कल्याण सिंह होते तो उन्हें कैसा लगता, इसका निर्णय आप स्वयं कर लें।

श्री कल्याण सिंह–

हमने अपनी भूल सुधार ली, मैं श्री राम औतार शाक्य जी, के स्थान पर गलती से श्री गौरी शंकर जी का नाम ले गया।

श्री राम औतार शाक्य–

चलिए, आपने अपनी गलती तो कम से कम मानी।

श्री अधिष्ठाता–

नामों का कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, अब मा० नेता सदन का नाम कल्याण सिंह है तो दोनों का कल्याण कर गयें।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

आप बैठे हों तो गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन मा० नेता सदन ने अपनी गलती स्वीकार कर लीं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं जानता हूँ कि प्रदेश के विकास के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था एक आधार शिला होती है, इसलिए हमारी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में सर्वप्रथम प्राथमिकता चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था भय मुक्त समाज, जातिपाँत, मजहब, वर्ग और सम्प्रदाय के भेदभाव किये बिना सभी की जानमाल की गारन्टी, यह हमने अपना ध्येय रखा है। जिस प्रकार अपराधी और गुण्डों की हम जातिपाँत नहीं देखते है, मत मजहब नहीं देखते हैं उसी प्रकार जब कोई पुलिस के अन्दर भर्ती हो जाता है, तो उसके एक कामन शब्द रह जाता है, वह पुलिस कमान का आदमी हो जाता है, जो कोई गुण्डा या माफिया होता है उसके लिए एक ही आधार पर बिना भेदभाव किये कार्यवाही की जाती है, और हमारा शासन उस पर कड़ाई से पेश आ रहा है, और कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार तेजी गति से आना शुरू हो गया है और जो सिस्टम मैंने आपके सामने रखा है, उसमें तेजी के साथ हम अपने प्रदेश के अन्दर बहुत अच्छा वायुमण्डल बनाने में सफल होगें, मैं सामने बैठे हुए विपक्ष के नेताओं से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और अपने साथियों से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो कुछ मैंने अपने आज के भाषण के भाग में यहाँ पर बोला है इसपर आपके विचार और सुझाव आयेंगे और इस पर चर्चा उभर कर आयेगी। मैं आपकी आलोचनाओं का बुरा नहीं मानता हूँ, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, आलोचनाओं से भी हम कुछ न कुछ सकारात्मक बिन्दु कैसे निकलते हैं, निकाल लेंगे हम विपक्ष को शत्रु नहीं मानते, तो आइये हम दोनों मिलकर इस महान प्रदेश की महान जनता की सेवा करने का संकल्प लें। श्रीमन् इन शब्दों के साथ में आज अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 26 गृह विभाग (पुलिस) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय नेता सदन को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि उनको यह बजट प्रस्तुत करने का अवसर इस सदन में मिला। इसके लिए उनको किन सुरंगो से गुजरना पड़ा और किन-किन रूपों में गुजरना पड़ा तब कहीं जाकर वह सदन में बजट प्रस्तुत कर पाये उसके लिये मैं उनको औपचारिक रूप से बधाई देना चाहता हूँ। माननीय नेता सदन ने बजट को दो अध्याय में रखने की बात कही एक पार्ट आज रख दिया और एक पार्ट कल रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता सदन क्या कल आप दूसरे हिस्से पर बोलना चाहेंगे?

श्री कल्याण सिंह–

जैसी पूरे सदन में चर्चा होगी उसका उत्तर तो मुझे देना होगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी ऐसा कुछ नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप कार्यवाही दिलवा लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन् मैंने पूरा बजट प्रस्तुत कर दिया है। जो कहना था मैं कह चुका हूँ और पूरे सदन में जो चर्चा होगी उत्तर के रूप में जो बोलना होगा, बोलूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव के संबंध में यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इसको तीन अध्याय में रखूंगा। मान्यवर, पहले अध्याय में माननीय नेता सदन ने जो शुरू में उन्होंने कहा कि हम सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं और अगर उनका सचमुच यह विचार है तो यह प्रदेश के लिए शुभ होगा। लेकिन आंकड़ो के भंवरजाल और आंकड़ो के मकड़जाल में ढककर अपनी बात को रख देने के अपने संसदीय अनुभव के नाते आप बड़े माहिर हैं जिसके लिए हम आपकी तारीफ कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आप पूरी तरह से सहमत होंगे कि इस संबंध में आपने एक भी बिन्दु का जिक्र नहीं किया कि सचमुच में यदि आप इस सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, में यह बात होनी चाहिए।

अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोत्तरी हुई है या कमी हुई है उसके आंकड़े देकर यह साबित करना कि अपराधों की स्थिति प्रदश में बहुत अच्छी हो गई है और पिछली सरकार के मुकाबले 4 हत्यायें कम हो गयी हैं, 3 बलात्कार कम हो गये, डेढ़ लूट कम हो गई है और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है और जबसे इन आंकड़ों के रखने की व्यवस्था हुई है, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पहला पुलिस आयोग वर्ष 1903 के जमाने से इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी थी कि इन आंकड़ों के आधार पर अगर समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति का आंकलन किया जायेगा तो हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगें और जब-जब यह प्रश्न आया और इस पर विचार हुआ, जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी है, धर्मवीर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी है, जब भी कोई रिपोर्ट आयी है हर समय यह बात कही गयी कि इन आंकड़ों के आधार पर कानून-व्यवस्था की स्थिति का आंकलन ठीक-ठाक नहीं किया जा सकता। वर्ष 1962 से 1968 तक एक दूसरा ढर्रा चला जब ठीक ढंग से एक-एक अपराधों के पंजीकरण का सिलसिला शुरू हुआ तो अचानक पूर्ववर्ती वर्षों में जितना था उससे दोगुना हो गया।

माननीय नेता सदन से कहना चाहूँगा कि आप अपराधों के आँकड़े निकलवा लीजिए। वर्ष 1968 के मुकाबले 30 वर्ष में कितने बढ़े हैं और अपराध बढ़ने के लिए जो कारक होते हैं उसमें कितनी वृद्धि हुई है उसका देख लीजिए। इन सारे कारकों के बाद 1968 में जितने अपराध इस उत्तर प्रदेश में हुए थे अगर उतने ही अपराध 1998 में रिकार्ड किये जा रहे हैं तो कहीं न कहीं डिफेक्ट है और सिस्टम में कमी है। मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, आंकड़ों का खेल चाहे जितना खेल लीजिए, लेकिन आँकड़े आपके विरुद्ध हैं आपके दावों के विरुद्ध हैं और सच नहीं हैं। अगर आपके आँकड़ों को सही मान लिया जाये कि अमुक अपराध 1.3 प्रतिशत कम हो गया या 3.25 प्रतिशत कम हो गया तो इससे कानून व्यवस्था की स्थिति का आंकलन नहीं हो सकती है। आपने स्वतः इसको स्वीकार किया है और आज नहीं इसके पूर्व इसी सदन में चूँकि आप वरिष्ठतम सदस्य हैं और बहुत बार आपको आने का अवसर मिला है और कई बार इधर-उधर रहने का अवसर हुआ है। आपने जिस स्थान से कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूँ, आपने वहीं से यह बात कही थी कि आँकड़ों के आधार पर हम यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि अपराध की स्थिति बढ़ रही है या घट रही है, अपराध नियंत्रण में है या सरकार की नियंत्रण के बाहर है।

सरकार की क्या छवि होगी आपने स्वतः अपनी राय व्यक्त की है और शब्दों में आपने जरूर स्वीकार किया है इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आप एक वक्तव्य में यह प्रयोग कर लेते हैं कि मैं आंकड़ों में नहीं जाता और दूसरे वक्तव्य में आंकड़ों का खेल खेलने लगते हैं। आँकड़े कहते हैं कि 1.3 प्रतिशत अपराध कम हो गया इसलिए बहुत अच्छी कानून व्यवस्था इस प्रदेश की है, यह आपके लिए नई बात नहीं है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं यह पहला और अन्तिम बार नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूँगा

कि मामला बहुत गम्भीर है और इस सिस्टम को अगर मजबूत करना है तो पूरी गम्भीरता से आपको चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हिन्दुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में अगर बड़े-बड़े देशों को जोड़ लिया जाये, अगर मुझे ठीक ज्ञान नहीं है तो सारे विद्वान सदस्य बैठे हैं संभवत: सातवीं स्थिति है। अपने हिन्दुस्तान में इसकी स्थिति क्या है ? जब अपराधों का लेखा-जोखा होता है और आँकड़े आते हैं तो सिर्फ 10 प्रतिशत कुल जो हिन्दुस्तान में अपराध होते हैं उसका 10 प्रतिशत रजिस्टर्ड होता है।

आप अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेते हैं। आपने एन०सी०आर०बी० के आंकड़ों का हवाला दिया। इसमें बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में अपराधों के आंकड़े सबसे कम हैं। आंकड़े वह हैं जिन अपराधों को आपने पंजीकृत किया। जो आई०पी०सी० के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज हुए हैं जो हस्तक्षेपीय अपराध होते हैं उन्हीं के आंकड़े हैं। इसके बजाय एन०डी०पी०एस०, एक्ट, आर्म्स एक्ट में, एक्साइज एक्ट में कितने पकड़े गये इसके आंकड़े देख लें। मैं आंकड़ों में नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने यहां आंकड़ों का ही उल्लेख किया है इसलिए मुझे कहना पड़ा। आई०पी०सी० में रजिस्टर्ड मुकदमों की संख्या में कमी आई है क्योंकि उनके आंकड़े बनते है उसी आधार पर अपराधियों की या अपराधों में कमी का जवाब देना पड़ता है। लेकिन एन०डी०पी०एस० में 43 प्रतिशत अकेले रजिस्टर्ड है।

उत्तर प्रदेश में आर्म्स एक्ट में सारे हिन्दुस्तान में जितने मुकदमें रजिस्टर्ड हैं उसका 66 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। एक्साइज एक्ट में 20 प्रतिशत और इसी तरह से दूसरे तमाम छोटे-मोटे एक्ट हैं जिनके न तो आंकड़े बनते हैं न उनकी समीक्षा होती है। उन अपराधों में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। जब समस्त पंजीकृत अपराधों के आंकड़े बनायें तो जितनी खूबसूरती से अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दिये गये आंकड़ों की बात कही है यह बात सिद्ध नहीं होगी। लॉ एण्ड आर्डर का बेसिक यूनिट थाना है। इसी यूनिट से कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होती है। जो दूसरे सेल बने हुए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के तमाम तरह के सेल बने हुए हैं। उसमें नियुक्त अधिकारियों का प्रतिशत लें तो आउट पुट रिजल्ट आता है कि कितने जाचें की कितने अपराधियों को इसमें पकड़ा गया इनके आंकड़े जब आप देखते तो यह सारे प्रयास आपको निरर्थक लगेंगे। लॉ एण्ड आर्डर का बेसिक यूनिट आपको थाना मानना पड़ेगा। वर्ष 1961 में इस प्रदेश में 2100 से अधिक थानों की आवश्यकता थी। मुख्य मंत्री जी ने 40 बढ़ा दिए हैं। आज 1988 में 1961 के मुकाबले दो गुनी आबादी हो गई है। इसी हिसाब से अपराध बढ़े हैं, लेकिन थानों की संख्या मुख्य मंत्री जी जो-जो थाने बनाए हैं उनको जोड़कर 1440 होती है। लखनऊ वाले 6 थाने और जोड़ लें तो 1446 थानों की संख्या होती है। जबकि थानों की संख्या 1961 की आबादी के हिसाब से 4200 होनी चाहिए। आपने बजट में अलग-अलग ऐड्स के लिए जो प्राविधान किया है उसका आपने अलग-अलग जिक्र किया। इस अध्याय में मैं सिर्फ वह चर्चा करना चाहता हूं जिससे आप सहमत होंगे असहमत नहीं होंगे।

(इस समय 7 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

आप स्थिति को देख लीजिये। टोटल बजट का 90 प्रतिशत पुलिस कर्मियों के वेतन, उनके टेलीफोन, उनके टी०ए० बिल और गाड़ी खर्च में गया है। इसके अलावा कैसे आप आधुनिकीकरण, उनका विकास अवस्थापना करेंगे ? जब आप का इसका उत्तर भाषण देंगे तो उसमें इन चीजों को बतायेंगे में कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो परन्तु 10 प्रतिशत में आप इतना ऊँचा सपना देख रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आप इस पर गम्भीर नहीं हैं।

मान्यवर, एक नया उद्योग शुरू कर रखा है, जो इससे पहले उद्योग की श्रेणी में नहीं आता था। तबादला उद्योग। तबादले को आपने एक नई परिभाषा और आयाम दे दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी बड़ी विचित्र स्थिति है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपने मंत्रियों के नाम याद नहीं है, यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अभी आपने श्री राम औतार शाक्य जी की जगह श्री गौरी शंकर जी का नाम ले लिया, यह आपकी विचित्र स्थिति है। इसी प्रकार आपने अपने मंत्रियों के नामों को रखा है।

जिसके कारण एक प्राईवेट सेक्रेटरी को बढ़ाया गया है, जब पूछा गया कि इसका उपयोग क्या होगा तो बताया गया कि इसका काम केवल यह होगा कि यह मंत्रियों के नाम लिखेगा और उनके विभागों को लिखेगा कि किसके पास क्या है क्योंकि आपने जो यह 100 की फौज खड़ी कर रखी है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को सबसे पहले आपने कूड़ेदान में डालने का काम किया है। उसके बावजूद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं, यह कितना विरोधाभाष है, आप जैसा महान व्यक्ति, अभी आपके कृतित्व को तो हमने देखा नहीं है, इतनी ऊँची बातों को कैसे कर पायेगा? मान्यवर, बिल्कुल असंभव है, इसे ये कर नहीं सकते हैं। माननीय मंत्री जी आपका रौब प्रदेश में तो नहीं है लेकिन आपके कुछ साथी जरूर रास्ते में मक्खन डाल देते हैं शायद उस सड़क पर चलने पर आपके फिसलने से कहीं कुछ मक्खन आप पर न चिपक जांय।

मान्यवर, जितनी सरकारें आयी हैं और जितने आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, पी०सी०एस० तथा पी०पी०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण का जो कीर्तिमान आपने स्थापित किया है, आपकी सरकार ने कई कीर्तिमान किये हैं। स्थानान्तरण को उद्योग का दर्जा देने का भी कीर्तिमान आपने किया है।

मान्यवर, सर्वाधिक स्थानान्तरण किये जाने का कीर्तिमान आपके नाम है। आई०ए०एस० और आई०पी०एस० को मिलाकर रोज सात स्थानान्तरण किये जाने के आपके आंकड़े हैं। बहुत सारी सरकारों की आपने आलोचना की। मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको यहाँ देखा है, आपके तेवर भी देखे हैं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि यह "बेचारे" हैं।

मान्यवर, जब मैं आपको मुख्य मंत्री नहीं सिर्फ श्री कल्याण सिंह के रूप में देखता हूँ तो आप जितने 'बेचारे' दिखाई देते हैं उतने 'बेचारे' आप कभी नहीं रहे हैं। न उस समय जब आप पहली बार मुख्य मंत्री बनकर आये थे इस सदन में, और न उस समय जब आप इस सदन में नहीं थे। पता नहीं किसकी संगत में आप इतने 'बेचारे' हो गये हैं, यह आप जानते होंगे। आपको इतने 'बेचारे' होने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आशा करूँगा कि आप इस लाचारगी और बेचारगी से निकलने का काम करेंगे। आपने जितने समझौते किये हैं, जितने लोगों की शरण में गये हैं उसमें कोई अंकुश नहीं रहा है, दबाव रहा है। आपको अपनी इच्छा के विपरीत जाकर कर्म और आचरण करना पड़ा है। इससे अधिक बेचारगी की कोई सीमा नहीं हो सकती है। मेरे पास शब्द कम है, मेरा अनुभव कम हो सकता है, मेरा ज्ञान कम हो सकता है, मेरी शिक्षा कम हो सकती है। मैं क्षम्ययोग्य हो सकता हूँ क्योंकि मेरा ज्ञान कम है। आप ज्ञानी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, शक्तिशाली भी हैं, आपकी इतनी बड़ी फौज है, मान्यवर, फिर भी आप इतने 'बेचारे' हैं। जरा विचार कीजियेगा। स्वीकार तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपमें साहस ही नहीं रह गया है। बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिनका क्षरण होता है। वैसे तो वह चमकती हैं लेकिन सूर्य जब अस्त होने लगता है तो उसकी प्रखरता, मारकण्ड की प्रखरता और तेज समाप्त हो जाता है। आपके चरित्र को लोगोंने कभी देखा होगा और लोगों की हसरत रही होगी कि प्रदेश का मुख्य मंत्री हो उसकी आँच लगे। कहीं कोई कमी खमी जरूर आई है जिससे वह आपका तेज नहीं रह गया है। आप अपनी वह तेजी दिखाईये जिन हाथों में आप फँस गये हैं उनसे मुक्त होने का प्रयास कीजिये। आपने कहा कि मैं परवाह नहीं करता चाहे सरकार रहे और चली जाये। मान्यवर, एक हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में आपने शासनादेश का जिक्र किया। मान्यवर, मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि शब्दों के शब्द जाल, शब्द प्रयोग में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। शब्दों का इस्तेमाल करने से अगर कहीं विस्फोट होता तो आप यहाँ बोलते और बहुत दूर उसका विस्फोट होता।

जनवरी में पुलिस वालों की परेड में आपने कहा था कि दो हफ्तों के भीतर खड़े जो जायं और इस तरह का आचरण हो धमक से कि गाँव गली में लग जाय। लेकिन पता नहीं वह धमक कहाँ चली गई। सीले हुए पटाखे की तरह फुस्स हो गयी। इनकी नाम के नीचे मुख्यालय है, ऐसी वारदातें हुई कि [illegible] प्रदेश [illegible] कमजोर से कमजोर आदमी सोचने लगा कि हम कहाँ रह रहे हैं। जहाँ डी०जी०[illegible] [illegible] मुख्य मंत्री के कार्यालय के पास ऐसी-ऐसी वारदातें, अपराध हो जाते हैं। दावे बड़े-बड़े [illegible] जाते हैं और

कहीं धमक सुनाई नहीं पड़ी । डी०जी०पी० महोदय के दफ्तर के पास वारदात होती है । आप विधान सभा में लम्बे चौड़े वादे करते हैं उस गेट से निकलकर 500 गज की दूरी पर कोई धमक नहीं सुनाई देती । तड़तड़ाहट ए० क० 47 की सुनाई दी, होटलों में और सड़कों में बहता हुआ खून इस प्रदेश की जनता ने जरूर देखा । आपकी धमक केवल भाषण में रह गई । आपको ऐड़ी ठोंक कर सलाम किया गया होगा तो धमक आपको लगी होगी । गोरखपुर में डकैती हुई बैंक की, बरेली में हुई, बलिया में हुई, लखनऊ की बात दूसरी है ।

आपका रेडियो मुख्यालय है, महानगर थाना है ए०डी०जी० के आफिसेज हैं । मान्यवर, पंजाब नेशनल बैंक से साढ़े 42 लाख रुपया लूट कर ले जाएं, तो आपकी धमक यहीं खत्म हो जाती है । इसका मतलब आपके आचरण में खामी है आपके आचरण से धमक पैदा नहीं हो रही है । जब आपका भाषण सुनकर वह निकलते हैं, अनुसरण करते हैं और जब अपराधियों को ढूंढ़ते हुए आते हैं, तब वह समझ नहीं पाते हैं, आपने कहा है कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी नजर रखी जाएगी, तो यह कहते जाएगी, तो यह कहते समय शीशा जरूर सामने रखिए कि बड़े अपराधियों को संरक्षण किसने दिया है ? प्रदेश में अगर कोई बड़े अपराधियों को संरक्षण देने वाला है ।

प्रदेश में बड़े अपराधियों को संरक्षण देने का काम किसी ने किया है तो श्री कल्याण सिंह ने । आप द्वारा यह कह दिया जाता है कि मंत्रिमंडल में कोई अपराधी नहीं है, लेकिन यह कह देने से बात खत्म नहीं हो जाएगी । इनकी राजनीतिक शक्ति चूक जाएगी यह कह दें कि अपराधी नहीं है तो क्या इनकी छवि सुधर जाएगी ?

यह अपराधियों के लिए रुपये का इंतजाम कर चोर दरवाजा तो खुलवा सकते हैं लेकिन अपराधी को कहीं भेज नहीं सकते । आज प्रदेश में जो सबसे बड़ा संकट है वह है आपके आचरण का । मैंने इस सदन में आपको कहते हुए, जनसभाओं में नाम लेते हुए, इंगित करते हुए, चर्चा करते हुए आपको सुना है उनके बारे में आप कहते थे, और आज आप कहते हैं कि आपराधिक छवि का कोई व्यक्ति नहीं है इस बात को पहरे पर खड़ा सिपाही स्वीकार कर सकता है। डी०जी०पी० कहेंगे तो उनकी मजबूरी हो सकती है लेकिन इससे इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है । आपके मन में पीड़ा होगी, कोई शासक नहीं चाहता है प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो जाए । अपराधी आए और मुँह पर तमाचा लगाकर चला जाए और कुछ न कर सकें । बार–बार आँकड़े दोहराए जाते हैं प्रदेश में टाप-टेन की बात कही गई संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कोई सूची नहीं है, और प्रश्नों का उत्तर आता है, जबटाप-टेनका सवाल आता है तो कहते हैं कि सूची है । पक्ष-विपक्ष के सब लोग हँसते हैं । लिक्विटेड करने की बात है तो किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर जाने का अधिकार नहीं है । कानून बनाने के लिए आप कानून इस सदन में ला सकते हैं कानून से ऊपर जाने की छूट नहीं है दावा करते हैं लिक्विटेड कर दिया जायेगा । इनके अगल-बगल ऐसे लोग बैठते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता है निर्दोष लोग मारे जाते हैं । ग्राम प्रधान से कहा जाता है कि पांच नसबन्दी के केस ले आएं तो एक की तो नसबन्दी हो गई चार की फर्जी दर्ज हो गई, तो कोटा पूरा हो जाएगा । स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं फर्जी आंकड़ों की लिस्ट है ।

मान्यवर, कोटा तो पूरा हो जायेगा लेकिन पत्र यह चलेगा कि निर्दोष लोगों की हत्या पुलिस कर देगी । यासीन कुरैशी, एकबाल मैवती, जफर कुरैशी की हत्या कर देगी । मुसलमानों को मारकर आयेंगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी खुश होंगे यह लोगों में धारणा है । आज मुसलमान और यादव को आप अपराधी कह रहे हैं । मैं शिवपाल जी से क्षमा चाहूँगा । आप किसी मुसलमान, यादव, दलित को मार देते हैं और यह कहते हैं कि यह अपराधी था इसलिए मार दिया तो यह आपकी मानसिकता है । आपने एक पुस्तिका दी है उसके पृष्ठ-5 में लिखा हुआ है कि विमुक्त टाडा बंदियों, संदिग्ध चरित्र के एवं लापता/भ्रमित सिख एवं मुस्लिम युवकों की गतिविधियों को प्रक्षेपण किया जाना । तो अगर सिख और मुसलमान की गतिविधियों का प्रक्षेपण करना ही आपका उद्देश्य रह गया है, अगर भ्रम के आधार पर, जाति के

आधार पर मन में द्वेष पालेंगे तो यह दावे आपके फर्जी हो जायेंगे कि सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। जातिगत आधार पर आपका आचरण रहा है। ऊँचे पदों पर, जिम्मेदार पदों पर जबकि एक से एक काबिल लोग हैं जिन्होंने आड़े समय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है वह अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं तो वह आपके राज्य में नालायक मान लिये गये हैं, उन को महत्वहीन स्थानों पर भेज दिया गया है। मान्यवर, 19 मण्डल और 83 जिले हैं और 19 मण्डलों में एक भी एस०सी० कमिश्नर नहीं है, ओ०बी०सी० और माइनौरिटी का, एस०टी० का एक है। डी०आई०जी० में एक एस०सी० का, एस०टी०, ओ०बी०सी० और माइनौरिटी का शून्य है। इसी तरह से आई०जी० की जो स्थिति है- एस०सी० का एक और बाकी नहीं है। कलेक्टर की जो स्थिति है पूरे 83 जिलों में एस०सी० के दो एस०टी० का एक, ओ०बी०सी० का 5 और एक मुसलमान जिनका नाम काम राज रिजवी है। जो आपके प्रदेश के 85, 88 फीसदी लोग हैं उन्हें आप यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप उनके साथ नाइंसाफी करेंगे। कौम को नहीं काम को अधिकार बनाया जाय। वह सारे लोग जो सब लायक और समृद्ध थे वह नालायक हो गये हैं और वह कौम लापता होती गयी।

आप जिन लोगों के दबाव में हैं, पिछड़े वर्ग से होने के नाते, उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के नाते, ऐसी प्रतिगामी शक्तियां जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में ओ०बी०सी० होने के नाते नाजायज इस्तेमाल आपका करना चाहती हैं और ओ०बी०सी० को बरबाद करना चाहती है। आप उनसे डरे हुए हैं। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप न जाने क्यों इनमें फंसे हुए हैं, मैं आपका आवाहन करना चाहता हूँ कि आप इसे तोड़ दें और कफस से निकलें, यह पिंजड़े से निकलें। इन प्रतिगामी शक्तियों के साथ काम करने की आवश्यकता नहीं है।

आपको बड़ा ऊँचा पद प्राप्त हो गया, ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। लोगों में आपके प्रति विश्वास बन जायेगा, यदि जो प्रतिगामी शक्तियाँ है, उसमे अहित करने के लिए औजार के रूप में इस्तेमाल न हों। तबादले, एक साल में चार जगह हुए, कई अधिकारियों के तीस प्रतिशत अधिकारी ऐसे हैं और 10 प्रतिशत अधिकारी ऐसे हैं, जिनका 6 से ज्यादा स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया। कुल मिलाकर इस अमले में जिसमें आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, पी०सी०एस०, पी०पी०एस० शामिल हैं, दो तिहाई का स्थानान्तरण कर दिया। 10 प्रतिशत से अधिक लोग ही एक साल से अधिक स्थानों पर रह गये, बाकी 90 प्रतिशत को तास के पत्ते की तरह फेंक दिया। आपको जहाँ से भी निर्देश मिले हों, मैं नहीं जानता, आपको संवैधानिक तरीके से निर्णय लेने का अधिकार है। महत्वहीन पदों पर भेजने की मजबूरी में आपने ऐसा किया होगा। 3-3 दिन में लोगों का स्थानान्तरण हुआ। 12 घण्टे में स्थानान्तरण हुआ। किस हौसले से वे काम करेंगे। अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो वे आँख दिखाते हैं, जो उन निर्णयों को प्रभावित करते हैं। किसी की पर्ची ले जाकर आईडेंटिटी दिखाते हैं कि उनकी ओर से अधिकृत हैं।

मान्यवर, पूरी ब्यूरोक्रेसी हताशा की स्थिति मे हैं। उसमें विश्वास नहीं है कि अगर हम सही काम करेंगे तो मुख्य मंत्री जी प्रशंसा करेंगे। कौन आपका कार्यकर्ता है, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ। मान्यवर, आज भय की स्थिति है, अधिकारियों में कि आप उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे। इसलिए आज यह सारी स्थितियां हैं।

मान्यवर, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि क्रीमीलेयर के लिए एक सिद्धान्त सुप्रीमकोर्ट ने दिया था और उसमें आधार यह बनाया गया था कि एक लाख रुपये की प्रत्येक वर्ष में जिसकी आमदनी होगी उसको आधार मानकर क्रीमीलेयर का सिद्धान्त माननीय सुप्रीमकोर्ट ने तय कर दिया। मान्यवर, पंचम वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने जा रही है। आपके जो छोटे क्लर्क है, या बड़े बाबू हैं, यह सब पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर क्रीमीलेयर में चले जायेंगे। अगर आप उनके अधिकारों को वापिस नहीं लेना चाहते हैं तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि जैसे महाराष्ट्र में और दूसरे प्रदेशों में इसकी परिभाषा हुई है, उसी अनुपात में जिस अनुपात में आपने तनख्वाह बढ़ाई है, तो आय बढ़ी

है, या रुपये का अवमूल्यन हुआ है, या गलत विदेशी नीति की वजह से रुपया लगभग गिरकर पाताल की ओर जा रहा है, जो महंगाई है, और प्रतिमाह मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, उसके चलते यह 3 लाख रुपया प्रति वर्ष आप करें, इस पर आप विचार कर लीजिएगा। अगर यह सीमा आपने न बढ़ाई तो निश्चित रूप से एक ही धारणा लोगों के मन में जायेगी कि जो अधिकार सीधे लेने का अधिकार आपको नहीं था, उसका एक अवसर आपको मिल गया, और इसका लाभ लेते हुए इस बड़े अधिकार को समाप्त करने की परोक्ष रूप से आपने भूमिका निभाई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उन बातों का जिक्र छोड़ दीजिए जो हम कहते हैं, आप स्वीकार नहीं करते। यहां सहानुभूतिपूर्वक उनको तो स्वीकार करिये जिनको आप भी कहते हैं। आपके अंग हैं, उत्तर प्रदेश के डी०जी०पी० और प्रदेश के प्रिन्सिपल सिक्रेटरी होम और आप जिनके अंग हैं, आपके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह जो बात कहते हैं, कानून और व्यवस्था के मामले में उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं।

मान्यवर, डी०जी०पी० साहब ने आंकड़े रखे हैं और आपने अधीनस्थ अधिकारियों को डराया भी है कि स्थिति ठीक नही होगी, तो दण्डित कर दूँगा। लेकिन स्वीकार किया कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। जिन आँकड़ों को आप कह रहे थे, एक ही प्रदेश पर आपके और उनके आँकड़ों में विरोधाभाष है, जाँच लीजिएगा। प्रिंसिपल सिक्रेटरी होम यह कहते हैं और 8 जून को तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माफियाओं की शरणस्थली बन गई है। 7 जून को माननीय डी०जी०पी० साहब ने इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में जो बात कहीं, उसको भी आप देख लीजिएगा कि अपराध न रुकने पर अधिकारी नतीजा भुगतने को तैयार रहें। उन्होंने कहा है कि लखनऊ पूरे प्रदेश के लिए आदर्श माना जाता है लेकिन जब यहीं पर अपराधों पर नियंत्रण नहीं होगा तो शेष जनपदों में क्या संदेश जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि राजधानी में सबसे अधिक संसाधन होने के बाद भी अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यह एडमीशन है, और जो एडमीशन है उसके बाद साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं होती। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, कि अपराधी प्रवृत्ति के कुछ लोग सरकार में, यह भी मजबूरी होती है तो ऐसे लोगों को लेना पड़ता है। उन्होंने बताया है कि इतनी सीमा तक लेना पड़ता है, उससे आगे नहीं जायेगा। तो जो आपका एडमीशन है, जिसको आपने स्वीकार किया है। आपके बड़ों ने स्वीकार किया है, छोटों ने स्वीकार किया है, आप अगर जिद पर अड़े हो कि नहीं स्वीकार करेंगे, आप स्वीकार कीजिए या न स्वीकार कीजिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना फैसला पूरी तरह से लिख लिया है। कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से आपको विफल डिक्लेयर कर दिया।

(समय 8 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की जो बिगड़ती स्थिति है, उसके बारे में बहुत कहना उचित नहीं है। मैंने इसके पहले बताया था कि डी०जी०पी० ने स्पष्ट कहा है, पिछले 3 वर्षों के मुकाबले मई तक के आँकड़ों के हिसाब से हत्या में 6.5 प्रतिशत, डकैती में 20.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, अब यदि 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को आप मुनासिब नहीं मानते, इससे संतुष्ट नहीं हैं तो अलग बात है, ईश्वर करे कि हम लोगों के भाग्य से अपराध घट जायें। इस प्रदेश की जनता इन अपराधियों से किस तरह छूटे, यह मैं मनाया करता हूँ।

श्री अधिष्ठता–

अम्बिका जी, कितना समय और लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय नेता सदन को मेरी जो बात अप्रिय लगेगी, जाहिर तौर पर तो मैं बैठ जाऊँगा। उत्तर प्रदेश में हर घन्टे में एक हत्या और हर छः घन्टे में एक बलात्कार हो रहा है, यहहमारा कहना नहीं है, यह आपके सरकारी आँकड़े कहते हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

मान्यवर, कुछ ज्ञानी पुरुषों को माननीय नेता सदन ने अलग-अलग प्लेस पर बैठा रखा है, अलग-अलग विषयों के अलग-अलग विशेषज्ञ हैं, अगर नाम पूछिये तो ठीक से नहीं बता पायेंगे लेकिन विशेषज्ञ हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, 93 जन्तु छाँटे हैं, दुलर्भ प्रजातियों के। मैं आभारी हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन दुलर्भ प्रजातियों को संरक्षण दे दिया, वरना मुमकिन है कि कुछ तो लुप्त हो जातीं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से टोकाटाकी पर व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि–

> ''भीलों ने बाँट लिया वन और राजा को खबर नहीं, रानी हो गयी बदचलन, राजा को खबर नहीं।''

मान्यवर, एक बात और कही गयी कि एफ०आई०आर० अब लिखी जाती है, मैं जिम्मेदारी से दोहराना चाहता हूँ कि जो भी आपको यह सूचनायें दे रहा है कि रिपोर्ट्स लिखी जा रही है, यह बात बिल्कुल मिथ्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि अयोध्या के राम की हालत क्या हुई? 500 टाँके लगे हैं, कितनी कहानियों के बाद एफ०आई०आर० लिखी गयी है, आप इस अमले पर इतना विश्वास कैसे करने लगे हैं? आपके अपने लोग स्वीकार करते हैं, पूरे साल लखनऊ राजधानी अपराधियों की केन्द्र बिन्दु बनी रही और भाँति–भाँति के अपराध हुए और सच यह है कि इनकी बड़ी बेचारगी है नाम आप जानते होंगे, लेकिन जिनका दायित्व है सदन में बताने का, डर के मारे नहीं बताते हैं। मुझे कहने दें, जो बाहर हैं उनका तो नाम ले लीजिये।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

नाम की बात हुई है, नाम हम लेते जरूर, लेकिन आपत्ति उधर से जरूर आती कि सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए नाम नहीं लिया जा सकता है, नाम हम जरूर जानते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

इधर के लोग कहते कि इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए नाम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन उधर के लोग कहते कि मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं इसलिए नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवरआपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल पम्प लूटे गये, 1998 में नौ पेट्रोल पम्पों की लूट लखनऊ शहर में हुई है। राह चलते चेन स्नेचिंग की घटनाएं हुई हैं।

(श्री अमर मणि त्रिपाठी के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अमर मणि त्रिपाठी जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, महिलाओं का जब जिक्र करते हैं तो लगता है कि सचमुच में महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं लेकिन असल बात बिल्कुल उल्टी है। महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है। महिलाओं पर होने वाली घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जिस पर महिला आयोग ने चिन्ता जतायी है। मान्यवर, मैं बताना चाहता है कि दिनांक 16-3-97 से 5-9-97 तक 1380 घटनाएं हुई हैं। दिनांक 16-9-97 से 15-3--98 तक 1536 घटनाएं हो गयी। अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। 16 मार्च, 1997 से 15 सितम्बर तक अपहरण की घटनाएं 958 और शील भंग की घटनाएं869 से बढ़कर 1077 अपहरण की और 967 शील भंग की पहुँच गयी हैं। लगातार वृद्धि हो रही है। आप पुलिस के कामकाज की समीक्षा करते रहें। लखनऊ शहर में बगल की कोतवाली में दलित लड़की के साथ पुलिस के लोगों ने बलात्कार किया है।

दलित महिलाओं की चर्चा यहाँ पर आयी। बिजनौर में महिला को नंगा करके घुमाया गया। गाजीपुर में शामंत लोगों ने खेत में काम कर रही महिलाओं को दूर-दूर तक दौड़ा कर मारा और उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। प्रशासन के लोगों से मिलकर वह उन्हें बेदखल करने में लगे हैं यह बात कल माननीय श्री अफजाल अंसारी जी नें यहाँ बतायी है।

पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले यहाँ पर आये है।

(व्यवधान)

श्री भरत सिंह--

हल्ला बोल किसने कहाँ हैं?

श्री अम्बिका चौधरी--

कुछ लोग ऐसे हैं, जो शून्य के निकट हैं, उन्हें कुछ समय बाद शून्य ही दिखायी पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र के दीमक हैं, फासिस्ट हैं, जनतंत्र में घुस कर उसे धीरे-धीरे खा डालना चाहते हैं, यह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। यह पूरी तरह से लगे हैं, लोकतंत्र को फँसा देना चाहते हैं, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, पत्रकारों के मन में इनके बारे में बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कहीं आप पत्रकारों की कलम का नाजायज फायदा ले रहें हैं। इनको भी धोखा देंगे, बख्शेंगे नहीं, जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया उनको धोखा देने का काम किया। धोखा आपकी फितरत में है। पत्रकारों को भी आप धोखा देंगे। यह उन्हें जान लेना चाहिए। यह पहले लुभावनी बात करेंगे और अगला कदम इनका धोखा देना जरूर होगा, पत्रकारों को एन०एस०ए० में बन्द करने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है।

मान्यवर, मानवाधिकार की स्थिति क्या है? मुख्य मंत्री जी सोलहवीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, मैं इतिहास की जानकारी इतनी नहीं रखता हूँ लेकिन एक निरंकुश शासक मध्य युग में हुआ तो उसी तरह यह है जिसको चाहें फाँसी दे दें, जिसकी चाहें गर्दन ले लें। अभी बाराबंकी की इशरत अली की घटना है, इसमें तीन लोगों के नाम बतायें हैं, धर्म और जाति के नाम पर हत्या करने के आदेश देने में कहते हैं या तो जेल जायेगा या ऊपर जायेगा। मा० मुख्य मंत्री जी संविधान के तहत् जो अधिकार प्रदत्त है उसको भी नहीं मानते हैं। (व्यवधान) सबसे बड़ा समझने वाले ब्योरोकेट को भी उसकी औकात बौनी कर सकते हैं, तो मान्यवर, यह है इनका राज, कहते हैं जेल जायेगा या ऊपर जायेगा। खुला खेल फर्रुखाबादी होगा।

ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है । हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय प्रदेश का मुखिया इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें यह अशोभनीय नहीं तो क्या है ?

इतना दम्भ भी उचित नहीं है । पुलिस के अत्याचारों में यह प्रदेश अव्वल है मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है उसके जो आँकड़े हैं उसमें कहा गया है कि साढ़े 42 प्रतिशत घटनायें उत्तर प्रदेश में हुई हैं । पुलिस की कस्टडी में न्यायिक अभिरक्षा में हुई मौतों के मामले में यह प्रदेश ऊपर है । एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं में जो पुलिसकर्मी लिप्त हैं जो इन हत्याओं के अपराधी हैं उनकी पोस्टिंग इनाम वाली जगहों पर होनी है । पिल्लई की मृत्यु दिल्ली में हुई । उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में हुई मौतों का इन्डेक्स बहुत ऊपर है ।

श्री हुकम सिंह–

जो मानवाधिकार की रिपोर्ट बनायी, उल्लेख कर दें किस वर्ष की है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं पूरा नोट बनाकर संसदीय कार्यमंत्री और मुख्य मंत्री के पास भिजवा दूंगा ।

श्रीमती कृष्णा राज–

मुजफ्फर नगर का जो काण्ड हुआ था उसका दोषी कौन है, बतायें ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस सरकार की एक और विशेषता रही है यह सरकार स्पेशलाइज रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने में ।

श्रीमती कृष्णा राज–

मुख्य मंत्री सुश्री मायावती के साथ जो व्यवहार हुआ था उसमें मुख्य मंत्री कौन था ?

श्री अम्बिका चौधरी–

हम लोग अहिंसावादी हैं हत्या से हत्या का जवाब नहीं दे सकते हैं लेकिन संघर्ष में समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य एक कदम पीछे हटने वाला नहीं है । आप हत्याओं से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं और न यह संघर्ष रुकवायेगा । समाजवादी पार्टी के 282 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और अनेक लोगों को फर्जी मुकदमें में फँसाया गया है । जनपदों में जो हत्यायें हुई हैं उनका जिक्र करने में समय लगने की सम्भावना है । आपने एक अपराधी को सामने रखकर जो लक्ष्य भेदने का काम किया उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली । आपने जो राम निवास ब्लाक प्रमुख और वीरेन्द्र और दूसरे लोगों की हत्या करने का सिलसिला चालू किया है उसको बन्द कीजिये । आपके लिए यह उचित नहीं है अन्यथा जैसे दूसरे हत्यारे का प्रबन्ध होता है इसका इन्तजाम होगा और इन कृत्यों की वजह से जब आप वहाँ से जायेंगे तो इन एक-एक हत्याओं का जवाब देना पड़ेगा, इनको हम माफ करने वाले नहीं हैं । इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ । इस प्रदेश में दंगा रोकने के लिए एक बल का निर्माण किया गया, शान्ति सुरक्षा बल का । मुझे स्मरण है कि आप इस कुर्सी पर यहाँ पर थे आपने खड़े होकर कहा कि इसमें हिन्दी के अलावा संस्कृत, उड़िया, कन्नड़ और उर्दू भी है, उर्दू से आपको परेशानी है । जब आप पदारूढ़ हुए तो इस बल को समाप्त करने का काम किया गया और उसमें बड़े-बड़े अधिकारी तैनात हैं, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति उसके नाम पर है, 38 हजार रुपया प्रति माह किरायों का दिया जाता है, गाड़ियों पर लाखों रुपये का खर्च प्रतिमाह दिया जाता है लेकिन इसके बाद भी इस बल से इसलिए नफरत करते हैं कि उसको बनाने वाला,

उसको पारित करने वाली कोई ऐसी सरकार थी जिसके कारण कहीं से आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, लोकतंत्र में यह बात अच्छी नहीं है। अगर कठिनाई है तो लड़ लीजिये, पराजित करने का काम कीजिये लेकिन उसके द्वारा किये गये अच्छे कामों को उलटने लगिये यह मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आज अदालत को धमकी दी जाती है, लोग कहते हैं कि अदालतों को दण्ड दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह–

आपने हाईकोर्ट में जो पिटाई करायी थी उसका उल्लेख कर दीजियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह अदालतों को धमकी देते हैं कि अगर हमारे खिलाफ फैसला किया तो अदालतों को सोचना पड़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी उनके हमदर्द हैं और वह इस सदन में कहते हैं कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते। इसी अदालत की वजह से आप दोबारा पदासीन हैं। माननीय जगदम्बिका पाल जी लोकतांत्रिक शक्तियों की वजह से पदारूढ़ हुए थे और रात में अदालत ने जो फैसला किया उस रात के फैसले में आप मुख्य मंत्री हो गये और उसकी आप दुर्गति करते हैं। आप किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, जिस-जिस ने आपका साथ दिया और सामने बैठे जितने लोग उछल रहे हैं, खासतौर से जाने वाले, यह सोच लें कि जब आपका मामला आयेगा तो यह आपका साथ देने वाले नहीं हैं। यह शुरू से इनका कीर्तिमान रहा है। यह संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं हेलीकाप्टर का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, मुख्य मंत्री हैं तो हेलीकाप्टर का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सरकार के मुखिया होने के नाते जितने साधन, आपको या आपके अधिकारियों/अमलों को मिले हुए हैं, वह उनके निजी नहीं हैं, प्रदेश की गाढ़ी कमाई का है और उसका दुरुपयोग करने का अधिकार, उसको लुटा देने का और मौज करने के लिए टहलते रहने का अधिकार किसी को नहीं है। आप इस प्रदेश की जनता का सम्मान करते हुए स्वतः अपने आप यह त्याग करेंगे। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में जो स्थिति है उसको ले करके कांग्रेस का प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रपति महोदय से मिला। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रपति से मिला, प्रधान मंत्री जी से मिला और शायद ठीक से अपनी बात रख पाये या नहीं रख पाये। लेकिन सफाई देने के लिए आपकी पार्टी का डेलीगेशन भी मिला। आपके राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हम अपील आपसे कुर्सी छोड़ने की इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपसे नैतिकता की उम्मीद नहीं है। जिस आधार पर आपके इस्तीफे की बात करें। इस सदन के जिन माननीय सदस्यों के के साथ जो घटनायें हुई हैं उनमें श्रीअरविन्द गिरी, श्री रामेश्वर जी, श्री सरवर अली, श्री राजपाल त्यागी, श्रीमती बिजमा यादव, श्री राम नक्षत्र जी, श्री बाबू लाल, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री मोहम्मद मुश्लिम, श्री ओमकार सिंह के साथ घटनाएं हुई हैं। जौनपुर की एक घटना जिसको मैं आपके पास भिजवा दूँगा। धारा 119/98 कुंवर प्रताप बनाम अज्ञात। जो माननीय सदस्य मुकदमा लिखवाते हैं उनके मुकदमों को हल्का करने का इस सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है। जो माननीय सदस्य अपनी सुरक्षा की बात करते हैं उनको अनसुना करने का काम इस सरकार द्वारा किया जाता है। आपने जिन योजनाओं का जिक्र किया है उनके प्रति ईमानदार नहीं हैं। आप जातीय और साम्प्रदायिक द्वेष से पीड़ित हैं। इन सारी बातों को रखते हुए मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप चर्चा प्रारम्भ कर दें, चर्चा कर भी जारी रहेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं श्री चौधरी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। चर्चा प्रारम्भ करने के निर्देश हैं इसलिए केवल चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूँ। नहि पराग नहीं मधुर मधु, नहि विकास यहि काल, अली कली हीयों बंध्यो जंगल राज की हुई सरकार।

श्री अधिष्ठाता--

चर्चा कल जारी रहेगी।

श्री अम्बिका चौधरी--

कानों के मिटाने से मिटे हैं न मिटे हैं न मिटेंगे,
अफरोज जमाने से न झुके हैं न झुकेंगे।
हम मौत के मारे भी मरे हैं न मरेंगे,
हम जिन्दा थे हम जिन्दा हैं हम जिन्दा रहेंगे।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998†

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूँ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 22-7-1998 को नियम - 51 के अन्तर्गत कुल 44 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहली सूचना श्री उदयराज यादव जी की, दूसरी श्री अजय भट्ट जी की, तीसरी श्री अजय कुमार पोइया जी की, चौथी श्री श्याम सुन्दर जी की, पाँचवी सूचना श्री रामाधार सिंह जी की, छठी श्री धर्मराज निषाद जी की, सातवीं श्री मुन्ना चौहान जी की, आठवीं श्री राम विशुन आजाद जी की, नवीं श्री राधेश्याम जायसवाल जी की, दसवीं श्री अमित अग्रवाल जी की, ग्यारहवीं श्री मुरलीधर जी की, बारहवीं श्री ओंकार सिंह यादव जी की, तेरहवीं डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी की, चौदहवीं श्री अकबर हुसैन जी की, पन्द्रहवीं सूचना सर्वश्री सरवर अली, कमला प्रसाद रावत, हरदेव, सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, सोलहवीं सूचना श्री श्याम किशोर यादव जी की, सत्रहवीं सूचना सर्वश्री राजा राम पाल, भगौती प्रसाद सागर जी की तथा अठारहवीं सूचना श्रीमती उर्मिला यादव, श्रीमती विजमा यादव, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य, डा० अरविन्द बाजपेयी तथा श्री चन्द्रनाथ जी की है, इन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

---

† दिनांक 27-7-98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी है उनके नाम हैं सर्वश्री विन्दुपाल, डा० धर्मेन्द्र मिश्र, राम कृपाल, रामदेव आचार्य, राम औतार शाक्य, दद्दू प्रसाद, महेन्द्र कुमार, सतीश जतावा, आर० के० सिंह पटेल, सोमती यादव, महेन्द्र कुमार बाल्मीकी, राकेश सोनकर, बाबू लाल, श्री राम लाल, इकबाल, महमूद, संजय गर्ग, आलम बदी, विजय पाल सिंह, दीपलाल, भारती राम जग, डा० राम बाबू हरित, रामचन्द्र यादव तथा श्री प्रमोद कुमार।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 22, 23, 24, 25 तथा मद संख्या-26 पर अंकित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।)

जनपद इटावा में लोक निर्माण विभाग द्वारा फर्जी भुगतान कर करोड़ों रुपये के घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में मा० विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अधिशासी अभियन्ता . . . . . .

एक सदस्य-पढ़ा हुआ माना जाय।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि० इटावा द्वारा दिनांक 27-3-98 से 30-3-98 के बीच निर्माण खण्ड-1 इटावा से 3000 ड्रम तथा इसके पूर्व 400 ड्रम कुल 3400 ड्रम डामर, जिसकी लागत लगभग 51 लाख रुपये थी, प्राप्त किये। 400 ड्रम डामर जिसकी लागत 6 लाख रुपये थी, का भुगतान निर्माण खण्ड 1 इटावा को किया गया। शेष 3000 ड्रम डामर का आदान प्रदान बिना कोई भुगतान किये किया गया। डामर को निम्न विभिन्न कार्यों पर बुक करके व्यय दिखाया गया :–

1.	भवन निर्माण	रु०	8,45,775/-
2.	भवन मरम्मत	रु०	1,76,400/-
3.	भवन विशेष मरम्मत	रु०	18,900/-
4.	गैर आवासीय मरम्मत	रु०	1,30,750/-
5.	मार्ग विशेष मरम्मत	रु०	8,26,650/-
6.	नहर पटरी का निर्माण	रु०	28,74,290/-

जबकि नहर की पटरी के निर्माण व भवन कार्यों पर इतनी मात्रा में डामर की आवश्यकता नहीं थी।

प्राप्त सूचना के अनुसार 51 लाख रुपये की साख सीमा को भवन निर्माण लागत रु० 8,45,775/- (जो प्राप्त नहीं हुई थी) के अतिरिक्त शेष 42,25,000/- रु० की साख सीमा उन्हीं स्वीकृत कार्यों पर प्रयोग की गयी जिनके लिये साख सीमा शासन द्वारा प्रदत्त करायी गयी थी। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति विस्तृत जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। जाँच करायी जा रही है।

अनुबन्ध संख्या 232 दिनांक 2-11-94 के अनुसार 2,18,969/- रु० का भुगतान लरखौर सेतु के पहुँच मार्ग पर बोल्डर पिचिंग के स्वीकृत कार्य पर किया गया। सिंहपुरा नामक कोई मार्ग नहीं है। अतः इस पर भुगतान का प्रश्न नहीं होता।

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1996-97 में गलियों में मार्ग का निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है एवं तकनीकी दृष्टि से सही होने पर ही भुगतान किया गया। इन घनी आबादी वाली सड़कों का निर्माण व्यय निक्षेप मद में जिला अधिकारी इटावा से प्राप्त कराये गये धन से कराया गया।

नोटः–यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 1997-98 में विशेष मार्ग (म्युनिस्पिल बाईपास मार्ग) पर शहरी मार्ग के सुधार के अन्तर्गत 18,46,000/- रु० का व्यय निर्माण मद से तथा 3,75,885/- रु० का व्यय अनुरक्षण मद से किया गया। जिससे इस मार्ग पर 4.50 किमी० लम्बाई में सुधार का कार्य कराया गया। मार्ग के यह सुधार कार्य वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कराये गये। परन्तु अनुदान की कमी के कारण भुगतान वर्ष 1997-98 में किया गया। अनुरक्षण मद में जो 3,75,885/- रु० का व्यय हुआ, वह निर्माण कार्य पर प्रयुक्त मशीनों के हायर चार्जेज का था, जो अनुरक्षण मद में डाला गया। तदोपरान्त यह मार्ग निर्माण खण्ड-1 से निर्माण खण्ड-3 इटावा के अधीन स्थानान्तरित हुआ। दिसम्बर 1997 में हुई अप्रत्याशित वर्षा एवं भारी वाहनों के अत्यधिक घनत्व के कारण यह शहरी भाग क्षतिग्रस्त हो गया। इस मार्ग पर विशेष मरम्मत पर 26.40 लाख रुपये तथा 3.28 लाख रुपये अर्थात् 29.68 लाख रुपये का व्यय करके वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्ग का सुधार कर एवं 240 मीटर लम्बाई से कट-स्टोन लगाकर यातायात हेतु सुलभ कराया गया। इस प्रकार वर्ष 1995-96, 96-97 एवं 97-98 में क्षतिग्रस्त शहरी मार्ग की दशा सुधारने हेतु 51.90 लाख रुपये का व्यय किया गया और प्राप्त सूचना के अनुसार धन का किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया गया।

प्राप्त सूचनानुसार डाक बंगले में कोई डामर का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।]

प्रदेश में पशु व्यवसायियों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने सम्बन्धी माननीय सदस्यगण सर्वश्री चालिक चन्द्र यादव एवं रामतेज यादव एडवोकेट द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[किसान पशु व्यवसायियों एक सदस्य—पढ़ा हुआ माना जाय] का पुलिस द्वारा उत्पीड़न तथा उनके चलते बाजारों को राजस्व हानि के सम्बन्ध में कतिपय जनपदों से सूचनायें प्राप्त की गयी। इसी क्रम में जनपद अम्बेडकर नगर में 28/29-6-98 की रात्रि में थाना-कोतवाली टांडा में 5 ट्रकों में 143 बछड़े पकड़े गये। इस सम्बन्ध में मु०अ०सं०267/268/269/270/271/98 धारा 3/8 गो वध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा 8 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इसी प्रकार जनपद फैजाबाद में 28 जून को थाना-पूराकलेक्टरपुर में रात्रि 12.30 बजे 11 ट्रकों पर 383 बछड़े तस्करी हेतु ले जाते हुए पकड़े गये इनके विरुद्ध अपराध संख्या:467/98 के अन्तर्गत धारा 41/411 भा.द.वि. तथा 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं 5/8 गो वध निवारण अधियम में 22 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इसी प्रकार गाजीपुर में 7 ट्रक पकड़े गये। जनपद बलिया में 4-7-98 को थाना-फेफना में 10 ट्रक में 354 बछड़े बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाने में अपराध संख्या:139 अन्तर्गत 148/98 पंजीकृत हुआ। इसी प्रकार थाना-जगदीशपुर, सुल्तानपुर में 17-6-98 को 8 ट्रकों में 313 बछड़े पकड़े गये तथा इस सम्बन्ध में थाने में मु.अ.सं.305/98 पंजीकृत हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि पकड़े गये जानवर सभी बछड़े हैं तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान से पश्चिमी बंगाल/बिहार के लिये ले जाये जा रहे थे। प्रान्त के अन्तर्गत जनपदों में आयोजित होने वाले पशु मेलों में पशु बाहर से जनपदों में लाये जायेंगे न कि अन्तर प्रान्तीय रूप से बाहर ले जाये जायेंगे। बछड़े क्योंकि बाहर के प्रान्तों में जा रहे थे अतएव नियमानुसार पकड़े गये व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। पकड़े गये व्यापारियों ने अपने जुर्म को भी स्वीकार किया है।

* [illegible]] यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

गोण्डा, श्रावस्ती, कानपुर, बलिया, बिजनौर, मुरादाबाद, फैजाबाद, देवरिया एवं गाजीपुर के सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि गोवंशियों के अवैध अन्तरण पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय परन्तु यह ध्यान में अवश्य रखा जाय कि प्रदेश में लगने वाले पशु मेलों के संचालन में अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो यद्यपि इस सम्बन्ध में शासन स्तर से समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। अद्यतन पुनः दिनांक 17-7-98 को इन प्राविधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

यह कहना उचित नहीं है कि पुलिस द्वारा पशु व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है तथा विभिन्न उल्लिखित जिला पंचायतों में पशु मेले उजाड़े गये हैं।]

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत सीलिंग भूमि के पट्टे में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद, विधान सभा सदस्य द्वारा दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

ग्राम अम्बरपुर परगना, तहसील मनकापुर।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[जनपद गोण्डा में खातेदार श्रीमती राजकुमारी विमलादेवी पुत्री स्वर्गीय श्री राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह, निवासी अयोध्या, फैजाबाद को 156 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी थी जो चकबन्दी प्रक्रिया के पश्चात् सीलिंग खाते में कुल 146.50 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है।

माननीय सदस्य का यह कथन उचित नहीं है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि नहीं दी गयी जबकि आबंटन निम्न प्रकार किया गया है :–

1- दिनांक 4-5-95 को 65.70 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति के 73 व्यक्तियों को

2- 31.04 एकड़ भूमि पिछड़ी जाति के 48 व्यक्तियों को तथा

3- 7.95 एकड़ भूमि पिछड़ी एवं अन्य जातियों के 8 व्यक्तियों को अर्थात कुल 103.70 एकड़ भूमि 129 लोगों में आबंटित की गयी।

4- दिनांक 10-10-95 को 22.00 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति के 46 व्यक्तियों को।

5- 13.00 एकड़ भूमि पिछड़ी जाति के 25 व्यक्तियों को एवं

6- 35 एकड़ भूमि पिछड़ी जातियों के 65 व्यक्तियों को आवंटित की गयी।

इस प्रकार कुल 194 व्यक्तियों को 138.70 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है।

उक्त भूमि में से अवशेष 7.80 एकड़ भूमि में से 3.80 एकड़ भूमि आवंटियों को रास्ता देने हेतु छोड़ी गयी है और 4.00 एकड़ भूमि पर पेड़ आदि लगे हैं जिससे आवंटन नहीं किया जा सकता।

कुल 194 आवंटियों के कब्जा सत्यापन के समय 14 आवंटी विभिन्न कारणों से अपात्र पाये गये जिनमें 4 अन्य ग्राम सभा के निवासी भी सम्मिलित हैं।

इन 14 अपात्र पाये गये आवंटियों के पट्टे निरस्त करने हेतु वाद अपर आयुक्त फैजाबाद के न्यायालय में लम्बित हैं।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम अम्बरपुर के भू अभिलेख के खाता संख्या 298 सीलिंग खाते पर अंकन के जांच के समय यह तथ्य संज्ञान में आया कि आवंटियों के रास्ते हेतु छोड़ी गयी 3.80 एकड़ भूमि में से 3.40 एकड़ भूमि पर श्री राम अजोर पुत्र राम मिलन के नाम 1.30 एकड़ भूमि श्री राम बहोर पुत्र श्री राम मिलन के नाम 1.30 एकड़ भूमि श्री महादेव पुत्र श्री बाबूराम के नाम 0.40 एकड़ भूमि एवं श्री दयाराम पुत्र श्री बाबूराम के नाम 0.40 एकड़ भूमि का अंकन पाया गया।

इस आवंटन की पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी, मनकापुर के न्यायालय में वाद संख्या 21 लम्बित है। अग्रेतर तिथि 28-7-98 सुनवाई हेतु निर्धारित है।]

माट जनपद मथुरा के खण्ड ब्रान्च मथुरा में निरन्तर हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का नियम-51 के अधीन केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माट खण्ड शाखा मथुरा में

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[निरन्तर हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मा० सदस्य विधान सभा द्वारा सूचना दिये जाने पर मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ द्वारा प्रारम्भिक जांच करायी गयी। इस जांच से जो तथ्य सामने आये हैं उनसे यह विदित होता है कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, मांट शाखा खण्ड मथुरा से दिनांक 26-3-98 को अपने द्वारा कराये गये कार्यों के लिये चेकों द्वारा कुल धनराशि रु० 2,17,758/- का भुगतान किया गया जबकि इन बिलों के बीजक उनकी अन्य बीजकों के साथ सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 27-3-98 को भेजे गये थे। जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा 16 जून, 1998 को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से जांच की गयी तथा उनके द्वारा कच्चे कागजों में कैश बुक की प्रविष्टियाँ पायी गयी साथ ही कुछ अन्य अभिलेख भी कब्जे में लिये गये। इन पर जिलाधिकारी, मथुरा अपने कोषाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच करवा रहे हैं, तथा उनकी आख्या शासन को शीघ्र प्राप्त होना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रारम्भिक जांच से यह भी पता चला है कि प्रश्नगत तीनों ठेकेदारों में से श्री सुनील सिंचाई विभाग मेरठ में "सी" श्रेणी में तथा अन्य दोनों ठेकेदार सर्वश्री विनोद कुमार एवं बाबू खां जनपद मेरठ में "डी" श्रेणी में पंजीकृत हैं। प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि इनमें से एक ठेकेदार श्री सुनील ने सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के अधीन मेरठ एवं बिजनौर के कार्यकाल में कुछ कार्य करवाये हैं।

2. मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ की प्रारम्भिक आख्या से मा० विधान सभा सदस्य द्वारा उठाये गये कुछ बिन्दु सत्य प्रतीत होते हैं। अतएव इस बारे में विस्तृत जांच आख्या प्राप्त की जा रही है जिसके प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता श्री जितेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण करने के आदेश निर्गत किये जा रहे हैं। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता श्री चन्द्र कुमार वर्मा का स्थानान्तरण पहले ही बुलन्दशहर किया जा चुका है साथ ही मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ को दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विस्तृत जांच आख्या तैयार करने के आदेश दिये जा चुके हैं। जिलाधिकारी, मथुरा को भी अपनी जाँच आख्या शीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया है।

3. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मामले में शासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है और विस्तृत जांच आख्या प्राप्त होते ही सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ० प्र० में अन्य प्रदेशों की भाँति सेवानिवृत्त अधि०/कर्म० को गृहकर एवं सम्पत्ति कर में छूट दिये जाने सम्बन्धी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत विषय पर संसदीय कार्यमंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी स० वि० सभा

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[द्वारा दिनांक 22-7-98 को सदन की कार्यसूची में यह प्रस्ताव किया जायेगा :–

"उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की भाँति सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को गृहकर एवं सम्पत्ति कर से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में"

उक्त के सम्बन्ध में मा० सदस्य द्वारा उनके पत्र दिनांक 15-7-98 द्वारा भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या: 15(33)/92/यू०एस०(डब्लू०ई०)/डी (आर०ई०एस०) दिनांक 17-2-94 का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को यह भी अवगत कराया गया है कि देश के विभिन्न राज्यों/केन्द्र प्रशासित प्रान्तों यथा हरियाणा, हिमाचल, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ में सेवानिवृत्त अधिकारी एवं जवानों को गृहकर एवं सम्पत्ति कर से पूर्ण छूट प्रदान की गयी है।

2. उ० प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 के नियम-221 तथा उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 के नियम-157 के अधीन नागर स्थानीय निकायों द्वारा अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्ति प्रदान की जा सकती है।

3. अन्य कतिपय प्रदेशों की भाँति इस प्रदेश में भी सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को गृहकर/सम्पत्ति कर से छूट प्रदान किये जाने के बारे में इससे पूर्व भी विभिन्न स्तरों से इस आशय के आवेदन-पत्र शासन स्तर पर प्राप्त हुए थे तथा उनका व्यापक परीक्षण किये जाने के बाद सम्यक विचारोपरान्त निम्न कारणों से भूतपूर्व सैनिकों को गृहकर से मुक्ति प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया :–

(अ) नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों का यह कानूनी दायित्त्व है कि वे उनको प्राप्त होने वाली नागरिक सुविधाओं के लिए वे सम्बन्धित स्थानीय निकाय को विधि द्वारा लागू करों का भुगतान करें।

(ब) किसी एक वर्ग विशेष को कर से मुक्त करने पर इस प्रकार की मांग अन्य वर्गों द्वारा की जायेगी। सभी वर्ग शासन के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की मांगों का सिलसिला जारी रहेगा।

(स) स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी आय में अनावश्यक रूप से कमी करना उचित नहीं है।

(द) राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि किसी वर्ग विशेष को कर से मुक्त करके राज्य सरकार उन करों से होने वाली आय की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित स्थानीय निकाय को करने के लिए अनुदान दे सके।

नोट :– यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः ऐसी दशा में सैनिक कल्याण परिषद तथा अन्य संगठनों को उनसे प्राप्त ज्ञापनों/प्रत्यावेदनों के सम्दर्भ में अवगत करा दिया गया है कि प्रदेश की स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल इस प्रकार की छूट प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

4. राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ 1-4-97 से प्रभावी हो जाने के परिणामस्वरूप नागर स्थानीय निकायों को अब किसी प्रकार [illegible] देय/अनुमन्य न होंगे। साथ ही आयोग की संस्तुति के अनुसार विभिन्न करों का [illegible] स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य बनाया गया है व इस हेतु उ० प्र० नगर निगम अधिनियम तथा उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन कर स्व-कर निर्धारण प्रक्रिया लागू करने का मामला शासन में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

5. अतः ऐसी दशा में प्रदेश की स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को फिलहाल इस प्रकार की गृहकर सम्बन्धी छूट दिये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।]

अब हम उठते हैं, कल पुनः 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 30 मिनट पर दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ;

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

22 जुलाई, 1998।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

देखिये ता०प्र०सं० – 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ... 11 ..पर

संचालकवार लिंक रोड कटौती का विवरण

वि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, महमूदाबाद (सीतापुर)

क्र० सं०	नाम संचालक	(संचालक क्षेत्र)	(1995-96)	(1996-97)	(1997-98)	कुल योग
1	सर्वश्री बद्री प्रसाद शुक्ल	रेउसा	1.10	1.52	0.90	3.52
2	" राम चन्द्र वर्मा	बघाइन	0.95	1.39	0.75	3.09
3	" रमेश चन्द्र	भौरी	0.98	2.44	1.07	4.49
4	" राजेश पाल सिंह	तम्बौर	1.35	1.36	0.96	3.67
5	" कीढीलाल	गुडैचा	0.95	1.34	0.86	3.15
6	" सवितेन्द्र प्रताप सिंह	चांदपुर फरीदपुर	1.10	1.36	1.01	3.47
7	" चन्द्र कुमार मिश्र	सुमेर	1.25	1.85	1.04	4.14
8	" सिद्दीकाहयात	धारा	0.75	0.93	0.60	2.28
9	" सियाराम वर्मा	दरियापुर	1.05	1.62	1.05	3.72
10	" अनिल कुमार वर्मा	सलेमपुर	0.87	1.18	0.64	2.69
11	" राजा राम वर्मा	संदूपुर भटेनेवा	0.73	0.56	0.52	1.81
12	" प्रेम चन्द्र वर्मा	महमूदाबाद	0.97	0.91	0.75	2.63
		योग	12.05	16.45	10.15	38.66

उक्त धन से विभिन्न संचालकों के क्षेत्र में कुल 31 निर्माण कार्य हो रहे हैं जिनपर 27-6-98 तक कुल रु० 9.65 लाख व्यय हो चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

देखिये ता०प्र०सं०–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर

सं० 3342/38-6-98–20 आईआरडी/96

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 1997

विषय :– आईआरडीपी योजनान्तर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिभागी बैंकों के अधिकारियों द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि आईआरडीपी योजनान्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं में ट्रैक्टर क्रय हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बल दिया जाता है।

इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये अवगत कराना है कि आईआरडीपी योजनान्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं में ट्रैक्टर हेतु अनुदान अनुमन्य नहीं है। यदि उक्त योजनान्तर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान/आर्थिक सहायता को अनुमन्य किया जाता है तो यह एक वित्तीय अनियमितता होगी।

अतः इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०/–
वेद प्रकाश शर्मा,
विशेष सचिव।

सं० 3342(1)/38-6-98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि आयुक्त ग्राम्य विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह०/–
मेवाराम शर्मा,
संयुक्त सचिव।

चौधरी नरेन्द्र सिंह
मंत्री
ग्राम्य विकास विभाग,
उ०प्र०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

देखिये अता० प्र०सं०–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे बुधवार हेतु निर्धारित माननीय श्री रामतेज यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 9 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिसवाबाजार चीनी मिल जिला महराजगंज में बाउचर सं०–सी०/1501, दिनांक 11-3-1984, सी०/1502, दिनांक 3-6-1984, सी०/1503, दिनांक 3-6-84 तथा सी०/55, दिनांक 31-8-84, द्वारा क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किस व्यक्ति को किस मद से किया गया है?	निगम की सिसवा बाजार इकाई में प्रश्नगत बाउचरों से जिन-जिन व्यक्तियों को जिस-जिस मद में जितनी-जितनी धनराशि का भुगतान किया गया है, का विवरण निम्नवत है:–

बाउचर नं० एवं दिनांक	भुगतान की गई धनराशि	व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान किया गया है।	भुगतान का मद
सी०/1501 11-3-84	539.90	श्री डी०पी० आर्या	यात्रा व्यय खाता (25-10-83 से 20-1-84)
	362.00	श्री डी०पी० आर्या	लेखन एवं छपाई खाता
	104.75	श्री डी०पी० आर्या	विजनेश प्रमोशन खाता
	118.00	श्री डी०पी० आर्या	मुकदमा व्यय खाता
	164.50	श्री डी०पी० आर्या	मोटर व्यय खाता
	योगः 1289.15		
सी०/1502, 3-6-84	563.25	श्री डी०पी० आर्या	यात्रा व्यय खाता (1-2-84 से 26-2-84)
सी०/1503, 3-6-84	150.00	श्री डी०पी० आर्या	मकान भाड़ा खाता (मकान भाड़ा माह जनवरी 1984)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सी०/55 31-8-84	1500.00	श्री घनश्याम दधिचि	वेतन जनरल खाता (मैनेजीरियल) (वेतन माह मार्च, 1984)
	1500.00	श्री डी० पी० आर्या	— नदैव —
	1000.00	श्री मारकण्डेय चन्द	वेतन जनरल खाता (स्टाफ) (वेतन माह मार्च, 1984)
	350.00	श्री जवाहर	मजदूरी खाता (वेतन माह मार्च, 1984)

ओम प्रकाश सिंह,
मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

देखिये अता० प्र०सं०–34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर

अतारांकित प्रश्न संख्या–34 का संलग्नक

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96/1996-97 एवं वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड श्री दत्तगंज/उतरौला/गैडास बुजुर्ग में अवमुक्त धनराशि का विभागवार विवरण :–

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि 95-96	96-97	97-98	योग
1.	नि०ख०–1, लो०नि०वि०	सम्पर्क मार्ग	25.850	7.280	8.530	41.660
2.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	"	28.325	11.115	61.690	101.130
3.	भू०स०अ० (रा० जलागम)	भूमि सर०	31.582	9.787	26.630	67.999
4.	भू०स०अ० (डी०पी०ए०पी०)	कार्य	45.994	13.926	31.200	91.120
5.	भू०स०अ०	"	23.138	15.376	37.580	76.094
6.	ग्रा० विकास विभाग	सम्पर्क मार्ग निर्माण	39.840	17.200	—	57.040
7.	पेक्सफेड	"	57.953	15.389	—	73.342
8.	जिला पंचायत	"	7.020	—	1.520	8.540
9.	सिंचाई खण्ड	ड्रेन निर्माण	2.400	—	—	2,400
10.	वि०ख०–श्रीदत्तगंज	विद्यालय भवन निर्माण	5.959	0.340		18.111
	"	सम्पर्क मार्ग नि०	3.550	2.060	6.202	
11.	वि०ख०–गैडासबुजुर्ग	प्रा०विद्या० भवन	4.050	0.198	—	9.416
	"	सम्पर्क मार्ग नि०	2.968	2.200	—	
12.	वि०ख०–उत्तरौला	प्रा०विद्या० भवन निर्माण	3.917	5.380	—	
	"	सम्पर्क मार्ग नि०	13.870	0.133	8.142	31.442
13.	वन प्रभाग दक्षिण	अग्रिम मृदा कार्य/सुरक्षा खाई खुदान	—	5.250	0.865	6.115
14.	सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम	सम्पर्क मार्ग नि०	—	6.910	13.000	19.910
15.	ग्राम पंचायत	पंचायत भवन	—	—	2.240	3.240
16.	नलकूप खण्ड–बलरामपुर	सिंचाई गूल निर्माण	—	—	6.000	6.000
		योग	296.416	112.544	204.599	613.559

चौधरी नरेन्द्र सिंह
मंत्री, ग्राम्य
विकास विभाग।

नत्थी "ड़"

देखिये अता० प्र०सं०–56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 97-98 में भोगांव विधान सभा क्षेत्र में पैक्सफेड द्वारा करायें गये कार्यों का विवरण

क्र० सं०	विकास खण्ड	कार्य का नाम	प्रकार	माप कि०मी०	स्वीकृत लागत	निर्गत की गई धनराशि	व्यय की गई धनराशि	कार्य की स्थिति			प्रस्तावक का नाम
								प्रकार	माप	पूर्ण/अपूर्ण	
1.	बेवर	जोगा से हुसैनपुर तक	मिट्टी आरसीसी पुलिया 2	2.00	272300.00	272300.00	234533.00	मिट्टी पुलिया 2 आरसीसी	1-600 0-400	पूर्ण अपूर्ण (प्रगतिपर) पूर्ण	श्री रामतीर्थ एडवोकेट बहुजन समाज–वादी पार्टी

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 97-98 में भोगांव विधान सभा क्षेत्र में पैक्सफैड, फर्रुखाबाद द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण दिनांक 10-6-98 तक

क्र० सं०	विकास खण्ड	कार्य का नाम	प्रकार	माप	स्वीकृत लागत	निर्गत की गई धनराशि	व्यय की गई गई धनराशि	कार्य की स्थिति			प्रस्तावक का नाम
								प्रकार	माप	पूर्ण/अपूर्ण	
1.	सुल्तानगंज	मैनपुरी कुसमरा मार्ग से इटौरा ग्राम तक	मिट्टी आरसीसी पुलिया 1-0.60 मी० स्पान	1-575/1	68751.00	68751.00	68751.00	मि० पुलिया 1	1-757	पूर्ण "	ग्रामवासी इटौरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2.	"	जसनपुर से रजवाना तक	मिट्टी	1-00	65000.00	50000.00	61100	मिट्टी	1-00	प्रगति पर	श्री वेद प्रकाश प्रधान, रजवाना
3.	"	दिवन्नपुर चौधरी संपर्क मार्ग पर पुलिया	आरसीसी पु० 3 0-60 मी० स्पान		114000.0	114000.00	114000.00	पुलिया 3		पूर्ण	श्री अवधेश कुमार ग्राम दिवन्नपुर चौधरी
4.	"	शिवपुरा से जसवन्त नगर	मिट्टी पुलिया	0-550 1	80000.00	50000.00	30000.00	मिट्टी	0-550	प्रगति पर	श्री वेद प्रकाश प्रधान, रजवाना
5.	"	सहारा से कुंजलपुर तक	लेपन	1-05	219500.00	150000.00	50000.00	लेपन	1-05	प्रगति पर	श्री झब्बूलाल पूर्व प्रधान ग्राम सभा सहारा
6.	बेवर	रकरी बम्बा की पुलिया से आगे निजामपुर से बरौली तक	मिट्टी पुलिया 3	1-400	213100.00	112000.00	112000.00	मिट्टी पुलिया 3	1-400	प्रगति पर	श्री रोशन लाल प्रधान ग्राम सभा बरौली
7.	सुल्तानगंज	मैनपुरी भोगाँव रोड से नवोदय विद्यालय	खरंजा	1-450	65900.00	65900.00	63100.00	खरंजा	1-200 0-250	पूर्ण प्रगति पर	प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय भोगाँव
	योग				1419251.00	1203751.00	1066851.00				

चौ० नरेन्द्र सिंह
मंत्री
ग्राम्य विकास विभाग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

देखिये अता० प्र०सं०–59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर

अम्बेडकर ग्राम देवी नगर में लाभार्थियों को दिये गये इन्दिरा आवास की सूची विकास खण्ड नवाबगंज–गोण्डा

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पिता का नाम	जाति	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रामादेवी	श्री रामकेवल	श्री रामलाल	अनु०	3000.00
2.	" " चम्पा	" वासुदेव	" जगेसर	सामा०	2100.00
3.	" " सोना	" भगवाने	" झिनकान	"	3800.00
4.	" " गंगाराजी	" ननकन	" छोटंकू	"	3200.00
5.	" " फूलमती	" रुन्ने	" रामदीन	अनु	3000.00
6.	" " रामसंवारी	" सुन्दर	" मथेलू	"	2500.00
7.	" " पर्वता	" रामलगन	" पाचू	"	2800.00
8.	" " सोमनादेवी	" रामसमुझ	" रामलाल	"	3100.00
9.	" " शान्तीदेवी	" जादूराम	" प्रहलाद	"	2500.00
10.	" " रामरती	" हरीराम	" द्वारिका	"	1900.00
11.	" " सूरजादेवी	" झिनकान	" मथेलू	"	2500.00
12.	" " प्रभावती	" मुन्नालाल	" हीरालाल	"	3000.00
13.	" " सुभावती	" शोभाराम	" मेहीलाल	"	4000.00
14.	" " सीतापती	" सीताराम	" भोंदू	"	3800.00
15.	" " धनराजी	" जियाऊ	" औतार	"	3600.00
16.	" " सोनादेवी	" भोला	" झिनकू	"	2900.00
17.	" " कलावती	" बाढ़ू	" धिराई	"	2700.00
18.	" " अनारा	" रामआसरे	" दुनगुन	"	1900.00
19.	" " कमलादेवी	" शिवप्रसाद	" रामसुख	"	2300.00
20.	" " भानुमता	" गुनेशर	" रामदास	"	3000.00
21.	" " नेहादेवी	" नीवर	" दुलारे	"	3200.00
22.	" " केवलादेवी	" भागीलाल	" ननकऊ	"	4100.00
23.	" " फूलकला	" बृजलाल	" बहाऊ	"	3300.00
24.	" " बड़का	" मुन्नू	" बुद्धू	"	3300.00
25.	" " जुग्गादेवी	" रामऔतार	" मथई	"	3100.00
26.	" " पार्वती	" शिवनाथ	"	"	3200.00
27.	" " रामसंवारी	" सोमई	" रामरूप	"	3000.00

चौधरी नरेन्द्र सिंह
मंत्री
ग्राम्य विकास विभाग

नत्थी "छ"

देखिये अता० प्र०सं०—72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित माननीय विधायक श्री राजेन्द्र यादव के अतारांकित प्रश्न संख्या—72 का संलग्नक

1— विभागीय अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों के विगत वर्षों के बकाया वेतन का भुगतान

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 96-97 तक समस्त बकाया देनदारियों का भुगतान किया जा चुका है।

2— विभागीय अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों को नियमित वेतन का भुगतान

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1997-98 में नियमित देनदारियों के लिए रुपया 1600.00 लाख के सापेक्ष केवल रुपया 1300.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण रुपया 300.00 लाख की देनदारियां लम्बित हैं। वित्तीय वर्ष 98-99 में रुपया 1600.00 लाख की अनुदान राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है जिसके तारतम्य में विद्यालयों से अपेक्षित होगा कि देय वेतन आदि का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करें।

3— विद्यालय के अध्यापकों के लिए लाभत्रयी योजना लागू किया जाना

निदेशक समाज कल्याण से प्राप्त सूचना/सामग्री के आधार पर पत्रावली कार्मिक विभाग को भेजी गयी थी। कार्मिक विभाग ने यह अवगत कराया कि उनके विभाग द्वारा संविधान के अनु०—309 के अधीन प्रख्यापित सेवा नियमावलियों से शासित होने वाले सरकारी सेवकों की नियुक्तियां एवं उनके सेवा संबंधी प्रकरणों पर परामर्श प्रदान किया जाता है। अतः उक्त के आलोक में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग का कोई परामर्श दिया जाना समीचीन नहीं होगा। शिक्षा विभाग से ज्ञात करने पर स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में लाभत्रयी योजना लागू नहीं है।

4— अध्यापकों की भर्ती आदि की सेवा शर्तों का बताया जाना/बेसिक स्कूल अध्यापकों की शर्तों/सेवा शर्तों/नियमावली 1975 एवं संशोधन 1977 को लागू/एडाप्ट किया जाना

इस संबंध में अध्यापकों की नियुक्ति जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा प्रधानाचार्य द्वारा किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 529(एम०/26-3-95-1 (82) 95 दिनांक 21-9-95 द्वारा निर्गत किया गया था लेकिन मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इन आदेशों को स्थगित कर दिया गया। नियमावली तैयार किये जाने के संबंध में निदेशक समाज कल्याण ने यह स्पष्ट किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली 1975 मान्यता की शर्तों के रूप में विभागीय अनुदानित विद्यालयों पर पहले से ही लागू है, इसलिए अलग से विभाग द्वारा दूसरी नियमावली बनाकर लागू करने का औचित्य नहीं प्रतीत होता है।

5— वाइयों के मानदेय में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष वृद्धि किया जाना

निदेशक समाज कल्याण से प्राप्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशित प्रथम खण्ड (शेष खण्ड सम्प्रति अप्रकाशित) केवल वेतन आदि से संबंधित है और उक्त रिपोर्ट में मानदेय का कोई उल्लेख नहीं है।

6— अनुदानित विद्यालयों को साज-सज्जा/रख-रखाव हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता से व्यवस्था

अनुदानित विद्यालयों के साज-सज्जा रख-रखाव हेतु 585 विद्यालयों को शासनादेश सं०—431/स्पे० कम्पो०/26-3-96—(103)/94 दिनांक 21-5-96 द्वारा एकमुश्त सहायता प्रदान की गयी।

7— अनुदानित विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना

प्राप्त सूचनानुसार अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा अनुमन्य करायी जा चुकी है।

8— अध्यापकों का वेतन बिना समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाना

इस संबंध में शासनादेश सं० 529 (एम)/26-3-95—1(82)/95 दिनांक 21-9-95 द्वारा निर्गत आदेशों को मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13-10-95 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं०—1285/26-3-96—1(82)/95 दिनांक 9-5-96 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से आदेश दिनांक 21-9-95 स्थगित किया जा चुका है।

9— अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतन दिलाया जाना

इस संबंध में शासनादेश संख्या 3762/26-3-95—4 (99)/90 दिनांक 21-9-95 द्वारा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

विविध

दिनांक 18-7-1998 को मा० समाज कल्याण मंत्री जी ने प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की दिनांक 17-8-1995 की बैठक के बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया तथा इस संबंध में इस तथ्य को संज्ञान में लिया गया कि अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भत्ते, देय सुविधाओं आदि के प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय के कतिपय आदेश विद्यमान हैं तथा इस मामले में स्पेशल अपील भी दायर है। अतः यह निर्णय लिया गया कि स्पेशल अपील में मा० उच्च न्यायालय के आदेश सन्दर्भित प्रकरण के सापेक्ष प्राप्त किये जायें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० (आर० ई०) 2 विधान सभा/352-25-11-98-813 (फोटो)